www.bmdeducation.org

PAPER-I

LAXMI®

Exam Notes

ज्ञान और पाठ्यक्रम

(KNOWLEDGE AND CURRICULUM)

B.Ed.-2nd Year

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ

Ch. Ranbir Singh University, Jind,
Maharshi Dayanand University, Rohtak,
Indira Gandhi University, Meerpur,
Guru Jambheshwar University, Hisar

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

Published by :
LAXMI Book Depot
Hansi Gate, Bhiwani
Haryana
Ph. : 8295643575, 7206043575

Sales Executives :
BRIJ LAL & SONS
Railway Road, Rohtak, Haryana
Phone : 09355911047,
09355911077

Sales Executives :
HARYANA Educational Store
Model Town, Rohtak-124001
Phone : 01262-282142 (Shop)
Mob. : 09812221923

Sales Executives :
KALA MANDIR
1687, Nai Sarak, Delhi-110006
Phone : 011-43068496, 09999369804
011-23278828, 09999369805

Registered Trade Mark No. 832158, 831949

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, some errors might have crept in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

© Laxmi Book Depot
No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Design by :
DAKSH GRAPHICS,
New Delhi

Printed by :
Novelty Printing Press
Delhi-110053

SYLLABUS

CH. RANBIR SINGH UNIVERSITY JIND & MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

KNOWLEDGE AND CURRICULUM
[Paper–I]

Time: 3 Hours — *Max. Marks: 100*
(Theory: 80, Internal: 20)

NOTE FOR PAPER SETTER

(i) Paper setters will set 9 questions in all, out of which students will be required to attempt 5 questions.
(ii) Q. No. 1 will be compulsory and will carry 16 marks. There will be 4 short answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.
(iii) Two long answer type questions will be set from each of the four units, out of which the students will be required to attempt one question from each unit. Long answer type questions will carry 16 marks each.
(iv) All questions will carry equal marks.

OBJECTIVES

After completion of the course, student teachers will be able to:

➢ understand the concept of knowledge and knowing
➢ understand the different ways of knowing
➢ understand the facets of knowledge
➢ understand the epistemology of different philosophies
➢ understand the concept of curriculum
➢ understand the approaches of curriculum development
➢ know various designs of curriculum
➢ understand the importance of curriculum change

COURSE CONTENT

UNIT-I

1. **Knowledge: Key Concepts**
   - Meaning of Knowledge and Knowing, Kinds of Knowledge and Sources of Knowledge
   - Methods of acquiring Knowledge
2. **Distinction Between**
   - Information and Knowledge, Belief and truth, Reasoning and Analysis
3. **Different Ways of Knowing**
   - Relative roles of the knower and the known in knowledge transmission and construction
   - Contribution of the teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge

UNIT-II

4. Different facets of knowledge and relationship, such as:
- Local and University
- Concrete and Absolute
- Theoretical and Practical
- Contextual and Textual
- School and Out of School

5. Culture and Knowledge
- Role of culture in knowing
- Ways of knowledge rendered into action
- Emerging problems relating to knowledge

6. Epistemology of Indian Philosophies
- Sankhya
- Vedanta

7. Epistemology of Western Philosophies
- Idealism, Naturalism, Pragmatism and Existentialism

UNIT-III

8. Conceptual Framework of Curriculum
- Curriculum – Meaning, nature and its organizing curriculum components
- Principles of curriculum construction
- Bases of curriculum

9. Different Approaches to Curriculum Theory
- Traditional approach
- Learner driven approach
- Critical approach

10. Curriculum Process and Different ways of Approaching Curriculum Theory
- Curriculum as product
- Curriculum as process
- Participatory approach

UNIT-IV

11. Curriculum Design Models
- Discipline Centered Design, Learner Centered Design & Problem Centered Design
- Components required in Curriculum Development
- Curriculum Change: Meaning, Need and Factors affecting Curriculum Change

Tasks & Assignments: Any one of the following (10 marks)
- (Indian/ Western) Philosophy's branch of Epistemology
- Evaluation of curriculum of 9th or 10th standard and submission of report
- Any other project given by the institution.

विषय-सूची

UNIT-I

1. ज्ञान–मुख्य सम्प्रत्यय
[Knowledge–Key Concepts] 3

1. ज्ञान तथा जानने का अर्थ का वर्णन कीजिए।
(Describe the meaning of knowledge and knowing.)
अथवा
ज्ञान के अर्थ की व्याख्या कीजिए।
(Explain the meaning of knowledge.) 3

2. ज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(Describe the kinds of knowledge.)
अथवा
ज्ञान के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the kinds of knowledge.) 6

3. ज्ञान के साधनों की व्याख्या करें।
(Explain the sources of knowledge.)
अथवा
ज्ञान की अवधारणा एवं स्त्रोतों का वर्णन करें।
(Describe the concept and sources of knowledge.) 11

4. ज्ञान प्राप्त करने की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं? विवेचना कीजिए।
(What are the different methods of acquiring knowledge? Discuss)
अथवा
ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the methods of acquiring knowledge.) 13

2. सूचना तथा ज्ञान, विश्वास तथा सत्य, तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बीच अंतर
[Distinction Between Information and Knowledge, Belief and Truth, Reasoning and Analysis] 16

1. सूचना तथा ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? सूचना तथा ज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। सूचना तथा ज्ञान में क्या अंतर है?
(What do you know about information and knowledge? Describe the relationship between information and knowledge. What is distinction between information and knowledge?) 16

www.bmdeducation.org

2. विश्वास तथा सत्य के बारे में आप क्या जानते हैं? विश्वास तथा सत्य में क्या सम्बन्ध है?
(What do you know about Belief and truth? What is relationship between belief and truth?)
अथवा
विश्वास तथा सत्य में अन्तर करें।
(Distinction between belief and truth.) 19

3. तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण में क्या भेद है?
(What do you know about reasoning and analysis? What is distinction between reasoning and analysis?) 22

3. जानने के विभिन्न तरीके
[Different Ways of Knowing] 25

1. ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका का वर्णन कीजिए।
(Describe the relative role of knower and known in knowledge transmiss and construction.) 25

2. सूचना के ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापकों के योगदान का वर्णन कीजिए।
(Describe the contribution of teachers in assmiliation and dissemination of information and knowledge.)
अथवा
ज्ञान एवं जानकारी के आत्मसातीकरण तथा प्रसार में शिक्षकों की क्या भूमिका है?
(What is contribution of teaching in assimilation and dissemination of information and knowledge.) 27

UNIT-II

4. ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा संबंध
[Different Facets of Knowledge & Relationship] 33

1. ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।
(Describe different facets of knowledge and relationship.)
अथवा
ज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं तथा उनके सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।
(a) स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान (Local and Universal Knowledge)
(b) मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व (Concrete and Absolute Knowledge)
(c) सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान (Theoretical and Practical Knowledge)
(d) प्रसंग सम्बन्धी तथा पाठ्यवस्तु सम्बन्धी ज्ञान (Contexual and Texual Knowledge)
(e) विद्यालयी ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर का ज्ञान (School and out of school Knowledge) 33

5. संस्कृति तथा ज्ञान
[Culture and Knowledge] 41

1. संस्कृति क्या है? जानने में संस्कृति की क्या भूमिका है?
(What is culture? What is the role of culture in knowing?)
अथवा
संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है? ज्ञान की संरचना में संस्कृति की भूमिका को विस्तारपूर्वक बताइए।
(What do you mean by culture? Describe the role of culture in knowledge construction.) 41

2. ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए।
(Describe the ways of knowledge rendered into action.) 44

3. ज्ञान से सम्बन्धित उदयीमान समस्याओं का वर्णन कीजिए।
(Describe the emerging problems relating to knowledge.). 48

6. भारतीय दर्शनों की ज्ञान मीमांसा
[Epistemology of Indian Philosophies] 51

1. सांख्य-दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? सांख्य-दर्शन का शैक्षिक पद्धतियों में क्या महत्त्व है? स्पष्ट कीजिए।
(Explain the Sankhya Philosophy. What is its importance in Educational Methods? Explain it.)
अथवा
सांख्य-दर्शन का क्या अर्थ है? सांख्य-दर्शन के पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्यों, शिक्षक, शिक्षण विधियों, छात्र अनुशासन तथा शैक्षिक महत्त्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
(What is meaning of Sankhya Philosophy? What is its importance in syllabus educational aims, teacher, teaching methods, student discipline & educational importance?)
.... 51

2. वेदांत दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा के क्षेत्रों में इसके योगदान या भूमिका की विवेचना कीजिए।
(What do you understand by Vedanta philosophy? Discuss about the contribution or role of Vedanta philosophy in different areas of education.)
अथवा
वेदांत दर्शन या शांकर शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा-प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध पर विवेचना कीजिए।
(What are basic principles of Vedanta Education or Shankara Education? Discuss in briefµAims of Education Process, Curriculum and Teacher-Pupil Relations according to it.)
अथवा
वेदांत दर्शन क्या है? इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
(What is Vedanta Philosophy? Explain about its main principles.) 54

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

7. पाश्चात्य दर्शनों की ज्ञान मीमांसा
[Epistemology of Western Philosophies] 61

1. आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अध्यापक के द्वारा अपने कार्य में इसका प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है?
(Describe the basic principles of idealism. How can these be utilised by the teacher in his work?)

अथवा

उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षक तथा अनुशासन के संदर्भ में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए।
(Discuss Idealism with special reference to aims, curriculum, methods of teaching, teacher and discipline.)

अथवा

आदर्शवाद की अवधारणा बताएँ। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? विस्तार सहित बताए।
(Give concept of idealism. What is knowledge according to Idealism? Explain in detail.) 61

2. प्रकृतिवाद का क्या है? प्रकृतिवाद के क्या-क्या सिद्धांत हैं?
(What is the meaning of Naturalism? What are the principles of Naturalism?)

अथवा

"प्रकृतिवाद के विभिन्न प्रकार क्या हैं और शिक्षा में वे कहाँ तक उपयोगी हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
(What are the main forms of Naturalism and how far are they useful from the point of view of education? Describe briefly.)

अथवा

प्रकृतिवाद के सन्दर्भ में ज्ञान मीमांशा का वर्णन कीजिए।
(Explain epistemology by giving special reference to Naturalism.) 70

3. प्रकृतिवाद की शिक्षा को क्या देन है? या प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कीजिये।
(What is the contribution of Naturalism to education? or Evaluate the Naturalism in field of education.)

अथवा

प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप तथा अध्यापन विधियों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the nature of curriculum and methods of teaching according to Naturalism.) 72

4. शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का मुख्य योगदान क्या है? स्पष्ट कीजिये।

अथवा

शिक्षा में प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? इस दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा अनुशासन की विचारधारा को किस प्रकार प्रभावित किया है?
(What do you understand by Pragmatism in education? In what manners it affected the education in the field of Aims, Syllabus and Disciplined.) 80

5. अस्तित्ववाद का क्या अर्थ है? अस्तित्त्ववाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? विवेचना कीजिये।
(What is the meaning of Existentialism? What, according to the existentialism, should be the nature of education? Discuss.) 84

UNIT-III

8. पाठ्यक्रम का सम्प्रत्यात्मक ढाँचा
[Conceptual Framwork of Curriculum] 89

1. पाठ्य के अर्थ प्रकृति तथा इसको संगठित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। 89

2. पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धात कौन-कौन से हैं? विस्तार से वर्णन करें।

अथवा

पाठ्यक्रम निर्माण और उसके विकास के कौन से सिद्धांत हैं? व्याख्या कीजिए।

अथवा

किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किन-किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे?

अथवा

"आज का बालक समाज का एक अंग है उससे अलग नहीं।" इस कथन के दृष्टिगत प्रजातंत्रात्मक देशों में पाठ्यक्रम के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 92

3. पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए।
(Describe the main bases of Curriculum.)

अथवा

पाठ्यक्रम के विभिन्न आधारों से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तारपूर्वक बताइए।
(What do you mean by bases of curriculum? Explain in detail.) 97

9. पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम
[Different Approaches to Curriculum Theory] 103

1. पाठ्यक्रम के परम्परागत उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं?

अथवा

पाठ्यक्रम सिद्धान्त की परम्परावादी पद्धति की व्याख्या कीजिए।
(Explain Traditional approach to curriculum theory.).... 103

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

2. पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित या बाल केन्द्रित उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं? बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।
(What do you know about learner driven or child centered approach to curriculum? Describe the merits and demerits.) 108

3. पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम का वर्णन कीजिए।
(Describe critical approach to curriculum theory.) 111

10. पाठ्यक्रम प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम सिद्धांत उपागम के विभिन्न तरीके [Curriculum Process and Different Ways of Approaching Curriculum Theory] 115

1. पाठ्यक्रम प्रक्रिया क्या है? पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं? पाठ्यक्रम सिद्धांत उपागम में विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।
(What is curriculum process? What are the new trends in the process of curriculum development? Describe different ways to approaching curriculum theory.) 115

UNIT-IV

11. पाठ्यक्रम प्रारूप प्रतिमान [Curriculum Design Models] 119

1. पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप के बारे में आप क्या जानते हैं? पाठ्यक्रम में विषय केन्द्रित योजना, अध्येता केन्द्रित योजना तथा समस्या केन्द्रित योजना का वर्णन कीजिए।
(What do you know about curriculum design? Describe discipline centered design, learner centered design and problem centered design.)
अथवा
पाठ्यक्रम के विषय केन्द्रित प्रारूप तथा छात्र केन्द्रित प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on discipline centered design, learner centered design of curriculum.) 119

2. पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन-से हैं? पाठ्यक्रम विकास के महत्व का वर्णन कीजिए।
(What are the components of curriculum development? Describe the importance of curriculum development.) 121

3. पाठ्यक्रम परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है? पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by curriculum change? Describe the need of curriculum change.) 124

4. पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the social factors affecting curriculum change.)
अथवा
वे कौन से सामाजिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं?
(What are the factors affecting the curriculum change?) 129

5. पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले कौन-से कारक हैं?
(What are the fators affecting curriculum change?)
अथवा
पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले दार्शनिक तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the Philosophical factors affecting curriculum change.)
अथवा
वे कौन से दार्शनिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं?
(What are the philosophical factors affecting the curriculum change?) 135

6. पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का वर्णन कीजिये।
(Describe the psychological factors affecting curriculum change?)
अथवा
वे कौन-से मनोवैज्ञानिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर अपना प्रभाव डालते हैं?
(Which are the Psychological factors affecting change?) 141

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

LAXMI®

EXAM NOTES

ज्ञान तथा पाठ्यक्रम

[KNOWLEDGE & CURRICULUM]

[Paper–I]

UNIT–I

1. **Knowledge: Key Concepts**
   - *Meaning of Knowledge and Knowing, Kinds of Knowledge and Sources of Knowledge*
   - *Methods of acquiring Knowledge*
2. ***Distinction Between***
   - *Information and Knowledge, Belief and truth, Reasoning and Analysis*
3. ***Different Ways of Knowing***
   - *Relative roles of the knower and the known in knowledge transmission and construction*
   - *Contribution of the teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge*

LAXMI BOOK DEPOT LBD Hansi Gate, Bhiwani ™

—: प्रकाशक :—

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

1

ज्ञान-मुख्य सम्प्रत्यय
[Knowledge-Key Concepts]

1.1 ज्ञान तथा जानने का अर्थ
(Meaning of Knowledge and Knowing)

1. ज्ञान तथा जानने का अर्थ का वर्णन कीजिए।
(Describe the meaning of knowledge and knowing.)

अथवा

ज्ञान के अर्थ की व्याख्या कीजिए।
(Explain the meaning of knowledge.) **(June 2018)**

उत्तर–

(a) ज्ञान का अर्थ *(Meaning of Knowledge)*

ज्ञान क्या है? ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान वस्तुपरक (Objective) है अथवा आत्मपरक (Subjective)? क्या ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है? ज्ञान और ज्ञान के विषय का सम्बन्ध क्या है? ज्ञान के स्वरूप सम्बन्धी सिद्धांत क्या हैं? ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं? शुद्ध ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? ज्ञान के स्रोतों का क्या महत्व है? क्या ये ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत हैं? ज्ञान मीमांसा के अन्तर्गत ज्ञान सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ा जा सकता है।

ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है–

प्रो. रसल (Prof. Russel) ''ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है।''
("Knowledge is that which enlightens the human mind.")

व्याख्या–ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है। यह अज्ञानता और अन्धविश्वासों को दूर करता है।

विलियम जेम्स (William James) ''ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है।''
("Knowledge is an other name for practical achievement and success.")

व्याख्या–ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यावहारिक, क्रियात्मक (Active) और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है।

प्रो. जोड (Prof. Joad) ''ज्ञान हमारी उपस्थित, जानकारी और अनुभवों के भण्डार में वृद्धि का नाम है।''

("Knowledge is an addition to our existing information and experiences.")

सुकरात (Socrates) ''ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है।'' ("Knowledge is the highest Virtue.")

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

वस्तुवादी (Realists) "ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं।" ("Knowledge is the Knowledge of Objects.")

व्याख्या—वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता (मन) की अपेक्षा वस्तु (ज्ञात) को अधिक महत्व देते हैं।

प्रत्ययवादी (Idealists) "ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं।" (Knowledge is the Knowledge of ideas.")

प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु से मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति (Presence of Object) अनिवार्य मानते हैं और इस प्रकार यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता का ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान होता है। (Every knowledge is a knowledge of both knower and known.) अन्य ज्ञान मीमांसक ज्ञाता के ज्ञान को ज्ञेय के ज्ञान से भिन्न मानते हैं। (Knowledge of known is different from knowledge of knower.)

होब्स (Hobbes) ने कहा है कि, "ज्ञान शक्ति है।" ("Knowledge is Power.")

व्याख्या—इस ज्ञान में जो कुछ भी वृद्धि होती है वह मानव शक्ति में वृद्धि है। सामान्यतया ज्ञान शब्द या जानने शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से तीन अर्थों में किया जाता है।

(i) परिचय (Acquintance)--जब हम किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो माना कि हम उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, परन्तु केवल परिचय करने मात्र से सम्पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता, उसके लिए अन्य स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे, आप भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन सिंह के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप उनसे परिचित हुए बिना भी उन पर लिखी पुस्तकों को पढ़कर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं या जो उंनसे परिचित हैं उनसे भी भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की जानकारी एकत्रित की जा सकती है।

(ii) कार्य करने की योग्यता (Ability to do Something)—ज्ञान व जानने शब्द का प्रयोग कार्य करने व सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे, योग्यता से अभिप्राय किसी कार्य को करने की कुशलता से है। जैसे, एक तैराक में तैरने की योग्यता है तभी वह तैरना जानता है।

(iii) प्रतिज्ञप्ति ज्ञान (Propositional Knowledge)—यह अर्थ दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे, हम जब यह कहते हैं कि हम जानते हैं या जानकारी रखते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी बात का ज्ञान रखते हैं, जैसे मैं पढ़ना जानता हूं, मैं तैरना जानता हूं, मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ।

जानने का अर्थ *(Meaning of Knowing)*

ज्ञान के स्वरूप के दार्शनिक अथवा तार्किक विश्लेषण का संबंध सिर्फ इस बात से है कि जब कोई किसी वस्तु के संबंध में यह कहता है कि वह उसे जानता है तो इससे उसका क्या तात्पर्य होता है। किसी वस्तु का ज्ञान होने या उसे जानने का सचमुच क्या अर्थ होता है? कब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज को जानता है? परंतु इस प्रश्न का भी कोई एक और निश्चित उत्तर नहीं है। कभी-कभी जब हम यह कहते हैं कि हम अमुक व्यक्ति को जानते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारा उस व्यक्ति से परिचय है तथा उसके स्वभाव और सामान्य व्यवहार आदि के संबंध में भी हमें कुछ या अनेकों बातें मालूम हैं। साधारण रूप से कहा जा सकता है कि यहां जानने का अर्थ है परिचय होना। पर जानने का एक दूसरा अर्थ भी है जो तब सामने आता है जब कोई इस प्रकार की बातें करते है—मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, आदि। यहां जानने का अर्थ किसी कार्य करने की क्षमता का होना है। तैरना जानने का अर्थ है तैरने की क्षमता का होना, पढ़ना जानने का अर्थ है पढ़ने की क्षमता का होना, आदि। दूसरे शब्दों में, यहां कुछ जानने का अर्थ है यह जानना कि कैसे कोई कार्य-विशेष सम्पन्न हो सकता है। इसीलिए अंग्रेजी में इसे Knowing now की संज्ञा दी गई है। पर ज्ञान होने या जानने का तीसरा अर्थ भी है जो उसका सबसे प्रमुख अर्थ है और जिस अर्थ में ही प्रायः हम इसका प्रयोग करते हैं। जब कोई कहता है कि 'मैं जानता हूँ' अथवा मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं आदमी हूँ, मेरे दो हाथ, दो पैर हैं आदि अथवा मैं जानता हूँ कि यह नारंगी है, यह गोल है, यह पीला है, इसमें सुगंध है, आदि तो वह इसी तीसरे अर्थ में 'जानना' शब्द का प्रयोग कर रहा है। हम देख सकते हैं कि जानने के इस अर्थ में प्रत्येक वाक्य का प्रारंभ 'मैं जानता हूँ कि ....'' से होता है तथा उसके बाद कोई एक प्रतिज्ञप्ति या कई प्रतिज्ञप्तियां उसके साथ जुड़ी होती हैं। अंग्रेजी में जानने के अर्थ को Knowing that की संज्ञा दी गई है। जानने के इस अर्थ में जब हम किसी चीज को जानते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम जानते हैं कि उस चीज के संबंध में कुछ प्रतिज्ञप्तियां सत्य है। जैसे नारंगी को जानने का अर्थ है यह जानना कि उसके संबंध में उपर्युक्त प्रकार की कुछ प्रतिज्ञप्तियां सत्य हैं। वैसे हम हर प्रतिज्ञप्ति के पीछे 'सत्य है' जोड़ते नहीं है, पर हमारा तात्पर्य यही होता है। जैसे जब हम कहते हैं 'नारंगी सुगंधित है' प्रतिज्ञप्ति सत्य हैं। उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिज्ञप्ति के पहले 'मैं जानता हूँ कि ...' हम सदैव जोड़ते नहीं हैं पर किसी चीज के हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति में वह निहित रहता है। परंतु हम अभी तक भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि 'ज्ञान होना या जानना' के इस तीसरे अर्थ में भी ज्ञान का सचमुच स्वरूप क्या है। अभी तक हमने सिर्फ यह कहा है कि 'जानना' का जो बहुप्रचलित अर्थ है उसके अनुसार जानने का अर्थ है किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानना। पर उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जहां कहीं भी हम 'जानना' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां इस शब्द का उचित प्रयोग हम कर रहे हैं या नहीं। हमें यह निर्धारित करना होगा कि किन शर्तों की पूर्ति होने पर कोई यह कहने का अधिकारी है कि 'मैं जानता हूँ कि ...'। यदि कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई यह कहने का अधिकारी हो जाए कि 'मैं जानता हूँ कि ...' तो इससे 'जानना' अथवा 'ज्ञान होना' शब्द का प्रयोग अनिश्चित ही रह जाता है और हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसी चीज को जानना या किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता का जानना सचमुच है क्या। इसलिए यह यहां आवश्यक हो जाता है कि यह निर्धारित करें कि किन शर्तों की पूर्ति होने पर हम सचमुच यह कह सकते हैं कि हम किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानते हैं।

पारम्परिक रूप से निम्नलिखित तीन शर्तों की चर्चा की गई है—

1. सबसे पहले तो यह स्पष्ट है कि चूंकि जानना किसी प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानना है, इसलिए जब कोई कहता है कि वह जानता है कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है तो फिर उस प्रतिज्ञप्ति को सचमुच सत्य होना चाहिए। इसलिए जानने की पहली शर्त है कि जिस प्रतिज्ञप्ति की सत्यता को जानने का कोई दावा करता है वह सचमुच सत्य हो।
2. पर किसी प्रतिज्ञप्ति के सिर्फ सत्य होने से जानने की शर्त पूरी नहीं हो जाती। संसार में अनेकों प्रतिज्ञप्तियां सत्य हैं, पर सभी की सत्यता को हम नहीं जानते। इसलिए ज्ञान होने या जानने की दूसरी शर्त यह है कि हमें यह विश्वास भी हो कि अमुक प्रतिज्ञप्ति जिसे हम जानने का दावा करते हैं, सत्य है। ज्ञान में विश्वास संबंधी यह पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य है पर मुझे विश्वास नहीं है कि वह सत्य है तो फिर मैं उसे नहीं जानता। यह कहना कि मैं जानता हूँ कि अमुक प्रतिज्ञप्ति सत्य है, पर मुझे उसकी सत्यता में विश्वास नहीं, एक आत्म-व्याघात है।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

ज्ञान के प्रकार
(Kinds of Knowledge)

3. ज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(Describe the kinds of knowledge.)

अथवा

ज्ञान के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the kinds of knowledge.)

उत्तर–ज्ञान की प्रकृति को समझने के बाद अब यह जानना भी जरूरी है कि ज्ञान कितने तरह का होता है। विस्तृत रूप में ज्ञान दो प्रकार का होता है–

(1) सामान्य ज्ञान (General Knowledge)
(2) विशिष्ट ज्ञान (Specific Knowledge)

सामान्य ज्ञान को विस्तृत रूप में दो भागों में बांटा गया है–

(1) सामान्य ज्ञान के प्रकार (Types of General Knowledge)–इसके दो प्रकार मुख्यतः बताए गए हैं–

(i) प्रागुनभाविक ज्ञान (A Priori Knowledge)
(ii) प्रायोगिक ज्ञान (Empirical Knowledge)

सामान्य ज्ञान के प्रकारों के अन्तर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में इसका विस्तृत विवेचन किया है।

(a) उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार (Upnishad and Types of Knowledge)
(b) श्रीमद्भगवत् गीता एवं ज्ञान के प्रकार (Shreemad Bhagwat Geeta and Types of Knowledge)
(c) जैन दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार (Jain Philosophy and Types of Knowledge)
(d) न्याय दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार (Justice Philosophy and Types of Knowledge)
(e) सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार (Sankhya Philosophy and Types of Knowledge)

(2) ज्ञान के विशेष प्रकार (Types of Specific Knowledge)–

(a) आप्तवचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान (Testimony or Authoritative Knowledge)
(b) ऐन्द्रिक ज्ञान (Empirical Knowledge)
(c) तार्किक ज्ञान (Reasoning Knowledge)
(d) वैज्ञानिक ज्ञान (Scientific Knowledge)
(e) क्रियात्मक ज्ञान (Pragmatic Knowledge)
(f) अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान (Intuitive Knowledge)

(1) सामान्य ज्ञान के प्रकार (General Types of Knowledge) :

(i) प्रागुनभाविक ज्ञान (A Priori Knowledge)–वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र तथा तर्कशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे, दो और दो चार होते हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार, तर्क शास्त्र में A>B तथा B>C, इसलिए A>C। यह बात इसलिए ठीक है क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। तर्क शास्त्र में निगमन के आधार पर जो तर्क दिया जाता है, वह तार्किक नियमों पर आधारित होने के कारण वैध माने जाते हैं। बहुत सारे कथन, कहावतें तथा लोकप्रचलित प्रथाएं, परम्परायें व सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, ये सभी प्रागुन भाविक ज्ञान के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) प्रायोगिक ज्ञान (Empirical Knowledge)–यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रागुन भाविक ज्ञान से भिन्न ज्ञान है। यह ज्ञान (Sensory) तथा बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण तथा मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन तथा निरीक्षण से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि इन्द्रियां ज्ञान के द्वार हैं। (Senses are gate ways of learning.)

सामान्य ज्ञान के प्रकार के अन्तर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार

(a) उपनिषद् एवं ज्ञान के प्रकार (Upnishad and Types of Knowledge)–उपनिषद् में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया है जिसमें ज्ञान के दो प्रकार बताये गये हैं–

(i) परा विद्या (Pra Vidya)
(ii) अपरा विद्या (Apra Vidya)

(i) परा विद्या (Pra Vidya)–इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से सम्बन्धित होता है। इस भौतिक संसार की जानकारी हेतु हमें अपनी पांच इन्द्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान कह देते हैं। पराविद्या को अपरा विद्या से ज्यादा महत्व दिया गया है।

(ii) अपरा विद्या (Apra Vidya)–अपरा विद्या का सम्बन्ध दूसरे लोक के साथ है। इस लोक से परे के लोक के ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा से और परमात्मा से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान है। यह आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्धों को बताता है।

(b) श्रीमद्भगवत् गीता एवं ज्ञान के प्रकार (Shreemad Bhagwat Geeta and Types of Knowledge)–श्रीमद्भगवत् गीता में ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं–

(i) अपरा विद्या (ii) परा विद्या।

परा विद्या को अपरा विद्या से श्रेष्ठ बताया गया है। गीता के 18वें अध्याय में तीन गुणों को ज्ञान के अनुसार तीन प्रकारों में बांटा गया है–

(i) सात्विक (ii) राजसी (iii) तामसी ज्ञान।

सात्विक ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसका लक्ष्य उस आत्म तत्व का बोध कराना है जो विविधता में एकता के दर्शन करवाता है।

(c) जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार (Jain Philosophy and Types of Knowledge)–

(i) मति ज्ञान (Mati Knowledge)–इसकी प्राप्ति इन्द्रियों की मदद से होती है। इसे भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम देते हैं।

(ii) श्रुति ज्ञान (Shruti Knowledge)–मानव द्वारा जो ज्ञान अपने अनुभवों, व्याख्यानों, पाठ्य-पुस्तकों व अन्य घटनाओं व वातावरण से प्राप्त किया जाता है, उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं।

(iii) अवधि ज्ञान (Awadhi Knowledge)–यह ज्ञान अतीन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियों से परे का ज्ञान है। यह आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। यह तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के कर्म और जिम्मेदारियां बहुत कम हो जाती हैं तथा वह देश व समय की सीमा को पार कर दूरदर्शिता के रूप में बहुत दूर तक देखने की दृष्टि रखता हो।

(iv) मनः पर्यविज्ञान (Telepathy Knowledge)–यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के विचारों, गुणों व मनोभावों का ज्ञान कर सकता है। इसे हम टेलीपेथी के रूप में या पूर्व कथन के रूप में समझ सकते हैं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(v) कैवल्य ज्ञान (Kewalya Knowledge)–इसे परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जो कर्म के हर बन्धन से मुक्त हो। यह ज्ञान निरन्तर चलने वाला होता है व इसे प्राप्त कर मानव ज्ञानी हो जाता है व मोक्ष प्राप्त कर सकता है। **जैन दर्शन** अन्तिम तीन प्रकार के ज्ञान को उच्चतर श्रेणी का ज्ञान मानता है। इन्हें व्यक्ति साधना के द्वारा व गहन चिन्तन के द्वारा प्राप्त कर सकता है।

(d) न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार (Justice Philosophy and Types of Knowledge)–न्याय दर्शन (Justice Philosophy) के अन्तर्गत चार प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं–

(i) प्रत्यक्ष ज्ञान (Direct Knowledge)–यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति सीधे रूप में या प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करना चाहता है। इसे प्राप्त करने के लिए अन्य ज्ञान रूपी साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसके भी दो भेद हैं–(i) इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान (Sensory Knowledge), (ii) अन्तर्ज्ञान (Intuition)।

(ii) अनुमेय ज्ञान (Assumed Knowledge)–यह ज्ञान अंदाजे पर निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के मुख मुद्रा को देखकर उस व्यक्ति के गुणों को बताना, व्यक्ति की चाल को देखकर उसका व्यक्तित्व बताना, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। यह अनुमानित ज्ञान पूर्वज्ञान (Previous Knowledge) पर आधारित है। क्योंकि हम पूर्व अनुभवों से पहले सीख चुके हैं कि बादल गरजने पर या होने पर वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान के आधार पर भूतकाल में घटित घटनाओं का ज्ञान भी हम अनुमान के द्वारा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव/शहर के खण्डरों को देखकर भूकम्प का अंदाजा लगाया जा सकता है।

(iii) उपमेय ज्ञान (Similarity Knowledge)–यह वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति समानता के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे, कम्प्यूटर का मोनिटर व टी.वी. एक जैसे दिखाई देते हैं तो बच्चों को उनकी समानता के बारे में बताया जा सकता है। इसी तरह कम्प्यूटर का कीबोर्ड (Keyboard) टाईप मशीन जैसा होता है तो जब बच्चों के सामने कम्प्यूटर का कीबोर्ड (Keyboard) प्रस्तुत किया जाएगा तो समानता के आधार पर टाईप मशीन को, उनसे पहले से देखा हुआ है, पहचान जाएगा।

(iv) शब्द ज्ञान (Word Knowledge)–यह वह ज्ञान है जिसे हम पुस्तकें पढ़कर व दूसरे व्यक्तियों से आवाज के माध्यम से सुनकर हम काफी शब्दों को पहले से ही जानते हैं, का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

(e) सांख्य दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार (Sankhya Darshan and Types of Knowledge)–इसके अन्तर्गत ज्ञान के तीन प्रकार बताए गए हैं–

(i) प्रत्यक्ष ज्ञान (Direct Knowledge)–ये ज्ञान जिसे व्यक्ति इन्द्रियों की मदद से या अन्तर्ज्ञान (Intuition) से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करता है।

(ii) अनुमानित ज्ञान (Assumed Knowledge)–यह ज्ञान अनुमान पर आधारित होता है। इसमें पूर्वज्ञान के आधार पर अज्ञात का अनुमान लगाया जाता है। वर्षा ज्यादा आने से चट्टानों का खिसकना व भूकम्प के आने की उम्मीद की जाती है। बादलों के आधार पर वर्षा का अनुमान लगाना।

(iii) शाब्दिक ज्ञान (Vocabulary Knowledge)–यह वह ज्ञान है जिसे लिखित रूप में (पुस्तकें पढ़कर) व मौखिक रूप में (दूसरे व्यक्तियों से सुनकर) प्राप्त करते हैं क्योंकि शब्दों का ज्ञान हमें पहले से ही है। इसके दो रूप हैं–

(a) लौकिक शाब्दिक ज्ञान (Local Vocabulary Knowledge)–यह वह ज्ञान है जो सांसारिक व लोगों की अभिव्यक्ति, वचनों से प्राप्त होता है जिसमें वह सक्षम होते हैं।

(b) वैदिक शाब्दिक ज्ञान (Vedic Vocabulary Knowledge)–यह ज्ञान वैदिक ऋषि-मुनियों, सन्तों, महापुरुषों के सात्विक वचनों से प्राप्त होता है जिन्होंने अपने अथक साधना, तप व दिव्य-दृष्टि से सत्य का आविष्कार किया है।

(II) ज्ञान के विशेष प्रकार (Specific Types of Knowledge)–ज्ञान के स्रोत के आधार पर ही ज्ञान के विशेष प्रकारों को लिया गया है। ज्ञान के विशेष प्रकारों को निम्न रूप से बताया गया है–

(a) आप्तवचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान (Testimony or Authoritative Knowledge)
(b) ऐन्द्रिक ज्ञान (Empirical Knowledge)
(c) तार्किक ज्ञान (Reasoning Knowledge)
(d) वैज्ञानिक ज्ञान (Scientific Knowledge)
(e) क्रियात्मक ज्ञान (Pragmatic Knowledge)
(f) अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान (Intuitive Knowledge)

(a) आप्तवचनात्मक या अधिकारात्मक ज्ञान (Testimony or Authoritative Knowledge)–आप्त शब्द का अर्थ है–विश्वसनीय या प्रामाणिक। इस प्रकार आप्तवचनात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम उन व्यक्तियों के कथनों, लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजों के तथ्यों व अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचारों द्वारा जानकारी ही प्राप्त करते है। इसके अन्तर्गत ज्ञान का अधिकतर भाग न तो तर्क पर आधारित है न ही बोध पर आधारित है। हम कुछ सिद्धान्तों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं जो स्थायी, अवरोधी तथा सार्वभौमिक होते हैं। जैसे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, कोई भी वस्तु ऊपर उछाली जाने पर वापिस पृथ्वी पर गिरती है। हम इन्हें पुस्तकों में पढ़ते और कुछ ज्ञान हमें अध्यापकों द्वारा बताया जाता है। इस प्रकार का ज्ञान किसी न किसी अधिकारी द्वारा भी दिया जा सकता है, इसलिए इसे अधिकारात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। इतिहास, विज्ञान, भूगोल तथा अन्य सभी पुस्तकों में दी गई सामग्री आप्तवचनात्मक ज्ञान के ही उदाहरण हैं। आजकल दी जाने वाली शिक्षा का आधार आप्तवचनात्मक ज्ञान ही है। यह ज्ञान दूसरों के वचनों पर विश्वास करके व पुस्तकों में लिखी बातों को पढ़कर प्राप्त किया जाता है।

(b) ऐन्द्रिक ज्ञान (Empirical Knowledge)–जैसा कि कहा भी गया है कि इन्द्रियां ज्ञान की द्वार हैं। (Senses are the gateways of Knowledge.) यह ज्ञान मनुष्य का सबसे प्रारम्भिक और महत्वपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान इन्द्रियों के अनुभव से सम्बन्धित है। इसे व्यक्ति अपनी इन्द्रियों (पांच इन्द्रियों) की संवेदनाओं से प्राप्त करता है। यह ज्ञान अनुभवों, निरीक्षणों, अवलोकनों पर आधारित है। **लॉक (Locke)** ने इसे संवेदनशील ज्ञान कहा है। वस्तुओं के अस्तित्व को हम अपने संवेगों से महसूस करते हैं, परन्तु उतना निश्चित नहीं है जितना कि अन्तःप्रज्ञा या तर्क के आधार पर निगमन परन्तु इसमें फिर भी एक विश्वास होता है जिसके आधार पर हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। मानव की पांच इन्द्रियां (आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ) उस रंग, ध्वनि, गन्ध, ताप तथा रस का ज्ञान देती हैं जिन्हें इन्द्रियानुभव कहते हैं।

(c) तार्किक ज्ञान (Reasoning Knowledge)–तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचार करना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तव के अन्तर्गत दो विधियां होती हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है–निगमन तथा आगमन विधियां। आगमन विधि के अन्तर्गत अनेक

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण (Generalisation) किया जाता है। सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेता है। आगमन विधि को (Egrule) विधि भी कहते हैं, जिसमें उदाहरणों की सहायता से नियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे, एक बच्चा सड़क के बीचोंबीच जा रहा था, बस वाले ने उसे कुचल दिया क्योंकि सड़क के बीच में हमें नहीं चलना चाहिए। यह यातायात के नियम के विरुद्ध है। इसमें पहले उदाहरण दिया व फिर यातायात का नियम समझाया। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत है। इसे Ruleg विधि भी कहते हैं जिसमें नियम (Rule) पहले समझाया जाता है व उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। जैसे, यातायात के नियम इस प्रकार हैं–(1) हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए (नियम न. 1) (2) हमें सड़क के चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुक जाना चाहिए। (नियम न. 2) यातायात के नियम समझाने के बाद उपर्युक्त निगमन विधि में उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं। यदि यातायात के ऊपर दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।

(d) वैज्ञानिक ज्ञान (Scientific Knowledge)–यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए होता है और इस ज्ञान को प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त करते हैं। इस ज्ञान के परिणामों की पुष्टि अन्य मनुष्यों, वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षणों से की जा सकती है। इस ज्ञान को सक्षम बनाने हेतु एन्द्रिक ज्ञान व तार्किक्र ज्ञान का सहयोग लेना पड़ता है। यह वैज्ञानिक विषयों हेतु महत्वपूर्ण ज्ञान है।

(e) क्रियात्मक ज्ञान (Pragmatic Knowledge)–यह ज्ञान जॉन डीवी (John Dewey) के विचारवाद पर आधारित है। यह जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विचार और विश्वास जीवन के उपकरण हैं। ये व्यक्ति की इच्छाओं की सन्तुष्टि के साधन हैं, ये कार्य की योजनाओं में सहायक हैं। यह ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण के आधार पर होता है और यह व्यक्तिगत होता है। इसके साथ ही साथ यह ज्ञान व्यक्ति के सामंजस्य में सहायक होता है। क्रियात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, परीक्षण के आधार पर होता है और यह ज्ञान लाभदायक व उपयोगी होता है।

(f) अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान (Intuitive Knowledge)–अन्तःप्रज्ञात्मक ज्ञान पांच इन्द्रियों के अनुभव से परे का ज्ञान है इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की छटी इन्द्री से भी जोड़ दिया जाता है। सम्पूर्णता का बोध तथा उसकी अनुमति का नाम अन्तःक्रिया है। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है। इसमें ज्ञाता तथा ज्ञेय दो नहीं होते। इस अनुभूति में ज्ञाता ज्ञेय में लीन हो जाता है। अन्तः शब्द का अर्थ है–आन्तरिक तथा प्रज्ञा का अर्थ है–बुद्धि। इस प्रकार अन्तःप्रज्ञा का अर्थ है–जिसके द्व रा वह उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ तथा सही-गलत का ज्ञान प्राप्त होता है। हम वास्तविक जीवन में कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। हमें कई बार यह महसूस होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा अथवा बुरा घटित होने वाला है। यह पूर्वाभास अन्तःप्रज्ञात्मक ज्ञान ही है। यह आत्म तत्व की तरह है क्योंकि आत्मा भी सर्वत्र रहती है व मरती नहीं है। यह ज्ञान सार्वभौमिक भी है। इस विज्ञान का कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। व्यक्तियों और विशेषज्ञों के व्यक्तिगत अनुभव ही इसके प्रमाण हैं।

◆◆◆

ज्ञान के स्रोत
(Sources of Knowledge)

3. ज्ञान के साधनों की व्याख्या करें।
(Explain the sources of knowledge.) **(June 2018)**

अथवा

ज्ञान की अवधारणा एवं स्त्रोतों का वर्णन करें।
(Describe the concept and sources of knowledge.)

उत्तर–ज्ञान का अर्थ (Meaning of knowledge)–प्रश्न संख्या 1 देखिए।

ज्ञान के स्रोत (Sources of knowledge)–ज्ञान के स्रोत जानने से पूर्व स्रोत शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है।

स्रोत का अर्थ (Meaning of Source)–स्रोत का अर्थ है–उत्पत्ति स्थल या उद्गम। अर्थात् वह जिससे किसी चीज की उत्पत्ति हो।

इस प्रकार ज्ञान के स्रोत वे हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न भारतीय दर्शन ज्ञान के अलग-अलग स्रोत बताते हैं। कुछ मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं–

1. इन्द्रिय अनुभव (Sense Experience)–आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा इन ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत हैं। इसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। जब हमारी इन्द्रियाँ किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती हैं तो हमें उसकी संवेदना होती है और अंत में इसी आधार पर उसका प्रत्यय (Concept) हमारे मस्तिष्क में बनता है। इस प्रकार इन्द्रियाँ ज्ञान का स्रोत हैं। अनेक विश्वास हमारे इसी इन्द्रियजन्य ज्ञान से बनते हैं। जैसे–'कौआ काला है', 'तोते का रंग हरा है' आदि हमारे विश्वासों का स्रोत यह इन्द्रिय अनुभव ही है।

इन्द्रिय अनुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारने की आलोचना भी की जाती है क्योंकि कई बार भ्रम के कारण व्यक्ति वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रम की स्थिति में हमारी इन्द्रियाँ ही उसका निराकरण भी कर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि भ्रम के कारण नेत्र रस्सी को साँप समझ लेते हैं तो इस भ्रम को दूर भी नेत्र ही करते हैं। अतः इन्द्रिय अनुभव ज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

2. तर्क (Reasoning)–भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान (Inference) कहा गया है। यह इन्द्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है क्योंकि इन्द्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है जबकि तर्क भूत, वर्तमान व भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। तर्क का अर्थ है–पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुँचना।

तर्क दो प्रकार का होता है–

(i) आगमन तर्क (Inductive Reasoning)

(ii) निगमन तर्क (Deductive Reasoning)

इन दोनों तर्कों को समझने के लिए आधारिका व निष्कर्ष–इन दो शब्दों को समझना होगा।

आधारिका–इसका अर्थ है–आधार। इस प्रकार आधारिका ऐसे कथन हैं जो नए निष्कर्ष तक पहुँचने में आधार का कार्य करते हैं।

निष्कर्ष–ये वे कथन हैं जिन तक हम आधारिका के आधार पर पहुँचते हैं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(i) आगमन तर्क (Inductive Reasoning)–इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमारी आधारिका सत्य है तो यह आवश्यक नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य ही होगा। उसके सत्य होने की संभावना मात्र हो सकती है। उदाहरण के लिए–'अभी तक देखे गए कौए काले पर गए' यह एक आधारिका है। इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि 'सभी कौए काले हैं।' लेकिन हमारा यह निष्कर्ष केवल संभावना है। सभी कौए काले हो भी सकते हैं और नहीं भी।

ज्ञान के स्रोत के रूप में यह तर्क बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व में हमारा अधिकतर ज्ञान संभावनाओं पर आधारित होता है।

(ii) निगमन तर्क (Deductive Reasoning)–इस तर्क का अर्थ है कि यदि आधारिका सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा। उदाहरण के लिए–"जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ-वहाँ जीवन पाया गया" यह एक आधारिका है जो कि सत्य है। अतः इसके आधार पर 'चन्द्रमा पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, अतः वहाँ जीवन भी नहीं है।' निकाला गया यह निष्कर्ष भी सत्य है।

अनेक भारतीय दर्शन इस प्रकार के तर्क को ज्ञान का स्रोत स्वीकारते हैं।

3. तर्क बुद्धि (Rational Intelligence): व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है, जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर होता है। तर्क बुद्धिवादी (Rationalists) तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कुछ विचारक तर्क बुद्धि को 'तर्क' में ही समाविष्ट कर देते हैं, क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि ही हमारी मदद करती है।

4. आप्त वचन (Testimony/Authority)–इसे उन विशेषज्ञों के वचन भी कहा जा सकता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान प्राप्त किया हो। आप्त वचन ज्ञान का स्रोत तो है पर आवश्यक नहीं कि ये सदैव विश्वसनीय हों। अतः इनसे प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव व तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए।

5. श्रुति (Revelation)–श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा है अथवा वह ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ है। इस रूप में श्रुति को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है।

6. अन्तः प्रज्ञा (Intuition)–अन्तः प्रज्ञा का संबंध आभास या अंतर्बोध से है। अन्तः प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्ता का ज्ञान अन्तः प्रज्ञा के बिना प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए अन्तः प्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। परम सिद्ध योगी ही इस स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।

7. आस्था (Faith)–आस्था का अर्थ है–लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वह परम्परागत रूप में प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। इनकी सत्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हैं। इसलिए इसे भी ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान के अनेक स्रोत बताए हैं, लेकिन ये सभी स्रोत परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।

◆◆◆

1.2 ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ
(Methods of Acquiring Knowledge)

4. ज्ञान प्राप्त करने की कौन-कौन-सी विधियाँ हैं? विवेचना कीजिए।
(What are the different methods of acquiring knowledge? Discuss)

अथवा

ज्ञान प्राप्त करने की विधियों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the methods of acquiring knowledge.) (June 2018)

उत्तर–(I) मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, जिसके कारण वह आस-पास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। परन्तु यह तो केवल आरम्भ ही है। समय के साथ-साथ जब उसके ज्ञान का विकास होता है तो वह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। वैसे भी आज का युग विज्ञान के विस्फोट का युग है। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाए तथा अपने ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे, तभी वह आज के युग की बदली परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल सकेगा। ऐसा न करने पर उसका पिछड़ना लाजमी है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रत्येक आयुवर्ग के लोगों में होती है। यह छोटे से बालक से लेकर प्रौढ़ तथा बृद्ध व्यक्तियों में भी देखने को मिलती है। यदि हम चाहते हैं कि बालक तथा प्रौढ़ों का मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास निरन्तर होता रहे तो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करते रहना चाहिए। बालक के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है।

ज्ञान प्राप्ति के दो मुख्य साधन हैं–

(1) इन्द्रियानुभव के द्वारा ज्ञान (Knowledge through senses)

(2) तर्क बुद्धि (Reason)

इन्द्रियानुभव ज्ञान के अन्तर्गत ज्ञान प्राप्ति हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है–

(1) अवलोकन विधि (Observation Method)–ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें प्रकृति के बाह्य रूपों का अवलोकन करना चाहिए। इस अवलोकन से हमे अनेक बातां का ज्ञान होता है। प्रकृतिवादी विशेष तौर पर रूसो (Rousseau) प्रकृति को बालक की सब से बड़ी शिक्षिका मानते थे। उनका कहना था कि प्रारम्भ के वर्षों में बालक को प्रकृति की गोद में रख कर शिक्षा देनी चाहिए। रूसो अध्यापक को अधिक महत्त्व नहीं देता। उसके अनुसार बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक केवल प्रकृति ही है।

जहाँ अवलोकन होगा वहाँ निरीक्षण भी होगा। बालक अपने आस-पास के वातावरण का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के आधार पर ही अनुभव होता है और फिर इन अनुभवों को हम अपने जीवन समाज तथा देश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने अनुभवों के साथ-साथ हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं और इन अनुभवों के आधार पर हम कोई मत बनाते हैं तथा अधिक अनुभवों की सहायता से अपने बनाए हुए मत की परख भी करते हैं। इसके पश्चात् अनुभवों द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान की व्याख्या करते हैं और उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग तथा सुव्यविस्थत रूप में संगठित करते हैं तथा उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं।

(2) करके सीखना (Learning by doing)–जब बालक इन्द्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य को कर रहा होता है। कार्य करने से उसे उस कार्य से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकर तथा सहज होता है तथा बालक का आत्म-विश्वास बढ़ता है।

(3) अनुभव से सीखना (Learning by Experience)–जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम दूसरों को किसी कार्य को करता हुआ देख कर पूरी तरह उस कार्य को नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किये अनुभवों पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को उसके स्वयं के अनुभव उसको खोजी बनाते हैं। अनुभव मनुष्य का सब से बड़ा शिक्षक है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(4) **दृश्य-श्रव्य सामग्री (Audio-Visual Aids)**–दृश्य-श्रव्य सामग्री आज के युग की एक महत्त्वपूर्ण देन है। ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। इस का प्रयोग करके बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग से एक से अधिक इन्द्रियों का प्रयोग हो सकता है। अधिक ज्ञान के साथ-साथ इसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य-श्रव्य सामग्री बच्चे को प्रेरणा प्रदान करती है। विषय-सामग्री को अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। सरलता के साथ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।

(II) तर्क-बुद्धि (Reasoning)—कई बार बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क-वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क-बुद्धि के अन्तर्गत दो विधियों का प्रयोग होता है। ये दोनों विधियाँ ज्ञान अर्जित करने में बहुत उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होती हैं–

(1) आगमन विधि (Inductive Method) (2) निगमन विधि (Deductive Method)

(1) आगमन विधि (Inductive Method)–इस विधि में विशेष से सामान्य (From Particular to General) की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर (From Concrete to Abstract) सूत्र का पालन किया जाता है। इस विधि द्वारा बालकों का ध्यान अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है और वे इन विशेष उदाहरणों की सहायता से एक सामान्य सिद्धान्त का निर्माण कर लेते हैं। इस सिद्धान्त को परखने के लिए एक उदाहरण की सहायता ली जा सकती है–

एक कौवा देखा वह काला था
दूसरा कौवा देखा वह भी काला था
तीसरा कौवा देखा वह भी काला था

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी कौवे काले रंग के होते हैं।

यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है।

(2) निगमन विधि (Deductive Method)–यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में सामान्य से विशेष (From General to Particular) या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है। इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को माप कर की जा सकती है कि यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति आदि विषयों को ज्ञान के प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है।

(III) अन्तःप्रज्ञा (Intuition)–अन्तःप्रज्ञा का सहज बोध भी कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी विवेचना कर चुके हैं कि इस विधि में ज्ञान सहज बोध से प्रारम्भ होता है। सहज बोध का स्वरूप समग्रता की अनुभूति में है और मानव ज्ञान इसी अनुभूति से प्रारम्भ होता है। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रियाएँ बाद में आती हैं। इस प्रणाली के समर्थक हैनरी बर्गसों है। बर्गसों ने सब से अधिक प्रभावशाली ढंग से अन्तःप्रज्ञा को एक दार्शनिक प्रणाली के रूप में अर्थात् जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। सहज-बोध बुद्धि से आगे रहता है। बुद्धि से इन सब का अपूर्ण ज्ञान तो हो जाता है, परन्तु पूर्ण ज्ञान सहज-बोध द्वारा ही सम्भव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर व्यापार में, सहज-बोध की प्रतिभा, दूर दृष्टि का एक अनिवार्य तत्त्व है। सहज-बोधदर्शन में एक विधि के तौर पर आने से पहले काव्यों और विश्वासों में अभिव्यक्त हो जाती है तथा इसे ज्ञान की छटी इन्द्रिय से सम्बन्धित ज्ञान भी कह देते हैं।

(IV) आप्त वचन, अधिकारी (Testimony, Authority)— आप्त वचन वह ज्ञान है जिन काव्यों की प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञों तथा अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सभी विशेषज्ञ विषय-विशेष के ज्ञाता होते हैं। हमारे ज्ञान में से एक बहुत बड़ा भाग इन विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति किया

हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान का न तो सम्बन्ध इन्द्रियानुभव से है तथा न ही बुद्धि तर्क से। यह ज्ञान तो हमें विशेषज्ञों में विश्वास करके ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान को अधिकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान सच्चे ज्ञान के रूप में स्वीकृत होता है-जैसे सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी इसके इर्द-गिर्द घूमती है या सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं।

(V) एकाग्रता और ध्यान (Concentration and Meditation)–प्रायः ऐसा कहा जाता है कि चित की एकाग्रता के बिना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी विधियाँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चित की एकाग्रता से सम्बन्धित हैं। ज्ञान प्राप्ति की सबसे उपयुक्त विधि एकाग्रता है। सभी मानसिक शक्तियों को एक बिन्दु पर केन्द्रित करके हम कठिन से कठिन विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को स्वामी विवेकानन्द ने बहुत महत्त्व दिया है। उसने तो यहाँ तक कहा है कि, "एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है" ("The power of concentration is the only key to the store house of knowledge")। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकाग्रता के साथ-साथ ध्यान क्रिया का होना भी बहुत आवश्यक है।

(VI) प्रयोगात्मक विधि (Experimental Method)–जो ज्ञान प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। यह ज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान अधिकतर विज्ञान, मनोविज्ञान तथा भूगोल आदि के विषयों से सम्बन्धित ज्ञान होता है। इस ज्ञान को नियन्त्रित ज्ञान भी कहा जाता है क्योंकि प्रयोग करते समय बहुत से तत्त्वों को नियन्त्रित करना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ज्ञान सम्बन्धी परिणाम गलत भी हो सकते हैं। इसलिये प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से किये जाते हैं।

(VII) समस्या समाधान विधि (Problem Solving Method)–समस्या समाधान विधि भी ज्ञान प्राप्त करने की एक महत्त्वपूर्ण विधि है। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी समस्या को लेकर उसके समाधान प्रक्रिया में सोच-विचार करता है तथा उस समस्या के समाधान हेतु उसके मन में जो विचार आते हैं वे अवश्य ही समाधान के पश्चात् ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति ने किसी समस्या का समाधान करना होता है तो वह समस्या के बहुत से पहलुओं को सामने रख कर सोच-विचार करता है तथा दूसरे व्यक्तियों से भी विचार विमर्श करते हुए समस्या के समाधान हेतु उसके सामने बहुत से विकल्प आते हैं। जो विकल्प सब से सही होता है वह समस्या का समाधान करने के साथ-साथ ज्ञान का भाग भी बन जाता है। यह विधि मानसिक तथा वैदिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इस का कारण यह है कि समस्याओं का पहले से बना बनाया समाधान नहीं होता। समस्या के आने पर ही उसके समाधान के लिए चिन्तन प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। यही चिन्तन प्रक्रिया मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

2

सूचना तथा ज्ञान, विश्वास तथा सत्य, तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बीच अंतर

[Distinction Between Information and Knowledge, Belief and Truth, Reasoning and Analysis]

सूचना तथा ज्ञान (Information and Knowledge)

1. सूचना तथा ज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं? सूचना तथा ज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। सूचना तथा ज्ञान में क्या अंतर है?
(What do you know about information and knowledge? Describe the relationship between information and knowledge. What is distinction between information and knowledge?)

उत्तर–'सूचना' का अर्थ (Meaning of Information)–'सूचना' (Information) शब्द को विभिन्न तरीकों से प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों 'आंकड़ों' (Data) और 'सूचना' (Information) का बहुत प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में सम्बन्धित होते हैं। आंकड़े (Data) कोई भी तथ्य (Fact), अवलोकन (Observation), अवधारणा (Assumption), नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आयु, पुस्तक, अंक, प्रतिशत, ग्रेड आदि हो सकते हैं। आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया का गुण (Attribute) होते हैं।

आंकड़ों का संक्षिप्त स्वरूप 'सूचना' (Information) है। आंकड़ों और सूचना में सम्बन्ध होता है। किसी सूचना-प्रणाली में डाली गई सामग्री (Input) आंकड़े (Data) कहलाती है। अतः सूचनाएं वे आंकड़े होती हैं जिन्हें किसी स्वरूप (Form) में उत्पन्न किया गया है तथा जो प्राप्तकर्ता (Receiver) के लिए उपयोगी होती हैं और तत्काल या भविष्य की क्रियाओं एवं निर्णयों के लिए कीमती होती हैं।

कोई भी सूचना या आंकड़े किसी भी बहस, गणना या निर्णय का आधार होते हैं। दूसरे शब्दों में 'सूचना' वह आंकड़े हैं जिसका अर्थ निश्चित होता है।

आंकड़े मूल तथ्य होते हैं जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकार्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों और सूचना को एक-दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं।

सूचना वे आंकड़े हैं जिन्हें निर्णयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। (Information is data which is used in decision making.)

'सूचना' की विशेषताएँ (Characteristics of Information)–प्रत्येक सूचना का मूल्य (Value) होता है। इस मूल्य को कई कारक प्रभावित करते हैं। यही कारक 'सूचना' की विशेषताएँ होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

1. **उपलब्धता (Availability)**–कई बार कई सूचनाएँ पहले तो उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती हैं। बांद में उपलब्ध सूचनाएँ व्यक्ति के लिए नई होती हैं तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं।
2. **उपयुक्त (Accuracy)**–सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचा सकती है।
3. **समयबद्धता (Timeliness)**–वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती।
4. **सम्पूर्णता (Completeness)**–केवल सम्पूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है। संगृहीत सूचना हर प्रकार से सम्पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना भी हानिकारक हो सकती है।
5. **प्रस्तुतीकरण (Presentation)**–सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सूचना का मूल्य बढ़ता है। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर उसे अधिक प्रभावशाली और कीमती बनाया जा सकता है।

सूचना के स्तर (Levels of Information)–किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न सूचनाएँ वांछित होती हैं। 'सूचना' के स्तर निम्नलिखित होते हैं-

1. **अन्तर्राष्ट्रीय सूचना (International Information)**–बड़े-बड़े संगठन अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय सूचना राष्ट्रीय सूचना के अतिरिक्त वांछित होती है। यह बड़े-बड़े व्यापार-घरानों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों के लिए सत्य है। वे ई-मेल के माध्यम से बुलेटिन प्राप्त करते हैं।
2. **राष्ट्रीय सूचना (National Information)**–अन्तर्राष्ट्रीय सूचना की तरह राष्ट्रीय सूचना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सूचना के स्रोत हैं- शैक्षित या व्यापारिक मैगजीन, टी0वी0 पर आधारित कार्यक्रम, रिव्यूस (Reviews) या समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेख।
3. **कारपोरेट सूचना (Corporate Information)**–इस प्रकार की सूचना स्वयं संगठन के बारे में होती है। इसे आमतौर पर कर्मचारियों तथा संस्था के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है।
4. **डिपार्टमैंटल सूचना (Departmental Information)**–सभी संगठन या संस्थाएं विभिन्न विभागों में बँटे होते हैं। हर संस्था के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं लेकिन उन्हें विभागों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, ताकि उन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अर्जित किया जा सके। सम्बन्धित विभागों के उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिये जाते हैं।
5. **व्यक्तिगत सूचना (Individual Information)**–इस सूचना में संगठन के स्टाफ के सदस्यों और कर्मचारियों की सूचना शामिल होती है। इसमें व्यक्तिगत सूचना होती है, जैसे-निवास, वैवाहिक स्तर आदि। इसमें व्यावसायिक सूचनाएँ जैसे अनुभव, वेतन-स्तर आदि भी शामिल होते हैं।

शिक्षा व दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ज्ञान का दर्शन के साथ घनिष्ट संबंध है क्योंकि दर्शन का अर्थ है–ज्ञान के प्रति प्रेम (Love of knowledge) जीवन, जगत, आत्मा और परमात्मा आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य है जैसा कि जॉन डीवी महोदय ने कहा है–

"दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वास्तविकता का ज्ञान।"

(The primary aim of philosophy is knowledge of reality.)

दर्शन की तीन शाखाएँ हैं–

(i) तत्त्व मीमांसा (Metaphysics)
(ii) ज्ञान मीमांसा (Epistemology)
(iii) मूल्य मीमांसा (Axiology)

दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों तथा स्रोतों आदि की विवेचना की जाती है। अब हम सर्व प्रथम इस विषय पर विचार करेंगे कि दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान का क्या अर्थ है?

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

ज्ञान का प्रत्यय/अवधारणा/अर्थ (Concept/Meaning of knowledge): ज्ञान की दार्शनिक अवधारणा को जानने के लिए इसका शाब्दिक अर्थ जानना आवश्यक है।

ज्ञान का शाब्दिक अर्थ (Etymological Meaning of knowledge): ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है जो 'जानना' अर्थ में प्रयोग होती है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए प्रयुक्त knowledge शब्द भी To know से संबंध रखता है, जिसका संबंध भी 'जानने' से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'ज्ञान' शब्द का संबंध 'जानकारी' के साथ है। किसी वस्तु अथवा विषय आदि के बारे में हमारा आरंभिक ज्ञान उनसे संबंधित सामान्य जानकारी अथवा सूचना पर आधारित होता है। हमें तथ्यों की समझ नहीं होती। आयु बढ़ने के साथ-साथ हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है और हमारा ज्ञान भी परिपक्व होता चला जाता है।

शब्दकोश में ज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं–

(i) सूचना (Information)–किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा विषय से संबंधित जानकारी ज्ञान है।

(ii) अधिगम (Learning)–स्वयं के अनुभवों तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो अधिगम होता है वह ज्ञान है।

(iii) निश्चित विश्वास (Assured Belief)–अपने अनुभवों व चिंतन के आधार पर व्यक्ति के जो निश्चित विश्वास बन जाते हैं वही ज्ञान है।

(iv) ज्ञात (Known): जो ज्ञात अर्थात् जाना हुआ है वह ज्ञान है।

(v) प्रकाशित होना (Enlightenment)–जिसका बोध हो गया अथवा जो व्यक्ति के मन में प्रकाशित हो गया वह ज्ञान है या जो मन को प्रकाशित कर दे वह ज्ञान है।

उपर्युक्त सभी अर्थों को दर्शन के संदर्भ में प्रयोग करते हुए कहा जा सकता है कि जीवन, संसार, आत्मा व परमात्मा आदि के विषय में जो ज्ञात है, प्रकाशित है, सूचित है तथा अपने अध्ययन व अनुभवों के आधार पर जो विश्वास हमने बनाए हैं वे सभी ज्ञान हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है। अपने मनन व प्रयोगों के आधार पर उसके पूर्व विश्वास टूट जाते हैं और नए विश्वास बनने लगते हैं। वह जीवन तथा जगत् आदि के बारे में नए निष्कर्ष निकालने लगता है। ये नवीन विश्वास व निष्कर्ष भी ज्ञान हैं।

ज्ञान की प्रकृति/स्वरूप (Nature of knowledge): यद्यपि इसकी प्रकृति के संबंध में अनेक दृष्टिकोण हैं पर इसके अर्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

1. बुद्धि ज्ञान का स्रोत है। इसके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है।
2. ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का साधन हैं।
3. ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है।
4. ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है।
5. इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने व दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है।
6. विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएँ या जानकारी भी ज्ञान का अभिन्न अंग हैं।

संक्षेप में ज्ञान का स्वरूप समन्वयात्मक है। यह केवल बौद्धिक, अनुभवात्मक या आध्यात्मिक नहीं है।

ज्ञान तथा सूचना में अंतर

क्र.सं.	ज्ञान	सूचना
1.	ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है।	सूचना ज्ञान के समान विस्तृत अवधारणा न होकर संकीर्ण अवधारणा है।
2.	ज्ञान मात्र आंकड़े व तथ्य नहीं हैं।	सूचना मात्र आंकड़े व तथ्य होते हैं।
3.	ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है।	सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है।
4.	ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है।	सूचना प्राप्ति में किसी भी प्रकार के मानसिक परिवर्तन तथा मानसिक वृद्धि नहीं होती।

◆◆◆

विश्वास तथा सत्य
(Belief and Truth)

2. विश्वास तथा सत्य के बारे में आप क्या जानते हैं? विश्वास तथा सत्य में क्या सम्बन्ध है?
(What do you know about Belief and truth? What is relationship between belief and truth?)

अथवा

विश्वास तथा सत्य में अन्तर करें।
(Distinction between belief and truth.) **(June 2018)**

उत्तर–विश्वास ज्ञान का ही रूप है। अपने अनुभवों व चिन्तन के आधार पर जो निश्चित विश्वास बन जाते है, उन्हें ज्ञान कहा जाता है अर्थात विश्वास ज्ञान में रूपान्तरित होता है, लेकिन विश्वास को ज्ञान में बदलने के लिए यह जरूरी है कि उसकी सत्यता का प्रमाण हो।

विश्वास की परिभाषा *(Definition of Belief)*

1. ए.ड.बूजेल–ए.डी.बूजेल विश्वास को मानसिक क्रिया अथवा अवस्था न मानकर उसे वृत्ति मानते हैं। बूजेल का मानना है कि विश्वास के लिए प्रमाण का होना अनिवार्य है। क्योंकि कोई भी विश्वास अकारण या प्रमाण रहित नहीं होता। वस्तुतः जिस प्रमाण को हम विश्वास रहित समझते हैं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस प्रमाण के आधार पर हम विश्वास करते हैं, उन प्रमाणों को दूसरों के सामने रखते हुए हम हिचकते हैं कि दूसरा व्यक्ति इस प्रमाण को मानेगा या नहीं।

2. रसेल के अनुसार–"विश्वास मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रमाणित मेल है। रसेल का मानना है कि विश्वास मात्र मन या मात्र शरीर से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि मानव संरचना की एक विशेष अवस्था है।"

विश्वास शब्द को वेबसटर शब्दकोश में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि "विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि निरपेक्ष रूप सत्य हो।" उक्त परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं–

1. विश्वास की स्थिति में निरपेक्ष सत्यता आवश्यक नहीं है।
2. विश्वास एक प्रकार की मानसिकता है।
3. यह मानसिकता किसी तथ्य को स्वीकार करने की है।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE.
EST. 200
Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

इस प्रकार ज्ञान की शास्त्रीय परिभाषा–प्राथमिक सत्य विश्वास ही ज्ञान है, के अनुसार ज्ञान की तीन अनिवार्य शर्तें हैं–

1. ज्ञाता के मन में विश्वास होना–किसी विश्वास के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अतः ज्ञाता के मन में विश्वास होना अत्यन्त आवश्यक है।

2. विश्वास का सत्य होना–वे विश्वास ही ज्ञान की श्रेणी में आते हैं जो सत्य भी हों। अतः विश्वास को ज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उसमें सत्यता का होना अनिवार्य है।

3. विश्वास को सत्य मानने के लिए उसके पास प्रमाण का होना–विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना अत्यन्त जरुरी है। माना जा सकता है कि ज्ञान की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने कहा है–"सत्य विश्वास के साथ-साथ अगर तार्किक प्रमाण भी हो हम उसे ज्ञान कह सकते है।

सत्य के सिद्धान्त (Theories of Truth)–विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी आवश्यक है कि ज्ञान सत्य है अथवा असत्य, सही है अथवा गलत, अच्छा है या बुरा। इस सत्य, सही अथवा अच्छे ज्ञान की परख अथवा जांच कैसे की जा सकती है? इस प्रश्न के उत्तर में इस ज्ञान को कैसे परखा जाए। जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं क्या यह वैध (Valid) है। उसके वैध होने के क्या प्रमाण हो सकते हैं? यह समस्या विज्ञान, धर्म तथा दर्शन शास्त्र में आज भी बनी हुई है और इस समस्या के समाधान हेतु विद्वान लगे हुए हैं। ज्ञान की सत्यता के सन्दर्भ में दार्शनिकों के मुख्यतः चार सिद्धान्त निम्न दिए गए हैं–

(1) स्वयं सिद्धि सिद्धान्त (Self Evidence Theory)
(2) अनुकूलतावादी सिद्धान्त (Correspondence Theory)
(3) व्यवहारवादी सिद्धान्त (Pragmatic Theory)
(4) सामंजस्यवादी सिद्धान्त (Coherence Theory)

(1) स्वयं सिद्धि सिद्धान्त (Self Evidence Theory)–इस सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान स्वयं सिद्ध है, क्योंकि यह सीधा, सरल और स्पष्ट होता है। जो ज्ञान जितना सरल, सीधा, स्पष्ट है वह उतना ही अधिक सत्य है। इन गुणों के होने से सत्यता शीघ्र दिखलाई देने लगती है। उदाहरण के लिए गणित विशेषकर रेखागणित (Geometry) की स्वयं सिद्ध मान्यताओं को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक देकार्ते (Descarates) और लॉक (Locke) हैं। देकार्ते ने बौद्धिक अनुभवों की स्पष्टता और लॉक ने इन्द्रिय जन्य अनुभव के सरल प्रत्ययों (Simple Ideas) की स्पष्टता पर विशेष बल दिया और उन्हें सत्य ठहराया।

(2) अनुकूलतावादी सिद्धान्त (Correspondence Theory)–इस सिद्धान्त के अनुसार सत्य, ज्ञान अथवा निर्णय वह है जो वास्तविक वस्तु के अनुकूल है, सत्य तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों का सत्य या असत्य कहना गलत है, क्योंकि तथ्य तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लॉक ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया कि यदि ज्ञान वास्तविक वस्तुओं से मेल खाता है तो वह सत्य है। यदि विचार वस्तु स्थिति के अनुकूल है तो वे सत्य हैं और यदि वे प्रतिकूल हैं तो सत्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में तथ्यों की अनुकूलता ही सत्य की परीक्षा है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी अपने कर्मचारी को यह कहता है कि कुछ गुप्त दस्तावेज इस संस्था के बैंक के लॉकर में पड़े हैं। इस कथन की परीक्षा करने के लिए हमें तथ्यों का निरीक्षण करना पड़ेगा और इस जांच में यदि यह सिद्ध हुआ कि संस्था के गुप्त दस्तावेज बैंक के लॉकर में हैं तो उसका कथन सत्य है, नहीं तो असत्य है क्योंकि वह तथ्य के प्रतिकूल है। सत्य की इस परीक्षा हेतु तथ्यों को स्वस्थित, स्वतन्त्र तथा वास्तविक मानना पड़ेगा और यह भी देखना होगा कि उनका अनुभव या परीक्षण माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है या नहीं। यथार्थवादी अनुकूलता के सिद्धान्त के आधार पर सत्य की परख करते हैं।

(3) व्यवहारवादी सिद्धान्त (Pragmatic Theory)–व्यवहारवादियों के अनुसार सत्य ज्ञान वह है जो व्यवहार में उपयोगी हो। अतः सत्य ज्ञान की परीक्षा उसकी उपयोगिता में है। जब मनुष्य के व्यवहार द्वारा अर्थात् निरीक्षण-परीक्षण द्वारा किसी निर्णय या ज्ञान को परख लिया जाता है, तब ही वह सत्य निर्णय

या ज्ञान कहा जाता है। बिना परीक्षण के किसी निर्णय (ज्ञान) को सत्य निर्णय नहीं कहा जा सकता। (A judgement is made true by being verified apart from verification, it connot be said to be true or erroneous. **—James**)

प्रसिद्ध अमरीकी दार्शनिक जेम्स और डीवी इस निरीक्षण-परीक्षण पर विशष जोर देते हैं। डीवी का कथन है "सत्य का अर्थ केवल एक ही अर्थात् परीक्षित, इसके अतिरिक्त सत्य का कोई अन्य अर्थ नहीं है।" ("The true means the verified and means nothing else.")

उदाहरण–किसी मकान के कोने में वास्तव में रस्सी है या सांप है, जमीनी दरार है या तेल की धार, इस बात का निर्णय उस कोने में जाकर चतुराई से उस वस्तु को टटोलने से ही हो सकेगा। इसी प्रकार दिन के समय, किसी दृश्य की क्षितिज पर जो मृगतृष्णा का जल दिखाई दे रहा है वह वास्तव में चमकती हुई रेत है। इस बात का ज्ञान व्यावहारिक अनुभव (Practical Experience) से ही होगा। इस प्रकार के अनुभवों के आधार पर ही अमरीकी व्यावहारवादी दार्शनिकों ने इस बात पर बल दिया कि सत्य अथवा ज्ञान की जांच कथित सत्य के मानव जीवन पर प्रभाव अथवा उपयोगिता देखने पर ही की जा सकती है। इसको व्यवहारवादी सिद्धान्त भी कहते हैं। वे व्यवहारवादी इस बात में विश्वास नहीं करते कि सत्य नित्य है और स्थिर है। उनका कहना है कि परम सत्य का कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए सत्य परिवर्तनशील है और सत्य का सम्बन्ध मानव जीवन से है। जीवन में कोई भी अन्तिम सत्य नहीं होता। सत्य, समय, स्थान, काल और व्यक्ति के साथ बदलता रहता है। जैसे जो बात आज सत्य है, वो कल सत्य न हो, जो बात भूत में सत्य थी वो आज न हो, जो तुम्हारा आज साथी है वह कल आपका साथी न रहे। अर्थात् सत्य परिवर्तनशील है और विकास के साथ-साथ आगे बढ़ता है। सत्य जीवन व्यवहार से उत्पन्न होता है और मनुष्य के जीवन में सहायक होता है। (Truth originates from practical life of man and is helpful for him in his life.) इस सिद्धान्त के प्रवर्तक विलियम जेम्स, जॉन डीवी और शिलर हैं। इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सत्य को इसमें सापेक्ष माना जाता है। मानव जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्व की परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कथनों, विचारों की सत्यता भी सापेक्ष है। जो विचार अथवा कथन जो कल सत्य थे, वे आज सत्य नहीं हैं, और जो विचार और कथन वर्तमान में सत्य माने जा रहे हैं हो सकता है कि भविष्य में सत्य न माने जाएं। जब तक कोई वचन या कथन काम करता है, तब उसे सत्य माना जाएगा। इस प्रकार जेम्स ने भी कहा है कि, "सत्य वह है जो काम करे।" (Truth is that which Works.)

(4) सामंजस्यवादी सिद्धान्त (Coherence Theory)–आदर्शवादियों ने इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार विचार या ज्ञान के सत्य होने की कसौटी विचार जगत में सामंजस्यमय होना है। हैगेल (Hegal) तथा उसके अनुयायी ब्रैडले (Bradley) बोसांके (Bosanquet), जायसी (Joyce) आदि इस मत के समर्थक हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सम्बन्धित घटनाओं और वस्तुओं के सन्दर्भ में देखने से हमें ज्ञान का सही स्वरूप मालूम हो सकता है। प्रोफेसर ब्रैडले का कथन है, "सत्य अन्तर्सम्बन्धित सामंजस्य इकाई है।" ("Truth is an inter related coherent whole.") ज्ञान का क्षेत्र जितना व्यापक (Comprehensive) होगा उतना ही हमें यह अवसर मिलेगा कि हम अनुभव से प्राप्त ज्ञान का विश्व के शेष ज्ञान भण्डार से सामंजस्य करें। यदि हमारा ज्ञान विश्व के ज्ञान के विपरीत पाया जाता है, तो हो सकता है कि गलती हमारी हो। हां, कभी-कभी प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता यह भी सिद्ध कर दिखाते हैं कि उनकी खोज द्वारा प्राप्त सिद्धान्त सही है। ऐसी दशा में संसार के ज्ञान-भण्डार का संशोधन एवं विकास किया जाता है। आंशिक निर्णय का ज्ञान मनुष्य के शेष अनुभव से सामंजस्य हो जाना चाहिए। मानव-बुद्धि दो विरोधी तथ्यों या सत्यों को एक साथ ही स्वीकार नहीं कर सकती है। ध्यान रहे सामंजस्य दो प्रकार का होता है–

(i) तथ्यात्मक सामंजस्य (Factural Coherence)–इसमें किसी तथ्य की परीक्षा अन्य ज्ञात तथ्यों से सामंजस्य के आधार पर की जा सकती है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(ii) तार्किक सामंजस्य (Logical Coherence)—इसमें उपस्थित विचार या निर्णय के अर्थ की तार्किक परीक्षा की जाती है। अर्थात् यह देखा जाता है कि वह कहां तक तर्कयुक्त है। ज्ञान की सत्यता को परखने का मापदण्ड इस सिद्धान्त के अनुसार इस प्रकार है। वह यह है कि क्या एक निर्णय दूसरे निर्णय के अनुकूल है जिनको हम सत्य मानते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कथनों में संगति है, यदि उनमें परस्पर संगति (Consistency) है तो वे सत्य हैं और यदि कथनों में संगति की कमी है तो उनमें विरोधाभास (Contradiction) है, तो वे असत्य हैं। (Ideas are true if they are consistent and wrong if they are contradictory.) इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सम्य पर मनुष्य या मानवता के सम्मुख एक सत्यता की प्रणाली है जिसमें वे सारे विश्वास अथवा विचार विद्यमान रहते हैं, जिनको वे सत्य मान चुके हैं या उनकी पहले सत्यता सिद्ध हो चुकी है और यदि एक नया निर्णय प्रस्तुत होता है जिसकी सत्यता को परखने की जरूरत है तो उनका परीक्षण मापदण्ड यह है कि यदि यह उस सत्य की प्रणाली के अनुसार है तो वह सत्य है। उदाहरण—निम्न तीन कथनों के सम्बन्ध और उनमें से प्रत्येक के सत्य होने के स्वरूप पर निष्कर्ष इस प्रकार निकाला जा सकता है—

(i) गणित में ज्यामिति में त्रिभुज का उदाहरण।
(ii) यह रेखा-कृति तीन भुजाओं से बंधी है।
(iii) इस आकृति में तीन कोण हैं।
(iv) इस आकृति के तीन कोण दो समकोण के बराबर हैं।

इन कथनों में से कोई एक कथन अन्य दो कथनों के सत्य हुए बिना सत्य नहीं हो सकता है। इसमें एक की सत्यता दूसरे दो कथनों की सत्यता से बंधी है। ये कथन आपस में सामंजस्य (Coherence) रखते हैं। यहां प्रत्येक कथन की सत्यता का अर्थ दूसरे दो कथनों का सामंजस्य (Coherence) के अलावा और कुछ नहीं है। इसी उदाहरण के आधार पर हम ज्यामिति में प्रमेय (Theorem) के सन्दर्भ में कह सकते हैं कि Theorem (प्रमेय) के सत्य होने का अर्थ उसका ज्यामिति की स्वयं सिद्ध कथनों से सामंजस्य है। इस सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य उदाहरण और दिया जा सकता है।

आपके जन्म दिन की तारीख क्या है?

उदाहरण—19 जुलाई, 1991 और उस दिन शुक्रवार था। इस कथन के सत्य होने का क्या अर्थ लगा सकते हैं। इस कथन के सत्य होने का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि 18 जुलाई, 1991 को वीरवार था, 17 जुलाई, 1991 को बुधवार था, 16 जुलाई, 1991 को मंगलवार था। इस प्रकार एक कथन की सत्यता तीन कथनों से बंधी है। ये कथन आपस में सामंजस्य (Coherence) रखते हैं।

◆◆◆

तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण (Reasoning and Analysis)

3. तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण में क्या भेद है? (What do you know about reasoning and analysis? What is distinction between reasoning and analysis?)

उत्तर—तर्क बुद्धि (Reasoning)—तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना है। तर्क मानसिक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बनाता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है।

तर्क बुद्धि विधि (Reasoning Method)—कई बार विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क-वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क के आधार पर ज्ञात्त प्राप्त करने की दो विधियां हैं। ये दोनों विधियां ज्ञान अर्जित करने में बहुत उपयोगी तथा सहायक होती हैं—

(a) आगमन विधि (Inductive Method or Egrule Method)
(b) निगमन विधि (Deductive Method or Ruleg Method)

(a) आगमन विधि (Inductive Method)—इस विधि के अन्तर्गत हम विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। इस विधि को इगरूल (Egrule) विधि भी कहा जाता है क्योंकि पहले उदाहरण दिए जाते हैं व बाद में नियम बनाए जाते हैं। इस विधि की सहायता से नियमों व सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है। हम उदाहरण से प्रारम्भ करते हैं तथा उन उदाहरणों के आधार पर, बालक एक नियम का निर्माण करता है। यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सार्थक तथा उपयोगी है।

(b) निगमन विधि (Deductive Method)—यह आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में सामान्य से विशेष (From General to Particular) या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसलिए इसको रूलेग (Ruleg) विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है तथा उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित का एक नियम है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है। इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर दी जा सकती है कि यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित तथा ज्यामिति आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है।

आगमन और निगमन विधियां एक-दूसरे की पूरक हैं। आगमन विधि द्वारा हम उदाहरणों तथा अनुभवों के आधार पर सूत्र का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार आगमन खोज करने की विधि है, उसी प्रकार निगमन विधि दूसरों की खोज को उपयोग में लाने की विधि है। कोई भी आगमन हमेशा निगमन पर समाप्त होता है। वास्तव में गणित संबंधी प्रत्येक नवीन ज्ञान आगमन विधि के द्वारा विद्यार्थियों को देना चाहिए तथा उसका अभ्यास निगमन विधि द्वारा करवाना चाहिए। गणित शिक्षक के लिए दोनों विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो शिक्षक दोनों विधियों का उचित मिलान करके अपना शिक्षण कार्य करता है वही एक सफल अध्यापक माना जाता है।

अगमन-निगमन विधि (Inductive-Deductive Method) वह विधि है जिसमें दोनों विधियों के दोषों को दूर करके, शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार आगमन-निगमन विधि वह विधि है जिसमें सूत्रों एवं नियमों का प्रतिपादन आगमन विधि द्वारा किया जाता है और आगे का ज्ञान अभ्यास निगमन विधि द्वारा दिया जाता है।

विश्लेषण *(Analysis)*

'विश्लेषण' शब्द का अर्थ है, "एकत्रित वस्तुओं को अलग-अलग करना।" इस विधि में हम "अज्ञात से ज्ञात" (Unknown to known) की ओर, "निष्कर्ष से कल्पना" (Conclusion to Hypothesis) की ओर पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि में जो कुछ निकालना एवं ज्ञात करना होता है उससे आरम्भ करते हैं। इस विधि से समस्या में छुपी गुत्थियों को सुलझाने के लिए उसकी चीर-फाड़ की जाती है। जो सिद्ध करना है वह इस विधि में पहला पग (First Step) होता है फिर अन्य पगों के बारे में सोचा जाता है जो कि अज्ञात को किसी ज्ञात से जोड़ दे तथा इच्छित निर्णय प्राप्त हो जाए। उदाहरण के रूप में जैसे—हमें **तथ्य 'क' सत्य दिया हुआ है** तो इस विधि द्वारा हम इस प्रकार चलते हैं—

तथ्य 'ग' सत्य है अगर तथ्य 'ख' सत्य होगा।
तथ्य 'ख' सत्य है अगर तथ्य 'क' सत्य होगा।
मगर तथ्य 'क' सत्य है क्योंकि यह ज्ञात है इसलिए तथ्य 'ग' सत्य है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

चिंतन, अध्यापन एवं सीखने में विश्लेषण का विशेष महत्त्व है। इसके सम्बन्ध में थार्नडाइक (Thorndike) ने कहा है कि–"विश्लेषण मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है।" इस विधि का प्रयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है।

विश्लेषण विधि की कार्यविधि (Procedure) :

(i) **अज्ञात भाग की खोज**–दिए गए प्रश्न में अज्ञात भाग को सर्वप्रथम खोजते हैं।

(ii) **सिद्ध करना**–अज्ञात भाग के आधार पर सिद्ध करने वाले भाग का सत्यापन।

(iii) **संभावना**–इस सत्यापन से आगे क्या संभावना हो सकती है।

(iv) **ज्ञात भाग तक पहुँचना**–इस प्रकार हम ज्ञात भाग तक पहुँच जाते हैं।

इस प्रकार से क्या ज्ञात करना है, इस समस्या को तोड़ते हुए जो कुछ दिया होता है उस तक पहुँच जाते हैं। इसके लिए उदाहरणों का प्रयोग करते हैं।

यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में विश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्लेषण विधि की प्रकृति वैज्ञानिक है, तार्किक विश्लेषण, आलोचनाओं, स्पष्टीकरण एवं परीक्षण करके तथा उसमें जो तार्किक दोष हैं उन्हें सामने लाकर ऐसे ज्ञान की ओर ले जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से यथार्थ का संकेत देता है।

अतः विश्लेषण का अर्थ है किसी भी वस्तु या समस्या को छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना अथवा उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना। इस विधि द्वारा तर्क करने का सही रूप में विकास होता है क्योंकि प्रत्येक पद के तर्क का कारण भी प्रस्तुत करना होता है। इस विधि में "अज्ञात से ज्ञात की ओर" तथा "निष्कर्ष से अनुमान की ओर" बढ़ते हैं।

◆◆◆

3

जानने के विभिन्न तरीके
[Different Ways of Knowing]

3.1 ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका
(Relative role of knower and known in knowledge transmission and construction)

1. ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका का वर्णन कीजिए।
(Describe the relative role of knower and known in knowledge transmission and construction.)

उत्तर–ज्ञान के हस्तांतरण तथा निर्माण के ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। एक समस्या प्रायः यह उठती है कि विश्व की वस्तुओं का जो हमारा ज्ञान होता है उसका क्या स्वरूप होता है और इस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध होता है। इस समस्या के विवेचन के सिलसिले में यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं (यानी ज्ञेय पदार्थ) उसका स्वरूप अथवा उसकी स्थिति क्या होती है।

ज्ञान के हस्तान्तरण तथा निर्माण में ज्ञाता तथा ज्ञात की सापेक्ष भूमिका के संदर्भ में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं।

एक ज्ञानमीमांसीय सिद्धान्त के रूप में आदर्शवाद यह स्पष्ट करता है कि ज्ञेय पदार्थ की स्थिति ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि उसका अस्तित्व ज्ञाता पर ही निर्भर करता है। ज्ञाता से सम्बन्धित होकर ही ज्ञेय पदार्थ का अस्तित्व है, उससे अलग और स्वतंत्र रूप से नहीं। आदर्शवादी दार्शनिक वस्तुओं के सम्बन्ध का विश्लेषण कर युक्तिपूर्ण ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, उसका अस्तित्व ज्ञाता की चेतना पर निर्भर है। वस्त्र के स्वरूप विश्लेषण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञाता से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं है। वस्तु आखिर क्या है? हम ईमानदारी से इसका उत्तर दें तो हम पाएंगे कि जिसे हमें वस्तु कहते हैं वह रूप, रस, गंध, आकार आदि गुणों के सम्मिश्रण के अलावा और कुछ नहीं हैं और ये गुण क्या है? ये सचमुच हमारी संवेदनाओं के अलावा कुछ नहीं हैं। संवेदनाएं कहाँ रहती हैं और कैसी होती हैं? निश्चय ही संवेदनाएँ ज्ञाता को प्रत्ययों के रूप में होती हैं। इसलिए अततः वस्तुएं ज्ञाता के मन में प्रत्यय के अलावा और कुछ सिद्ध नहीं होती। उनका अस्तित्व ज्ञाता के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं तथा प्रत्ययों पर निर्भर है। वस्तुतः ऐसी ही युक्ति के द्वारा बर्कले ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त "Esse est percipi" की स्थापना की थी, जिसके अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व किसी ज्ञाता के द्वारा उनके अनुभूत होने पर निर्भर है। वस्तु ज्ञाता के मन के प्रत्यय के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञाता की चेतना से स्वतंत्र उसका अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार भारतीय दर्शन के योगाचार विज्ञानवादी की चेतना से स्वतंत्र बाह्य रूप से वस्तुओं का अस्तित्व नहीं मानते।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

अनुभव की सापेक्षता भी ज्ञानमीमांसीय आदर्शवाद का समर्थन करती है। हम एक ही चीज किसी किसी के लिए कम मीठी तथा किसी के लिए अधिक मीठी पाते हैं। इसी प्रकार एक ही पदार्थ किसी को कम गर्म तथा किसी को अधिक गर्म मालूम पड़ता है। एक ही दूरी किसी को बहुत अधिक तथा किसी को बहुत कम मालूम पड़ती है। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता के अनुभव या उसकी चेतना पर निर्भर करता है।

यथार्थवाद (Realism) आदर्शवाद का विरोधी सिद्धान्त है। इनके अनुसार ज्ञेय पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। उसका अस्तित्व किसी भी प्रकार अनुभवकर्ता द्वारा उनके अनुभव किए जाने आदि पर निर्भर नहीं है। ज्ञान से ज्ञाता सिर्फ वस्तु को जानता है और वह न तो वस्तु का सृजन करता है और न ही उनके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन लाता है। वस्तु ज्यों-की-त्यों संसार में पड़ी रहती है। चाहे कोई ज्ञाता उसे अपने ज्ञान या अनुभव का विषय बनाए या नहीं बनाए। जिस प्रकार अंधकार में पड़ी वस्तु पर यदि कोई प्रकाश डाला जाता है तो वस्तु सिर्फ प्रकाशित हो जाती है, उसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता और न ऐसा कहा जा सकता है कि प्रकाश के द्वारा वहां उसकी सृष्टि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार चेतना से सम्बन्ध होकर वस्तु सिर्फ ज्ञात हो जाती है, उसके स्वरूप में न तो किसी प्रकार का परिवर्तन आता है और न ही यह कहा जा सकता है कि वस्तु की नए सिरे से यहाँ पैदाइश हो जाती है। किसी ज्ञाता द्वारा जाने से पहले से वस्तु रहती है और उसके ज्ञान की क्रिया समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। बड़ी समस्या तो यह उत्पन्न होती है कि यदि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से बिल्कुल स्वतंत्र है तो दोनों का सम्बन्ध कैसे होता है और कैसे हम वस्तु को जानते हैं? इसके उत्तर में प्रतिनिधित्व यथार्थवाद यह कहता है कि वस्तु का ज्ञान हमें उसके द्वारा अपने मन में उत्पन्न प्रत्यय के माध्यम से होता है। नव यथार्थवाद कहता है कि वस्तु का ज्ञान हमें बिना किसी माध्यम के साक्षात रूप से होता है।

संवृतिवाद (Phenomenalism) आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दोनों का विरोधी है, परन्तु आदर्शवाद से इसकी कुछ निकटता लगती है। लोकप्रिय यथार्थवादी यह मानता है कि भौतिक वस्तुओं का हमें साक्षात प्रत्यक्ष होता है। यानी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हम सीधे वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, कमोबेश नव यथार्थवाद का ऐसा ही मत है। पर संवृतिवाद इसके विपरीत यह मानता है कि इन्द्रियजन्य ज्ञान से हमें साक्षात् प्रत्यक्ष सिर्फ कुछ रंग रूप आकारों का होता है, जिन्हें प्रायः हम वस्तुओं के गुणों के रूप में स्वीकार करते हैं। साक्षात् प्रत्यक्ष हमें रूप, रस, गंध जैसे गुणों का होता है। आदर्शवादी दार्शनिक बर्कले का भी ऐसा ही मत है। इसलिए स्वभावतः सृंवत्तिवाद का आदर्शवाद के साथ कुछ प्रारंभिक मेल प्रतीत होता है। परन्तु जैसे हम जानते हैं कि बर्कले के उपर्युक्त मत का परिणाम यह हुआ कि ज्ञाता से स्वतंत्र वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं है और वे सिर्फ हमारे मन के प्रत्यय हैं। जब हम किये जाने पर भी वस्तुओं के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पीछे चलकर बर्कले को ईश्वर को बीच में लाना पड़ा। संवृतिवादियों को ये बातें स्वीकार नहीं हैं। न तो वे यह मानते हैं कि वस्तु हमारे मन के प्रत्यय हैं अर्थात् उनका अस्तित्व हमारे द्वारा उनका प्रत्यक्ष किये जाने पर निर्भर है। (To be it to be perceived) और न ही अप्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वे किसी ईश्वर को बीच में लाना पसन्द करते हैं। उनका मानना है कि जब हम वस्तुओं के बारे में यह कहते हैं कि वे प्रत्ययों या संवेदनाओं के सिर्फ समूह-भाव हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ये प्रत्यय या संवेदनाएँ सिर्फ वे हैं जो अभी सचमुच हमें प्राप्त हो रही हैं। ऐसा होने से ही यह परिणाम होता है कि जब हमें वस्तुओं की संवेदनाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं तो उनका अस्तित्व नहीं है। हम वस्तुओं की संभावित संवेदनाओं या प्रत्ययों की बात कर सकते हैं जो हमें तब प्राप्त होंगी जब उनकी प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यकता शर्तों की हम पूर्ति करे। जैसे, यदि कोई मेज बगल के कमरे में है और उसका प्रत्यक्ष हमें अभी नहीं हो रहा है, यानी उसके प्रत्यय या उसकी संवेदनाएं हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। मेज संवेदनाओं के उत्पन्न करने की संभावना के रूप में दूसरे कमरे में मौजूद है और यदि हम कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति करें, कमरे में पर्याप्त प्रकाश हो

आदि तो हमें संवेदनाएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। इसलिए वस्तुएं सिर्फ वास्तविक रूप से प्राप्त हो रही संवेदनाओं या प्रत्ययों के समूह नहीं हैं, बल्कि वास्तविक तथा संभावित दोनों प्रकार की संवेदनाओं के समूह हैं। उनका अस्तित्व हमारे द्वारा उनके अभी प्रत्यक्ष किये जाने पर निर्भर नहीं है बल्कि इस बात पर निर्भर है कि वे प्रत्यक्ष किए जाने के योग्य हों अर्थात् कुछ आवश्यक शर्तों की पूर्ति किये जाने पर उनका प्रत्यक्ष संभव हो (To be is to perceivable)

◆◆◆

3.2 सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापनों का योगदान

(Describe the contribution of teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge)

2. सूचना के ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापकों के योगदान का वर्णन कीजिए।
(Describe the contribution of teachers in assimiliation and dissemination of information and knowledge.)

अथवा

ज्ञान एवं जानकारी के आत्मसातीकरण तथा प्रसार में शिक्षकों की क्या भूमिका है?
(What is contribution of teaching in assimilation and dissemination of information and knowledge.) (June 2018)

उत्तर–सूचना तथा ज्ञान के आत्मसातकरण तथा विस्तार में अध्यापक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका बढ़ जाती है यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में भाग लें जिनमें बच्चे व्यस्त हैं।

आत्मसातकरण का अर्थ है बालक से उपस्थित एक विचार या वस्तु में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। यह उस समय होता है जब बालक एक स्कीम का प्रयोग नई वस्तु पर करता है। मूल रूप से आत्मसातकरण एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान स्कीम में शामिल करने की प्रक्रिया है, लेकिन यह जरुरी है कि जिस घटना या वस्तु का समावेश करना है वह प्रस्तुत स्कीम में नियोजित हो सके। जब किसी बालक को नई वस्तु दे दी जाए जो उसने कभी नहीं देखी है, किन्तु वह जानी-पहचानी वस्तुओं से मिलती-जुलती है तो वह उस स्कीम को प्रयोग करेगा जो उसने पहले विकसित कर ली है। जैसे पकड़ना, काटना, पटकना आदि। अतः आत्मसातकरण में नवीन सूचना के साथ-साथ उसका प्रस्तुत स्कीम के साथ समावेश होना भी है।

व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना–व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना है या अपने विचारों एवं क्रियाओं को नये विचारों एवं वस्तुओं में विद्यमान करना है। मानसिक वृद्धि में आत्यसातकरण और व्यवस्थापन में उपस्थित उत्पन्न तनाव का हल निहित होता है। यह तनाव नई परिस्थितियों में पुरानी अनुक्रियाओं के समय उत्पन्न होते हैं या उस समय उत्पन्न होते हैं, जब बालक नयी अनुक्रियाओं को नवीन समस्याओं के समाधान में फिट करता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का व्यवस्थापन संतुलित कहलाता है।

यद्यपि पियाजे बाल विकास में रुचि रखते थे, तथापि उन्होंने अपने विकास की अवस्थाओं के शैक्षिक उपयोग को विशेष रूप से नहीं बतलाया। अब बहुत से मनोवैज्ञानिक और शिक्षा-शास्त्रियों ने उनके संज्ञानात्मक-विकास के सिद्धांत के उपयोग के सम्बन्ध में बताया है कि सभी नर्सरी स्कूल बच्चों के शीघ्र तथ्यात्मक प्रशिक्षण पर अधिक बल देते हैं तथा आधारभूत प्रशिक्षण के लिए उचित मानसिक संरचना का निर्माण होना आवश्यक है। आनुवांशिक या परिपक्वता सम्बन्धी कारक अकेले मानसिक-विकास की अवस्था

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे न तो विषय (जैसे बालक) और न ही उद्देश्य (जैसे पदार्थ) पर ही अस्तित्व रखते हैं, बल्कि निर्माण या हस्तादिकरण द्वारा बने होते हैं। कार्य क्रिया ज्ञान का सार है जो क्रिया से उत्पन्न होता है।

संज्ञान का अर्थ (Meaning of Cognition)–संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अन्तर्गत प्रत्यक्षीकरण की पहचान है–तर्क, निर्णय तथा अवधारणा। तीन कोटियाँ जिनमें समस्त मानसिक क्रियाएँ वर्गीकृत की जाती हैं, वे हैं–संज्ञान *(Cognition)*, भावबोध *(Affection)* और क्रियावृत्ति *(Connation)*। **उदाहरणार्थ**–अचानक सामने भूमि पर रेंगते हुए जीव को देखकर सर्प का बोध होता है–(संज्ञान) फलस्वरूप भय की संवेगात्मक अनुभूति होती है, (भावबोध) तदुपरान्त भागने की तत्परता या क्रिया होती है। (क्रियावृत्ति)। आजकल यह माना जाता है कि यदि बालक किसी पारिवारिक या सामाजिक परिस्थिति के सब पार्श्वों को संज्ञान समझ लेता है तो सर्वोत्तम होता है।

मनोवैज्ञानिक काफी लम्बे समय तक संज्ञान *(Cognition)* को बालकों की जन्मजात विशेषता मानते रहे, जिसके कारण संज्ञानात्मक अनुभवों से सम्बन्धित विशेषताओं की वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं हो सका। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने तो संज्ञान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, परंतु संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं जैसे–प्रत्यक्षीकरण, तर्क, समस्या, समाधान तथा चिन्तन आदि प्रक्रियाओं से सम्बन्धित विस्तृत विश्लेषण के आधार पर उन विभिन्न मानसिक तत्त्वों का भी पता लगा लिया, जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञान *(Cognition)* को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के क्रियान्वयन *(Processing of information)* की एक विधि के रूप में स्वीकार किया। सूचनाओं के क्रियान्वयन की विधि *(Processing of information method)* का अर्थ है कि जब बालक वातावरण में उपस्थित विभिन्न तत्त्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रतीकों *(Symbols)* के आधार पर उन तत्त्वों को समझने की कोशिश करता है तथा साथ ही उनके सम्बन्ध में अमूर्त चिन्तन *(Astract thinking)* करता है तो उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके अन्दर एक ज्ञान-भण्डार अर्थात् एक प्रकार की संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है। यही ज्ञान-भण्डार अथवा संज्ञानात्मक संरचना बालक या प्राणी के व्यवहार को निर्देशित करने में भूमिका निभाती है। अतः इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक या व्यक्ति वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों *(Stimulus)* के द्वारा प्रभावित होकर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया को व्यक्त नहीं करता, बल्कि पहले वह उन उद्दीपकों को ग्रहण या प्राप्त करता है तथा उनकी व्याख्या *(Interpretation)* करता है। इनकी व्याख्या के पश्चात् वातावरण में उपस्थित बाहरी उद्दीपक व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना *(Cognitive sturucture)* में अव्यवस्थित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार से व्यक्ति के अन्दर विकसित हुई संज्ञानात्मक संरचना वातावरण से सम्बन्धित उद्दीपकों और व्यक्ति के व्यवहार के बीच मध्यस्थता *(Mediator)* की भूमिका निभाती है। संज्ञानात्मक संरचना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्टॉट ने कहा है कि–"संज्ञानात्मक क्षमता बाहरी वातावरण में विचारपूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता को कहते हैं।"

पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुये संज्ञान के अर्थ के सम्बन्ध में कहा है कि संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है, जिसे वह वातावरण के सम्पर्क में आकर प्राप्त करता है और इसमें अनेक मानसिक क्रियाओं जैसे-चिन्तन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या, समाधान आदि शामिल होती हैं, जो निरन्तर रूप से चलती रहती हैं। पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा प्राप्त या अर्जित किये गये ज्ञान-भण्डार का स्वरूप और बनावट *(Structure)* विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलता रहता है तथा साथ ही परिमार्जित या संशोधित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धान्त को विकासात्मक सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बालक के अन्दर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त पियाजे के सिद्धान्त को 'अवस्था सिद्धान्त' *(Stage theory)* भी कहा जाता है, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग-अलग अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित या प्राप्त किये गये ज्ञान-भण्डार को स्कीमा *(Schema)* का नाम दिया है।

पियाजे ने अपने विचारों में संज्ञान *(Cognition)* के विकास को सबसे अधिक प्रधानता दी है। यदि हम कहें कि पियाजे का सम्पूर्ण कार्य संज्ञान तथा तर्क के विकास से ही सम्बन्धित है तो अतिशयोक्ति नहीं है। पियाजे ने तर्क तथा मनोविज्ञान को परस्पर पास लाने का प्रयास किया। वे अपने अधिकांश कार्यों में तर्क-विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर विभिन्न नियमों का निरूपण करते हैं।

जीन पियाजे ने मानव-विकास के सामान्य तथ्यों की चर्चा के मध्य ही सन्तुलनीकरण को स्पष्ट करने के लिए दो अन्य प्रत्यय भी दिये, जिन्हें पियाजे ने आत्मीकरण *(Assimilation)* तथा संधानीकरण *(Accomodation)* नाम दिया।

बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल वातावरण का ही ज्ञान प्राप्त करता है, अपितु वह वातावरण के साथ समायोजन भी स्थापित करता है। जब तक वह वातावरण के साथ समायोजन व संधानीकरण नहीं कर लेता है, वह वातावरण (दोनों ही भौतिक एवं सामाजिक) का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है और न अपने व्यक्तित्व का ही समन्वित विकास कर सकता है। बाह्य वास्तविकताओं *(Realities)* और वातावरण का समायोजन वर्तमान संरचनात्मक संगठन के साथ अनिवार्य है। यह समायोजन ही सन्तुलनीकरण *(Equilibrium)* है। यह समायोजन प्रक्रिया या सन्तुलनीकरण मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। बालक ज्यों-ज्यों वातावरण के साथ एकीकरण करते चलते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता चलता है।

बच्चों के संज्ञान में अध्यापकों की भूमिका भी बढ़ सकती है यदि वे ज्ञान निर्माण की उस प्रक्रिया में ज्यादा सक्रिय रूप से शामिल हो जाएं जिसमें बच्चे व्यस्त हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त एक बालक या बालिका अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति देना जिनसे वे स्कूल में सिखाई जाने वाली चीजों का सम्बन्ध बाहरी दुनिया से स्थापित कर सकें, उन्हें एक ही तरीके से उत्तर रटने और देने की बजाए अपने अपने शब्दों में देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सभी बच्चों की समझ विकसित करने में छोटे, किन्तु बेहद महत्त्वपूर्ण कदम हैं। 'चतुर अनुमान' को एककारगर शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन या 'मीडिया एक्सपोजर' से प्रायः बच्चों को एक बोध तो होता है, लेकिन वे उसे उस प्रकार मुखरित नहीं कर पाते जो शिक्षक को पसन्द हो। जो हम जानते हैं जो लगभग जानते हैं, के बीच के 'क्षेत्र' में नए ज्ञान का सृजन होता है। प्रायः ऐसा ज्ञान कौशलों का रूप ले लेता है। जो स्कूल के बाहर या घर अथवा समुदाय में परिष्कृत होते हैं। ऐसे सभी प्रकार के ज्ञान व शिल्पों का आदर होना चाहिए। एक संवेदनशील और समझदार अध्यापक यह जानता है और बच्चों को भली-भाँति चुने हुए कार्यों व प्रश्नों में व्यस्त कर पाता है ताकि वे अपने विकास की क्षमता का अनुभव कर सकें। पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद-विवाद, व्यावहारिक प्रयोग व ऐसा चिंतन जिससे सिद्धान्त बन सके और विचार/स्थितियों की रचना हो सके। ये सभी बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं। स्कूलों द्वारा ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चे प्रश्न पूछकर और चर्चा एवं चिंतन कर अवधारणाओं को आत्मसात करें। शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता, उससे सीख पाने की योग्यता और विद्यार्थी के लिए उसकी महता को प्रभावित करती है। वे अभ्यास जो बहुत सरल होते है, या बहुत कठिन, जो बार-बार एक ही बात यांत्रिक रूप से दोहराते हैं, जो पाठ्य-पुस्तक को याद करने पर आधारित होते हैं, जो बच्चे को आत्माभिव्यक्ति व प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते, शिक्षक के जांच कार्य पर ही निर्भर रहते हैं। वे बच्चे को आज्ञापालन करने वाली निष्क्रिय कठपुतली बनाना। शिक्षार्थी अपने विचारों व विवेक को महत्त्व देना नहीं सीखते। वे यह सीखते हैं कि ज्ञान दूसरों के द्वारा बनाया जाता है और उन्हें सिर्फ ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए अध्यापक पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि जो बच्चे स्वाभाविक रूप से शिक्षा के प्रति उत्साहित नहीं लगते उन्हें वह प्रोत्साहित करें।। शिक्षार्थी नियंत्रित होना स्वीकार कर लेते हैं और यह चाहने लगे हैं कि उन्हें नियंत्रण में रहना आए। यह अंततः संज्ञानात्मक आत्मचिंतन और उस लचीलेपन के विकास के लिए हानिकारक है, जो दरअसल अधिगम से विद्यार्थी को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। इस शैक्षिक वातावरण में बढ़ते हुए कई विद्यार्थी सातवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते आत्मविश्वास, स्वयं को अभिव्यक्त करने और स्कूली अनुभवों का अर्थ निकालने की क्षमता खो बैठते हैं। वे बार-बार परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसी यांत्रिक रटत विद्या का सहारा लेते हैं। जबकि स्वतंत्र विचार प्रक्रिया और हल करने के विविध तरीकों को प्रोत्साहित करने वाले चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षार्थियों में स्वतंत्रता, रचनात्मकता और आत्मानुशासन

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

को प्रोत्साहित करते हैं। 'क्विज' संस्कृति को बढ़ावा देने के बदले जहाँ, तत्काल सही जवाब जानना जरुरी होता है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को गहन व सार्थक अधिगम पर समय व्यतीत करने देना चाहिए। कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी की अन्तःक्रिया विवेचनात्मक होती है, क्योंकि उसमें यह परिभाषित करने की ताकत होती है कि किसका ज्ञान स्कूल-सम्बन्धी ज्ञान का हिस्सा बनेगा और किसकी आवाज उसे आकार देगी। शिक्षार्थी केवल ऐसे छोटे बच्चे नहीं होते जिनके लिए व्यस्कों को कुछ हल ढूँढने होते हैं, वे अपनी परिस्थिति व जरुरतों के सूक्ष्म पर्यवेक्षक होते हैं तथा उन्हें अपनी शिक्षा व भावी अवसरों से सम्बन्धित समस्याओं के हल की प्रक्रिया तथा विमर्श में भाग लेना चाहिए। अतः बच्चों में चेतना होनी चाहिए कि उनके अनुभव व उनकी अनुभूतियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं, उन्हें अपनी मानसिक योग्यता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से तर्क व विचार कर सकें और असहमत होने का साहस रखें। बच्चे जो स्कूल के बाहर सीखते हैं - उनकी क्षमताएँ, सीखने का सामर्थ्य और ज्ञान जिसे वे स्कूल लेकर आते हैं, वह भी अधिगम की संवृद्धि में बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह उन बच्चों के लिए और भी महत्त्वपूर्ण है जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी दुनिया और उनकी वास्तविकताएँ स्कूली ज्ञान में बहुत कम दिखलाई देती हैं। सहभागितापूर्ण सीखने और अध्यापन को, भावनाओं एवं अनुभव को कक्षा में एक निश्चित और महत्त्वपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। हालांकि सहभागिता एक सशक्त कार्य नीति है अगर इसे महज एक कर्मकाण्ड बना दिया जाए या वह शिक्षकों द्वारा उनके अपने लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम बन जाए तो इसका शिक्षा शास्त्रीय महत्व समाप्त हो जाता है। अध्यापक व शिक्षार्थी दोनों के अनुभवों से ही सच्ची सहभागिता शुरू होती है।

बियर्ड ने पियाजे के सिद्धांत की नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिए **निम्नलिखित उपयोगिता बताई है–**

(1) वे अवकाश के समय की अवधि में कहानियां, कवितायें और स्वतंत्र क्रियायें प्रदान कर सकते हैं।

(2) अध्यापक शब्दावली के विकास और सभी प्रकार के प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण को स्वीकृत कर सकते हैं।

(3) विद्यालय को अधिक खिलौनों के साथ खेल का मैदान बनाना चाहिए, जिसमें कि बच्चे अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और वस्तुनिष्ठ सम्बन्धों के बारे में कार्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

(4) विद्यालय को कल्पनाशील खेल में उपयोग के लिए या निर्माण के लिए अधिक संख्या में खिलौने एवं उपकरण प्रदान करने चाहिए।

(5) अधिक उन्नति करने वाले बच्चों को छांटने, वर्गीकृत करने तथा गिनने के पदार्थ प्रदान करवाने चाहिए।

(6) पानी, बालू, ईंट, ड्राइंग मैटीरियल ओर पेंटूस जो कि निर्माण और प्रस्तुतीकरण की भिन्नता के लिए साधन प्रदान करते हैं, भी उपयोगी होते हैं।

(7) घरेलू खिलौने जो कि कल्पना और नाटक के पात्र के अभिनय के खेल को उत्साहित करते हैं, वो भी प्रदान करने चाहिए।

(8) बियर्ड के अनुसार तथ्य निर्माण और योग्यताओं की प्राप्ति उस समय सरल हो जाती है, जबकि अधिक परिपक्व बच्चों को अधिक संरचनात्मक खेल और क्रियायें प्रदान की जाती है। अधिक उन्नतशील बच्चों को तथ्य और उपयोगिताओं के उपयोग में अभ्यास की आवश्यकता होती है।

(9) जब बच्चा किसी क्रिया से जल्दी परिचित हो जाता है तो उसके जल्दी व्याकुल होने की संभावना और परेशानी बढ़ जाती है। माता-पिता को भी शीघ्र पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक क्रियायें प्रदान करनी चाहिएँ।

◆◆◆

LAXMI®

EXAM NOTES

ज्ञान तथा पाठ्यक्रम

[KNOWLEDGE & CURRICULUM]

[Paper–I]

UNIT–II

4. *Different facets of knowledge and relationship, such as:*
- *Local and University*
- *Concrete and Absolute*
- *Theoretical and Practical*
- *Contextual and Textual*
- *School and Out of School*

5. *Culture and Knowledge*
- *Role of culture in knowing*
- *Ways of knowledge rendered into action*
- *Emerging problems relating to knowledge*

6. *Epistemology of Indian Philosophies*
- *Sankhya*
- *Vedanta*

7. *Epistemology of Western Philosophies*
- *Idealism, Naturalism, Pragmatism and Existentialism*

–: प्रकाशक :–
LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani TM
लक्ष्मी बुक डिपो
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008
Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

4

ज्ञान के विभिन्न पहलू तथा संबंध
[Different Facets of Knowledge & Relationship]

1. ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।
(Describe different facets of knowledge and relationship.)

अथवा

ज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं तथा उनके सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।

(a) स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान (Local and Universal Knowledge)
(b) मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व (Concrete and Absolute Knowledge)
(c) सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान (Theoretical and Practical Knowledge)
(d) प्रसंग सम्बन्धी तथा पाठ्यवस्तु सम्बन्धी ज्ञान (Contexual and Texual Knowledge)
(e) विद्यालयी ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर का ज्ञान (School and out of school Knowledge)

उत्तर–ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके सम्बन्ध का वर्णन इस प्रकार है–

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान
(Local and Universal Knowledge)

ज्ञान के संदर्भ में स्थानीयता तथा सार्वभौमिकता विशिष्ट रूप से सम्बन्धित होती है। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से सम्बन्धित होता है। बच्चा प्रथम ज्ञान स्थानीय रूप से ही प्राप्त करता है, जिससे स्थानीय परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे का समुदाय तथा उसका स्थानीय वातावरण ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक संदर्भ होता है। बच्चा स्थानीय परिवेश के साथ अन्तःक्रिया करके ज्ञान सृजित करता है। बच्चे अपने आस-पास की दुनिया का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। प्रत्येक बच्चा होकर दिन तथा रात के सक्रिय चक्र को देखता है। वह मौसम, अपने आस-पास के वातावरण, जानवरों तथा पौधों को भी देखता है। जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उसके पास स्थानीय ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों का इन स्थानीय चीजों का ज्ञान एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है। स्थानीय परिवेश भौतिक तथा प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक भी होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना चाहिए ताकि इन्हें विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ा जा सके और बच्चे स्थानीय ज्ञान का लाभ उठा सकें।

सार्वभौमिक ज्ञान (Universal Knowledge)–सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान काल व देश की सीमाओं से परे होता है। सार्वनामिक ज्ञान यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आता है। गणित तथा विज्ञान के नियम तथा सिद्धान्त सार्वभौमिक ज्ञान के उदाहरण हैं। सार्वभौमिक ज्ञान सदा निश्चित होता है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यह ज्ञान सार्वभौमिक

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

तथा सार्वकालीन होता है। यह सदैव सब स्थान तथा सभी लोगों के लिए सत्य होता है। जैसे–दो या दो का योग चार होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक राष्ट्र तथा स्थान में समान ही रहता है।

ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में स्थानीयता तथा सार्वभौमिकता में कोई भेद नहीं रहता और न ही परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। वे विचारधाराएं एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। सार्वभौमिक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए स्थानीय परिवेश में उपलब्ध साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व
(Concrete and Absolute Knowledge)

मूर्त या स्थूल ज्ञान वह ज्ञान है जो बच्चों द्वारा स्थूल वस्तुओं को देखकर प्राप्त किया जाता है। स्थूल विषयों का ज्ञान प्राप्त करना सुगम होता है। बालक जैसे-जैसे बड़ा होता हैं उसमें अमूर्त या सूक्ष्म बातों को समझने की शक्ति का विकास होता है।

अमूर्त ज्ञान सम्प्रत्यों पर आधारित होता है। इस ज्ञान में वास्तविक पदार्थ तथा घटनाएं आधार नहीं होंती। उदाहरण के लिए-अल्प आयु का बालक सूक्ष्म बातों से नहीं समझ सकता है कि दो और दो चार होते हैं। परन्तु उसे दो गालियाँ दे दी जाएं और उसके बाद फिर दो गोलियाँ दे दी जाएं तो वह इस बात को सरलता से समझ जाएंगा कि दो और दो चार होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि छोटे बालकों को पढ़ाते समय प्रारम्भ में केवल स्थूल वस्तुओं का प्रयोग किया जाए और उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराया जाए। इस सम्बन्ध में स्पेन्सर का कथन है, हमारे पाठ स्थूल वस्तुओं से आरम्भ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों में समाप्त होने चाहिए।

यह ध्यातव्य है कि बालक शैशवास्था से ही स्थूल वस्तुओं को देखकर अधिगम-अनुभव प्राप्त करता है और धीरे-धीरे वह अमूर्त या सूक्ष्म प्रत्ययों को समझता है। अतः बाल-मनोविज्ञान की इस अवधारणा को ध्यान में रखकर ही शिक्षक को कक्षा-कक्ष में भी सबसे पहले मूर्त तथा स्थूल प्रत्यय या विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए और उसके बाद धीरे-धीरे उसे अमूर्त तथा सूक्ष्म प्रत्यय की ओर बढ़ना चाहिए। भाषा-शिक्षण में इस सूत्र का प्रयोग करते हुए शिक्षक को सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, उदाहरण आदि का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अमूर्त या सूक्ष्म प्रत्यय का ज्ञान देना चाहिए, यथा–

शिक्षक : मोहन, राम, श्याम आदि शब्द क्या हैं?
विद्यार्थी : व्यक्तियों के नाम।
शिक्षक : कुर्सी, मेज, पैन, पुस्तक आदि शब्द क्या हैं?
विद्यार्थी : वस्तुओं का नाम।
शिक्षक : कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि शब्द क्या हैं?
विद्यार्थी : प्राणियों के नाम।
शिक्षक : दिल्ली, लखनऊ, चण्डीगढ़, शिमला आदि शब्द क्या हैं?
विद्यार्थी : स्थानों के नाम।
शिक्षक : बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें 'संज्ञा' के बारे में बताऊँगा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराए उसे 'संज्ञा' कहते हैं। जैसे–मोहन, राम, कुर्सी, मेज, कुत्ता, बिल्ली, दिल्ली आदि में सभी संज्ञा शब्द हैं।

इसी प्रकार गणित शिक्षण में शिक्षण सबसे पहले स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करके संख्या व उनके नियमों का बोध करा सकता है।

निरपेक्ष तत्व ज्ञान *(Absolute knowledge)*

निरपेक्ष तत्व वह है जो किसी प्रकार की सीमा शर्त, निर्भरता आदि से स्वतन्त्र है तथा जो सभी पदार्थों का मूलभूत तथा अनिवार्य आधार है। ऐसा तत्व एक ही हो सकता है क्योंकि दो भी होने पर दोनों परस्पर सापेक्ष हो जाएेगें। निरपेक्ष तत्व की अवधारणा भी सभी प्रकार की अवधारणाओं से निरपेक्ष, स्वतंत्र और परे होती है। निरपेक्ष तत्व एकमात्र, स्वतंत्र और परे होती है। निरपेक्ष तत्व एकमात्र, अनन्त, असीमित, सर्वव्यापी, नित्य तथा निराकार होता है जो समस्त विश्व का अनिवार्य आधार है पर अपना आधार खुद है।

निरपेक्ष के दो भेद किए जा सकते हैं–(1) मूर्त निरपेक्षवाद (Concrete Absolutism) तथा अमूर्त निरपेक्षवाद में निरपेक्ष तत्व समस्त तत्व का मूलाधार होता है, आत्मनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ, मानसिक तथा भौतिक सब की उत्पत्ति उसी से होती है। सबका वही कारण है अब कुछ निरपेक्षवादियों के अनुसार निरपेक्ष तत्व से ही विश्व की विविधताओं की उत्पत्ति होती है और कुछ निरपेक्ष के अंदर ही होते हुए भी वास्तविक है, निरपेक्ष तत्व के मौलिक रूप से एक होते हुए भी विविधता की संभावना उसके अंदर है और किसी प्रकार विविधता का वास्तविक विकास उसके अंदर से ही होता है। परंतु कुछ निरपेक्ष वादियों के अनुसार निरपेक्ष तत्व बिल्कुल एक शुद्ध इकाई है जिसके अंदर विविधता का कोई लक्षण ही नहीं है। वह सभी प्रकार के संबंध, गुण आदि के बिल्कुल परे है और विविधता का विकास उससे नहीं होता। हमें सिर्फ भ्रमवश ऐसा लगता है कि विविधता भी वास्तविक है। इसमें पहले प्रकार की निरपेक्षवादी विचारधारा को मूर्त निरपेक्षवाद तथा दूसरे की विचारधारा को अमूर्त निरपेक्षवाद कहते है।

प्रसंग सम्बन्धी तथा पाठ्यवस्तु संबंधी ज्ञान *(Contexual and Texual knowledge)*

पाठ्यवस्तु सम्बन्धी ज्ञान का अर्थ है पाठ्यंवस्तु को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना पूनरावलोकन करना, आलोचना करना तथा उसकी व्याख्या करना तथा इसके बाद इसके बारे में अपनी राय देना। अधिगम के तीन स्तर होते हैं–

1. स्मृति स्तर पर अधिगम; 2. बोध स्तर पर अधिगम; 3. चिन्तन स्तर पर अधिगम।

स्मृति स्तर पर अधिगम के रटने पर जोर दिया जाता है जबकि बोध स्तर पर पाठ्यवस्तु के समझने पर जोर दिया जाता है। चिन्तन स्तर अधिगम का सर्वोत्तम रूप है जिसमें अधिगमकर्ता के सृजनात्मक चिन्तन का विकास होता है। पाठ्यवस्तु के प्रति अनुक्रिया अधिगम के चिन्तन स्तर को प्रदर्शित करती है। पाठ्यवस्तु के प्रति अनुक्रिया में छात्रों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास होता है।

अनुक्रिया आधारित अध्ययन में पाठ्यवस्तु के अध्ययन का उद्देश्य प्रश्न-उत्तर, पूर्नवलोकन, विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना, राय, समस्या समाधान के रूप में प्रतिक्रिया देना होता है।

यह उपागम विद्यार्थियों को किसी पाठ्यवस्तु के अध्ययन के बाद उसकी व्याख्या करने में अनुक्रिया आधारित क्रियाएँ प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. पाठ्यवस्तु का केन्द्रीय भाव (Core of the Text)–विद्यार्थी लेखक द्वारा दिए गए केन्द्रीय भाव की पहचान करते हैं। विद्यार्थी केवल वही नहीं बताता जो लेखक ने लिखा है बल्कि वह पाठ्यवस्तु के बारे में अपने आपसे प्रश्न पुछता है।

1. पाठ्यवस्तु का मूल भाव क्या है जो लेखक कहना चाहता है?
2. लेखक का पाठ्यवस्तु लिखने का उद्देश्य क्या है?

विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थि पाठ्यवस्तु के विवरण का गहनता से अध्ययन करते हैं–पात्र, कथानक, बिम्ब योजना, बिडम्बना, प्रतीकात्मकता आदि महत्वपूर्ण तत्वों का विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थी के अध्ययन के विषय क्षेत्र निम्नलिखित हो सकते हैं–

1. लेखक के विचार;
2. किसी विशेष घटना का वर्णन;
3. संघर्ष या विडम्बना;
4. पात्र की प्रेरणा या प्रतिक्रिया;
5. पात्र का विकास; तथा
6. भावना।

अतः विद्यार्थी लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल भाव का गहन अध्ययन करता है तथा अनुक्रिया प्रस्तुत करता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

2. व्यक्तिगत लगाव (Personal Connection)—यहाँ पर विद्यार्थी लेखक के विचार तथा अपने अनुभव में लगाव व्यक्त करता है। ऐसा तब होता है तब छात्र पाठ्य वस्तु को ज्ञानात्मक तथा भावात्मक स्तर पर पढ़ लेता है और उसे समझ लेता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत जीवन से घटनाओं की पहचान करते हैं जो पाठ्यवस्तु की व्याख्या करने में मदद करती है।

3. पाठ्यवस्तु से आगे पढ़ना (Reading Beyond the Text)—अन्त में विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु से आगे विषय को सामान्यीकरण करने के लिए कहा जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी को विषयवस्तु को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

1. लेखक के विचार आज संसार पर क्या प्रभाव डालते हैं?
2. क्या पाठ्यवस्तु में दिखाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं?
3. वे मुद्दे किस तरह से महत्वपूर्ण हैं?
4. कौन-सी चीज विषय को विश्वव्यापी बनाती है?
5. लेखक के विचार मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं?
6. क्या बच्चों उन विचारों को स्वीकार करते हैं?

अनुक्रिया के इस चरण में विद्यार्थी विभिन्न मुद्दों के सन्दर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थी लेखक के विचार से सहमत है या नहीं यह भी अनुक्रिया में दर्शाया जाता है। इस चरण में विद्यार्थी पाठ्यवस्तु के सम्पूर्ण सन्देश को समझने की कोशिश करते हैं। अतः इस चरण में निम्नलिखित बिन्दू अत्यन्त महत्वपूर्ण है—

1. लेखक के विचारों का मूल्यांकन करना
2. क्या आप लेखक से सहमत है?
3. यदि नहीं तो क्यों?
4. जीवन के बारे में सामान्य अन्तदृष्टि पर पहुँचना।

4. पाठ्यवस्तु पर दोबारा जाना (Revisiting the Text)—पाठ्यवस्तु पर दोबारा जाने का अर्थ है पाठ्यवस्तु को दोबारा पढ़ना, इसके बारे में दोबारा सोचना ताकि कुछ नए तथ्ये सामने आ सके। पाठ्यवस्तु को दोबारा पढ़ने का उद्देश्य विषय की गहराई में जाना है। पाठ्यवस्तु को दोबारा पढ़ने से उसमें नए अर्थ मिलने की सम्भावना रहती है।

प्रसंग एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ घटित होता है और वह उस विषय को समझने में मदद करता है। किसी विषय वस्तु के प्रसंग का निर्माण शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों, दृश्यों, वर्णनों से हो सकता है जो उसके अर्थ व भाव को प्रभावित करता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यवस्तु को उसके प्रसंग में पढ़ा जाए। जब हम किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ते हैं तो उसे उसके प्रसंग या सन्दर्भ में पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में प्रसंग का विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना तथा उसकी व्याख्या करना है—

1. जिसमें पाठ्यवस्तु का सृजन किया गया।
2. जिसमें पात्र रहता है।
3. जिसमें पाठक रहता है।

विद्यार्थी पढ़ते समय तथा अनुक्रिया करते समय निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है—

किसने सृजन किया? किस सन्दर्भ में? किन मूल्यों के साथ? किसकी रुचियों में? किस प्रभाव के साथ? पात्र का कार्य करने का ढंग तथा उसकी अनुक्रिया किस प्रकार प्रभावित हुई।

अनुक्रियाओं को बांटना (Sharing the Responses)—प्रसंग के प्रति अनुक्रिया में अनुक्रियाओं के बांटने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब किसी भी सन्दर्भ में अनेक अनुक्रियाएं सामने आती हैं तो उन अनुक्रियाओं को आपस में बांटने से ठोस निष्कर्ष सामने आता है। ज्ञान तथा शिक्षा बांटने से बढ़ती है। अतः अनुभवों के बांटने के बाद एक अच्छी राय का निर्माण होता है। इससे पाठ्यवस्तु के समझ का विस्तार होता है।

1. अनुक्रियाओं के बांटने के उद्देश्य (Purpose of Sharing Responses)—छात्र लिखित अनुक्रियाओं को मौखिक रूप से कक्षा में बांटते हैं। यह किसी भी सन्दर्भ या प्रसंग के शुरू करने का प्रभावशाली तरीका है। अनुक्रियाओं को बांटने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. **अच्छा पठन (Better Reading)**—अनुक्रियाओं को बांटने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अच्छे पठन कौशल का विकास करना है। जब छात्र पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में अनुक्रियाओं को बांटता है तो वह उनको बड़े ध्यान से पढ़ता है। वह प्रत्येक वाक्य पैटर्न को ध्यान से देखता है तथा प्रत्येक शब्द तथा उसके अर्थ को ध्यान से पढ़ता है। अतः अनुक्रियाओं के बाँटने से पहले छात्र पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में निष्कर्ष निकाल लेता है जिससे उसके पठन कौशल में सुधार आता है। अतः अनुक्रियाओं का बांटने का उद्देश्य छात्रों में अच्छे पठन कौशल का विकास करना है।
2. **अच्छी समझ विकसित करना (To develop better understanding)**—अनुक्रियाओं के बांटने का उद्देश्य छात्रों में एक अच्छी समझ विकसित करना है। जब कोई भी व्यक्ति किसी विषय को सही तरीके से पढ़ता है तो उस पाठ्यवस्तु को अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाता है। यह पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में अनुक्रियाएँ करने में मदद करता है। जब अनुक्रियाएँ आपस में बांटी जाती हैं तो एक अच्छी समझ बाहर निकल कर आती है। अतः अनुक्रियाओं को बांटने का उद्देश्य छात्रों में एक अच्छी समझ का विकास करना होता है।
3. **बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास करना (To Develop critical and analytical thinking in the students)**—अनुक्रियाओं के बाटने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास करना भी होता है। एक अच्छा पाठक एक विषय-वस्तु को उसके सन्दर्भ में अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो जाता है।
4. **बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना (To create confidence in the students)**—अनुक्रियाओं के बांटने का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना भी होता है। जब बच्चे कक्षा में अनुक्रियाएँ करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है जो उनके अध्ययन के लिए कारगर सिद्ध होता है। वे स्वतन्त्र तरीके से पाठ्यवस्तु के सन्दर्भ में सोच सकते हैं।

3. अध्यापक की भूमिका (Role of the Teacher)—सन्दर्भ के प्रति अनुक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है—

1. अध्यापक छात्रों को अपनी-अपनी लिखित अनुक्रियाओं को जोर-जोर से पढ़ने के लिए कह सकता है।
2. अध्यापक छात्रों के आपस में अनुक्रियाएं को बांटने के लिए कह सकता है?
3. अध्यायपक अनुक्रियाओं को छोटे-छोटे समूहों में बांटने के लिए कह सकता है।
4. जब पाठ्यवस्तु को ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसमें अध्यापक छात्रों की मदद करता है।
5. कक्षा कक्ष में सन्दर्भ के प्रति अनुक्रियाओं में अध्यापक बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करता है।

4. अनुक्रियाओं के बांटने के फायदे (Benefits of sharing responses)—प्रसंग के प्रति अनुक्रियाओं के बांटने के फायदे निम्नलिखित हैं—

1. बच्चों में आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिन्तन का विकास होता है। विद्यार्थी पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करने में सक्षम हो जाता है।
2. बच्चों में बोध शक्ति का विकास होता है। इससे पाठ्यवस्तु को अच्छे से समझने में मदद मिलती है।
3. अनुक्रियाओं के बांटने का मुख्य फायदा यह भी है कि वे अर्थपूर्ण सहयोगी क्रियाओं में लगे रहते हैं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

4. जब विद्यार्थी प्रसंग के विषय में अनुक्रियाएं बांटते है तो एक अच्छी राय का निर्माण होता है जिसमें पाठ्यवस्तु की समझ का निर्माण होता है।
5. जब विद्यार्थी विषय-वस्तु से सम्बन्धित अनुक्रियाओं को बांटते हैं तो उस विषयवस्तु का भाव स्पष्ट करने में मदद मिलती है।

सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान *(Theoretical and Practical Knowledge)*

सैद्धान्तिक ज्ञान का स्रोत न तो बुद्धि है और न ही इन्द्रियानुभव है। अगर हम थोड़ा-सा विचार करें तो हमें पता चलता है कि बहुत-सा ज्ञान हमारे पास है, लेकिन यह न तो हमने अपनी ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है न ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क-बुद्धि का प्रयोग किया है। हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग ज्ञान विशेषज्ञ हैं, जैसे-दर्शन के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, भाषा के विशेषज्ञ, समाजशास्त्र के विशेषज्ञ, इतिहास के विशेषज्ञ। उदाहरण के तौर पर, कुतुबमीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवायी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त न्यूटन की देन है। इसलिए ज्ञान भण्डार का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के वचनों पर विश्वास करके प्राप्त किया गया है।

इसके विपरीत प्रयोगात्मक ज्ञान व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किये गये प्रयोगों से प्राप्त करता है। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किये जाते हैं। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रयोग करके की जा सकती है। प्रयोग के द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सशक्त विधि है। वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोगों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रयोग और प्रयोगशालाओं से ज्ञान प्राप्त होता है।

सैद्धान्तिक ज्ञान की पुष्टि प्रयोगात्मक ज्ञान के माध्यम से ही की जाती है। ज्ञान प्राप्ति की अवधारणा में सैद्धान्तिक ज्ञान एवं प्रायोगिक ज्ञान परस्पर सम्बन्धित होते हैं। सैद्धान्तिक ज्ञान के सम्बन्ध में यदि कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो उस विरोधाभास को प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा प्रमाणित करके दूर किया जाता है।

इसलिए हम कह सकते हैं कि सैद्धान्तिक ज्ञान एवं प्रयोगात्मक ज्ञान में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। विद्यालय में कक्षा में पाठ्यपुस्तकों के जिस ज्ञान को हम अध्यापक की सहायता से प्राप्त करते हैं वो ज्ञान सैद्धान्तिक ज्ञान की ही श्रेणी में आता है।

कई विषयों जैसे विज्ञान की किसी अवधारणा के सैद्धान्तिक ज्ञान को कक्षा में प्राप्त कर विद्यालय की प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रयोग कर उस ज्ञान की पुष्टि भी हम करते हैं, जिसे हम सैद्धान्तिक ज्ञान का प्रमाणीकरण भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों में प्रगट अन्तर्सम्बन्ध होने पर ही ज्ञान क्रिया के रूप में परिणित हो सकता है। दोनों में परस्पर विरोध होने पर बालक का विकास किया जाना संभव नहीं है। सैद्धान्तिक रूप में बहुत सारी बातें व्यावहारिक रूप में लागू नहीं की जा सकतीं। सैद्धान्तिक ज्ञान कार्यकारी रूप में होने पर ही श्रेष्ठ ज्ञान कहलाता है। सैद्धान्तिक व व्यावहारिकता अपृथकनीय रूप में अन्योन्यामित है। यह तो एक सिक्के के दो पहलू की भाँति हैं। ज्ञान के निरन्तर विकास व सुसंयोजन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों को 60 प्रतिशत सैद्धान्तिक व 40 प्रतिशत व्यावहारिकता के हिसाब से रखा जाना चाहिए। विद्यालयी स्तर के पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है तथा व्यावहारिक ज्ञान के न्यून अंक निर्धारित होते हैं।

अतः दोनों का एक अनुपात में पाठ्यक्रम हो तथा उसी अनुपात के आधार पर मूल्यांकन हो। ज्ञान को अर्थपूर्ण बनाने में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिकता की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि सैद्धान्तिकता वर्तमान का विश्लेषण है और व्यावहारिकता भविष्य को दर्शाने की क्षमता है। ये दोहरी क्षमताएँ ही उच्च स्थिति प्रदान करती हैं। यही ज्ञान की वास्तविकता, सत्यता और समग्रता है। जैसे कोई बालक महारानी

लक्ष्मीबाई के पाठ 'झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी' की कविता को कक्षा में पढ़े और पढ़ने के बाद घर में स्थित रहने वाली छिपकली, चूहा आदि सें डरे तो यह ज्ञान उसका असार्थक होगा। शिक्षा भी अपूर्ण होगी क्योंकि वह ज्ञान तो सैद्धान्तिक रूप में है, लेकिन व्यवहार में वह उपयोगी नहीं हो सकता। जिस ज्ञान की क्रियान्विति नहीं हो वह ज्ञान सर्वांगीण विकास करने में भी सक्षम नहीं हो सकता। बालक को पाठ तो नैतिक मूल्यों का पढ़ाया और ज्ञान भी उसे हुआ। लेकिन व्यवहार में वह बस वाले को किराया नहीं देता। फिर उस ज्ञान की सैद्धान्तिकता और व्यावहारिकता में अन्तर हुआ।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषयों को शामिल किया जाता है, क्रियात्मक विषय व्यावहारिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक ज्ञान देने के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करता हो, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बनता है तथा समाज के साथ स्वस्थ समन्वय स्थापित करता है।

सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पाठ्यक्रम के गुण–
1. वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए तैयार करता है।
2. सिद्धान्त तथा व्यावहारिक विषय पर जोर दिया जाता है।
3. बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है।
4. युवाओं को रोजगार के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
5. अर्जित ज्ञान स्थायी व प्रभावी होता है।
6. बालक में रचनात्मक तथा सृजनात्मक विकास संभव है।
7. बालकों में प्रजातान्त्रिक व सामाजिक गुणों का विकास करता है।
8. छात्र को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाता है।

विद्यालयी ज्ञान तथा विद्यालयी से बाहर का ज्ञान *(School and Out of School Knowledge)*

विद्यालयी ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान छात्रों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।

विद्यालय से बाहर का ज्ञान वह ज्ञान होता है जो विद्यालय की परिधि से बाहर छात्रों द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यालय से बाहर ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, साथी समूह द्वारा ज्ञान, परिवार, समाज तथा समुदाय द्वारा प्रदत्त ज्ञान आदि।

विद्यालय में प्राप्त ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर प्राप्त ज्ञान का गहरा सम्बन्ध है। बच्चे अपने आस पास की दुनिया तथा लोगों के सम्पर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं समाज में प्रचलित धारणा है कि बच्चे केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूर्ण निराधार है। बच्चे अपने परिवेश से भली-भांति परिचित होते हैं और इसका उनके पास बहुत बड़ा अनुभवों का खजाना भी होता है। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह स्थानीय परिवेश से अन्तःक्रिया कर प्राप्त ज्ञान को अपने साथ लेकर आता है।

इसी का प्रयोग करते हुए हम उनमें अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण, तर्क, अभिव्यक्ति, निष्कर्ष निकालने जैसे–सीखने के सूचकों और कौशलों की जांच कर इनके विकास के अवसर बच्चों को दे सकते हैं, जैसे–जन्तुओं और पौधों में समानता और असमानता की समझ को विकसित करने के लिए बच्चों के अपने परिवेश और उनके अनुभवों को सम्मिलित कर सीखने-सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। बच्चे सक्रिय रूप से पूर्ण प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री/गतिविधियों के आधार पर अपने ज्ञान की रचना करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का सीखना उसके विकास से ज्यादा प्रभावित होता है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन अकेले ही करते हैं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

इसी प्रकार जॉन डीवी के अनुसार, "सीखने की प्रक्रिया के नए अनुभवों का मस्तिष्क में पुराने अनुभवों द्वारा समाजयोजन है। जॉन डीवी ने सीखने के लिए अनुभवों, प्रयोग एवं करके सीखने को ज्यादा महत्त्व दिया। विगोत्सकी के सामाजिक रचनावाद के अनुसार–सीखना व ज्ञान का सृजन बच्चे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। जैसे कक्षा में शिक्षक, बच्चे और बच्चों-बच्चों में अन्तःक्रिया के द्वारा सिखाना होता है। अपनी समझ, अनुभव आपस में बांटकर बच्चे नई समझ विकसित करते हैं। सीखने के वे कार्य जो यह सुनिश्चित करने के लिए रचे गए हैं कि बच्चे पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य स्रोतों से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, इस दर्शन को सम्प्रेषित करते हैं कि बच्चे खुद ही खोज करके एवं प्रमाण इकट्ठे करके सीखते हैं एवं ज्ञान का सर्जन करते हैं और अध्यापक या पाठ्यपुस्तक का ज्ञान पर प्रभुत्व नहीं होता है। बच्चे अपने खुद के अनुभवों से, घर एवं समुदाय के सदस्यों के अनुभवों से, पुस्तकालयों से और स्कूल के बाहर अन्य स्रोतों से ज्ञान तलाश सकते हैं।

◆◆◆

5

संस्कृति तथा ज्ञान
[Culture and Knowledge]

5.1 जानने में संस्कृति की भूमिका
(Role of Culture in Knowing)

1. संस्कृति क्या है? जानने में संस्कृति की क्या भूमिका है?
(What is culture? What is the role of culture in knowing?)

अथवा

संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है? ज्ञान की संरचना में संस्कृति की भूमिका को विस्तारपूर्वक बताइए।
(What do you mean by culture? Describe the role of culture in knowledge construction.) (June 2018)

उत्तर–संस्कृति शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति तो संस्कार से है। 'संस्कृति' में अनेक नए-नए तत्त्व आकर जुड़ते रहते हैं। यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हों, उसके व्यवहार और आचरण में ऐसी उत्कृष्ट बातें आ जाती हैं जिनके कारण उसे सभी पसंद करते हैं और ऐसा व्यक्ति 'सुसंस्कृत' माना जाता है। अतः संस्कृति व्यक्ति के ऊपर अच्छे संस्कार डालती है। इसका शाब्दिक अर्थ 'कल्चर' लैटिन भाषा के शब्द 'कल्ट्यूरा' (Culture) से निकला है। 'संस्कृति' शब्द को तीन अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है–(1) साहित्यिक अर्थ, (2) नैतिक अर्थ, (3) समाजशास्त्रीय अर्थ। सबसे पहले साहित्यिक अर्थ में 'संस्कृति' जीवन का प्रकाश और कोमलता है। इतिहासकारों ने देश या समाज के कलात्मक एवं बौद्धिक विकास को ही संस्कृति माना है। दूसरा, नैतिक अर्थ में 'संस्कृति' शब्द का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में करते हैं। तीसरा अर्थ समाजशास्त्रीय रूप में, 'संस्कृति' मानव द्वारा निर्मित वह संपूर्ण वातावरण माना जाता है, जिसमें कि वह रहता है, सोचता-विचारता है, कार्य करता है, अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गुणों, आदतों, प्रथाओं, परम्पराओं आदि को सीखता है, अर्थात् सम्पूर्ण सामाजिक विरासत ही संस्कृति है।

संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध
(Close Relationship between Education and Culture)

संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति के बिना शिक्षा का तथा शिक्षा के बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति आदिकाल से पनपती है और उसी ने संस्कृति को सुरक्षित रखा है। अतः इस संदर्भ में शिक्षा के दो प्रमुख कार्य हैं–पहला संस्कृति की रक्षा करना और दूसरा संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए उसमें प्रगति करना। इसी तरह संस्कृति में शिक्षा के लिए बहुत कुछ

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE.
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

निहित है। सामाजिक जीवन शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है और शिक्षा स्वयं सामाजिक जीवन द्वारा अनुशासित होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्कृति में पैदा होता है, जो उसे एक निश्चित व्यवहार प्रतिमान प्रदान करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। थियोडोर ब्रामेल्ड (Theodore Brameld) के कथनानुसार, "शिक्षा संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है और यह शिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामग्री ही प्रदान नहीं करती बल्कि उसके अस्तित्व का तार्कित आधार भी प्रदान करती है। ("It is from the stuff of culture that education is directly created and that gives to education not only its own tools and materials but its reason for existing at all.") संस्कृति के महत्त्व की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं, अतः इन दोनों (शिक्षा एवं संस्कृति) से समाज में संस्कार, सुसंस्कृति और नैतिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा ही संस्कृति का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है। संक्षेप में, संस्कृति के कार्य अथवा व्यक्ति को उसका योगदान निम्नलिखित है–

(1) प्राकृतिक परिवेश से समायोजन (Adjustment with Natural Environment)–मनुष्य हर जगह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश से समायोजन करने के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। परिवेश से समायोजन करने की प्रक्रिया में वे सभी नए आविष्कार हैं, जो संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न मानव समूहों में संस्कृति के अन्तर हो जाते हैं। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में अलग-अलग जनजातियां निवास करती हैं और इसी आधार पर उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है।

(2) संस्कृति की निरन्तरता (Continuity of Culture)–शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरन्तरता को बनाये रखना है। वह सांस्कृतिक परम्पराओं, रीतियों तथा अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित करती है। सांस्कृतिक परम्पराओं से निरन्तरता किसी राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है।

(3) व्यक्तित्व का विकास (Development of personality)–व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों से स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार उसके अपने परिवेश की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। मानव-शक्तियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न-भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। भारतीय मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की और पाश्चात्य मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौन्दर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

(4) संस्कृति का संरक्षण (Conservation of Culture)–शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। इसके बिना सांस्कृतिक विरासत बच नहीं सकती। स्कूल विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गुणों का विकास करता है। परसी नन (Percy Nun) ने शिक्षा के इस संरक्षणात्मक कार्य पर बहुत बल दिया है। उनके विचारानुसार किसी भी राष्ट्र के स्कूल का विशिष्ट कार्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनना है, उसकी ऐतिहासिक निरन्तरता को बनाए रखना है, उसकी भूतपूर्व उपलब्धियों को सुरक्षित रखना है तथा उसके भविष्य को सुनिश्चित बनाना है।

("The special function of a nation's school is to consolidate its spiritual strength to maintain its historic continuity, to secure its part achievements and to guarantee its function.")। **राधाकृष्णन रिपोर्ट** (Radhakrishnan Report) में भी शिक्षा के संरक्षणात्मक कार्य पर बल दिया गया है। **पं. नेहरू** (Pandit Nehru) के कथनानुसार, "शिक्षा को हमारी विरासत के शक्तिशाली तत्त्वों के संरक्षण में सहायता प्रदान करनी चाहिए।" ("Education must help in preserving the vital elements of our heritage.)। उनके अनुसार, **"भारतीय सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र है सुन्दरता और सत्य से प्रेम, सहनशीनता, अन्य संस्कृतियों का आत्मसात करने की योग्यता तथा नवसंश्लेषण का निर्माण।"** ("The care of our cultural heritage is love of beauty and truth, spirit of tolerance capacity to absorb other cultures and work out new synthesis.")

(5) समाजीकरण (Socialism)–समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भिन्न-भिन्न समाजों में व्यक्ति के समाजीकरण की मात्रा और दिशाओं में भेद पाया जाता है। हर एक समाज का अपना एथोस (Ethos) होता है, जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। राल्फ लिन्टन के अनुसार व्यक्ति तीन प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। सबसे पहले वह सार्वभौमिक रूप में संस्कृति में भाग लेता है अर्थात् उन आदतों, विचारों और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को अपनाता है, जिन्हें समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। दूसरे, व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है अर्थात् संस्कृति के उन तत्त्वों को ग्रहण करता है, जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था अथवा विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तीसरे, व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात् संस्कृति के उन तत्त्वों को अपनाता है, जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के वैकल्पिक रूप से मनुष्यों में, व्यक्तियों में अन्तर देखा जा सकता है। उपरोक्त कथन से राल्फ के अनुसार मनुष्य की तीन अवस्थाएं व्यक्ति को अपनी तरह से सुसंस्कृत बनाती हैं।

(6) संस्कृति का विकास (Promotion of Culture)–शिक्षा संस्कृति के सुधार एवं विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यह बेहतर और सुखी समाज की स्थापना में सहायता देती है। **डी.जे.ओ. कोनन** (D.J.O. Cannon) के विचारानुसार, **"यदि प्रत्येक पीढ़ी को वही सीखना पड़े तो उसके पूर्वजों ने सीखा है तो किसी प्रकार का बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा और वर्तमान समाज की स्थिति तथा पत्थर युग के समाज की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं होगा।"** ("If each generation has to learn for itself what has been learned by its predecessors; no sort of intellectual or social development would be possible and the present state of society would be little different from the society of the stone old age.") अतः शिक्षा संस्कृति और सभ्यता के निरन्तर विकास का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

(7) नये सांस्कृतिक प्रतिमान (New Cultural Patterns)–शिक्षा केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करती, बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है। यह संस्कृति में परिवर्तन लाती है। नए ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है।

संस्कृति शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर प्रभाव डालती है–

(1) शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)–शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य किसी समाज या उनके विचारों, मूल्यों और प्रतिमानों पर निर्भर करते हैं। अनेक देशों में शिक्षा के उद्देश्य अपने-अपने तरीकों पर आधारित हैं, जैसे–रूस की शिक्षा व्यवस्था का बल 'नए मनुष्यों के निर्माण' पर है जो अपने खून और आत्मा से कम्युनिस्ट हों। अमरीका में शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण और प्रजातंत्रीकरण स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसी किसी देश के समाज की संस्कृति होगी, वैसे ही उसकी शिक्षा के उद्देश्य होंगे।

(2) पाठ्यक्रम (Curriculum)–शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। यह पाठ्यक्रम भी समाज की संस्कृति के अनुरूप ही निर्मित होता है। अर्थात् दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि किसी समाज का शैक्षिक पाठ्यक्रम उसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है साथ ही मूल्यों की पहचान भी हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था समाज की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को उस पाठ्यक्रम में जोड़ती है और उसे पूरा करने का प्रयास करती है। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम में समय-समय पर बदलाव भी किया जाता है।

(3) शिक्षण विधियाँ (Method's of Teaching)–शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में शिक्षा-प्रसार एवं शिक्षा को केन्द्र अध्यापक ही होता था, जो बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता था अर्थात् जबरदस्ती ठूँसना या रट्टा लगाना था। लेकिन समय के बदलाव के अनुसार, आज शिक्षा का केन्द्र विद्यार्थी है न कि अध्यापक। आज विद्यार्थियों के निर्धारित शैक्षिक अनुभवों, प्रोग्रामों, रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों, समस्याओं का ध्यान रखा जाता है और उनका समाधान भी सहज ढंग से किया जाता है। अतः आज शिक्षा विद्यार्थियों को वर्तमान एवं भविष्य में प्रभावी रूप से रहने के लिए तैयार करने का माध्यम है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(4) अनुशासन (Discipline)–संस्कृति अनुशासन की अवधारणा को भी प्रभावित करती है। आज के युग में जीवन के लोकतंत्रीय मूल्यों को स्वीकार किया जा रहा है। इन मूल्यों का विश्व में सम्मान हो रहा है। अतः आज विश्व की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली अनुशासन की आवश्यकता है। इस संस्कृति द्वारा मानव एवं समाज को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। यह तभी सम्भव है जब समाज अनुशासन में रहे।

(5) पाठ्य-पुस्तकों पर प्रभाव (Influence on Text Books)–सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ्यक्रमों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी इन सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों तथा नैतिकता को पाठ्यक्रमों में शामिल करके विद्यार्थियों के मन की प्रवृत्ति विरोधी नहीं बनती। संस्कृति ही विद्यार्थियों के भविष्य का मार्गदर्शन करती है।

(6) स्कूलों के प्रतिमान (Models of School)–संस्कृति का प्रभाव स्कूलों के प्रतिमानों पर पड़ता है। किसी स्कूल की सभी सामूहिक गतिविधियाँ और प्रोग्राम समाज के उन सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों के अनुसार ही आयोजित होते हैं, जिनके अन्तर्गत स्कूल स्थापित किए जाते हैं। अतः स्कूल समाज के उन सांस्कृतिक प्रतिमानों को बढ़ाने, ढालने, सुधारने और विकास करने का केन्द्र है, जोकि उसने अपने कल्याण और श्रेय के लिए बनाए हैं।

(7) संस्कृति का अध्यापक पर प्रभाव (Influence of Culture on Teacher)–प्रत्येक अध्यापक का अपना निजी जीवन-दर्शन होता है। जिस समाज का वह अभिन्न अंग है उसके सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श होते हैं। अध्यापक के अच्छे व बुरे आदर्शों को विद्यार्थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। यह बिल्कुल सही है कि अध्यापक के आदर्श ही समाज और देश की संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक संस्कृति का संरक्षक, मध्यस्थ और निर्माता होता है।

◆◆◆

5.2 ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके
(Ways of Knowledge rendered into action)

2. ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए।
(Describe the ways of knowledge rendered into action.)

उत्तर–ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके निम्नलिखित हैं–

(a) संवेदन और प्रत्यक्षीकरण (Sensation and Perception)–प्रत्यक्षीकरण में ये सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रदान किये गये सभी सन्देशों को प्राप्त करते हैं *(A perception pertains to the processes by which we read meassages that are conveyed by our sense. – **David Elkind & Irving B, weiner**)*

लेकिन बालक की प्रत्यक्ष-ज्ञान योग्यता (Perceptual Ability) उसकी संवेदन क्षमता में वृद्धि होने से बढ़ती है और उसकी संवेदन क्षमता (Sensation) उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थात् कान, नाक, जीभ आदि के विकास द्वारा बढ़ती है। जीवन के प्रथम वर्षों में प्रत्यक्षीकरण का विकास ही अत्यधिक होता है। प्रारम्भ में तो बच्चे की संवेदन क्षमता और प्रत्यक्षीकरण अविकसित होते हैं। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि प्रारम्भ में बच्चे में वस्तुओं को पहचानने या अर्थ जानने की योग्यता विकसित नहीं होती। प्रत्यक्षीकरण और संवेदन का आपस में गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि सबसे पहले संवेदन द्वारा ही ज्ञानेन्द्रियों से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं और फिर हम उसका अर्थ निकालते हैं। यह अर्थ निकालने की प्रक्रिया ही प्रत्यक्षीकरण (Perception) कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण के अन्तर्गत कुछ प्रत्यक्ष-ज्ञान योग्यताएं (Perceptual abilities) प्रमुख होती हैं। जैसे–दृश्य (Visual), श्रव्य (Auditory), स्वाद (Taste), सूंघना (Smell), स्पर्श (Touch) इत्यादि।

इंद्रियाँ जन्म के समय में से ही विकसित होती हैं और जन्म में पश्चात् उनमें परिपक्वता आने लगती है। इन इंद्रियों को साधारण माना गया है लेकिन **गिबसन (Gibson)** के अनुसार यही इंद्रियां बच्चे का 'संवेदी तंत्र' (Sensory System) बनाती हैं क्योंकि ये इंद्रियां दूसरी संवेदी प्रक्रियाओं (Sensory Proceuses) के साथ अंतःक्रिया (Interaction) करती है। **उदाहरणार्थ**, सूंघना (Smell) और स्वाद (Taste) दोनों की दृश्य-संवेदन (Visual Sensation) से संबंधित होते हैं।

विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो बच्चे की दृष्टि स्थिर नहीं होती है। वह अपने आसपास की वस्तुओं पर नजर नहीं टिका सकता, लेकिन वह नजर टिकाने का प्रयास अवश्य करता है। संवेदन (Senstion) की पहली अवस्था होती है। व्यक्तियों में, वस्तुओं में विभेदीकरण करना, ध्वनि को पहचानना आदि प्रत्यक्षीकरण की क्षमता के विकास की ओर से संकेत करते हैं। धीरे-धीरे वह सभी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग शुरू कर देता है। उसमें अपने आसपास के वातावरण को जानने की आकांक्षा पैदा होती है।

प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया इस उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट की जा सकती है। बच्चा किसी वस्तु को एक कोने पर रखने का प्रयत्न करता है तो वह उसे मेज पर न रख कर मेज की ऊँचाई से कम या ज्यादा रखकर या इधर-इधर करके छोड़ देता है और वह समझता है कि उसने उस वस्तु को मेज पर रख दिया है। विकास की अवस्थाओं के साथ-साथ उसकी प्रत्यक्ष ज्ञान की योग्यता (Perceptual Ability) भी बढ़ती रहती है। परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात् वह उस वस्तु को नीचे या इधर-उधर कदापि नहीं गिरने देगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिक संबंधी तथ्य निम्नलिखित हैं–

1. समस्त ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, अर्थ जानने की प्रक्रिया ही क्रमशः संवेदन और प्रत्यक्षीकरण है।
2. बहुत छोटे बच्चों में संवेदन और प्रत्यक्षीकरण अविकसित होते हैं।
3. संवेदन और प्रत्यक्षीकरण में गहरा संबंध होता है।
4. इंद्रियां जन्म के समय से ही विकसित होती हैं तथा जन्म के पश्चात् वे और परिपक्व हो जाती हैं।
5. प्रारंभिक संवेदन की अवस्था है–बच्चे की दृष्टि का अस्थिर होना।
6. अंतर ढूंढने की योग्यता का अर्थ है–प्रत्यक्षीकरण क्षमता में वृद्धि का होना।

(b) भाषा का विकास (Language Development)–मानसिक विकास भाषा के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इस आयु में भाषा का विकास अधिकतर 'क्यों' (Why) और 'कैसे' (How) पर ही आश्रित होता है। 'क्यों' और 'कैसे' दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। बच्चे वयस्कों की भाषा का अनुकरण ही होता है। जैसे–विकास भी विकास की अवस्थाओं के अनुसार ही होता है, जैसे–

1. प्रारम्भ में बालक चिल्लाता है या किलकारी जैसी ध्वनियाँ निकालता रहता है।
2. यह किलकारियाँ बच्चों की इच्छाओं की संकेतक होती हैं।
3. जन्म के बाद प्रथम वर्ष में बच्चा कुछ सीख जाता है तथा फिर उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है।
4. भाषा के विकास में अनुकरण (Imitation) का बहुत महत्त्व होता है।
5. कई बार बच्चों में भाषा सम्बन्धी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं जैसे तुतलाना, हकलाना आदि।
6. शब्द कोष में वृद्धि होने से उनमें वाक्य-निर्माण और अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता में भी वृद्धि होती रहती है।
7. बचपन में कुछ शब्दों के विकास से लेकर किशोरावस्था तक भाषा विकास में परिपक्वता आ जाती है।
8. किशोरों का वातावरण भी भाषाई-कौशलों के विकास का उत्तरदायी हैं। बच्चे जो बेहतर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखते हैं, उनमें भाषा की योग्यताओं का उत्तम विकास होता है।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2006
Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

9. परिवार में अकेला बच्चा हो तो उसका भाषाई विकास अधिक देखा गया है क्योंकि बच्चा वयस्कों की भाषा का अनुकरण करता है। जुड़वा बच्चे एक-दूसरे की भाषा का अनुकरण करते हैं।

10. बुद्धि (Intelligence) और भाषाई कौशल (Linguistic skills) भी आपस में सम्बन्धित होते हैं। उच्च-बुद्धि स्तर वाले बालकों में भाषाई-कौशलों का स्तर भी उच्च होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास में घर का वातावरण बहुत हाथ होता है। अध्यापक भी परिवार की सहायता से बच्चों को भाषा विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।

(c) बोध शक्ति का विकास (Development of Power of understanding)—बोध शक्ति के अन्तर्गत विभिन्न संप्रत्ययों या धारणाओं (concepts) का विकास सम्मिलित हैं, जैसे स्वयं का प्रत्यय, स्थान का प्रत्यय, भार, संख्या, आकार, स्वरूप तथा सौन्दर्यात्मक अनुभूति (Concepts of time, space, weight, number, size form and aesthetic sense)। इस प्रकार के प्रत्ययों का विकास बच्चों में धीरे-धीरे होता है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

1. **धारणा या प्रत्यय समानार्थक हैं स्वयं की धारणा का प्रत्यय (Self concept)**—जब बच्चा यह समझने लगे कि उसका किन-किन चीजों से सम्बन्ध है तो इसका अर्थ है वह स्वयं की धारणा यह प्रत्यय प्रस्तुत कर रहा है। उसे भूख-प्यास लगती है और वह खाना और पानी मांगता है। वह अपने कपड़े मांगता है। वह अपने उन खिलौनों को मांगता है जिन्हें उससे दूर छुपा कर रख दिया गया होता है। ऐसा वह 2-3 वर्ष की आयु तक करना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे वह स्वयं को और वस्तुओं को जोड़ लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें स्वयं के बारे धारणा का विकास हो गया है।

2. **समय की धारणा या प्रत्यय (Time Concept)**—4-5 वर्षों की आयु तक तो बच्चा 2-3 दिन पहले हुई घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें समय सम्बन्धी धारणा विकसित हो गई है। वह कल, आज, परसों, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का अर्थ समझने लगता है। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, घंटे, मिनट आदि की अवधि का ज्ञान भी धीरे-धीरे होने लगता है।

3. **स्थान की धारणा का संप्रत्यय (Space Concept)**—जब बालक यह समझना शुरू कर दे कि उसे किसी वस्तु को कहाँ रखना है या उसे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना, तब उसका अर्थ है कि उसमें 'स्थान' सम्बन्धी धारणा विकसित हो गई है। यह 2-3 वर्ष की आयु के पश्चात् शुरू हो जाता है।

4. **भार की धारणा या प्रत्यय (Weight Concept)**—आयु बढ़ने के साथ-साथ बच्चों को यह स्पष्ट होने लगता है कि कौन-सी चीज भारी है और कौन-सी हल्की। 4-5 वर्ष की आयु तक बच्चा यह बताने लगता है कि वह क्या-क्या नहीं उठा सकता।

5. **संख्याओं का प्रत्यय या धारणा (Number Concept)**—शुरू में बच्चा संख्याओं से अनभिज्ञ होता है लेकिन 2-3 वर्षों की आयु तक अपनी ऊँगलियों को गिनने के योग्य हो जाता है। वह गिनने के प्रयास में गलती भी कर सकता है। इस प्रकार बच्चों में संख्याओं सम्बन्धी धारणा का विकास होता है।

6. **आकार का प्रत्यय (Size Concept)**—मानसिक विकास का एक आवश्यक पक्ष है, बालक में आकार सम्बन्धी धारणा का विकास होना। इसका अनुभव का पता तब होता है जब बच्चा विभिन्न चीजों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करता है जैसे किसी खिलौने के विभिन्न भागों का प्रयोग करने लगता है।

7. **स्वरूप का प्रत्यय या धारणा (Form Conept)**—जब बच्चा किसी त्रिकोण, वृत्त या सीधी लाईन को समझने लगता है, तब हम कहते हैं कि उसमें 'स्वरूप' सम्बन्धी धारणा का विकास हो गया है। इस विकास को समय वह त्रिभुज, वृत्त, रेखा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने लगता है।

8. **सौन्दर्यात्मक अनुभूति (Aesthetic Sense)**—बच्चे अक्सर सुन्दर वस्तुओं से प्रेम करते हैं। वे रंगों को अधिक पसंद करते हैं। बच्चे कागज पर चित्रों की ड्राईंग करते हैं तथा उन्हें वे माता-पिता को दिखाते हैं। वे सुन्दर कपड़े पहन कर ही बाहर जाना पसंद करते हैं। बच्चों को इस प्रकार के विकास से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक विकास का सम्बन्ध सौन्दर्यात्मक अनुभूति से भी है।

ये सभी प्रत्यय या धारणाएँ एक-दूसरे पर आश्रित हैं तथ बच्चों में एक साथ ही विकसित होती हैं। अतः यह कहना बहुत कठिन है कि बच्चे में किस धारणा का विकास किस धारण के पश्चात् होता है।

(d) तर्क-शक्ति और निर्णय लेना (Power of Reasoning and Judgement)—बच्चों में तर्क- शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का संकेत हमें तब मिलता है जब वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से करने लगे। 2 वर्ष की आयु तक वह प्रवाह सहित बोलने लगता है। जब वह 'क्यों' का प्रयोग अधिक करने लगता है तो उसका अर्थ यह है कि उसमें तर्क शक्ति का विकास हो चुका है। जब वह यह कहने लगता है कि वह 'यह पुस्तक पढ़ेगा' और 'यह पुस्तक नहीं पढ़ेगा' तो इसका अर्थ हुआ कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। तर्क-शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का सम्बन्ध भाषा के विकास के साथ होता है।

(e) ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति विकास (Development of Attention, Imagination and Memory)—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बच्चे में ध्यान की शक्ति कब उत्पन्न होती है। लेकिन वह इस शक्ति का प्रदर्शन 1 या 2 वर्ष की आयु से करने लगता है। 4-5 वर्ष की आयु तक वह रंगीन खिलौनों की ओर अधिक ध्यान देता है। कई बार बच्चा किसी एक ही प्रकार के खिलौने की ओर ध्यान केन्द्रित करता है। इसी को ध्यान कहते हैं। कोई भी बच्चा अपनी रूचि की चीजों की ओर ध्यान केन्द्रित करता है। इसी प्रकार भाषा के विकास के साथ ही बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है क्योंकि कल्पना के दौरान बच्चा अपने मन से बातें करता है। किसी बच्चे की क्रियाओं में कल्पना के चिह्न देखने कठिन नहीं होते। उसके द्वारा स्वप्न देखना ही कल्पना करना है तथा उसके द्वारा नाटकी रूप देना भी कल्पना शक्ति का संकेत है। वह सिपाही, चोर, अध्यापक, ड्राईवर आदि का अभिनय करता है। कल्पना-शक्ति में वैयक्तिक भिन्नता होती है। स्मरण शक्ति भी मानसिक विकास का महत्त्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। प्रारम्भिक अवस्था में बालक की स्मरण शक्ति के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन आयु में वृद्धि, परिपक्वता और अनुभवों के माध्यम से धीरे-धीरे इसका विकास होता रहता है। भाषा के विकास के साथ तो स्मरण शक्ति और भी बढ़ जाती है। दो वर्ष की आयु तक बच्चे काफी कुछ याद रख सकते हैं। व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में स्मरण शक्ति प्रथम दो वर्षों में अत्यधिक विकसित हो जाती है। इससे आगे की अवस्था में परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में स्मरण शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। प्रारम्भिक अवस्थाओं में स्मरण शक्ति रटने पर आधारित होती है। किसी प्रकार का तर्क सूझ-बूझ बच्चों में देखने को नहीं मिलती। किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में पहुंच कर व्यक्ति में तर्क और सूझ-बूझ का विकास हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के अन्त में स्मरण शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है।

(f) नैतिक धारणाएँ या प्रत्यय (Moral Concepts)—नैतिक प्रत्ययों या धारणाओं के विकास से हमें मानसिक विकास का संकेत मिलता है। बच्चा कुछ समय लेता है। नैतिकता की भावना का प्रदर्शन करने के लिए प्रारम्भ में बच्चा अनैतिक (Non-moral) होता है। बच्चा जब आस-पास की चीजों को समझना शुरू करता है तो तो वह अच्छे और बुरे में भी समझना शुरू कर देता है। वह यह सोचना शुरू कर देता है कि दूसरों को हानि नहीं पहुँचाई जानी चाहिए। बच्चों में नैतिक धारणाओं या प्रत्ययों के विकास के लिए माता-पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्य उत्तरदायी होते हैं। अतः हमें बच्चों के चारों ओर एक उत्तम नैतिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए।

◆◆◆

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN BELIEVE ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

5.3 ज्ञान से सम्बन्धित उदयीमान समस्याएं (Emerging problems relating to Knowledge)

3. ज्ञान से सम्बन्धित उदयीमान समस्याओं का वर्णन कीजिए।
(Describe the emerging problems relating to knowledge.)

उत्तर–ज्ञान से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्ञान का क्षेत्र काफी विशाल है। ज्ञान से संबंधित समस्याएँ भी अनेक हैं। ज्ञान सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का वर्णन इस प्रकार है–

(a) आत्मज्ञान सम्बन्धी समस्या (Problem related to self knowledge)–यहाँ सबसे पहली समस्या तो यह है कि 'आत्मज्ञान' से तात्पर्य क्या है? इसके दो अर्थ हो सकते हैं। 1. अपने आप से सम्बन्धित ज्ञान 2- आत्मा का ज्ञान। यदि पहले अर्थ को लिया जाए तो फिर समस्या यह होगी कि 'अपने आप से क्या तात्पर्य है। साधारणतः तो अपने 'आप' से तात्पर्य अपने शरीर तथा मन दोनों से होगा और यदि भारतीय विचारधारा के अनुरूप सोचें तो इन दोनों के अलावा इसका तात्पर्य आत्मा से होगा। तो इस अर्थ में आत्मज्ञान की समस्या यह होगी कि हम हमारे शरीर, मन तथा आत्मा के विषय में कैसे जानते हैं। शरीर को जानने में तो शायद कोई समस्या नहीं होगी चूंकि वह तो एक स्थूल भौतिक द्रव्य है और इसीलिए जैसे अन्य भौतिक द्रव्यों का हमें ज्ञान होता है, वैसे ही शरीर का भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा। पर शरीर का अन्य भौतिक द्रव्यों से एक अन्तर है और वह यह है कि बाह्य पक्ष के अलावा इसका एक आन्तरिक पक्ष भी है, जिसमें अनेकों शारीरिक क्रियाएँ सम्पन्न होती रहती हैं। उन्हें हम कैसे जानते हैं? यहाँ यह कहा जा सकता हैं कि आन्तरिक शारीरिक क्रियाओं के ज्ञान के लिए अनेकों मंत्र विकसित किए गए हैं। जिनके द्व ारा जाँच कर या नापकर हम आन्तरिक शारीरिक क्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक समस्य मन के (और यदि इससे अलग किसी आत्मा को स्वीकार किया जाये तो उसके) ज्ञान के सम्बन्ध में उठती है। हम अपने मन का ज्ञान कैसे होता है?

इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर देने से पहले हमारे सामने यह समस्या आती है कि 'मन' आखिर क्या है? कुछ लोग मन को एक द्रव्य या आधार के रूप में ले लेते हैं, जिस पर विचार, भावना आदि से सम्बन्धित अनेकों क्रियाएं आधारित होती हैं। इन क्रियाओं को मानसिक क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। इस अर्थ में भी मन को एक सूक्ष्म और अमूर्त द्रव्य के रूप में लिया जाता है, जिसके किसी रूप या आकार का कभी कोई ज्ञान हमें नहीं होता और ऐसे किसी मन का भाव हमें तरह-तरह की मानसिक क्रियाओं के आधार पर ही होता है। इसीलिए कुछ लोग इन मानसिक क्रियाओं, अनुभूतियों, भावनाओं, वैचारिक प्रक्रियाओं, आदि के लिए मन नामक किसी द्रव्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते। तो इस रूप में भी हमारे सामने प्रश्न यह होता है कि हम अपनी मानसिक क्रियाओं, जैसे सुख-दुख आदि की अनुभूति तरह-तरह के संवेगों (क्रोध, प्रेम) आदि की अनुभूति आदि का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। उत्तर में कहा जाता है कि हमें अपनी इन मानसिक क्रियाओं का ज्ञान अन्तर्निरीक्षण के द्वारा होता है। इस अन्तर्निरीक्षण के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह एक प्रकार की साक्षात आन्तरिक अनुभूति है। हमारी बाह्य ज्ञानेन्द्रियों की तरह हमारे अन्दर कोई आन्तरिक ज्ञानेन्द्रिय नहीं है जो ऐसे ज्ञान का माध्यम है, पर फिर भी किसी प्रकार हमें अपनी आन्तरिक मानसिक क्रियाओं का साक्षात प्रत्यक्ष होता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो किसी को भी अपने बारे में सिर्फ अपने आप हो सकता है, किसी दूसरे को किसी-दूसरे के बारे में ऐसा साक्षात ज्ञान उसकी मानसिक क्रियाओं के सम्बन्ध में नहीं हो सकता। पाश्चात्य विचारधारा में मन तथा आत्मा के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं किया गया है। जो लोग मन को एक द्रव्य के रूप में स्वीकार करते हैं वे उसे ही स्थाई आस्था के रूप में भी लेते हैं जो शरीर के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित नहीं होता, भले ही उस पर आधारित मानसिक क्रियाएँ परिवर्तित होती रहती हैं। पर भारतीय विचारधारा में आत्मा मन से भिन्न है और एक

स्वतंत्र स्थाई सत्ता है, जिसका शरीर की मृत्यु के बाद भी विनाश नहीं होता। मन चंचल तथा परिवर्तनशील है और शरीर के अन्त के साथ ही जिसका अन्त हो जाता है। आत्मा ऐसी नहीं है। आत्मा एक आध्यात्मिक सत्ता है, जो हमारी चेतना का आधार है। यही आत्मा हमारे अस्तित्व का सार-तत्व है। यह आत्मा भी कोई स्थूल तत्व नहीं है, जिसके रूप आकार का हमें किसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान उससे होता है। आत्मा ज्ञान से सम्बन्धित उपर्युक्त दूसरा प्रश्न यही है जो हम अब स्पष्ट देख सकते हैं कि उपर्युक्त पहले प्रश्न का ही एक अंश है। 'आत्म ज्ञान' का व्यवहार कभी-कभी इसी संतुलित अर्थ में यानी सिर्फ आत्मा के सम्बन्ध में किया जाता है तो हमें यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे होता है।

आत्मा में विश्वास करने वालों का ऐसा मानना है कि आत्मा का ज्ञान अन्तः प्रज्ञा के द्वारा होता है। हमने ज्ञान के साधन वाले अध्याय में देखा है कि अन्तः प्रज्ञा ज्ञान का एक प्रकार का ऐसा असामान्य साधन है जिसमें हमें अपने अन्दर से एकाएक एक प्रकाश सा मालूम पड़ता है और ज्ञेय पदार्थ हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। यो तो अन्तः प्रज्ञा के द्वारा कभी-कभी एक आकस्मिक आन्तरिक प्रकाश के रूप में साधारण सांसारिक चीजों का भी ज्ञान होता है, पर अन्तः प्रज्ञा का एक रूप भी है जिसके द्वारा आत्मा जैसी उच्च आध्यात्मिक वास्तविकताओं का ज्ञान इसके द्वारा होता है। ऐसे अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान की क्षमता सभी के अन्दर होती है, पर सामान्यतः सभी इसका उपयोग नहीं कर पाते।

योग-साधना जैसी कुछ आध्यात्मिक पद्धतियों के द्वारा इसका विकास करना पड़ता है। तब यह क्षमता एक वास्तविकता में बदलती है और हमें एक आन्तरिक प्रकाश के रूप में अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस ज्ञान की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें ज्ञाता और ज्ञेय अभिन्न हो जाते हैं। ज्ञेय पदार्थ के साथ अभिन्न होकर ज्ञाता ज्ञेय को जानता है। मानो, अन्तः प्रज्ञा द्वारा आत्मा के साक्षात्कार में व्यक्ति के अन्दर सिर्फ आत्मा का ही प्रकाश होता है। और वह यह महसूस करता है कि वह आत्मामय है यानी आत्मा ही उसका मूलस्वरूप है। पर एक कोरा अनुभववादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को ये बातें समझ नहीं आयेंगी।

वह ज्ञान के साधन के रूप में अन्तः प्रज्ञा को बिल्कुल अस्वीकार नहीं करता, यद्यपि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आत्मनिष्ठता से आक्रान्त भी मानता है, पर अन्तः प्रज्ञा के जिस रूप की चर्चा हमने ऊपर आत्मा के ज्ञान के सम्बन्ध में की है वह तो उसे ही स्वीकार्य होगा। वास्तव में कोरा अनुभववादी दृष्टिकोण रखना और इसलिए उनके सामने अन्तः प्रज्ञा के उपर्युक्त स्वरूप का प्रश्न ही नहीं उठता।

(b) दूसरों के मन की ज्ञान सम्बन्धी समस्याएँ
(Problems related to Knowledge of other's minds)

पारम्परिक रूप से हमारी यह मान्यता रही है कि हमारे अस्तित्व में शरीर के अलावा एक मन भी है, जिसके अन्दर तरह-तरह के विचार, विभिन्न प्रकार की भावनाएँ अथवा किसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ सम्पन्न होती रहती हैं, जिन्हें आमतौर पर मानसिक क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। परन्तु इस मान्यता में यह निहित है कि मन एक आधार का द्रव्य है, जिस पर सारी मानसिक क्रियाएँ आधारित होती हैं या यों कहे कि जिसके अन्तर्गत सारी मानसिक क्रियाएं सम्पन्न होती हैं। परन्तु मन सम्बन्धी यह द्रव्य-रूपी मत विवादास्पद है। इस पर दार्शनिक विचारधारा में काफी विवाद हुए हैं। पर किसी न किसी अर्थ में या किसी-न-किसी रूप में मानसिक क्रियाओं का सम्पन्न होना प्रायः सभी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि ये मानसिक क्रियाएँ होती हैं, पर यहाँ प्रश्न उठता है कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं को (जैसे विचार प्रक्रिया, सुख-दुःख की अनुभूति आदि) तो साक्षात रूप में एक प्रकार की आन्तरिक अनुभूति के द्वारा जानता है, पर यह कैसे जानता है कि जो अन्य अनेकों मनुष्य हैं, उनमें भी उसी की तरह भिन्न-भिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएँ गुजरती हैं? दूसरों के अन्दर प्रवेश कर उनकी मानसिक क्रियाओं की साक्षात् अनुभूति करना तो किसी के लिए संभव है नहीं, तो फिर हम यह कैसे जानते हैं कि उनके अन्दर भी ऐसी क्रियाएं गुजरती हैं? उदाहरण

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

के लिए, मैं यदि दुःख में हूं या मुझे कहीं दर्द का अनुभव हो रहा है, तो इसका ज्ञान तो मुझे अपनी साक्षात् अनुभूति के द्वारा हो जाता है, पर दूसरे को भी ऐसे अनुभव होते हैं या दूसरे में भी ऐसी ही अन्य मानसिक क्रियाएं होती हैं, यह हम कैसे जानते हैं? दूसरों की विचार-प्रक्रिया, सुख-दुख, क्रोध, दर्द आदि की अनुभूति में साक्षात् रूप में प्रवेश करना या उनका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना तो किसी दूसरों के लिए तार्किक रूप से असंभव है, तो फिर दूसरे की इन मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान किसी को होता कैसे है? दूसरों के मन के ज्ञान की समस्या सचमुच यही समस्या है। इस समस्या का जो तत्काल समाधान हमारे मन मे आता है वह यह है कि दूसरों के मन (यानी मानसिक क्रियाओं) का ज्ञान हमें उनके द्वारा व्यक्ति व्यवहारों के आधार पर होता है। पर फिर सवाल उठेगा कि बाह्य व्यवहारों के आधार पर आन्तरिक मानसिक क्रियाओं या अवस्थाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उत्तर होगा एक प्रकार के अनुमान के आधार पर। मेरे अन्दर जब कोई मानसिक क्रिया चलती है अथवा मैं जब किसी विशेष मानसिक अवस्था में रहता हूँ तो उसके अनुरूप मेरे कुछ शारीरिक व्यवहार होते हैं। जैसे, जब मैं किसी दर्द या क्रोध की अवस्था में रहता हूँ तो इन अवस्थाओं के अनुरूप मेरे कछ शारीरिक व्यवहार होते हैं। जब कभी दूसरों द्वारा भी इसी प्रकार के व्यवहार व्यक्त करते मैं पाता हूँ, तो अपने व्यवहारों और तदनुरूप अपनी मानसिक स्थिति के साथ उनकी तुलना कर मैं अनुमान करता हूँ कि वह मेरी तरह दर्द या क्रोध (जैसा व्यवहार होगा) की मानसिक स्थिति में है। यह निश्चित रूप से एक प्रकार के सादृश्यानुमान का उदाहरण है और इसलिए कहा जा सकता है कि दूसरों के मन का ज्ञान हमें सादृश्यानुमान के आधार पर होता है।

◆◆◆

6

भारतीय दर्शनों की ज्ञान मीमांसा
[Epistemology of Indian Philosophies]

6.1 सांख्य-दर्शन
(Sankhya Philosophy)

1. सांख्य-दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? सांख्य-दर्शन का शैक्षिक पद्धतियों में क्या महत्त्व है? स्पष्ट कीजिए।
(Explain the Sankhya Philosophy. What is its importance in Educational Methods? Explain it.)

अथवा

सांख्य-दर्शन का क्या अर्थ है? सांख्य-दर्शन के पाठ्यक्रम, शैक्षिक उद्देश्यों, शिक्षक, शिक्षण विधियों, छात्र अनुशासन तथा शैक्षिक महत्त्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
(What is meaning of Sankhya Philosophy? What is its importance in syllabus educational aims, teacher, teaching methods, student discipline & educational importance?)

उत्तर–सांख्य-दर्शन के जन्मदाता महर्षि कपिल कहे जाते हैं। मैक्समूलर का मानना है कि अद्वैत वेदांत के पश्चात् हिन्दुओं का मुख्य दर्शन सांख्य है। गीता में भी सांख्य शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। सांख्य शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यह मानना है कि इस दर्शन के अंतर्गत तत्त्वों की संख्या निधारित की गई है। इसीलिये इसे सांख्य के नाम से पुकारा जाता है। सांख्य-दर्शन के अनुसार प्रकृति सत्त्व, रजस् तथा तमस् नामक तीन गुणों की साम्यावस्था है तथा इस साम्यावस्था की स्थिति के भंग होने से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रकृति नितांत सूक्ष्म है, इसी कारण से इसे अव्यक्त भी कहते हैं तथा इसके विकासक्रम में उद्भूत होने वाले तत्त्वों को व्यक्त के नाम से पुकारा जाता है।

सांख्य दर्शन का शैक्षिक पद्धतियों में योगदान
(Contribution of Sankhya Philosophy in Educational Practice)

1. पाठ्यक्रम (Curriculum)–पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर छात्रों का ध्यान आकर्षित कराना आवश्यक है–

(a) छात्रों को परम सत्य से परिचित कराना तथा उन्हें उसकी प्राप्ति हेतु अभ्यास कराना।
(b) छात्रों की समस्त मानसिक शक्तियों को अधिकाधिक विकसित एवं परिपक्व बनाना।
(c) छात्रों से व्यावहारिक जीवनायापन हेतु शारीरिक और मानसिक कौशलों का ज्ञान करना। यह कौशल ही छात्रों को व्यवसाय में समृद्ध बना सकेंगे।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE.
EST. 20

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

इनके आधार पर अवस्थानुसार पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं—

(a) शैशवास्था (Infancy)—ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियों में मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिशु के अनुभव कम होते हैं तथा वह कार्य भी अधिक नहीं कर सकता। अतः तथात्मक ज्ञान पर बल देने का प्रयास किया जाना चाहिए। शैशवास्था में शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम एवं खेल को पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना चाहिए।

(b) बाल्यावस्था (Chilhood)—इस आयु वर्ग में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र तथा विज्ञान विषयों को पढ़ाया जा सकता है।

(c) किशोरावस्था (Adolescence)—इस आयु वर्ग में विचारों की प्रौढ़ता तथा परिपक्वता आ जाती है। अतः विवेचनात्मक तथा तर्कपूर्ण विषयों को पढ़ाया जा सकता है।

2. शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)—सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं—

(1) सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य पारमार्थिक उद्देश्य बालक को मुक्ति तथा मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना या उसे अंधकार युक्त अज्ञान से प्रकाशमान ज्ञान की ओर ले जाना है।

(2) बालक में क्रियाशीलता पैदा करके शिक्षा के माध्यम से उसका शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना है।

(3) मानव जीवन की पूर्णता के लिए शरीर तथा आत्मा के बीच उचित प्रकार के समायोजन का विकास करना।

(4) इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का लौकिक उद्देश्य यह है कि वह बालक के सात्विक पक्ष का विकास करे तथा उसे तामसिक व राजसिक पक्षों से मुक्ति दिलाये।

(5) बाह्य जगत के अनुभवों के द्वारा बालक का बौद्धिक विकास करना।

3. शिक्षक (Teacher)—सांख्य दर्शन में एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, जिससे कि वह छात्रों में आत्म ज्ञान उपलब्ध करा सके। सांख्य शिक्षक से यह भी आशा रहती है कि उसे ज्ञान प्राप्ति में प्रमाणों में पूर्ण ज्ञान हो तथा प्रमाणों की सहायता से वह बालकों के ज्ञान में विकास कर सके। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः त्यागी प्रवृत्ति का तथा दार्शनिक हो, जिससे की वह छात्रों को सृष्टि के आधार पर स्पष्ट कर सके। छात्रों की जिज्ञासाओं तथा गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करे जो बालक के विकास में बाधक है।

सांख्य दर्शन शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods of Sankhya Philosophy)—सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष विधि पर बल देता है। सांख्य निरीक्षण विधि तथा प्रयोग विधि को भी आवश्यक मानता है। इसके अभाव में ज्ञान का स्थायित्व असंभव होगा। प्रत्यक्ष वस्तुओं, वातावरण तथा घटनाओं के अध्ययन कराने के लिए **अनुभव द्वारा शिक्षा** की विधि भी उपयोगी है। ज्ञात से अज्ञात वस्तुओं तक पहुँचने हेतु अनुमान विधि उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त आप्त वचनों को महत्त्व देने के कारण प्रश्नोत्तर, चर्चा, विचार, व्याख्यान, अध्ययन, कक्षा अध्यापन तथा अन्य विधियों को भी अपनाना चाहिए। इस प्रकार सांख्य लगभग सभी नवीन और प्राचीन विधियों को स्वीकार करता है।

4. छात्र अनुशासन (Students Discipline)—

(1) तीन प्रकार के दुःख इस संसार में है—दैहिक, आधि दैविक तथा अधिक भौतिक। सांख्य के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से जीवन दुःखों से मुक्त हो जाता है। बंधन का अर्थ आत्मा और अनात्मा का भेद न जानना है और मोक्ष का अर्थ उस भेद को जानना है। कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता। समस्त कर्म अच्छे, बुरे अथवा उदासीन गुणों के कारण हैं एवं बंधन उत्पन्न करते हैं। शुभ कर्म स्वर्ग में ले जाते हैं और व्यक्ति के अशुभ कर्म उसे नर्क ले जाते हैं। ज्ञान मनुष्य को मोक्ष दिलाता है। अतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। केवल ज्ञान से ही अज्ञान दूर किया जा सकता है। ज्ञान प्रकृति और पुरुष में भेद करने से ही प्राप्त होता है।

(2) सांख्य दर्शन का उद्देश्य प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझना है। प्रकृति संसार का मूल कारण है। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है। परंतु प्रकृति का कोई कारण नहीं है। वह आदि कारण है। संसार के समस्त कार्य प्रकृति पर आधारित हैं। जगत का प्रथम तत्त्व होने के कारण प्रकृति को प्रधान कहा जाता है।

(3) सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष आत्मा है विजयी तथा ज्ञाता है। आत्मा शरीर, मानस अहंकार अथवा बुद्धि नहीं है। आत्मा स्वयं ही शुद्ध चैतन्य है। इसी कारण उसे चैतन्य का गुण रखने वाला द्रव्य नहीं कहा जा सकता।

(4) सांख्य दार्शनिकों के अनुसार जगत की उत्पत्ति विकास से होती है। विकास पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से होता है। सांख्य दर्शन पुरुष को निष्क्रिय मानता है। अतः अकेला पुरुष उत्पत्ति नहीं कर सकता। प्रकृति जड़ है और जड़ होने के कारण प्रकृति अकेली उत्पत्ति नहीं कर सकती। अतः छात्रों को यह स्पष्ट करना है कि प्रकृति की क्रिया तथा पुरुष के चैतन्य का साथ होने पर ही प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सृष्टि का विकास होता है।

सांख्य दर्शन शैक्षिक महत्त्व (Educational Importance)—केवल आध्यात्मिक जगत की बात न करने सांख्य दर्शन लौकिक जीवन को भी सफलतापूर्वक जीने की कला सिखाता है। इस दर्शन की विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

(1) यह वैयक्तिक विभिन्नताओं की और संकेत करता है। इसके प्रकृति के तीनों गुणों की व्याख्या की गई है। वहीं इसमें स्पष्ट बताया गया है कि हर प्राणी में अलग-अलग गुणों का आधिक्य होता है।

(2) बाल विकास का वर्णन आज के मनोवैज्ञानिक विकास की अवस्थाओं की ओर संकेत करता है।

(3) यह व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक दोनों है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को अपने में समावेश करने का एक प्रयास है।

(4) इसका विभिन्न नवीनतम विधियों के क्षेत्र में अपरिमित योगदान है।

(5) प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्त्व देने के कारण यह लोकतान्त्रिक विचारों का मार्गदर्शन करने की प्रेरणा प्रदान करता है।

(6) जिन विधियों का इसने प्रतिपादन किया है वे किसी न किसी रूप में आज के वैज्ञानिक युग में भी मान्य हैं।

◆◆◆

6.2 वेदांत-दर्शन
(Vedanta Philosophy)

2. वेदांत दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा के क्षेत्रों में इसके योगदान या भूमिका की विवेचना कीजिए।

(What do you understand by Vedanta philosophy? Discuss about the contribution or role of Vedanta philosophy in different areas of education.)

अथवा

BMD COLLEGE OF EDUCATION LEARN. BELIEVE. ACHIEVE EST. 2008

www.bmdeducation.org

वेदांत दर्शन या शंकर शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा-प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध पर विवेचना कीजिए।
(What are basic principles of Vedanta Education or Shankara Education? Discuss in briefμAims of Education Process, Curriculum and Teacher-Pupil Relations according to it.)

अथवा

वेदांत दर्शन क्या है? इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
(What is Vedanta Philosophy? Explain about its main principles.)

उत्तर–इस दर्शन को भारतीय दर्शन के अंतर्गत विशेष स्थान प्राप्त है। वेदांत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य जी है। शंकराचार्य वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्यों में सम्मिलित थे। इनके दर्शन को मायावाद या अद्वैत-दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन तथा इनकी मान्यताओं का सार उपनिषद, गीता तथा वेदांत सूत्र हैं। शंकर के उपरांत वेदांत दर्शन का अनेक विद्वानों ने प्रचार तथा प्रसार किया।

वेदांत दर्शन की मुख्य विशेषताएँ *(Characteristics of Vedanta Philosophy)*

वेदांत-दर्शन की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं–

1. वेदांत-दर्शन के अनुसार इस दृश्यमान जगत में मुख्य रूप से एक ही तत्त्व विद्यमान है जिसे ब्रह्म कहते हैं। पदार्थ तथा विचार में से 'विचार' सत्य है। वेदांत के अनुसार अन्तिम सत्य सत्ता के रूप में है जो तीन प्रकार की है। संसार रूपी सत्ता व्यावहारिक सत्ता है।
2. ब्रह्म से संबंधित पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो जाने के फलस्वरूप संसार का रूप स्पष्ट हो जाता है तथा सर्वज्ञ ब्रह्म की सत्ता को महसूस करने लगते हैं।
3. इस दर्शन का मानना है कि ब्रह्म ने लीला के लिए अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस संसार की सृष्टि की है तथा अपने आप में माया न सत् है तथा न ही असत् है अपितु यह अनिवर्चनीय है।
4. ब्रह्म ने सृष्टि की रचना किसी प्रयोजनवश न करके केवल लीला के लिए की है।
5. जीव तथा ईश्वर दोनों मूलतः ब्रह्म ही हैं।
6. यह संसार नित्य परिवर्तनशील है तथा इस परिवर्तन को माया रूपी शक्ति प्रेरित करती है जो कि ब्रह्म से भिन्न है।
7. इस दर्शन के अंतर्गत अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को मान्यता दी गई है तथा इन चारों को जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह दर्शन मोक्ष को अधिक महत्त्व प्रदान करता है।
8. यह दर्शन भी वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था का पक्षधर है। आश्रम-व्यवस्था में वह संन्यास-आश्रम को श्रेष्ठ मानते हैं तथा ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से सीधे संन्यास में जाने के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
9. वेदांत दर्शन पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत के प्रत्यय को भी स्वीकार करते हैं।

वेदांत दर्शन का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (Attitude towards Vedant's Philosophy)–शंकराचार्य ने उपनिषद् दर्शन पर आधारित जिस अद्वैत सिद्धान्त की स्थापना की तथा जीवनभर जनसामान्य में घूम-घूमकर जिस आचार-मीमांसा को हृदयंगम कराया उससे शिक्षा-क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान का पता चलता है। थोड़े ही समय में अपने शैक्षिक कार्यों, धार्मिक प्रवचनों एवं आध्यात्मिक वार्तालापों से उन्होंने इतनी ख्याति अर्जित कर ली कि उनकी शैक्षिक मीमांसा ने शिक्षा जगत को नूतन प्रकाश प्रदान किया, किन्तु आचार्य शंकर को 'जगद्गुरु' के रूप में भारतीय समाज द्वारा अभिनन्दित किया जाना उनके महत्त्व को अत्यधिक बढ़ा देता है। उनका यह अभिनन्दन उनके शैक्षिक मूल्यांकन का ही प्रतिफल है।

शिक्षा की परिभाषा (Definition of Education)–शिक्षा की प्रक्रिया मुक्तिपर्यन्त चलती है। मनुष्य का अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानना उसकी वास्तविक शिक्षा है। इसके लिए उसे गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु शास्त्रानुसार उसे उपदेश देगा–तू वह (ब्रह्म) है और शिष्य यह अनुभव करेगा–मैं ब्रह्म हूँ। यह समस्त प्रक्रिया शिक्षा है। अतः आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षा की यह परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है–**"शिक्षा एक मुक्तिपर्यन्त चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित ब्रह्मभाव का जागरण होता है, उसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, जीवन जगत के प्रति उसके व्यवहार तथा विचारों में निरन्तर परिवर्तन, परिमार्जन एवं संशोधन होता है और वह ब्रह्मात्मैक्य की अनुभूति के योग्य होकर सर्वत्र सम (ब्रह्म) दर्शन करने में समर्थ होता है।"**

वेदान्त दर्शन के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण (Classification of Education according to Vedanta Philosophy)–आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों की भाँति जगद्गुरु शंकराचार्य ने शिक्षा को वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार ज्ञान दो प्रकार का है–पर और अपर। मुण्डकोपनिषद् में इन्हीं को पराविद्या तथा अपराविद्या कहा गया है। इस आधार पर आचार्य के मत में शिक्षा दो प्रकार की है–परा (आध्यात्मिक) तथा अपरा (भौतिक)। इन दोनों का संक्षेप में विवेचन निम्न प्रकार से है–

1. परा (आध्यात्मिक) शिक्षा (Spiritual Education)–यह शिक्षा परमात्मा की विद्या से सम्बन्धित है। उपनिषदों द्वारा जिस अक्षर (ब्रह्म) का बोध होता है, उस ब्रह्म का ज्ञान पराविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) है। पराविद्या से अक्षर (ब्रह्म) का बोध होने से वह मुक्ति का साधन है। परा (आध्यात्मिक) शिक्षा से ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। अतः शांकर दर्शन में परा (आध्यात्मिक) शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को ही वास्तविक माना जाता है। इस प्रकार पराविद्या को जीवन का सर्वस्व माना जाता है। वेदान्त शिक्षा का समस्त प्रयास इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। इसी को सम्यग्ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि एकत्व सम्यग्ज्ञान से दृष्ट (प्राप्त) है। इसी को शंकराचार्य ने ब्रह्मविद्या भी कहा है, क्योंकि इसी से सर्वविद्यावेद्य (ब्रह्म) का ज्ञान होता है। इस प्रकार परा शिक्षा में विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति पारब्रह्म का साक्षात्कार करता है।

2. अपरा (भौतिक) शिक्षा (Physical Education)–इसके अन्तर्गत धर्म तथा अधर्म के साधन एवं उनके फल से सम्बन्ध रखने वाली विद्या आती है। अपरा विद्या का सम्बन्ध भौतिक जीवन से होने के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद–ये चार वेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष–ये छः वेदांग अपरा विद्या कहे जाते हैं। अपरा विद्या का विषय संसार है, जो कर्ता, करण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उसके फलस्वरूप भेदवाला अनादि, अनन्त और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न सम्बन्ध वाला है तथा दुःख रूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए सर्वथा त्याज्य है, किन्तु इस संसार का उपशम रूप मोक्ष पराविद्या का विषय है, वह अनादि, अनन्त, अजर, अमर, अमृत, अभय, शुद्ध, प्रसन्नस्वरूप में स्थित रूप तथा परमानन्द एवं अद्वितीय है।

अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या होने से निराकृत है। अतः अपरा विद्या का विषय कर्म सत्य तो है, किन्तु आपेक्षिक है, जबकि परा विद्या का विषय परमार्थ-सत्स्वरूप होने के कारण निरपेक्ष सत्य है। वह यह विद्या-विषयक सत्य ही यथार्थ सत्य है, इससे अतिरिक्त अविद्या का विषय होने के कारण मिथ्या है। इस प्रकार शांकर शिक्षा-दर्शन में पराविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) ही उपादेय तथा ग्राह्य है, क्योंकि इसी से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य–मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपराविद्या (भौतिक शिक्षा) सांसारिक विषयों से सम्बद्ध होने से अविद्या की श्रेणी में आती है। अतः शांकर वेदान्त की समस्त शैक्षिक प्रक्रियाएँ पराविद्या के लिए ही निर्धारित की गई हैं। यही वह विद्या है जो जीवन में यथार्थ तत्त्व का साक्षात्कार कराती है और इसके विपरीत अपराविद्या व्यक्ति में निहित ब्रह्मत्व का बोध न कराने से त्याज्य तथा अनुपादेय है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धान्त *(Basic Principles of Vendanta Education)*

1. शिक्षा और ज्ञान का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है।
2. शिक्षा आध्यात्मिक, धार्मिक एवं पवित्र प्रक्रिया है।
3. यह मोक्ष-पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।
4. शिक्षा केवल भौतिक पदार्थों की जानकारी नहीं है, वरन् ब्रह्मात्मा के ऐक्य का बोध है।
5. शिक्षा मनुष्य के अज्ञान, शोक, मोह तथा क्रोध आदि दोषों का निवारण करती है।
6. यथार्थ एवं वस्तुगत ज्ञान को ही आचार्य शंकर शिक्षा मानते हैं।
7. शिक्षा व्यक्ति में निहित ब्रह्म भाव का जागरण है।
8. अज्ञान (माया) से आवृत तथा मनुष्य में विद्यमान सत् वस्तु (ब्रह्म) का अनावरण शिक्षा है।
9. ज्ञान के अनुभवजन्य होने से ब्रह्मानुभूति शिक्षा है।
10. शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम—शिक्षा के तीन प्रमुख अंग हैं।
11. शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक है।
12. व्यक्ति तथा समाज के सब प्रकार के हित-सम्पादन का आधार होने से शिक्षा का महत्त्व सर्वाधिक है।
13. शिक्षा और जीवन अन्योन्याश्रित है।
14. जीवन केवल मात्र भौतिक सुख-समृद्धि के लिए नहीं है, वरन् शिक्षा प्राप्ति के लिए है।
15. शिक्षा से व्यक्ति का जीवन आत्मनिष्ठ, विषय भोगों से अलिप्त तथा शमदमादि साधन सम्पन्न बनता है।
16. शिक्षा श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण कर श्रेष्ठ समाज के सृजन में योगदान करती है।
17. शांकर शिक्षा का रूप औपचारिक अधिक है, अपेक्षाकृत अनौपचारिक शिक्षा के।
18. सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा का रूप शंकराचार्य को स्वीकार्य है।
19. अपराविद्या (भौतिक शिक्षा) की अपेक्षा पराविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) को शांकर शिक्षा-दर्शन में अधिक महत्त्व दिया गया है।

वेदांत शिक्षा के उद्देश्य *(Aims of Vedanta Education)*

शांकर शिक्षा-दर्शन में जीवन लक्ष्यों से ही शिक्षा उद्देश्यों की उद्भावना हुई है। शांकर शिक्षा में ब्रह्म-साक्षात्कार को ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। शंकर के अनुसार ब्रह्म और मोक्ष की एकरूपता स्वीकार करने के कारण ब्रह्म की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिन्तन का फल है। अतः शांकर सिद्धान्त में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। यही मुक्ति-प्राप्ति शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसे सर्वात्मभाव की प्राप्ति होती है। यही सर्वात्मभाव व्यक्ति का मोक्ष है। सर्वात्मभाव से मनुष्य व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि का चिन्तन करने लगता है। वस्तुतः आचार्य शंकर जब इस शरीर में ही मुक्ति (जीवनमुक्ति) की कल्पना करते हैं तो उनका आशय मानव की समाज निष्ठा से ही होता है।

1. ब्रह्म-ज्ञान (Braham Knowledge)—स्वामी शंकराचार्य के अनुसार समस्त शिक्षा का सार ब्रह्म-ज्ञान में ही निहित है। ब्रह्म जीवन का यथार्थ एक परिपूर्ण तत्त्व है। अतः शिक्षा का उद्देश्य इसी यथार्थ तथा परिपूर्ण तत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना है। शंकर के अनुसार यही कारण है कि ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है।

2. आत्म-विश्वास (Self-Confidence)—मनुष्य में ब्रह्मनिष्ठा से आत्म-विश्वास का जागरण होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति आत्मदृष्टा बन जाता है और वह आत्मा एवं परमात्मा में भेद नहीं करता है। उसके लिए आत्मा-परमात्मा एक है। वेदान्त में आत्मा की सर्वाधिक महत्ता होने से उसी की प्राप्ति के लिए समस्त प्रयासों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालक आत्मनिष्ठ बने। उसमें आत्म-विश्वास का विकास हो।

3. ब्रह्म व आत्मा में ऐक्य (Unity in Braham Soul)—आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य ही शिक्षा है। यही शिक्षा का परम उद्देश्य है। अतः विश्व मानव समाज में प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य, सामन्जस्य तथा समन्वय की स्थापना की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर उन्होंने अद्वैतभाव को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में इस प्रकार प्रतिपादित किया है—**"जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है, उसी प्रकार दुःखभिमानी आत्मा को द्वैत-प्रपन्च की निवृत्ति होने की स्वस्थता मिलती है। अतः अद्वैतभाव ही इसका (शिक्षा का) प्रयोजन है।"** इस प्रकार शांकर शिक्षा का उद्देश्य मानव समाज में ऐक्य की भावना का विकास करना है।

4. धार्मिक भावना का विकास (Development of Deligious spirit)—स्वामी शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा और धर्म का परस्पर सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। शिक्षा से धर्म का प्रचार-प्रसार होता है और धर्म से शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण होता है। आचार्य शंकर की भारतीय इतिहास तथा जनता में प्रसिद्धि एक धर्माचार्य के रूप में है। अतः उनके द्वारा धार्मिक भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्रतिपादित करना उनके लिए स्वाभाविक एवं अपरिहार्य था। धार्मिक भावना के विकास के उद्देश्य का शंकराचार्य के अनुसार यही अभिप्राय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को यज्ञपरायण (समाजसेवी), अध्ययनशील, दानशील, तपस्वी तथा आचार्य कुल (विद्यालय) में नियमपूर्वक रहकर विद्यार्जन करने वाला बनाया जाए। यही उसका धार्मिक विकास है। इसी के लिए आचार्य शंकर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया है।

5. आत्म-चिन्तन की प्रवृत्ति (Tendency of Self Realisation)—शांकर शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए वैराग्य की नितान्त आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य है व्यक्ति को वैराग्यशील बनाना, जिससे वह जीवन में सांसारिक दुःखों से मुक्ति पा सके। मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास होकर ही सुख-दुःख का अनुभव करता है। अतः धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा एवं सन्तान की इच्छा का त्याग करने वाला संन्यासी ही आत्माराम, आत्मक्रीड ओर स्थिरप्रज्ञ है। इस प्रकार आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे व्यक्ति संयमी, वैराग्यशील तथा त्यागी होकर आत्म-चिन्तन में प्रवृत्त हो सके।

6. व्यक्तिगत व सामाजिक विकास (Personal & Social Development)—आचार्य शंकर श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म-विश्वास, यथार्थ ज्ञान, ऐक्य की भावना, धार्मिक विकास तथा वैराग्य आदि का विकास हो सके। इस प्रकार उनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मुख्यतः वैयक्तिक रूप में हुआ प्रतीत होता है, किन्तु जब आचार्य शंकर मनुष्य में मुक्ति की क्षमता तथा ऐक्य की भावना के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निरूपित करते हैं, तो उनके अनुसार सामाजिक उद्देश्यों की उद्भावना भी स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि शांकर शिक्षा-दर्शन में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है तथापि सामाजिक उद्देश्यों की भी उसमें उपेक्षा नहीं की गई है।

7. जीवन मूल्यों का विकास (Development of Life Values)—आचार्य शंकर ने जिस प्रकार से शिक्षा के महान् उद्देश्यों की कल्पना की है, उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के श्रेष्ठ मूल्यों को भी प्रतिस्थापित किया है। उनके अनुसार मानव-जीवन के मूल्यों का आधार आध्यात्मिक एवं धार्मिक होने से शिक्षा के मूल्यों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति के चिरन्तन तत्त्वों का समावेश हो। सत्य, अहिंसा, दया अपरिग्रह, एकता, प्रेम, सहानुभूति, तप एवं श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, सरलता, उपासना तथा त्याग आदि ऐसे जीवन-मूल्य हैं जिनका आचार्य शंकर ने अपने शिक्षा-दर्शन में प्रतिपादन किया है।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

वेदान्त दर्शन के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया
(Educational Process according to Vedanta Philosophy)

शिक्षा-प्रक्रिया में शिक्षक का होना परमावश्यक है। बिना उसके शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन नहीं हो सकता है। शिक्षा का यदि एक ध्रुव शिक्षक है तो दूसरा ध्रुव शिक्षार्थी है। शिक्षार्थी के बिना भी शिक्षा की प्रक्रिया सम्भव नहीं है। डीवी की भाँति आचार्य शंकर भी शिक्षा के तीन ध्रुव—गुरु, शिष्य तथा शास्त्र (पाठ्यक्रम) स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शास्त्र पर आधारित गुरु एवं शिष्य में सम्पन्न अन्तःक्रिया शिक्षा है। अतएव ज्ञान के सम्बन्ध में भगवान् शंकराचार्य के ये विचार आलोचनीय हैं—**"शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या आदि का बोध शिष्य को होता है, उसका नाम ज्ञान है। इसका जो विशेष रूप से अनुभव है, वह विज्ञान है।"**

शिक्षा में आचार्य शंकर के अनुसार, अनुभव, बोध की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः शास्त्र (पुस्तकों) की मात्र जानकारी को वह ज्ञान कहते हैं और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही (यथार्थ रूप में) अपने अन्तःकरण में अनुभव करना उनके अनुसार विज्ञान है। इस प्रकार आचार्य शंकर की दृष्टि में शिक्षा की प्रक्रिया केवल गुरु-शिष्य से ही सम्पन्न नहीं होती है, वरन् शास्त्र (पाठ्यक्रम), पाठ्यविषय का निर्धारण करता है और गुरु एवं छात्र की क्रियाओं को समुचित आधार प्रदान करता है। इस प्रकार आचार्य शंकर के अनुसार शास्त्र (पाठ्यक्रम), गुरु एवं शिष्य के समुचित समन्वय से ही शिक्षा-प्रक्रिया का विकास होता है।

आचार्य शंकर के अनुसार आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अतः उनकी शिक्षा का स्वरूप आध्यात्मिक है। इस प्रकार अध्यात्म से भिन्न कोई शिक्षा नहीं है।

पाठ्यक्रम (Curriculum)—जगद्गुरु शंकराचार्य गुरु तथा शिष्य के अतिरिक्त पाठ्यक्रम (शास्त्र) को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उनके अनुसार पाठ्यक्रम शाश्वत सत्य (ब्रह्म) का उद्घाटक होने से स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है। वैदिक सिद्धान्त भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान तीनों कालों में यथार्थ होने से नित्य ज्ञान के उत्पादक हैं। वेदशास्त्र के अत्यन्त पवित्र एवं धार्मिक वस्तु होने से उनके अनुसार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्धन नहीं हो सकता है। अतः आचार्य शंकर के अनुसार पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का लचीलापन, अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए।

आचार्य शंकर ने प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा पारमार्थिक स्तरों पर भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों की कल्पना की है। विविध पाठ्यविषयों का निर्धारण उन्होंने इन तीन स्तरों पर किया है। उनका पाठ्यक्रम व्यापक तथा विविधतापूर्ण है। विभिन्न पाठ्य विषयों के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रावधान भी उन्होंने पाठ्यक्रम में किया है, जिससे एक व्यापक, वैविध्यपूर्ण तथा पूर्ण विकसित पाठ्यक्रम के शांकर शिक्षा में दर्शन होते हैं।

आचार्य शंकर की कल्पना में छात्रों के लिए वेद, पुराण, धर्मशास्त्र षड्दर्शन तथा गीता और वेदान्त जैसी आस्तिक विचारधारा एवं बौद्ध, जैन जैसे नास्तिक दर्शन का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन आवश्यक माना गया है। इसलिये इस दृष्टि से उनका पाठ्यक्रम संकीर्णता से मुक्त है। उसमें सभी प्रकार के पाठ्यविषयों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है।

आचार्य शंकर का पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन से सम्बन्धित है। उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन का मूल स्वरूप आध्यात्मिक एवं धार्मिक है। आचार्य शंकर मनुष्य को मूलतः आध्यात्मिक प्राणी मानते हैं। अतः मनुष्य के आध्यात्मिक तथा धार्मिक विकास की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने जिस प्रकार के पाठ्यक्रम की संकल्पना की है, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्वामी शंकराचार्य ने पाठ्यक्रम को छात्रों की आध्यात्मिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं से सम्बद्ध करके प्रस्तुत किया है।

शंकराचार्य के पाठ्यक्रम में एक तार्किक व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने पाठ्यक्रम का प्रातिभासिक, व्यावहारिक तथा पारमार्थिक स्तर पर वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण के पीछे उनका तर्क यही है कि छात्र में उत्तरोत्तर ही ज्ञान के उस स्तर का विकास होता है, जिसमें पहुँचकर वह ब्रह्म का पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर

पाता है। यह ज्ञान का अन्तिम (पारमार्थिक) स्तर है। इस पूर्वज्ञान का व्यावहारिक स्तर होता है जिसमें छात्र ब्रह्म से पूर्ण तादात्म्य की स्थिति में नहीं होता है। इसी प्रकार छात्र के ज्ञान का एक ऐसा स्तर भी होता है जहाँ उसका ज्ञान अत्यन्त अविकसित अवस्था में होता है। ऐसे स्तर पर उसे वेदान्त का ब्रह्मतत्त्व सिखाना कठिन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यविषयों के निर्धारण में आचार्य शंकर ने तार्किक क्रम को तो रखा है, किन्तु उनकी इस व्यवस्था में किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक क्रम के दर्शन नहीं होते हैं। वेद, उपनिषद्, गीता, पुराण, ब्रह्मसूत्र तथा धर्मशास्त्र आदि जिन पाठ्यविषयों को अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से आचार्य शंकर ने पाठ्यक्रम में रखा है, उनमें मनोवैज्ञानिक क्रम का संकलन की दृष्टि से भी अभाव है और शंकर ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

पाठ्यविषयों के निर्धारण में छात्रों की योग्यता का ध्यान रखा गया है। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान मुक्ति का साधन होने से जीवन में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, गीता तथा अन्यान्य दार्शनिक विचारों के पठन-पाठन को इसलिये रखा है जिससे छात्रों की उन योग्यताओं का विकास हो जो उन्हें मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक हों। पाठ्यक्रम में पाठ्यविषयों के निर्धारण में आचार्य शंकर ने छात्रों की योग्यताओं का तो पूरा ध्यान रखा है, किन्तु उनकी रुचियों का कोई ध्यान नहीं रखा है। ऐसे छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम में किसी विषय का निर्धारण नहीं किया गया है जिसकी आध्यात्मिक, धार्मिक तथा दार्शनिक रुचि नहीं है। इस प्रकार शंकराचार्य के पाठ्यक्रम में जहाँ छात्रों की योग्यताओं का ध्यान रखा गया है वहाँ उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखा गया है।

पाठ्यक्रम में विषयों के निर्धारण में आचार्य शंकर का केन्द्रबिन्दु ब्रह्म की अवधारणा रहा है। अद्वैत वेदान्त-शिक्षा में ब्रह्म-जिज्ञासा को ही सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। शंकर के अनुसार समस्त शैक्षिक प्रक्रिया का विकास ब्रह्म को केन्द्रबिन्दु मानकर होता है। अतः जितने प्रकार के पाठ्यविषयों का निर्धारण आचार्य शंकर ने किया है उन सबका ब्रह्म की दृष्टि से एकीकरण (Integration) हो जाता है। इस प्रकार उनके पाठ्यक्रम में एकीकरण के सिद्धान्त का भी पालन किया गया है।

व्यावहारिक सत्ता की दृष्टि से जब आचार्य शंकर विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन-अध्यापन के लिए निर्धारण करते हैं तो उनका ध्यान उन पाठ्यविषयों की उपयोगिता पर रहता है। छात्र व्यावहारिक स्तर के पाठ्यविषयों का अध्ययन करके ही इस योग्य बनता है कि वह पारमार्थिक स्तर पर ब्रह्मानुभूति के योग्य होता है। इस प्रकार शंकर ने पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यविषयों के चयन में उपयोगिता के सिद्धान्त को महत्व दिया है।

आचार्य शंकर ने जिस पाठ्यक्रम की प्रस्तावना की है उसका उद्देश्य छात्रों के आध्यात्मिक एवं धार्मिक विकास का है। उनका पाठ्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रयास इसी ओर दिखाई पड़ता है कि छात्र अपना भौतिक विकास ही न करें बल्कि आध्यात्मिक विकास भी करे। इस प्रकार वृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त को भी आचार्य शंकर ने पाठ्यक्रम-निर्माण में अपनाया है।

वेदान्त शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के संबंध
(Relation Between Teacher and Students in Vedanta Education)

वेदान्त शिक्षा में गुरु छात्र (शिष्य) के अज्ञान का आवरण हटाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति कराता है और शिष्य अपने प्रयासों द्वारा गुरु से ज्ञानोपार्जन कर अपने जीवन के परम लक्ष्य—मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः अध्यापक तथा विद्यार्थी शिक्षा के दो प्रमुख अंग हैं और इन दोनों के मध्य सम्पन्न होने वाली अन्तःक्रिया शिक्षा है।

1. महान् व्यक्तित्व (Great Personality)—आचार्य शंकर ने शिक्षक के रूप में एक महान् व्यक्तित्व की कल्पना की है। गुरु को केवल सैद्धान्तिक रूप से ग्रन्थ का ज्ञाता ही नहीं होना चाहिए, वरन् उसे स्वयं ब्रह्मानुभूति से सम्पन्न होना चाहिए। उसमें नैतिक गुणों तथा चारित्रिक सबलता का पूर्ण विकास होना चाहिए। अतः मानसिक शान्ति एवं जितेन्द्रियता और सब प्रकार के भोगों से विरक्ति तथा अहंकारशून्यता और परोपकारशीलता आदि अध्यापक के आभूषण हैं। इन नैतिक गुणों के साथ ही अध्यापक में शैक्षिक योग्यता, अध्यापन-कुशलता तथा अध्ययन-प्रियता की उत्कृष्टता होनी चाहिए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

2. पथ-प्रदर्शक के रूप में (As a Guide)–आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षक छात्र का पथ प्रदर्शक ही नहीं है, वरन् वह उसका आध्यात्मिक जन्मदाता भी है। अतः वह शिष्य को उन सब उपायों का सुझाव देता है, जिनका अवलम्बन करके शिष्य आत्म-कल्याण की प्राप्ति कर लेता है। यही कारण है कि वेदान्त-शिक्षा में गुरु-कृपा से प्राप्त ब्रह्मविद्या (आध्यात्मिक शिक्षा) को ही परब्रह्म प्राप्ति का साधन माना गया है। इस प्रकार शंकर शिक्षा में गुरु का स्थान केवल महत्त्वपूर्ण ही नहीं है, वरन् उसकी अनिवार्यता है।

3. शिक्षण-एक धर्म (Teaching as Religion)–स्वामी शंकराचार्य शिक्षण को शिक्षक का व्यवसाय नहीं मानते हैं, बल्कि उनके अनुसार यह उसका धर्म है। अतः शिक्षण के लिए उसे सदैव तत्पर रहना चाहिए। उसे ज्ञान के इच्छुक शिष्य को कदापि निराश नहीं करना चाहिए। उसे किसी भी उपाय से शिष्य को कृतार्थ करना चाहिए।

4. अनन्त क्षमता का विकास (Development of external capacity)–अद्वैत वेदान्त का शिक्षा-दर्शन पाश्चात्य विचारधारा की भाँति छात्र को मात्र शरीर नहीं मानता है। उसके अनुसार छात्र वस्तुतः ब्रह्म अथवा आत्मा है। वह अनन्तशक्ति सम्पन्न है। उसमें अनन्त ज्ञान की क्षमता है। इसी अनन्त क्षमता का विकास शिक्षा है।

5. चैतन्य स्वरूप का अनुभव (Experience of Chatanya Nature)–आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की भाँति आचार्य शंकर छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं एवं इच्छाओं आदि में विभिन्नता स्वीकार करते हैं, किन्तु वह इसी व्यक्तिगत वैभिन्य को आधार मानकर शिक्षा की प्रस्तावना नहीं करते हैं। वेदान्त के अनुसार जगत का नानात्व (वैभिन्य) अज्ञानजन्य होने से छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता भी माया या अविद्या के कारण है। अविद्या का पर्दा हटते ही शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं। इस प्रकार छात्र मूलतः आत्मा है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के स्वयं सच्चिदानन्द परब्रह्म है। छात्र को इसी शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना होता है।

6. ब्रह्मबोध की क्षमता–शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाने से पूर्व छात्र को कतिपय अपेक्षाओं की पूर्ति तथा विशिष्ट प्रकार योग्यताओं का सम्पादन कर लेना चाहिए। आचार्य शंकर के अनुसार–नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहलोक तथा परलोक के भागों से वैराग्य, शम-दम आदि संयम और मोक्ष की इच्छा–इन योग्यताओं के होने पर ही छात्र ब्रह्मबोध की क्षमता प्राप्त करता है। इसी प्रकार आचार्य शंकर ने छात्रों की योग्यता का प्रतिपादन किया है, किन्तु उन्होंने छात्रों की रुचियों का कहीं उल्लेख नहीं किया है।

7. गुरु की अनिवार्यता–अद्वैत वेदान्त-शिक्षा में गुरु की अनिवार्यता होने से शिष्य को विधिवत् गुरु की शरण में जाना चाहिए। शास्त्रज्ञ (विद्वान्) होने पर भी छात्र को स्वतन्त्रतापूर्वक ब्रह्मज्ञान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। अतः हाथ में समिधाओं का भार लेकर शिष्य को वेदज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए।

8. गुरुकृपा–आचार्य शंकर के अनुसार शिक्षक बोध कराने वाला है और शिष्य बोध करने वाला। गुरु उपदेश देने वाला है और शिष्य उपदेश ग्रहण करने वाला। इसी प्रकार गुरु विद्या में शिष्य को नित्य, अजर, अमर, एवं अभयरूप ब्रह्म शरीर को जन्म देने के कारण शिष्य का आध्यात्मिक पिता है। अतः गुरु-शिष्य के सम्बन्धों का आधार शंकर शिक्षा-दर्शन में आध्यात्मिक है। स्वामी शंकराचार्य के अनुसार गुरुकृपा के बिना शिक्षा की प्राप्ति कठिन है।

9. अनुशासन–अद्वैत वेदान्त दर्शन में अनुशासित जीवन को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। मन एवं इन्द्रियों के संयम को आचार्य शंकर ने अनुशासन मानकर छात्रों के लिए साधन चतुष्टय (विवेक, वैराग्य, संयम तथा मोक्ष की इच्छा) को अनिवार्य रूप से प्रतिपादित किया। शंकर के अनुसार छात्र संयमी होकर अनुशासित होते हैं और फिर उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई का अनुभव नहीं होता है।

◆◆◆

7

पाश्चात्य दर्शनों की ज्ञान मीमांसा
[Epistemology of Western Philosophies]

7.1 आदर्शवाद (Idealism)

1. आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अध्यापक के द्वारा अपने कार्य में इसका प्रयोग कहाँ तक किया जा सकता है?
(Describe the basic principles of idealism. How can these be utilised by the teacher in his work?)

अथवा

उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, शिक्षक तथा अनुशासन के संदर्भ में आदर्शवाद की विवेचना कीजिए। (Discuss Idealism with special reference to aims, curriculum, methods of teaching, teacher and discipline.)

अथवा

आदर्शवाद की अवधारणा बताएँ। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है? विस्तार सहित बताए। (Give concept of idealism. What is knowledge according to Idealism? Explain in detail.) (June 2018)

उत्तर–आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यर्थाथवाद ये चार दार्शनिक विचारधारायें है, जिसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से पड़ा है। इन चारों विचारधाराओं में आदर्शवाद प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य देशों में आदर्शवाद का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिकि प्लेटो (Plato), अरस्तू (Aristotle) एवं सुकरात (Socrates) किया है। आधुनिक युग में आदर्शवादी दार्शनिकों में डेकार्ट (Descartes), स्पिनोजा (Spinoza), लाइबनीज (Leibniz), बर्कले (Barkley), कैन्ट (Kant), फिक्टे (Fichte), हीगल (Hegel), शेलिंग (Schelling), शापनहॉवर (Schophenhouer) तथा जेन्टाइल (Gentile) प्रमुख हैं। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में कमेनियस (Comenius), पेस्टालॉजी (Pestalozi) तथा फ्रोबेल (Froebel) मुख्य हैं। भारतीय दार्शनिकों में महात्मा गाँधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद तथा रबीन्द्रनाथ टैगोर की गणना की जा सकती है।

आदर्शवाद का अर्थ *(Meaning of Idealism)*

व्युत्पत्ति की दृष्टि से आदर्शवाद के अर्थ को दो प्रकार से बताया गया है–

(a) आदर्शवाद का अर्थ इंगलिश भाषा के शब्द Idealism से लिया गया है जो दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे, Idea + ism। आइडिया (Idea) का अर्थ है विचार और इज्म (ism) का अर्थ है वाद। दूसरे रूप से हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ है "विचारधारा" अर्थात्

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

विचारधारा वह वस्तु है जो भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचारों पर बल देती है। विचारों का संबंध मन से है जो कभी नहीं मरता। भौतिक संसार परिवर्तनशील है तथा ज्ञान कम समय के लिए रहता है जबकि विचार सदैव रहता है।

(b) आदर्शवाद के अर्थ की व्युत्पत्ति एक अन्य प्रकार से भी मानी जाती है कि आइडेलिज्म (Idealism) शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। Idea + ism। (Idea) आइडियल का अर्थ है–विचार और इज्म (ism) का अर्थ है वाद। इस प्रकार आदर्शवाद (Idealism) का अर्थ एक ऐसी विचारधारा से है जो जीवन के लिए निश्चित आदर्शों और मूल्यों को निर्धारित करती है और मनुष्य उन्हीं के अनुसार अपना जीवन बिताता है।

आदर्शवाद की परिभाषाएँ *(Definitions of Idealism)*

(a) डी. एम. दत्ता **(D. M. Dutta)** के अनुसार–**"आदर्शवाद वह सिद्धान्त है जो अन्तिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है।"** ("Idealism holds that ultimate reality is spiritual."–**D.M.Dutta**)

(b) जे.एस. रास (J.S. Ross) के अनुसार, **"आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं। परन्तु उन सब का आधारभूत तत्त्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन तथा आत्मा है तथा वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप है।"** ("Idealistic philosophy takes many and varied forms but the postulate underlying all is that mind as spirit is the essential world stuff, the true reality is of mental character.")

दर्शन में आदर्शवाद *(Idealism in Philosophy)*

दर्शन को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है–

(1) तत्त्व मीमांसा (Metaphysics)

(2) ज्ञान की मीमांसा (Epistemology)

(3) मूल्य मीमांसा (Axiology)

(1) तत्त्व मीमांसा (Metaphysics)–आदर्शवाद के अनुसार विचार सत्य है, पदार्थ नहीं। विचार निरंतर रहने वाला है जबकि पदार्थ नष्ट किया जा सकता है। यह ससांर इन्द्रिय जगत है, जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तविक ज्ञान इन इन्द्रियों की सीमा से दूर है ओर जिसकी प्राप्ति मन, आत्मा, बुद्धि द्वारा की जा सकती है। वास्तविक ज्ञान की प्रकृति भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। सत्य अनाशवान व अपरिवर्तशील है। इस पर समय, परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। आदर्शवादी विचारक आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं और परमात्मा को संसार का रचयिता मानते हैं। यह विचारधारा मानव को सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि मानव अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण अन्य प्राणियों से भिन्न है। मानव द्वारा अध्यात्मिक ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। (To know the self is the highest knowledge.) इसलिए मानव को अपनी आत्मा से परमात्मा का निरंतर ज्ञान करते रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन से मानव जीवन सफल हो जाता है। व्यक्तित्व में अनुभव, विचार, मूल्यों आदि स्वाभाविक रूप से मानसिक आत्मिक है जो परमात्मा का ज्ञान कराते हैं।

(2) ज्ञान मीमांसा (Epistemology)–मानव में मन होता है जिसकी सहायता से वह ज्ञान एकत्रित करता है मानव ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेन्द्रियों के अलावा दूसरे साधनों से भी प्राप्त करता है। प्लेटो ने कहा है कि इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अपूर्ण तथा अनिश्चित है क्योंकि यह ज्ञान परिवर्तनशील व असत्य होता है। इसलिए सत्य भौतिक जगत में नहीं बल्कि विचार में निहित है। मन ज्ञान का भंडार है। तर्क (Reasoning), अंतप्रज्ञा (Intuition), प्रमाण (Authority), ईश्वर प्रदत्त ज्ञान (Revelation), चिंतन (Thinking), समाधि (Medidation), निर्वाण (Salvation) आदि को ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न साधन माने जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति विचारों, धारणाओं व मन से होती है। ज्ञान संपूर्ण है, इकाई के रूप में है, बंटा हुआ नहीं है।

(3) मूल्य मीमांसा (Axiology)–आदर्शवाद का वास्तविक अर्थ नैतिक मूल्यों, सात्विक मूल्यों को प्राप्त करना है तो आत्मानुभूति से प्राप्त किए जा सकते हैं। आत्मानुभूति के लिए सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् तीन मूल्यों को प्राप्त करना भी आवश्यक है। यही मूल्य शाश्वत व वास्तविक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य नैतिक मूल्यों की अनुभूति है। वे मूल्य अनश्वर है। आदर्शवाद की नैतिकता परम सत्ता पर आधारित है। मानवीय समाज पर नहीं। मानव अच्छे रास्ते पर चलकर व उनका अनुकरण करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। यह विचारधारा ईश्वर में विश्वास, चरित्र निर्माण, सामाजिक कर्तव्य पर बल देती है। आदर्शवाद देशभक्ति, राज्य की आज्ञा का पालन व राज्य को सर्वोपरि मानता है। आदर्शवादी विचारक कहते हैं कि व्यक्ति को सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत हित त्याग देने चाहिए।

शिक्षा में आदर्शवाद *(Idealism in Education)*

आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा आध्यात्मिक आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य की भौतिक प्रकृति (Original nature) को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना चाहिए। आदर्शवादी यह कहते हैं कि शिक्षा सर्वोत्तम है जिसके द्वारा सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् तथा धर्म के गुणों का रसास्वादन करना सिखाया जाता है। उनकी मान्यता है कि सांस्कृतिक गुण ही अंतिम एवं परम सत्य है। रस्क (Rusk) के अनुसार, **"शिक्षा को अपनी संस्कृति के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए।"** सामान्यतः आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा के सभी अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परंतु आदर्शवादियों ने शिक्षा के अन्य अंगों की अपेक्षा उद्देश्यों और लक्ष्यों पर अधिक बल दिया है। अब हम यह विचार करेंगे कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आदर्शवाद का क्या प्रभाव पड़ा है।

आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य *(Idealism and Aims of Education)*

आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्य देने में बहुत योगदान दिया है। यह दर्शन मानव जीवन की उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठता में विश्वास करता है। यह दर्शन शिक्षा और मानव जीवन को उच्च उद्देश्य प्रदान करता है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) आत्मानुभूति (Self-realisation)–आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति या आत्माबोध का अर्थ स्वयं को समझने में है। सुकरात (Socrates) ने कहा था, " Know thyself" अर्थात् "स्वयं को जानो"। प्रत्येक बालक दैवीय गुणों से युक्त होता है। इन दैवीय गुणों का विकास करके ही वह आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इन गुणों का विकास करके ही आदर्श अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इन गुणों को जानना ही आत्मज्ञान है। प्लेटो और अन्य के अनुसार आदर्शवादी दार्शनिकों ने जीवन तथा शिक्षण का उद्देश्य आत्माज्ञान की प्राप्ति को ही माना है। **जेन्टाइल (Gentile)** "आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और शिक्षा का उद्देश्य है।" (Self realisation is goal of life and aim of education.)

(2) व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality)–आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इसलिए मनुष्य की उन्नति करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा मानव के व्यक्तित्व का विकास करना और उसके अंदर निहित सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक बनाना चाहते हैं। **प्लेटो (Plato)**, "शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास करना है।" **("The aim of education is to build up an ideal personality and develop it.")**

टी.पी. नन (T.P. Nunn), "शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, जिससे कि वह (मनुष्य) अपनी क्षमताओं के अनुसार मानव समुदाय को कुछ मौलिक योगदान दे सकें।") **("The aim of education should be complete development of individuality so that he can make an original contribution of human life according to his best capacity."–T.P.Nunn)**

रॉस (Ross), "आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है–व्यक्तित्व का उत्कर्ष।") **("The aim of education specially associated with idealism is the exaltation of personality."–Ross)**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(3) आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति व उन्नति करना (Realisation and Development of Spiritual Values)–आदर्शवादियों ने मानव के जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति करना बताया है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन चिरंतन मूल्यों जैसे, सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् की प्राप्ति को आवश्यक समझा है। जो पूर्ण, चिरंतन, सर्वमान्य व सब काल के लिए महत्त्वपूर्ण है। अतः शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि प्रत्येक बालक इन मूल्यों की अनुभूति कर सके।

रस्क (Rusk), "शिक्षा को मनुष्य को उसकी संस्कृति के द्वारा अधिकाधिक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने योग्य बनाना चाहिए।।") ("Education must enable mankind through its culture to enter more and fully into the spiritual realm."–**Rusk**)

(4) सांस्कृतिक विरासत की रक्षा एवं बुद्धि (Preservation and Development of Cultural Heritage)–मनुष्य एक बुद्धियुक्त प्राणी है। उसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सांस्कृतिक वातावरण को रचा है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, विज्ञान तथा गणित आदि इस सांस्कृतिक वातावरण के रूप हैं। मनुष्य की संस्कृति उसकी पैतृक धरोहर है तथा उसका संरक्षण तथा विकास करना तथा उसको नयी पीढ़ी तक पहुँचाना उसका परम कर्तव्य है। यह सब शिक्षा की सहायता से ही सम्भव है। शिक्षा को आध्यात्मिक संसार की सीमाओं को विस्तृत करके संस्कृति के विकास में योगदान देना होगा।

रॉस (Ross), "धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान, विभिन्न गुणों में किये जाने वाले मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा सौन्दर्यात्मक कार्यों का परिणाम है।") ("Religion, Morality, Art, Literature, Mathematics, Science are the products of man's moral intellectual and aesthetic activities throughout the ages ."–**Ross**)

(5) आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति (Realisation of Eternal Values or Spiritual Values)–आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम् (Truth), सुंदरम् (Beauty) एवं शिवम् (Goodness) आध्यात्मिक मूल्य है। ये मूल्य चिरंतन है, शाश्वत है, स्थायी है, अपरिवर्तनशील हैं और सत्य हैं। इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया बल्कि ये पूर्व निर्धारित हैं। मनुष्य को ये मूल्य विरासत में मिले है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति कराना है। इन मूल्यों की अनुभूति होने पर बालक का आध्यात्मिक विकास हो सकेगा। इस संबंध में **होर्नी (Horne)** का कहना है, "आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति होने पर मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। अतः बालक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो।"

(6) पवित्र जीवन की प्राप्ति (Realisation of Holy Life)–आदर्शवादी भौतिक जगत की वस्तुओं और उनसे प्राप्त सुखों को मिथ्या मानते हैं। वे आत्मिक विकास ओर आध्यात्मिक मूल्यों की अनुभूति पर बल देते हैं और इसके लिए व्यक्ति के जीवन का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि शिक्षा के द्वारा बालक में अच्छे व बुरे में, उचित व अनुचित में, वांछनीय व अवांछनीय में अतंर कर सकने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए तभी वह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। अतः आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पवित्र जीवन की प्राप्ति होना चाहिए। **फ्रोबेल (Froebel)**, "भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आपका, प्रकृति का सामना करने का ओर ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो।"

(7) विश्वात्मक शिक्षा (Universal education)–मानव जाति एक है। आदर्शवाद समस्त विश्व को एक कुटुम्ब मानता है। अतः शिक्षा विश्वात्मक होनी चाहिए। यह शाश्वत् सत्य पर आधारित होनी चाहिए। विश्व को एक चिन्तन प्रक्रिया समझा जाता है। यह विवेक सम्पन्न है, एक व्यवस्थित इकाई है। हमें इस विश्व को चलाने के लिए शाश्वत् मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

(8) पूर्ण मनुष्य का विकास (Development of complete man)–आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का पूर्ण मनुष्य में विकास करना है, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक तथा सांस्कृतिक पक्ष सम्मिलित है।

(9) सादा जीवन तथा ऊंचा चिन्तन (Simple living and high thinking)–आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का एक और उद्देश्य सादा जीवन तथा ऊंचा चिन्तन होना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है।

(10) शिक्षा का तत्कालिक तथा अन्तिम उद्देश्य (Proximate and ultimate aim of education)–हार्न (Horne) ने दो प्रकार के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है–

(i) तात्कालिक उद्देश्य (Immediate aims)–स्वास्थ्य, बुद्धि, कुशलता, कला, सामाजिक न्याय तथा आचरण विकास।

(ii) अन्तिम उद्देश्य (Ultimate aim)–दिव्यता के प्रतिबिम्ब में मानवता का विकास।

होर्न (Horne) के उद्देश्यों को निम्न चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है–

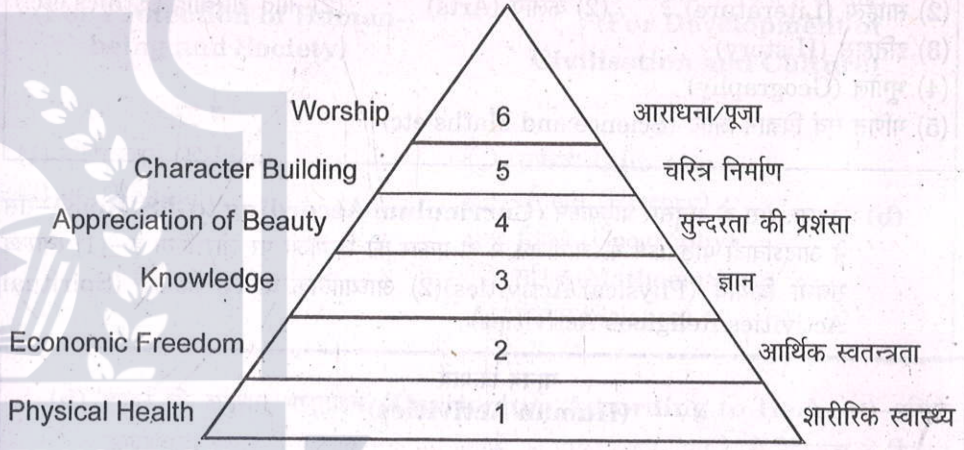

निष्कर्ष (Conclusion)–निष्कर्षतः आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास करना है। सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् का ज्ञान व स्वानुभूति मानव के व्यक्तित्व को शुद्ध करता है।

थोर्यू (Thoreau) ने कहा है, "व्यापार के नहीं, अपितु विचारों के नजदीकी चैनल खोलो, स्वयं में निहित संसार तथा संपूर्ण नये क्षेत्रों के लिए कोलम्बस बनो।" (Be Columbus to whole new continents and world within you opening near channels not of trade but of thoughts–**Thoreau**)

आदर्शवाद और पाठ्यक्रम *(Idealism and Curriculum)*

आदर्शवाद एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है जो मनुष्य के विचारों, आदर्शों तथा अनुभवों पर आधारित है। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव जाति के संपूर्ण अनुभवों तथा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष को स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवादी अपने पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहते हैं।

(a) प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम (CurriculumAccording to Plato)–प्रसिद्ध आदर्शवादी प्लेटो के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति जीवन का प्रमुख उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् के आदर्शों को अपनाने से ही हो सकती है। प्लेटो ने मानवीय क्रियाओं को तीन भागों में बांटा है–

(1) बौद्धिक, (2) कलात्मक, (3) नैतिक।

इन क्रियाओं से संबंध जिन पाठ्यविषयों को उन्होंने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल दिया है वह इस प्रकार हैं–

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

मानव की क्रियायें (Human Activities)

- **बौद्धिक (Intellectual)**
  - (1) भाषा (Language)
  - (2) साहित्य (Literature)
  - (3) इतिहास (History)
  - (4) भूगोल (Geography)
  - (5) गणित एवं विज्ञान आदि (Science and Maths etc)
- **कलात्मक (Aesthetic)**
  - (1) काव्य (Poetry)
  - (2) कलाएँ (Arts)
- **नैतिक (Moral)**
  - (1) धर्म (Religion)
  - (2) नीति शास्त्रादि (Ethics etc.)

(b) जे.एस. रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम (Curriculum According to J.S. Ross)–रॉस ने आदर्शवादी पाठ्यक्रम के आयोजन में दो प्रकार की क्रियाओं पर जोर दिया है–(1) स्वास्थ्य संबंधी क्रियायें (Physical Activities)(2) आध्यात्मिक/धार्मिक क्रियायें (Spiritual Activities/Religious Activities)

मानव क्रियायें (Human Activities)

- **शारीरिक क्रियाएँ (Physical Activities)**
  - (1) स्वास्थ्य विज्ञान (Physical Science)
  - (2) व्यायाम आदि (Exercise)
- **आध्यात्मिक क्रियाएँ (Spiritual/Religious Activities)**
  - (1) साहित्य (Literature)
  - (2) कला एवं संगीत (Arts and Music)
  - (3) धर्म एवं नीति शास्त्र (Religion and Ethics)
  - (4) इतिहास व भूगोल (History and Geography)

दोनों प्रकार की मानवीय क्रियाओं के संबंध में **रॉस (Ross)** ने कहा, "स्वास्थ्य संबंधी तथा आध्यात्मिक क्रियाओं को पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। उनका कुछ सामान्य आधार है। नैतिक मूल्य जो आध्यात्मिक हैं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में देखे जा सकते हैं।" उनके मतानुसार पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर रक्षा, कला कौशल तथा आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत साहित्य, कला, कविता, संगीत, धर्म विषयों को सम्मिलित करना चाहिए।

(c) टी.पी. नन के अनुसार पाठ्यक्रम (Curriculum According to T.P. Nunn)–प्रसिद्ध दार्शनिक 'नन' ने भी आदर्शवादी ढंग से पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है। नन का मत है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए, जिनसे व्यक्ति और समाज के

अस्तित्व की रक्षा होती है तथा जिससे सभ्यता व संस्कृति का निर्माण होता है। नन पाठ्यक्रम में व्यक्ति या समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए नीतिशास्त्र, धर्म तथा सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण के लिए साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि विषयों का समावेश किया है।

मानव क्रियायें (Human Activities)

- **व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिए (For Protection of Human-being and Society)**
  - (1) नीति शास्त्र (Ethics)
  - (2) धर्म (Religion)
- **सभ्यता व संस्कृति के निर्माण के लिए (For Development of Civilisation and Culture)**
  - (1) साहित्य (Literature)
  - (2) इतिहास (History)
  - (3) भूगोल (Geography)
  - (4) गणित (Mathematics)
  - (5) विज्ञान (Science)

(d) हरबर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम (Curriculum According to Herbert)–प्रसिद्ध आदर्शवादी हरबर्ट ने पाठ्यक्रम के उन विषयों को प्रमुख स्थान दिया है जो नैतिकता के विकास में सहायक हैं, क्योंकि उनके अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नैतिकता का विकास करना है। हरबर्ट ने पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, संगीत, इतिहास आदि को मुख्य व गणित, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों को गौण स्थान दिया है।

आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ *(Idealism and Methods of Teaching)*

शिक्षण विधि के संबंध में आदर्शवादियों का मत है कि कोई भी शिक्षा विधि अच्छी नहीं है। वे अपने को शिक्षण विधियों का निर्धारक मानते हैं। इस संबंध में **बटलर (Butler)** ने लिखा है, "आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त न मानकर, विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं।"("Idealists consider themselves creators and determiners of methods, and devices of some one method."–**Butler**)

आदर्शवादियों का मत है कि किसी भी रूढ़िवादी शिक्षण विधि को अपनाने से विद्यार्थियों की इच्छा तथा तर्क शक्ति का दमन होता है, इसलिए रूढ़िवादी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। विभिन्न आदर्शवादियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया। इस कारण आदर्शवाद में कोई एक शिक्षण विधि नहीं है अपितु ज्ञान के अन्वेषण में जो भी सहयोग दे, वही उपयुक्त है।

(1) प्रश्न विधि (Question Answer Method)
सुकरात (Socrates)

(2) सम्वाद विधि (Conversation Method/ Dialectic Method)
प्लेटो (Plato)

BMD COLLEGE OF EDUCATION LEARN. BELIEVE. ACHIEVE EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

(3) आगमन तथा निगमन विधि (Inductive and Deductive Method)
अरस्तू (Aristotle)

(4) सरल से जटिल की ओर (From Simple to Complex Method)
डिकार्टे (Dèscartès)

(5) क्रियाओं द्वारा शिक्षा (Education through Activities)
पेस्टालॉजी (Pestalozzi)

(6) खेल-कूद विधि (Playway Method)
फ्रोबेल (Froebel)

(7) तर्क विधि (Logical Method)
हीगल (Hegel)

(8) निर्देश विधि (Instruction Method)
हरबर्ट (Herbert)

आदर्शवाद तथा अध्यापक *(Idealism and Teacher)*

आदर्शवाद में अध्यापक का स्थान बहुत ऊँचा है। बच्चा अपने आप में पूर्ण नहीं और वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा होता है। अध्यापक उसका मार्गदर्शन करता है। वह उसे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। फ्रोबेल ने अध्यापक की भूमिका की बहुत सुन्दर व्याख्या की है। फ्रोबेल (Froebel) **"स्कूल एक प्रकार का उद्यान है। अध्यापक उसका संचित माली है तथा बच्चा एक कोमल पौधा है। जैसे माली के बिना बगीचे में केवल जंगली पौधों की उपज होती है, माली ही वहाँ पुष्पों (बालक) को पनपने में सहायता करता है।"** ("Teacher may be compared to a gardener. As without gardener there would be wild growth in the garden, the gardener rears the flowers to perfection. Similarly the teacher rears the flowers of humanity i.e. the children to perfection")

आदर्शवाद ने शिक्षा प्रक्रिया में अध्यापक को विशेष स्थान प्रदान किया है और बालक को गौण स्थान दिया है। शिक्षा में अध्यापक का स्थान आदरणीय व गौरवमय है, उसका स्थान ईश्वर के बाद है, वह बालक को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। वह जीवित आदर्श है (Living Ideal) बालक उसका अनुकरण करते हैं, अतः उसका व्यक्तित्व आदर्श होना चाहिए।

जेन्टाइल (Gentile) "अध्यापक आदर्श चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है।" ("Teacher is a spiritual symbol of right conduct.")

अध्यापक ईश्वर का सहकर्मी माना गया है। (He is pilot of God in perfecting man.)

अध्यापक मनुष्य की आध्यात्मिक बिपौती का पुजारी है। (Teacher is the priest of man's spiritual heritage.) अध्यापक के लिए अध्यापक कार्य मिशन (Mission) के रूप में होना चाहिए, न कि व्यवसाय के रूप में। आदर्शवाद के अनुसार अध्यापक में निम्न गुण होने चाहिए।

(1) उसे एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए।
(2) अध्यापक वास्तविकता का मानवीकरण हो।
(3) बालक को पूर्णता की ओर ले जाने में वह ईश्वर का सहकर्मी है।
(4) वह मनुष्य की आध्यात्मिक परम्परा का पुरोहित है।
(5) वह एक दार्शनिक, एक मित्र तथा मार्गदर्शक है। (He is a philosopher, a friend and a guide)

आदर्शवाद तथा अनुशासन *(Idealism and Discipline)*

प्रसिद्ध आदर्शवादी फ्रोबेल **(Froebel)** ने कहा है, "बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके तथा उसके साथ प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।" ("Control over the child was should exercised through a knowledge of his interest and by expression of love and sympathy."**–Froebel**)

इस प्रकार आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन के पक्षधर हैं। वे न तो दमनकारी कठोर अनुशासन के पक्ष में हैं, क्योंकि दंड और भय से स्थापित किया गया अनुशासन अस्थायी होता है, और न ही स्वतंत्र अनुशासन का समर्थन करते हैं क्योंकि स्वतंत्र अनुशासन से बालक के विकास में बाधा उपस्थित होती है। उनका विश्वास है कि बालकों को उच्च आदर्शों, विचारों, मूल्यों, कर्तव्यों आदि से परिचित कराकर उनमें अनुशासन की भावना पैदा करनी चाहिए जिससे वह अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें।

थामस और लोंग (Thomas and Long) ने कहा है–"प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है।"

आदर्शवादियों का कहना है कि बालक के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में वह सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का उपासक नहीं बन सकता और न ही आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा का दायित्व है कि वह अपने उच्च आदर्शों से बालक को इस प्रकार प्रभावित करे जिससे उसके अंदर अनुशासन अपने आप ही विकसित हो जाये। इस प्रकार का अनुशासन अधिक स्थायी होता है। **प्रो. होर्नी (Prof. Horne)** ने लिखा है–"शक्ति का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह उचित होगा कि यदि इसका अंत आदत निर्माण द्वारा आंतरिक रूप में हो।" ("Authority begins by being external. It is sufficient if it ends through habit formation and self control is becoming internal."**–H.H.Horne**)

आदर्शवाद तथा विद्यालय *(Idealism and School)*

आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए विद्यालय को अत्यंत आवश्यक माना है। उनका कहना है कि विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर बालकों को विचार और तर्क करने के लिए उचित पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता है, जहाँ सामाजिक गुणों का विकास होता है, जहाँ सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करने का अवसर मिलता है और जहाँ समाज कल्याण से संबंधित प्रश्नों और उनके समाधान पर विचार किया जाता है। आदर्शवाद का विद्यालय सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित है। वे विद्यालय के आंतरिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं, उनके भवन पर कम। उन्होंने आदर्श विद्यालय की कल्पना की है। वे स्कूल द्वारा बालक में राष्ट्र प्रेम, मानवता, ईश्वर-भक्ति, धर्म, महापुरुषों की जीवनियों, प्रार्थना आदि गुणों का विकास करना चाहते हैं।

आदर्शवाद तथा बालक *(Idealism and Child)*

आदर्शवादियों ने शिक्षा में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान दिया है। उनके अनुसार बालकों में इन आदर्शों और विचारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना और उनमें सूझ-बूझ का विकास करना शिक्षक का परम कर्तव्य है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम के निर्माण भी इन्हीं आदर्शों और विचारों के आधार पर किया है। इस प्रकार आदर्शवाद अपनी शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान नहीं करता। आदर्शों, विचारों और शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान गौण दूसरा है।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

7.2 प्रकृतिवाद (Naturalism)

2. प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है? प्रकृतिवाद के क्या-क्या सिद्धांत हैं?
(What is the meaning of Naturalism? What are the principles of Naturalism?)

अथवा

"प्रकृतिवाद के विभिन्न प्रकार क्या हैं और शिक्षा में वे कहाँ तक उपयोगी हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
(What are the main forms of Naturalism and how far are they useful from the point of view of education? Describe briefly.)

अथवा

प्रकृतिवाद के सन्दर्भ में ज्ञान मीमांशा का वर्णन कीजिए।
(Explain epistemology by giving special reference to Naturalism.)
(June 2018)

उत्तर–दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवाद विचारधारा के समर्थक में अरस्तु (Aristotle), काम्टे (Comte), बेकन (Bacon), हॉब्स (Hobbes), लेमार्क (Lamarck), रूसो (Rousseau), हक्सले तथा सेमुअल बटलर (Samuel Butler) आदि प्रमुख हैं।

प्रकृतिवाद का अर्थ *(Meaning of Naturalism)*

हिंदी में प्रकृतिवाद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है–प्रकृति + वाद। वाद का अर्थ है–विचारधारा। प्रकृति का अर्थ निम्न रूपों में लिया जा सकता है–

(1) भौतिक प्रकृति (Physical or outer Nature)

(2) बालक की प्रकृति (Nature of the child)

(a) प्रकृति का अर्थ है वह कृति जो स्वाभाविक रूप में या प्राकृतिक रूप में विकसित हो और जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता।

(b) भौतिक प्रकृति बाह्य प्रकृति है जो हमेशा सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। इसमें प्रकृति के उन नियमों को लिया जाता है, जिसके कारण इस संसार की वस्तुओं का निर्माण होता है। ये प्रकृति के नियम सदैव एक से रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

(c) प्रकृति का अर्थ बालक की आतंरिक प्रकृति है, जिसका अर्थ उन मूल प्रवृत्तियों, आवेगों तथा क्षमताओं से है जिनको लेकर बालक जन्म लेता है।

अतः प्रकृतिवाद बालक को स्वाभाविक रूप में विकसित करने के लिए प्राप्त प्रकृति के नियमों को उसकी आन्तरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। उस समय कृत्रिमता, कठोरता के बन्धनों से मानव जकड़ा हुआ था। पुस्तक तथा भाषा को विशेष महत्त्व दिया जाता था। ऐसे वातावरण में बालक का स्वभाविक विकास कैसे हो सकता था? इस लिए शिक्षा प्रकृति का जन्म प्रतिरोध के रूप में हुआ जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं था, जिसका आधारभूत सिद्धान्त बालक के जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करना था।

रूसो (Rousseay) ने एक महान् ग्रंथ 'एमाइल एण्ड एजूकेशन' (Emile and Education) की रचना की जिसमें केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित किया गया कि यह बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं। रूसो ने जोर देकर यह बात कही थी कि बालक को बालक समझना चाहिए, एक लघु प्रौढ़ नहीं (A child should be treated as a child and not as an adult in the miniature.)

प्रकृतिवाद की परिभाषाएँ *(Definitions of Naturalism)*

प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वप्रधान मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं ओर उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध में विश्वास रखते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। (Every thing originates from nature and returns to nature) यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखती, इसलिए यह आदर्शवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा मानी जाती है।

1. **रॉस (Ross)** के अनुसार, **"प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है क्योंकि यह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है।"** ("Naturalism too difficult term which is used in different senses."–Ross)

फिर भी विभिन्न विद्वानों ने प्रकृतिवाद की परिभाषायें दी हैं, जो इस प्रकार हैं–

2. **थॉमस एवं लाँग (Thomas and Long)** के अनुसार–**"प्रकृतिवाद, आदर्शवाद के प्रतिकूल पदार्थ के अधीन मस्तिष्क को मानता है और यह विश्वास करता है कि अन्तिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं।"** (Naturalism is opposed to idealism, subordinates mind to matter and holds that ultimate reality is material world, not spiritual world–**Thomas and Long**))

दर्शन में प्रकृतिवाद *(Naturalism in Philosophy)*

दर्शनशास्त्र के तीन भाग हैं–

(1) तत्त्व मीमांसा (Metaphysics)

(2) ज्ञान मीमांसा (Epistemology)

(3) मूल्य मीमांसा (Axiology)

(1) तत्त्व मीमांसा (Metaphysics)–मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को सत्य मानता है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि अंतिम वास्तविकता पदार्थ है और यह प्रकृति में पूर्णरूप से विद्यमान है। प्रकृति के नियम शाश्वत व अपरिवर्तनशील हैं। मनुष्य इंद्रियों एवं समस्त शक्तियों का समन्वित रूप है। आत्मा और परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति में सब कार्य नियमानुसार होते हैं। मनुष्य भी नियम के अधीन है। प्रकृति का ज्ञान भौतिक नियमों से प्राप्त होता है। अतः प्रकृति से ही सब वस्तुयें उत्पन्न होती हैं और उसी से विलीन हो जाती है। यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखती। आत्मा और मन पदार्थजन्य है ओर शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं मनुष्य का विकास पशु से मानता है और मानव के लिए स्वर्ग, नरक, आत्मा परमात्मा काल्पनिक चीजें है। वास्तविकता भौतिक संसार में है आध्यात्मिक में नहीं।

(2) ज्ञान मीमांसा (Epistemology)–मनुष्य इन्द्रियों तथा अनुभवों के माध्यमों से ज्ञान की प्राप्ति पर जोर देते हैं। यह इन्द्रियाँ ही है जिसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क बाह्य संसार से जुड़ा रहता है। प्रकृतिवाद ने विज्ञान को ज्ञान प्राप्ति का विश्वसनीय साधन माना है। यह प्रकृति के प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास करता है। पुस्तकों के ज्ञान से नहीं। वे व्यक्ति को प्राथमिक स्थान व समाज को द्वितीय स्थान प्रदान करते हैं।

(3) मूल्य मीमांसा (Axiology)–प्रकृतिवादी प्रकृति में स्थित मूल्यों को महत्त्व देता है जिसमें सौन्दर्यात्मक मूल्यों पर ज्यादा बल दिता जाता है। यह विचारधारा प्रकृति के अनुसरण पर देती है। प्रकृति में जो स्वाभाविक सौन्दर्य है उसे यदि बनावटी कर दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाते हैं। जीवन के मूल्य जीवन की आवश्यकताओं व स्थितियों से उत्पन्न होते हैं। प्रकृतिवाद नैतिकता को महत्त्व देता है। वह

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

क्रिया जो खुशी प्रदान करती है, नैतिक है। **रूसो (Rousseau)** के अनुसार, **"मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है।"** ("Man is born free, but everywhere, he is in chains."–**Rousseau**)

प्रकृतिवाद मानव को समाज की बुराइयों से दूर ले जाने की सिफारिश करता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति के अनुसार रहना ही सबसे उत्तम जीवन है।

◆◆◆

3. प्रकृतिवाद की शिक्षा को क्या देन है? या प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कीजिये।
(What is the contribution of Naturalism to education? or Evaluate the Naturalism in field of education.)

अथवा

प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप तथा अध्यापन विधियों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the nature of curriculum and methods of teaching according to Naturalism.)

उत्तर–शिक्षा में प्रकृतिवाद (Naturalism in Education)–शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिससे बालक अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होता रहे। यूं तो प्रकृतिवाद आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करने का श्रेय बेकन तथा कामेनियम को है, परंतु रूसो इस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुँचाया।

रुसो ने एक महान् ग्रंथ 'एमाइल एण्ड एजूकेशन' (Emile and Education) की रचना की जिसमें केवल प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया घोषित किया गया तथा बताया गया कि, "शिक्षा अंदर का विकास है, बाहर से ठूंसी हुई कोई वस्तु नहीं।" यह नैसर्गिक शक्तियों का विकास है, केवल बाह्य ज्ञान का अर्जन नहीं। अतः रूसो ने अपने काल्पनिक बालक एमिल को कृत्रिम समाज की परंपरागत शिक्षा तथा उसकी सर्वाधिक शिक्षण प्रणालियों से दूर रखते हुए केवल प्रकृति के सुंदर प्रांगण में ही उसकी प्राकृतिक शिक्षा की कल्पना की व्यवस्था की जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा कलात्मक सभी शक्तियों को विकास उसकी प्रकृति अर्थात् प्रवृत्तियों, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से हो सके। शिक्षा का उद्देश्य बालक को प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करना नहीं अपितु मानव का विकास करना है जो केवल उसी समय हो सकता है जब बालक को स्वयं करके सीखने (Learning by Doing) के अवसर प्रदान किये जाये।

रॉस (Ross) के अनुसार, **"प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसे प्रशिक्षण की उस प्रणाली पर लागू किया जाता है। जो स्कूलों तथा पुस्तकों पर निर्भर नहीं है, अपितु शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन के नियमों पर आधारित है।"** ("Naturalism is a term loosely applied in educational theory to a system of training that are not dependent on schools and books but in the manipulation of the actual life of the educand."–Ross)

शिक्षा का अर्थ *(Meaning of Education)*

प्रकृतिवादी विचारक **हरबर्ट स्पैन्सर (Herbert Spenser)** ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है–**"शिक्षा का अर्थ जन्मजात शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है।"** ("Education means establishment of coordination between inherent powers and the out life.."–Ross)

शिक्षा में प्रकृतिवाद ने बालक को मुख्य स्थान दिया है। वर्तमान शिक्षा में बाल केंद्रित तथा वैज्ञानिक प्रवृति प्रकृतिवाद की देन है।

प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान को महत्त्व नहीं देते, बल्कि उनका यह मानना है कि वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है।

प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषतायें या प्रकृतिवाद और शिक्षा
(Characteristics of Naturalistic Education or Naturalism & Education)

प्रकृतिवादी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। प्रकृतिवाद ने जीवन की प्रचलित कृत्रिमता, बौद्धिकता, ढोंग तथा निरंकुशता का घोर विरोध किया और बालक को उसकी शिक्षा उसकी प्रकृति के आधार पर ही दिये जाने का नारा लगाया। प्रकृतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषतायें निम्न हैं–

1. प्रकृति का अनुसरण (Following the Nature)–प्रकृति की ओर लौटो का नारा लगाया जिसका अर्थ है समाज का वातावरण दूषित है। इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने देना चाहिए। प्रकृति की दो रूप में व्याख्या की जा सकती है–(1) भौतिक प्रकृति व (2) आंतरिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, प्रकृति का बाह्य रूप है। यह अधिगम के नियम प्रदान करता है, जबकि आंतरिक प्रकृति से अभिप्राय बालक की आंतरिक शक्तियों, संवेगों, क्षमताओं से है। प्रकृति स्वयं में अध्यापक है, अतः प्रकृतिवादी बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रखकर उसको अपने प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहिए। उनकी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है जो प्रकृति द्वारा बताये गये मार्गो का अनुसरण करे।

2. बालक शिक्षा का केंद्र (Child Centred Education)–प्रकृतिवादी बालक को शिक्षा रूपी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानता है। प्रकृतिवादियों का विश्वास है। कि बालका शिक्षा के लिए नहीं वरन् शिक्षा बालक के लिए है, अतः उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालक अपनी प्रकृति अर्थात् जन्मजात शक्तियों तथा रुचियों को अपनी इच्छानुसार विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बिना किसी मार्गदर्शन के स्वयं ही विकसित कर सके।

3. पुस्तकीय ज्ञान का विरोध (Opposition of Bookish Knowledge)–प्रकृतिवादी की दूसरी विशेषता पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करना है प्रचलित शिक्षा में बालक को ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं की पुस्तकों को बलपूर्वक रटाकर ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जाता था। प्रकृतिवाद ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया।

एडम्स (Adams), "शिक्षा के प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर न रहकर विद्यालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है।"

4. इन्द्रिय शिक्षा पर बल (Emphasis on the Training of Senses)–प्रकृतिवादियों ने इन्द्रिय शिक्षण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने इन्द्रियों को ज्ञान का द्वार माना है जिसका अर्थ है कि हमारा संपूर्ण ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा ही मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। इन्द्रियों के माध्यम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि हम सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हम ज्ञान को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें इन्द्रियों को प्रशिक्षित करना होगा। इस संदर्भ में **रूसो (Russeau)** का कहना है–"शिक्षा को इद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए।" (Education should prepare the way for reason by the proper excercise of sense.")

5. बालक की स्वतंत्रता पर बल (Emphasis on the Freedom of the Child)–प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार बालक अच्छा प्राणी है। वह जन्म से अच्छा रहता है। यदि भय और घृणा की सब बातों से दूर कर दिया जाये तो अच्छा ही रहता है। प्रकृतिवादियों का मत है बालक पर किसी प्रकार से बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए जिससे इसके स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। प्रकृतिवादी **कमेनियस "प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है।" (Nature observes suitable time.)**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

6. बालक की प्रवृतियों पर बल (Emphasis on the Abilities, Capacities and Interest of the Child)–प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व बालक के मनोवैज्ञानिक तत्त्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। प्रकृतिवादियों ने बालक की अंत प्रकृति का ज्ञान आज कराना आवश्यक बतलाया और कहा कि बालक की मूल प्रवृतियों, आवश्यकताओं, इच्छाओं, शक्तियों, रुचियों, भावनाओं, योग्यताओं ओर सीमाओं को समझकर उन्हीं के आधार पर उनको विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रकृतिवादियों ने बालक की रुचियों और प्रवृतियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया। इस संबंध में **रूसो (Rousseau)** ने कहा है–"बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें आदि से अंत तक पढ़ना पड़ता है।" **("Every child is book and we have to understand every page of it."–Rousseau)**

7. प्रगतिवादी (Progressive)–प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को बालक न समझकर उसे केवल लघु प्रौढ़ का रूप समझा जाता था। अतः शिक्षक बालक के मस्तिष्क में अधिक से अधिक ज्ञान ठूंसने का प्रयास करता था। प्रकृतिवादी शिक्षा बालक को एक गत्यात्मक प्राणी मानती है जिसका विकास निरंतर होता रहता है। इस विकास की चार भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं–1. शैशव, 2. बाल्य, 3. किशोर, 4. प्रौढ़। इन चारों स्थितियों में से प्रत्येक स्थितियों की अलग-अलग विशेषतायें होती हैं।

8. निषेधात्मक शिक्षा (Negative Education)–प्रकृतिवाद की विशेषता निषेधात्मक होना है। **जे.एस. रॉस**, "निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निकम्मेपन का समय नहीं। यह गुण की शिक्षा नहीं, अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इससे सत्य की शिक्षा नहीं होती, पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जायेगा। यह मार्ग बालक को उस समय अच्छाई की ओर ले जायेगा जब उसमें अच्छाई को पहचानने की योग्यता पैदा हो जायेगी।"

प्रकृतिवाद तथा शिक्षा *(Naturalism and Education)*

(क) प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य *(Naturalism and Aims of Education)*

प्रकृतिवाद के अनुसार विभिन्न विचारकों ने निम्न उद्देश्य बताये हैं–

(1) आत्माभिव्यक्ति (Self Expression)–प्रकृतिवाद की विभिन्न विचारधाराओं ने शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिन सब का सार आत्माभिव्यक्ति तथा आत्म-संरक्षण है। **स्पैन्सर** (Spencer) के अनुसार अपना अस्तित्व निरन्तर बनाए रखने के लिए आत्माभिव्यक्ति तथा आत्म-सरंक्षण आवश्यक है।"

(2) व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना (To Prepare Man for the Struggle in Life)–शिक्षा का मुख्य कार्य यह है कि वह मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाये, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाले समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझा सके। **डार्विन** (Darwin) ने एक सिद्धान्त दिया है कि जीवन एक संघर्ष है जिसमें केवल समर्थ की ही विजय होती है। मनुष्य को संसार में जीवित रहने के लिये वातावरण से निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है तथा निर्बल का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मानव की उन शक्तियों का विकास करना है जो उसे जीवन संघर्ष के लिये तैयार करके जीवित रहने के योग्य बनाए। **Lamark** का कहना है कि शिक्षा का कार्य प्राणी को अपने आप को अपनी आदतों को तथा अपने शरीर को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाए जिसकी उसमें क्षमता है। इस प्रकार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करे।

(3) वातावरण के साथ अनुकूलन करने के योग्य बनाना (To Enable him to adjust himself with his Environment)–व्यक्ति को विशेषकर प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष सामना करना पड़ता है। अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यक्ति घबराकर निराश हो जाता है। अतः व्यक्ति में परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए **लेमार्क** का कहना है–"शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना है। जिससे वह या तो स्वयं को परिस्थितियो के अनुसार ढाल सके या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सके।"

(4) प्राकृतिक विकास (Natural Development):- प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी शारीरिक क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतन्त्र रूप से विकसित करे।

(5) सभ्यता का विकास (Development of Culture):- **जार्ज बर्नार्ड शॉ** के अनुसार, "शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी है।" उनका कहना है कि मानव एक सर्वोत्तम प्राणी है व पशु एक असभ्य प्राणी है। इन दोनों में सभ्यता का अंतर है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सभ्य बनाना व परंपरागत संस्कृति का ज्ञान देना है, जिससे वह अपने देश की संस्कृति व अनुभवों का संरक्षण कर विकास कर सके।

(6) मानव यंत्र को निपुण बनाना (To perfect human machine)–शिक्षा का मुख्य कार्य यह है कि वह मानव यन्त्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझा सके।

(7) वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्तिः (Attainment of present and future happiness)–शिक्षा का लक्ष्य मानव की वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता व सुख को प्राप्त करना है।

(8) व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास (Autonomous development of Personality)–शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व विकसित हो सके।

(9) मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का दिशा-निर्देश (Redirection of human instincts)–मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों को मैकडुगल (McDougal) ने उसके चरित्र का सशक्त आधार बताया है। इसलिए इन प्रवृत्तियों का निर्देशन तथा उदारीकरण (Sublimation) ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इससे प्राकृतिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

(10) अवकाश के समय का सदुपयोग करना (Proper Utilisation of Leisure Time)–प्रकृतिवादी दर्शन अवकाश के समय के सदुपयोग का भी समर्थन करता है। बालक के अवकाश के समय के सदुपयोग का भी समर्थन करता है। बालक के अवकाश का समय ऐसी क्रियाओं में बिताना चाहिए, जो बालक की रुचि के अनुसार हो तथा उसके विकास के अवसर प्रदान करें, जो उसके जीवन स्तर के साथ-साथ रहन-सहन के स्तर को भी ऊँचा उठा सकें।

शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का उद्देश्य आनन्दमय, अनुरूप, संतुलित, लाभप्रद, प्राकृतिक व्यक्तित्व का विकास है। अलग-अलग प्रकृतिवादियों ने अलग-अलग शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं। भौतिकता पर अत्यधिक बल देने के कारण इनके उद्देश्यों में भी भौतिक पक्ष को प्रमुखता दी गई है, जबकि बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास भी जरूरी है।

(ख) प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम *(Naturalism and Curriculum)*

शिक्षा में बालक को केंद्रीय स्थान प्रदान करने के लिए प्रकृतिवादियों ने वर्तमान पाठ्यक्रम को खंडित किया है, क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक न था। प्रकृतिवाद ने बालक

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE.
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

को पाठ्यक्रम का आधार माना और ऐसे पाठ्यक्रम को बल दिया, जिसमें बालक अपनी रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें। विभिन्न प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम इस प्रकार है–

(A) रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम (Curriculum According to Rousseau)–रूसो ने बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं के अनुसार अलग-अलग अवस्था हेतु अलग-अलग पाठ्यक्रम बताया है, जो इस प्रकार है–

1. शैशवास्था (Infancy–0-5 वर्ष)–रूसो के अनुसार बालक प्रारंभ में जंतु के समान होता है, वह क्रियाशील होता है। अतः उसे प्रकृति की गोद में स्वाभाविक विकास का अवसर दिया जाये इस अवस्था में शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए खेल कूद एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके।

2. बाल्यावस्था (Chilhood–5-12 वर्ष)–बाल्यकाल में बालक का मस्तिष्क ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नियन्त्रित होता है। ऐसी गतिविधियाँ जिनसे ज्ञानेन्द्रियाँ प्रशिक्षित हो सकें प्रदान की जाती हैं। इसमें ज्ञानेन्द्रियों के विकास पर बल दिया जाता है। जैसे, देखना, सुनना, सूंघना, छूना, खेलना, तैरना, घुड़सवारी, दौड़ना, गाना आदि का ज्ञान दिया जाता है। यही रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है जिसमें बालक को ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा पहले व अनुभव के आधार पर ज्ञान का विकास बाद में होता है। नकारात्मक शिक्षा बालक को इस योग्य बनाती है कि वह असत्य, सत्य का भेद कर सके और असत्य से बच सकें। वह सत्य की शिक्षा नहीं देती है जबकि सकारात्मक शिक्षा बालक को कर्तव्यों की शिक्षा देती है।

3. किशोरावस्था (Adolescence–12-15 वर्ष)–इस अवस्था में बच्चों को प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाये। प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के साथ पाठ्यक्रम में भाषा, हस्तकार्य, गणित, सामाजिक विज्ञान, संगीत की शिक्षा से संबंधित विषय लिये जायें। इस अवस्था में केवल एक पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाये जिसका नाम रूसो ने राबिन्सन-क्रूसो बताया है।

4. युवा अवस्था (Young Age–15-20 वर्ष)–इस अवस्था में बालक मनुष्यता की ओर अग्रसर होता है और काम भावना और सामाजिक भावना का विकास होता है। यह शिक्षा का उत्तम पीरियड है। रूसो नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा की अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में सलाह देता है। बच्चों को मौखिक रूप से न पढ़ाकर प्राकृतिक रूप से प्रकृति के सीधें संपर्क में सीख देने का अवसर प्रदान किया जाये। (Give your scholar no verbal lessons, he should be taught by experience alone.)

रूसो ने पाठ्यक्रम में नारी शिक्षा को स्थान दिया है और उनके गृहकार्य की व्यवस्था की है। नारी को रूसो गृहकार्य में सक्षम बनाना चाहता है। नारी का कार्य बच्चों की देखभाल व पति की सेवा है, नारी को पुरुष के अधिकार के अंतर्गत रखने की बात करता है। रूसो आत्मा से नारी का विरोधी है।

इस प्रकार प्रकृतिवाद बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानता है और सभी विषयों के शिक्षण हेतु विज्ञान को केंद्र मानता है। वह पाठ्यक्रम में व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता को भी महत्त्व देता है। यह पाठ्यक्रम का मूल्यांकन उसकी भौतिक उपयोगिता के आधार पर करते हैं। अतः पाठ्यक्रम का जो स्वरूप प्रकृतिवाद ने बनाया वह हमारी शिक्षा व्यवस्था को मार्ग बताने में समर्थ रहा। प्रकृतिवाद विचारकों ने स्वास्थ्य विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान संबंधी विषयों को अधिक महत्त्व दिया एवं साहित्यिक व कलात्मक विषयों को गौण स्थान प्रदान किया।

(B) हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार पाठ्यक्रम (Curriculum According to Herbert Spencer)–इसने पाठ्यक्रम में निम्न कार्यक्रम बताए हैं–

1. **आत्म रक्षा संबंधी (Self Protection Related)**–इसमें वे विषय जो सीधे आत्म रक्षा में सहयोग देते हैं। जैसे–शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि को स्थान दिया जाये।
2. **जीविकोपार्जन संबंधी (Livinghood Related)**–वे विषय जो परोक्ष रूप से जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। जैसे–रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि।

3. **सन्तति रक्षा संबंधी (Related to Protection of Family)**–वह विषय जो संतान के पालन पोषण में सहयोगी हैं। जैसे–गृहशास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान आदि।
4. **सामाजिक एवं राजनैतिक कार्य (Political and Social Work)**–जैसे–इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि विषय इसमें लिये जाते हैं।
5. **खाली समय का सदुपयोग करने संबंधी (Use of Leisure time Related)**–वे विषय जो खाली समय के सदुपयोग में सहायक होते हैं, जैसे–संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, भाषा, साहित्य आदि विषय शामिल किये जाते हैं।

(C) हक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम (Curriculum According to Huxley)–प्रकृतिवादी होते हुए भी हक्सले के विचार अन्य प्रकृतिवादियों से अलग हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम में विज्ञान और साहित्य दोनों विषयों को लेने की सलाह दी है। अन्य प्रकृतिवादी वैज्ञानिक विषयों को ज्यादा महत्त्व देते हैं व साहित्यिक एवं कलात्मक विषयों की अवहेलना करते हैं। केवल हक्सले इसके अपवाद हैं। रूसो के पाठ्यक्रम में बाल्यावस्था में पुस्तकीय शिक्षा का विरोध भी उपयुक्त नहीं है। यह ठीक है। इस अवस्था में क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हो, लेकिन शाब्दिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को इस अवस्था में देना अनुचित नहीं है। नैतिक चरित्र के विषयों की भी उपेक्षा की गई है। पाठ्यक्रम के इन दोषों के कारण संभवतः यह है कि प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्यों में अधिक स्पष्ट नहीं है। फिर भी इनकी पाठ्यक्रम योजना में कुछ विशेष बातें है तथा बालक के विकास को उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात कही गई है। ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर बल देना एवं क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम भी इसकी मुख्य विशेषता है, इसके अतिरिक्त इन्होंने पाठ्यक्रम को जीवन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया जो बच्चों के विकास के लिए हितकर है।

(ग) प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ *(Naturalism and Methods of Teaching)*

प्रकृतिवाद ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया व अन्य शिक्षण विधियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादन किया व ऐसी विधियों पर बल दिया जिनसे स्वयं बालक अपने अनुभवों द्वारा सीख सके। इनकी शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं–

1. करके सीखना (Learning by Doing)–प्रकृतिवादियों ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया। बालक पुस्तकों की अपेक्षा स्वयं सक्रिय रह कर कुछ सीखता है। तो ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए बच्चों के लिए ऐसी विधियाँ होनी चाहिए जिससे बच्चा स्वयं करके सीखें। **रूसो (Rousseau)** के शब्दों में, **"अपने विद्यार्थी को मौखिक पाठ मत दो, उसे तो केवल अनुभव द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे करके सिखाओ, जब भी तुम सिखा सकते हो।"** ("Give your scholar no verbal lessons. He should be taught by experience alone. Teach him by doing whenever you can.) शाब्दिक ज्ञान तब दिया जाए जब करके सीखना संभव न हो।

2. खेल द्वारा सीखना (Learning by Playing)–प्रकृतिवादी खेल-कूद की विधि पर भी बल देते हैं। खेल बच्चे को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। खेल ही बच्चे को पूर्णतया आत्माभिव्यक्ति करने में सहायता देते हैं। खेल विधि उसकी वस्तुओं का निर्माण करने कुशलताओं को सीखने तथा रचनात्मक बनने में भी सहायक करता है। **रूसो (Rousseau)** के शब्दों में, **"खेलना, कूदना, तैरना आदि क्रियायें करके बालक अपनी इन्द्रियों को प्रशिक्षित करता है और फिर अनुभव द्वारा सीखता है। उनका नारा है–"Things rather than words."**

3. प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीखना (Learning by Direct Experience)–बच्चों को पुस्तकीय शिक्षा देने की बजाय प्रकृति, मानव, वस्तुओं के प्रत्यक्ष अनुभवों से सिखाना चाहिए। विज्ञान का शिक्षण प्रयोगशाला में प्रयोगिक कार्यों के माध्यम से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। **रूसो (Rousseau)**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

का कहना है कि सर्वप्रथम बच्चों की ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके बाद की अनुभव द्वारा सीखने के योग्य बनता है। विभिन्न वस्तुओं तथा स्थानों के क्षेत्रों की गणना के द्वारा रेखागणित को अच्छे ढंग से सीखा जा सकता है। भूगोल को मानचित्र, चार्टों के स्थान पर भौगोलिक रुचियों के स्थान के भ्रमण के द्वारा बच्चों को अच्छे ढंग से सिखाया जा सकता है।"

4. क्रिया विधि (Activity method)—बच्चों को पाठ्यक्रम में निश्चित विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूल का वातावरण भी क्रियात्मक होना चाहिए व बालक को स्वयं करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

5. बालक को स्वतन्त्रता (Freedom to the Child)—प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक का विकास स्वतंत्र वातावरण में अधिक अच्छे ढंग से होता है। डर तथा उत्सुकता बालक के प्राकृतिक विकास में बाधक है। 'स्व शिक्षा' बालक को तभी दी जा सकती है। बालक स्वतंत्र रूप से अपनी रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार तथा अपनी गति के अनुसार बालक को विकसित होने के अवसर मिलें। टाईम टेबल भी लचीला हो, बालक को स्कूल में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाये, कोई दबाव उस पर न डाला जाये।

6. नकारात्मक विधि (Negative method)—नकारात्मक शिक्षा में बच्चों को असत्य व सत्य के बीच अंतर करना सिखाया जाता है जिसमें हम सत्य के बारे में न बताकर असत्य के बारे में उनके कारण व उन्हें समाप्त करने के ढंग बतायें, जिससे कि बुराइयाँ समाप्त होती चली जायेंगी व बालक अच्छाई की ओर बढ़ता चला जायेगा। बालक अपनी इंद्रियों के प्रशिक्षण से विभिन्न शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करता हुआ ज्ञान प्राप्त कर पायेगा।

वास्तव में प्रकृतिवादी दर्शन द्वारा प्रदान की गई सभी शिक्षण विधियाँ एवं अधिगम विधियाँ हैं और इसी कारण यह विधियाँ प्रभावशाली व उद्देश्यपूर्ण हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार—अध्यापकों का स्थान एक मार्गदर्शक के रूप में व बालक का स्थान केंद्रीय स्थान है। जिसमें उसे उसकी रुचियों के अनुसार विभिन्न क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करते हुए सिखाया जाता है व प्रकृति से बालक स्वयं सीखता है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति ही अनुदेशन का मूल आधार है।

(घ) प्रकृतिवाद तथा अध्यापक *(Naturalism and Teacher)*

प्रकृतिवादी दर्शन की शिक्षा में अध्यापक को गौण स्थान पर रखा गया है। विद्यार्थी को केंद्रीय व प्रथम स्थान पर रखा गया है। अध्यापक का महत्त्व भी कम नहीं है। अध्यापक को निम्न भूमिकायें अदा करनी होती हैं—

1. अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में (Teacher as a Guide)—प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में मित्र होना चाहिए। वह बच्चों को ज्ञान का अर्जन करने में व नई वस्तुएँ खोजने में मार्गदर्शक के रूप में सहायता कर सकते हैं। वह उन्हें कार्य करने की नई विधियों में सहायता कर सकता है व मार्गदर्शन कर सकता है।

2. अध्यापक एक पर्यवेक्षक के रूप में (Teacher as a Observer)—बालक का कार्य विभिन्न क्रियायें करना है तथा अध्यापक का कार्य बालक का उचित दिशा में मार्गदर्शन करना है। अध्यापक एक प्रेक्षक के रूप में होता है। **रूसो (Rousseau), "उसका (अध्यापक) का स्थान यदि कुछ है, तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का प्रेक्षक है, न कि ज्ञान, विचार, आदर्श तथा मानसिक बल देने वाला या उसके चरित्र को सांचे में ढालने वाला।"**("His Teacher 's place , if any, is behind the scene, he is an observer of the child's development rather than a giver of information, ideas, ideals and will power or a moulder of character.")

3. अध्यापक एक रक्षक के रूप में (Teacher as a protector)—अध्यापक को विद्यार्थियों को वातावरण के बुरे असरों से हर बुरे वातावरण से बचाना है। अध्यापक ऐसे वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें बालक अधिक से अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। बालक को हर प्रकार से वातावरण, समाज के विकारों से बचाना है। अध्यापक को बालकों को उनके अधिकार दिलाते हुए उन्हें कभी दंडित नहीं करना है।

4. अध्यापक एक व्यवस्थापक के रूप में (Teacher as an Organiser)—शिक्षा प्रक्रिया में बालक का स्थान केन्द्रीय है व सर्वोपरि है। अध्यापक एक साधारण व्यवस्थापक के रूप में स्कूल प्रबंध में बच्चों का निरीक्षण व मार्गदर्शन करने में मदद करता है। उसका कार्य बालक के अभिनय के लिए थियेटर प्रदान करना है ताकि वह आदर्श वातावरण प्रदान करने के लिए बच्चों की मदद कर सके।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद अध्यापक को महत्त्व तो देता है, पर बालक की तुलना में कम तथा आदर्शवाद की भाँति उसे बालक का भगवान, सर्वोपरि नहीं मानता। प्रकृतिवादी अध्यापक वैयक्तिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय गुणों से युक्त होनी चाहिए जिससे वह बालक की रुचियों, योग्यताओं को जानकर उसके विकास में सहायक हो सके।

(ङ) प्रकृतिवाद तथा अनुशासन *(Naturalism and Discipline)*

प्रकृतिवाद बच्चे को अत्यधिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। स्वतन्त्रता के कारण ही बच्चा प्राकृतिक रूप से विकास करता है। प्रकृतिवाद का विश्वास है कि मानव-प्रकृति अनिवार्यतः अच्छी और शुद्ध होती है। इस लिए उसके लिए किसी बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं। इस विश्वास को सभी प्रकृतिवादियों का समर्थन प्राप्त है। बच्चों पर प्रौढ़ों का स्तर नहीं थोपना चाहिए।

प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन (Discipline by Natural consequences)—अनुशासन सम्बन्धी प्रकृतिवादी विचारधारा का मुख्य आधार है—प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन। स्पेन्सर (Spencer) के अनुसार, "जब बच्चा गिरता है या उसका सिर मेज से टकराता है तो उसे पीड़ा होती है जिसकी याद उसे अधिक सावधान बनाती है तथा ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति से वह उचित दिशा की ओर अनुशासित हो जाता है। रूसो भी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का प्रबल समर्थक है। उनके अनुसार यदि कोई बच्चा खिड़की का शीशा तोड़ देता है तो नया शीशा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बच्चे को वहाँ बिठा देना चाहिए ताकि वह सर्दी से दुःख उठाए और आगे को ऐसा कार्य न करे।

जान डीवी (John Dewey) ने मध्यवर्ती मार्ग का सुझाव दिया है। उसने कहा है कि हम कई स्थितियों में बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम भोगने की आज्ञा नहीं दे सकते। हो सकता है कि उसमें बुद्धिमत्ता से काम करने की योग्यता न हो। प्रकृतिवादियों की अनुशासन सम्बन्धी आधुनिकतम विचारधारा 'लज्जित करना' 'हँस पड़ना' या 'उपेक्षा करना' आदि हैं। बच्चे की विपरीत प्रवृत्तियों को प्रभावित करके उसे कष्टदायक व्यवहार रेखा से वापस लौटाया जा सकता है।

(Contrary tendencies in the child are appeared to divert him from his trouble by some other line of behaviour.—Taneja)

प्रकृतिवाद विभिन्न क्रियाओं में बच्चे के वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में विश्वास रखता है। इस दर्शन ने विद्यार्थियों के स्वायत शासन का भी समर्थन किया है क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। **ए. एस. नील (A.S. Neil) का समर हिल (Summer Hill)** स्कूल जो इन सिद्धान्तों पर आधारित है, वहाँ प्राकृतिक उद्देश्यों तथा विधियों का वास्तविक रूप प्रतिपादित होता है।

(छ) प्रकृतिवाद और बालक *(Naturalism and Child)*

प्रकृतिवादियों ने बालक को एक ऐसा प्राणधारी बतलाया है जो स्वर्ग से वैभव के साथ अवतरित हुआ है। बालक जन्म से शुद्ध होता हैं, उसमें अच्छाइयाँ होती है। अतः शिक्षा का कार्य बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना है जिसमें वह अपनी अच्छाइयों का विकास कर सके। प्रकृतिवादी बालक को समझने पर बहुत बल देते हैं। बालक की मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरूप ही प्रकृतिवादी उसे शिक्षा देना चाहते हैं। वे उसकी इन्द्रियों और प्रवृत्तियों का दमन करना नहीं चाहते। उस पर किसी प्रकार का ज्ञान जबरन लादने का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न नहीं होता, अपितु उसका विकास करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र बालक ही है, शिक्षा या पाठ्यक्रम नहीं।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

7.3 प्रयोजनवाद (Pragmatism)

4. शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का मुख्य योगदान क्या है? स्पष्ट कीजिये।

अथवा

शिक्षा में प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? इस दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा अनुशासन की विचारधारा को किस प्रकार प्रभावित किया है?

(What do you understand by Pragmatism in education? In what manners it affected the education in the field of Aims, Syllabus and Disciplined.)

उत्तर–प्रयोजनवाद तथा शिक्षा में घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसा इसलिए है कि प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास रखता है और हमारा आधुनिक समाज परिवर्तनशील है। इसमें यह दार्शनिक सिद्धान्त नहीं अपनाया गया है कि केवल बालक को दृष्टि में रख कर उसे शिक्षा दी जाए। इस दर्शन में कहा गया है कि मानव जीवन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उसे शिक्षा दी जाए। यह शिक्षा ऐसी हो, जिससे बालक अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करके तथा नए मूल्यों को महत्त्व देते हुए वह अपना जीवन आनन्दमय तरीके से व्यतीत कर सके। इस प्रकार की शिक्षा के भीतर बौद्धिक, धार्मिक, आनन्दमी, सामाजिक तथा भौतिक तत्त्वों का समावेश होता है। प्रयोजनवादी यह स्वीकार नहीं करते कि शिक्षा-दर्शन-शास्त्र का गतिशील पक्ष है। वे प्रायः दर्शन शास्त्र को शिक्षा के अनुभवों से अद्भुत परिणाम मानते हैं। दर्शन शास्त्र शिक्षा की क्रियात्मक भावनाओं को फल है और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जान डीवी (John Dewey) का कहना है, **"शिक्षा की दार्शनिक क्रिया में लाए गए पूर्व निर्मित विचारों का लेखा जोखा नहीं है। इसके विपरीत यह बौद्धिक तथा धार्मिक स्वभावों का ऐसा स्वरूप है जिसके द्वारा मानव के अपने सामाजिक जीवन में आई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है।"**

प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य *(Pragmatism and Aims of Education)*

प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं–

1. शिक्षा का उद्देश्य–अधिक शिक्षा (The aim of education- more education) –प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है और अधिक शिक्षा प्रदान करना। इसका अर्थ है कि प्रत्येक शिक्षा की पूर्णता नवीन शिक्षा का साधन है जो पूर्ववर्ती अनुभवों में अपनी पूर्णता प्राप्त करती है।

2. व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास (Harmonious development of an individual)– व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा का आवश्यक उद्देश्य है। यह विकास क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा होना चाहिए। इनके परिणामस्वरूप व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं सौन्दर्यात्मक पक्ष का विकास होता है। बच्चे द्वारा अपने वातावरण के अनुसार अनुभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसकी प्रवृत्तियों, योग्यताओं तथा रुचियों का निर्देश करना ही शिक्षा का आवश्यक उद्देश्य है।

3. मानव कल्याण के लिए शिक्षा (Education for progress of mankind)–ड्यूवी के अनुसार वस्तु की मानव कल्याण के लिये उपयोगिता ही सच्ची उपयोगिता है। शिक्षा में वह इस बात पर बल देता है कि शिक्षा का ध्येय और संगठन तथा शिक्षा के रूप और पाठ्य-क्रम, सबका सम्बन्ध मानव कल्याण से हो और वास्तविक जीवन को दृष्टिकोण में रखकर इनको निश्चित किया जाये। वास्तविक जीवन में प्रतिकूल तथा मानव हित से उदासीन होने पर उनका महत्त्व नहीं रह जाता। इसलिये प्रयोजनवाद के अनुसार संसार में कोई वस्तु अथवा कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो हमेशा के लिये सत्य हो क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और जीवन की आवश्यकतायें बदलती रहती हैं। प्रत्येक बात में हमें यह देखना है कि कोई वस्तु वास्तविक जीवन तथा मानव हित के लिये कितनी उपयोगी है। यदि वह उपयोगी है तो ठीक है अन्यथा व्यर्थ है। यही नियम शिक्षा-संस्थाओं पर लागू होता है, यदि आज वे उपयोगी नहीं हैं तो उन्हें बदल देना चाहिए।

4. गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का विकास (Development of a dynamic and adaptable mind)–शिक्षा के प्रयोजनवाद में उद्देश्य पूर्व-निर्धारित नहीं होते। ये देश, काल तथा स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए शिक्षा ऐसे गतिशील तथा लचीले मस्तिष्क का विकास करें जो अज्ञात भविष्य में नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके।

5. मूल्य निर्माण (Creation of values)–प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मूल निर्माण है। मूल्यों का निर्माण क्रिया तथा अनुभव से होता है। इस मूल्य के निर्माण के लिए शारीरिक बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, नैतिक तथा धार्मिक क्रियाओं का माध्यम बनाना चाहिए। रस्क (Rusk) के अनुसार, **"प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे बड़ा सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है। शिक्षक का कर्तव्य बालक को ऐसे पर्यावरण में रखना है जिसमें रहते हुए वह नवीन मूल्यों का निर्माण करता है।"** ("The most general aim of education of Pragmatism is just creation of new values, the main task of educator is to put the educand into position to develop values for himself."–**Rusks**)

6. सामाजिक कुशलता (Social efficiency)–शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक तौर पर कुशल व्यक्ति उत्पन्न करना है। सामाजिक कुशलता में आर्थिक तथा सांस्कृतिक कुशलता सम्मिलित है। स्कूल का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को ऐसा प्रशिक्षण दे जो उन्हें आज के सामाजिक संसार में पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य बनाए।

प्रयोजनवाद तथा विद्यार्थी (Pragmatism and Student)–प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। इसीलिये इन्होंने बाल-केन्द्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया है। प्रयोजनवादी भी बालक की जन्मजात शक्तियों, योग्यताओं व रुचियों में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार बालक की शिक्षा इन प्राकृतिक शक्तियों पर ही आधारित होनी चाहिए। इन्हीं के आधार पर वे शिक्षण विधियों का निर्माण करने के पक्षपाती हैं।

प्रयोजनवादी आन्तरिक शक्तियों को आध्यात्मिक न मानकर प्राकृतिक मानते हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों का विकास बालक उपयुक्त वातावरण मिलने पर ही कर पाता है। इस प्रकार प्रयोजनवादी बालक के विकास के लिए वातावरण को भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। प्रो. डीवी ने इस धारणा के आधार पर सामाजिक वातावरण पर अधिक जोर दिया है। वे सामाजिक वातावरण में बालक को देखकर उसे भावी जीवन का प्रशिक्षण देना पसन्द करते हैं।

प्रयोजनवाद आदर्शों तथा पूर्व निर्धारित मूल्यों में विश्वास नहीं करता है। चिरन्तन सत्य उसके लिए कोरी कल्पना है। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक स्वयं मूल्यों का निर्माता होता है। वह स्वयं जीवन में उद्देश्य निर्धारित करता है। उसके ऊपर मूल्य का आदर्श बाहर से थोपना नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद ने शिक्षा में विद्यार्थी को केन्द्र बिन्दु बनाया है।

प्रयोजनवाद तथा शिक्षण-विधियाँ *(Pragmatism and Methods of Teaching)*

शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्त्वपूर्ण देन है। प्रयोजनवादी सभी परम्परागत विधियों को सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार करना नहीं चाहते। विधि अपनाने की कसौटी उसकी शैक्षिक उचितता तथा उपयोगिता होनी चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार वही विधि अधिक प्राथमिकता वाली है जो कि बच्चे की रुचियों पर आधारित हो, जो उसकी समस्याओं के समाधान करने के योग्य हो। बच्चा शिक्षण-प्रणाली का केन्द्र है। शिक्षण विधियों में प्रयोजनवाद बच्चे पर बल देता है, न कि पुस्तकों, अध्यापकों तथा विषय पर। उसके अनुसार एक अच्छी शिक्षण-पद्धति का चुनाव करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए–

1. सीखने का उद्देश्यपूर्ण क्रिया का सिद्धान्त (Principle of purposive process of learning)
2. क्रिया करके अथवा अनुभव करके सीखने का सिद्धान्त (Principle of learning by doing or experiencing)।
3. एकीकरण का सिद्धान्त (Principle of Integration)।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

1. सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धान्त (Principle of purposive process of learning)–सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का अर्थ यह है कि बालक अपनी रुचि, अभिरुचि, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति करे। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता हैं। इस प्रकार प्रयोजनवादी ऐसी शिक्षण विधि का समर्थन करते हैं जिसमें बालक प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ भी सीखे स्वयं ही सीखे। उसकी शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण तथा उपयोगी उसी समय कहा जा सकता है जब उसका स्वयं अर्जित किया हुआ ज्ञान उसके वास्तविक जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ बहादुरी से डटकर मुकाबला करने में सहयोग प्रदान करे।

2. क्रिया करके अथवा अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धान्त (Principle of learning by doing or experience)–प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया तथा अनुभव पर बल देता है। अतः इस वाद के अनुसार बालक को क्रिया के माध्यम से शिक्षित करना चाहिए। प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि क्रिया करने से नए-नए विचारों का जन्म होता है। अतः बालक के सामने ऐसी परिस्थितियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनमें रहते हुए वह भौतिक तथा सामाजिक वातावरण की अनेक समस्याओं को सुलझाता रहे। रायबर्न का कथन है कि हमारा सच्चा एवं सर्वोत्कृष्ट शिक्षक अपना आत्मानुभव है। इस शिक्षक के द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षा को हम कभी नहीं भूल सकते। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार बालक को रचनात्मक क्रियाओं तथा प्रयोग द्वारा विभिन्न बातों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिएँ। ध्यान देने की बात है कि इस सिद्धान्त का उद्देश्य समस्त विषयों में केवल व्यावहारिक कार्य को ही महत्त्व देना नहीं है अपितु बालक को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में रखना इस सिद्धान्त का प्रमुख लक्ष्य है, जिससे वह जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को समझ-बूझ कर सरलतापूर्वक हल कर सके।

3. एकीकरण का सिद्धांत (Principle of integration)–एकीकरण के सिद्धान्त का अर्थ है कि बालक को जो भी तथा जितने भी विषय पढ़ाए जाएँ उन सबको परस्पर सम्बन्धित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रयोजनवादी विभिन्नता में एकता (Unity in diversity) के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। अतः उनके अनुसार ज्ञान के विभिन्न पत्रों के होते हुए भी वह एक ही है। इसे अलग-अलग टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता। इस दृष्टि से जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक विषय को एक–दूसरे से सम्बन्धित करके ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रयोजनवाद के अनुसार वही शिक्षण-पद्धति सबसे उत्तम है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों को परस्पर सम्बन्धित करके पढ़ाया जा सकता है।

इन सभी सिद्धान्तों के आधार पर डीवी (Dewey) तथा उसके शिष्य किलपैट्रिक (Kilpatrick) ने योजना-पद्धति (Project Method) का प्रतिपादन किया है। **''योजना एक पूरे मन से ही की गई उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में किया जाता है।''** ("A Project is a whole hearted purposeful activity proceeding in a social environment."–**Dewey**)

प्रयोजनवाद की एक और देन प्रयोगात्मक (Experimental Method) विधि है। इस विधि के अनुसार प्रयोग करने के पश्चात् ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

प्रयोजनवाद और मनोविज्ञान *(Pragmatism and Psychology)*

प्रयोजनवादी 'सामर्थ्य मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का विरोध करते हैं क्योंकि यह मनोविज्ञान मन के केन्द्रीय तत्त्व की उपेक्षा करता है। वास्तव में समस्त कार्यों तथा विचारों के पीछे मन की एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है, जो समस्त क्रियाओं में एकता स्थापित करती है। प्रयोजनवादी मन की इस प्रेरक शक्ति में विश्वास करते हैं। उनका कथन है कि यही केन्द्रीय शक्ति प्रत्येक क्रिया के लिये शक्ति और लक्ष्य प्रदान करती है। प्रयोजनवाद इस बात पर विशेष बल देता है कि कोई भी क्रिया निष्काम (Disinterested) अथवा कोई भी ज्ञान निर्विषयक (Objective) नहीं हुआ करता। सब क्रियाओं तथा सब ज्ञान पर भावनाओं का रंग चढ़ा रहता है। स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं को अधिक प्रधान मानता है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रयोजनवाद 'प्रक्रियाशील मनोविज्ञान' (Dynamic Psychology) से अधिक प्रभावित हुआ है तथा यह 'व्यवहारवादी मनोविज्ञान' (Behaviouristic Psychology) की नितान्त उपेक्षा नहीं करता। व्यवहारवादी मनोविज्ञान की भाँति प्रयोजनवाद भी विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्त्व प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद में मनोविज्ञान की उपर्युक्त विचारधाराओं के गुणों का समावेश है।

प्राचीन मनोविज्ञान के अनुसार बालक को एक छोटा प्रौढ़ समझा जाता था और इसी धाराणानुकूल उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। प्रयोजनवादी बालक और उसके मन के में विकासवादी दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। वे इस बात से सहमत है कि 'बालक एक छोटा प्रौढ़ नहीं बल्कि भविष्य में होने वाला मनुष्य है।' **(Child is not a man in miniature but a man in the making.)** वयस्कों की शक्तियों,आवश्यकताओं, विचारों इत्यादि में और बालकों की शक्तियों, आवश्यकताओं, विचारों इत्यादि में महान अन्तर है। यही धारण प्रयोजनवादियों की है और इसी दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने शिक्षा के उद्देश्य पाठन-विधि तथा पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है।

प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम *(Pragmatism and Curriculum)*

प्रयोजनवादी एक ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में हैं जो विद्यार्थियों के सभी पक्षों के गुणों का विकास करे। उसके मूल्य निर्माण तथा सामाजिक कुशलता की प्राप्ति हो। उसका समरूप व्यक्तित्व का विकास हो। उचित समयोजन करने को शक्ति प्रदान करे तथा जीवन की समस्याओं के समाधान के योग्य बनाए। उन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय **निम्नलिखित नियमों को अपनाने का** सुझाव दिया है–

1. उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of utility)
2. प्राकृतिक रुचियों का सिद्धान्त (Principle of natural interest)
3. अनुभव का सिद्धान्त (Principle of experience)
4. एकीकरण का सिद्धान्त (Principle of Integration)

उपयोगिता के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इस दर्शन ने लड़कियों के लिए गृहविज्ञान तथा लड़कों के लिए कृषि का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, भूगोल, गणित, भाषा तथा स्वास्थ्य विकास भी सम्मिलित किए गए हैं। प्राकृतिक रुचियों के दृष्टिकोण से पढ़ना, लिखना, प्रकृति अध्ययन, हस्तकला, रेखाचित्र तथा चित्रकला को शामिल किया गया है। अनुभव के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए समुदाय अध्ययन को महत्त्व दिया गया है तथा एकीकरण के सिद्धान्त में सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान तथा टेक्नालॉजी जैसे विषयों की सिफारिश की है।

प्रयोजनवाद तथा अनुशासन (Pragmatism and Discipline)–प्रयोजनवादी सामाजिक प्रकृति के अनुशासन की सिफारिश करते हैं। यह अनुशासन स्कूल की स्वतन्त्र, प्रसन्नमय, उद्देश्यपूर्ण तथा सहयोगी क्रियाओं द्वारा स्थापित होता है। डीवी (Dewey) के शब्दों में **अनुशासन एक मानसिक रुझान है और इस रुझान को स्थिर रखने के लिए समाजीकृत क्रियाएँ आवश्यक हैं।''** **("Discipline is mental attitude and in order to maintain this attitude, socialised activities are essential."–Dewey)**

समाजीकृत क्रियाओं को सामाजिक परियोजनाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप सहयोग, सहानुभूति, आत्म-विश्वास, तथा स्वतन्त्रता आदि के स्थायी स्थान होंगे। अनुशासन में स्वतन्त्रता एक महान तत्त्व है, क्योंकि इस बात की पूर्व धारणा की जाती है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में प्रजातान्त्रिक गुण उत्पन्न करना है। इन प्रजातान्त्रिक गुणों में स्वतन्त्रता सबसे महत्त्वपूर्ण गुण है। इसी प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक चेतना उत्पन्न करना है जो उस सामाजिक विरोधी क्रियाओं में भाग लने से रोकेगी। यह अनुशासन किसी बाह्यशक्ति का परिणाम नहीं होंना चाहिए, बल्कि इसके पीछे सामाजिक चेतना, स्वतन्त्रता तथा प्रसन्नता होनी चाहिए।

प्रयोजनवाद तथा अध्यापक (Pragmatism and Teacher)–जहाँ प्रकृतिवाद ने अध्यापक की अवहेलना की है तथा आदर्शवाद ने अध्यापक को अत्यधिक महत्त्व दिया है, प्रयोजनवाद ने बीच में मार्ग अपना कर एक परिपक्व दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस दर्शन के अनुसार एक शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथप्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में उसे बालक के सामने सामाजिक परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती हैं जिनमें रहते हुए वे अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार समस्याओं को सुलझा सके। वह बच्चों को आत्म-अनुशासन सिखाता है उसमें भाग लेने के लिए प्रेरणा देता है।

प्रयोजनवाद के अनुसार अध्यापक ज्ञान का भण्डार होना चाहिए। उसे बुद्धिमान, कुशल तथा क्रियात्मक होना चाहिए। उसे बच्चे की रुचियों तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे बाल-मनोविज्ञान (Child Psychology) तथा दूसरे विषयों का जो उसे अपने तथा समाज के विकास में सहायता दे सकें, ज्ञान होना चाहिए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

उसे बच्चों के साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। उसका कार्य बच्चे का पथ-प्रदर्शन करना तथा उसे जीवन की वास्तविक स्थितियों में डालना होना चाहिए ताकि बच्चा जीवन की समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सके। उसे विद्यार्थियों में मौलिकता का भी विकास करना चाहिये देना या दोहराना नहीं होना चाहिए। ताकि वे लकीर के फकीर न बनकर मौलिकता की रचना करें। शिक्षण का आधार केवल व्याख्यान देना या दोहराना नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)—इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो ज्ञानार्जन के लिये क्रिया, परीक्षण तथा व्यवहार (Practice) को अपना आधार बनाती है और क्रिया से उत्पन्न होने वाले परिणाम पर जोर देती है। **विलियम जेम्स के शब्दों में, "प्रयोगवाद एक अनुवादी मनोवृत्ति है। (An empiricist attitude) यह एक प्रकार की विधा है और इस विधि में कोई नवीनता नहीं है। इस विधि के अनुसार व्यावहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचार की व्याख्या का प्रयत्न किया जाता था।** ("There is absolutely nothing new in the Pragmatic method. It is just an empiricist attitude. It has no dogmas, and no doctrines. Save its method. The pragmatic method is to try to interpret each notion by tracing its practical consequences. "–James.)

रॉस का कथन है—**"प्रयोगवाद अनिवार्यतः मिलाप कराने वाली मनोवृत्ति है। इसे आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्य मार्ग कहा जाता है।"** ("Pragmatism is essentially a mediating attitude of mind. It is often prescribed as a via media between idealism and naturalism.")

प्रयोगवाद के सिद्धान्त मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं—(1) मूल्यों की पूर्व सत्ता में अविश्वास, (2) उपयोगिता के सिद्धान्त पर बल, (3) सत्य मानव द्वारा निर्मित, (4) समाज तथा वातावरण की महत्ता, (5) मूल्यों का निष्काम अनुसरण, (6) विज्ञान में विश्वास, (7) आध्यात्मिक तंत्त्वों की उपेक्षा, (8) बहुतत्ववाद का समर्थन, (9) समस्यायें सत्य की प्रेरक, (10) मानव शक्ति में अमिटविश्वास।

◆◆◆

7.4 अस्तित्त्ववाद (Existentialism)

5. अस्तित्ववाद का क्या अर्थ है? अस्तित्त्ववाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? विवेचना कीजिये।
(What is the meaning of Existentialism? What, according to the existentialism, should be the nature of education? Discuss.)

उत्तर—अस्तित्ववाद एक बिल्कुल नवीन विचारधारा है अर्थात् अस्तित्ववाद एक अत्यंत नवीन दर्शन है। इस दर्शन की सर्वप्रथम शुरुआत 19वीं शताब्दी में डेनिश दार्शनिक किर्कगार्ड के द्वारा की गई। किर्कगार्ड के पश्चात् अस्तित्ववाद के विकास की दिशा में 20वीं शताब्दी में कुछ अन्य अस्तित्ववादियों जैसे जीन पॉल सात्रे, नेबूहर तथा टिलिच आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

अस्तित्ववाद का अर्थ *(Meaning of Extentialism)*

अस्तित्ववाद का मानना है कि अस्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के जीवित रहने मात्र से न होकर एक पूर्ण शक्तिशाली, प्रगतिशील, उत्तरदायी तथा आत्म चेतना से युक्त जीवन को बनाये रखना है। इसके अतिरिक्त अस्तित्ववाद का मानना है कि व्यक्ति को यदि आत्मा, चेतना तथा आत्म अनुभूति करने का निरंतर अवसर या मौका मिले तो व्यक्ति अपने आंतरिक जीवन के ध्यान का केंद्र बन सकता है। इसके साथ-साथ अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा वैयक्तिक उत्तरदायित्व पर विशेष बल देता है। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए ताकि उसकी वैयक्तिगत रुचियों तथा निर्णयों का समुचित विकास हो सके तथा वह आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सके। अस्तित्ववाद व्यक्ति की आत्म चेतना उसकी तात्कालिक तथा आंतरिक अनुभूति में विश्वास करते तथा उसे निरंतर बनाये या कायम रखना चाहता है।

कुछ अस्तित्ववादी तथा उनके विचार *(Some Existentialists and their Views)*

अस्तित्ववाद के विकास में बहुत से अस्तित्ववादियों का योगदान है। कुछ प्रमुख अस्तित्ववादियों तथा उनके विचारों की संक्षिप्त विवचेना निम्नलिखित प्रकार से है—

1. सारेन कीर्कगार्द (Soren-Kierkgeard)—सारेन-कीर्कगार्द का जन्म सन् 1813 में हुआ था। इन्हें अस्तित्ववाद का जन्मदाता माना जाता है। सारेन कीर्कगार्द अपने लेखों तथा रचनाओं के माध्यम से अपने विचार लोगों तक पहुँचाये परंतु उनके जीवित रहते उनके विचारों का लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत उनके लेखों के महत्त्व को लोगों ने समझा तथा अनेक दार्शनिकों ने उनके अस्तित्व संबंधी विचारों को स्वीकार भी किया। सारेन-कीर्कगार्द के अनुसार सत्य अंतर्मुखी तथा आत्मनिष्ठ होता है तथा वैयक्तिकता की सत्ता विश्वसनीय और चिंतन से पूर्ववर्ती होती है। उनके अनुसार आत्मनिष्ठ अस्तित्व का अर्थ होता है—स्व-सत्ता तथा आत्मनिष्ठा 'सत्य' तथा वास्तविक होती है। आत्मनिष्ठ के कारण ही हमारे 'आत्म' (self) का ईश्वर से संबंध स्थापित होता है। इसी संबंध के फलस्वरूप हम सभी ईश्वर के दर्शन करते हैं तथा उसके सर्वकल्याणकारी मार्ग को अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त कीर्कगार्द अस्तित्ववादी आत्मानुभूति पर भी जोर देते हैं उनका मानना है कि अस्तित्ववादी अनुभूति स्व-सत्ता के लिए अति आवश्यक है।

2. कार्ल जैस्पर्स (Karl Jaspers)—कार्ल जैस्पर्स का जन्म सन् 1883 में हुआ। यह जर्मन के दार्शनिक थे। इन्होंने सारे संसार में अस्तित्ववाद का प्रचार किया। काल जैस्पर्स जीव के अस्तित्व को न तो वस्तु ही मानता है। और न ही उसे आत्मरूप में स्वीकार करता है, अपितु वह तो जीव की सत्ता को अधिक विस्तृत और व्यापक मानता है। वह अस्तित्ववाद के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को समान रूप से स्थान देता है। कार्ल जैस्पर्स के अनुसार सत्य या 'स्व' सत्ता, ईश्वरीय है, व्यापक है, शाश्वत है तथा आत्मानुभूति आत्मबल तथा आत्मविश्वास की जनक है।

3. नेबूहर (Neubuhr)—नेबूहर अमेरिकी अस्तित्ववादी थे। इन्होंने अमेरिका में अस्तित्ववाद का अत्यधिक प्रचार किया। ये आस्तित्वता में विश्वास करने वाले अस्तित्ववादी थे तथा इन्होंने अस्तित्ववादी विचारधाराओं में दर्शन तथा इसके अतिरिक्त क्रिश्चियन विधि में धर्मशास्त्र से संबंधित सिद्धांतों का आपस में मेल कराने से संबंधित कोशिशें कीं। इन्होंने मृत्यु के अस्तित्व को स्वीकार किया तथा इसकी अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया। इनका मानना है कि मृत्यु ही वह शक्ति है जो कि व्यक्ति या मानव के अस्तित्व को खत्म करके उसे एक नये अस्तित्व की ओर ले जाने के लिये प्रेरणा प्रदान करती है।

4. मार्टिन-हिडेगर (Martin Heidagger)—हालांकि मार्टिन हिडेगर अपने आपको एक अस्तित्ववादी नहीं मानता, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर उसे अस्तित्ववादी माना जाता है। हिडेगर के दार्शनिक विचार इतिहास की देन है तथा उसके विचारों का प्रमुख स्रोत प्राचीन यूनानी इतिहास रहा। कीर्कगार्द वास्तविकता तथा सत्यता को केवल आत्मनिष्ठा में मानता है लेकिन दूसरी ओर हिडेगर वस्तुनिष्ठता में भी सत्य को देखना चाहता है तथा साथ ही उसे आत्मनिष्ठता का रूप भी प्रदान करना चाहता है। हिडेगर ने प्रकृति के रहस्यों का उदघाटन वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर न करके वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के ज्ञानों के आधार पर किया।

5. जीन पॉल सात्रे (Jear Paul Satre)—यह फ्रांसीसी दार्शनिक था तथा इसने कीर्कगार्द द्वारा दी गई विचारधाराओं को 20वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया। सात्रे आदर्शवाद के विपरीत परमात्मा की तुलना में व्यक्ति या मानव को अधिक महत्त्व देता है। इसीलिये इसे नास्तिकवादी माना जाता है तथा उसके अस्तित्ववाद को नास्तिकवादी अस्तित्ववाद के नाम से पुकारा जाता है।

6. टिलिच (Tillich)—टिलिच अमेरिका का रहने वाला था तथा इन्होंने वास्तविक रूप में सोरन कीर्कगार्द का अनुयायी कहा जाता है। टिलिच पूर्ण रूप से अस्तित्ववाद में विश्वास करता था इसी कारण से उसे एक पूर्ण अस्तित्ववादी दार्शनिक माना जा सकता है।

अस्तित्ववाद के सिद्धांत *(Principles of Existentialism)*

अस्तित्ववाद से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित हैं—

1. अस्तित्ववाद के अनुसार सत्य, शिव तथा सुदरम् का मूल्य व्यक्ति की स्वयं के आंतरिक इच्छा शक्ति पर आधारित होता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य, शिव तथा सुदंरम् का अर्थ तथा मूल्य भिन्न होता है।
3. व्यक्ति अपने आत्मज्ञान के आधार पर तथा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अनुसार की इन तीनों की पहचान करने में सक्षम होता है।
4. इसके अनुसार सत्य, शिव तथा सुदंरम् के संबंध में कोई अतिंम तथा सर्वमान्य प्रत्युत्तर नहीं दिया जा सकता है।
5. इन तीनों का पर्याप्त ज्ञान व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह इस भौतिक संसार में अपने आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत अस्तित्व को पहचानने में सक्षम हो जाता है।
6. व्यक्ति के आत्म के माध्यम से ही उसका वास्तविक अस्तित्व निर्मित होता है।
7. व्यक्ति का जीवन तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि वह सत्य, शिव तथा सुदंरम् के अर्थ और मूल्य से स्वयं को जोड़ नहीं लेता।
8. अस्तित्ववाद का मानना है कि सभी प्रकार का ज्ञान आत्मनिष्ठ तथा विषयगत होता है।

अस्तित्ववाद की शैक्षिक भूमिका या योगदान
(Educational Implications of Existentialism)

अस्तित्ववाद की शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका या योगदान निम्नलिखित प्रकार से है—
1. अस्तित्ववाद ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि दिखलाई है क्योंकि यह व्यक्ति में स्वयं के प्रति जागरूकता को उत्पन्न करने तथा साथ ही साथ अपनी समस्याओं तथा जिम्मेदारियों को समझने के योग्य बनाती है।
2. अस्तित्ववाद विद्यार्थी को शिक्षा-दर्शन के विषय में पूर्ण रूप से चुनाव करने तथा उसे पूर्ण अंत शक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु अवसर प्रदान करता है। इस दर्शन के अनुसार विद्यार्थी को समस्याओं के चयन में पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए।
3. अस्तित्ववाद बाल केन्द्रित शिक्षा का समर्थन करता है अर्थात् यह व्यक्तिवादी का प्रबल समर्थक है।
4. इस दर्शन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाने का होना चाहिए कि वह अपने आत्म या स्व को जान सके।
5. अस्तित्ववाद छात्रों के संबंध में यह आशा करता है कि वे अपने आपको इस योग्य बनाने की कोशिश करें कि वह इस उदासीन संसार में संघर्ष करते हुए अपने स्वयं के अस्तित्व को सिद्ध कर सके।
6. यह दर्शन ऐसी शिक्षा व्यवस्था का पक्षधर है जो छात्रों को इतनी पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करे कि वह अपने जीवन के प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने, अपनी रुचियों का विकास करने तथा अपने जीवन को समझने में सक्षम हो सके।
7. इस दर्शन का मानना है कि शिक्षक को इस योग्य होना चाहिए कि वह छात्रों को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान करे ताकि उसमें अपनी रुचियों तथा पसंदों का विकास करने की क्षमता विकसित हो सके।
8. अस्तित्ववाद वैज्ञानिक तथा तर्कपूर्ण शिक्षण विधियों का विरोध करता है, क्योंकि अस्तित्ववादियों का मानना है कि तर्कपूर्ण विधियाँ मानव के स्वतंत्र चिंतन में बाधा या रुकावट उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त यह दर्शन सामूहिक शिक्षण विधि का भी विरोध करता है। यह शिक्षण विधि को व्यक्ति केन्द्रित बनाने का प्रबल समर्थक है।
9. इस दर्शन के अनुसार विद्यालय की भूमिका या कर्तव्य केवल छात्रों को कुछ बताना ही नहीं रहना चाहिए बल्कि छात्रों को इस योग्य बनाना होना चाहिए कि वे आत्म ज्ञान प्राप्त कर सके तथा स्वयं को पहचानने में सक्षम हो सकें।
10. यह दर्शन शिक्षा से संबंधित व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन करता है तथा साथ ही इनका प्रतिपादन भी करता है।
11. अस्तित्ववाद ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो मानव को आत्मज्ञान प्रदान करने तथा स्वयं को पहचानने के योग्य बनाये।
12. यह दर्शन सामूहिक शिक्षा का विरोधी है तथा व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा का पक्षधर है।

◆◆◆

LAXMI®

EXAM NOTES

ज्ञान तथा पाठ्यक्रम
[KNOWLEDGE & CURRICULUM]

[Paper–I]

UNIT–III

8. ***Conceptual Framework of Curriculum***
   - *Curriculum – Meaning, nature and its organizing curriculum components*
   - *Principles of curriculum construction*
   - *Bases of curriculum*
9. ***Different Approaches to Curriculum Theory***
   - *Traditional approach* ● *Learner driven approach*
   - *Critical approach*
10. ***Curriculum Process and Different ways of Approaching Curriculum Theory***
   - *Curriculum as product* ● *Curriculum as process*
   - *Participatory approach*

—: प्रकाशक :—
LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani TM
लक्ष्मी बुक डिपो
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008
Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

8

पाठ्यक्रम का सम्प्रत्यात्मक ढाँचा
[Conceptual Framwork of Curriculum]

8.1 पाठ्यक्रम-अर्थ, प्रकृति तथा इसको संगठित करने वाले घटक
(Curriculum–Meaning, Nature and its Organizing Curriculum Components)

1. पाठ्यक्रम के अर्थ प्रकृति तथा इसको संगठित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–

पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ *(Etymological meaning of Curriculum)*

पाठ्यक्रम शब्द आँग्ल भाषा के Curriculum (क्यूरीक्यूलम) शब्द का हिन्दी रूपांतरण है तथा आँग्ल भाषा का Curriculum शब्द लैटिन भाषा के Currere (कुर्रेर) शब्द से बना है, जिसका अर्थ है:-दौड़ का मैदान (Run way or race course)। यदि हम पाठ्यक्रम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि पाठ्यक्रम एक मार्ग है, जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा-प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है अथवा ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।

"It is a run way, a course which one runs to reach a goal."

प्राचीन मतानुसार पाठ्यक्रम की परिभाषा
(Definition of Curriculum according to Old Concept)

कनिंघम के अनुसार, **"पाठ्यक्रम कलाकार (शिक्षक) के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री (शिक्षार्थी) को अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपनी चित्रशाला (विद्यालय) में ढाल सके।"**

डॉ. सफाया के मतानुसार, **"पाठ्यक्रम स्कूलों में निर्देशन के कार्य के लिये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किये गये विषयों के समूह अथवा अध्ययन की विषय-वस्तु के रूप में जाना गया है।"**

("So the term curriculum came to signify a group of subjects or courses of study arranged in a particular sequence for instructional purpose in schools.)"

—Dr. R.N. Safaya

जॉन ड्यूबी के शब्दों में, **"सीखने के विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों एवम् सिद्धांतों का चित्रण है जो निरन्तर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं।"**

("Subject-matter of learning or curriculum is identical with all the objects, ideas and principles which enter as ovsources or obstacles into the continuous interactional present of a course of action.") **—John Dewey**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्राचीन मत के अनुसार बच्चे को उसके अध्ययन विषयों का ज्ञान देना ही पाठ्यक्रम का पर्यायवाची समझा जाता था। पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय में कोई अन्तर नहीं माना गया था। इसमें बालक को उसके विषय से संबंधित तथ्य व सूचनायें कण्ठस्थ करा दी जाती थीं। शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध में शिक्षक का स्थान सभी अधिकारों से युक्त था तथा शिक्षार्थी का स्थान गौण।

पाठ्यक्रम को संगठित करने वाले घटक

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक बनाने का कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। शिक्षा जहाँ व्यक्ति व समाज के समस्त ढाँचे में परिवर्तन व परिमार्जन लाने का दायित्व पूरा करती है, वहीं वह कुछ घटनाओं एवम् तत्त्वों से स्वयं भी प्रभावित होती रहती है। शिक्षा यह परिवर्तन अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से करती है। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग भी है तथा एक सामाजिक तथ्य भी है। पाठ्यक्रम का नियोजन शिक्षा की दृष्टि से सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है। इसलिए पाठ्यक्रम को शैक्षिक व सामाजिक दोनों ही घटक (components) प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक इस प्रकार हैं–

1. शिक्षा व्यवस्था (Organisation of Education)–शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम के मध्य अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम को समय के साथ-साथ प्रभावित करती रहती है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ ही पाठ्यक्रम का स्वरूप भी बदल जाता है। उदाहरण के लिये, शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक स्तर के बालकों के लिये मनोरंजनपूर्ण, क्रिया केन्द्रित व अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम की सिफारिश करती है। जबकि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा हो? इसलिये वह विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम का सुझाव देती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा प्रक्रिया पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है तथा उसमें आये परिवर्तन पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित कर देतेहैं।

2. शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)–सम्पूर्ण शिक्षा के इतिहास पर एक दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों ने पाठ्यक्रम पर अपना अत्यंत प्रभाव डाला है। विभिन्न कालों में शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किये गये, उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का नियोजन किया गया। वस्तुतः शिक्षा का पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीढ़ी माना जाता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम में निहित पाठ्यवस्तु बालकों को वही शिक्षा प्रदान करती है, जिससे बालक वे उद्देश्य प्राप्त कर सकें जो शिक्षा ने उनके लिये निर्धारित कर रखे हैं। उदाहरण के लिए, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति था तथा इसी अनुसार, बालकों को विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता था। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य बालक का पूर्ण विकास व उसे प्रजातंत्र के विकास के लिए तैयार करना है। इसके अतिरिक्त बालक का नैतिक विकास एवम् उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर बालकों को वर्तमान समय में अनेकों सामाजिक व व्यावसायिक विषय पढ़ाये जाते हैं।

3. परीक्षा प्रणाली (Examination System)–कई बार पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में ली जाने वाली परीक्षायें या मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा के पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावित करती हैं। परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप मुख्यतया दो प्रकार का होता है–1. निबंधात्मक, 2. वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक परीक्षा में पाठ्यवस्तु के व्यापक स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्यवस्तु के सूक्ष्म स्वरूप पर प्रश्न आधारित होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से पाठ्यवस्तु के उच्च उद्देश्यों को मापने का प्रयास किया जाता है। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से पाठ्यवस्तु के निम्न उद्देश्यों को ही मापन किया जाता है। इस प्रकार दोनों परीक्षाओं का आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के पाठ्यक्रम से बिल्कुल ही भिन्न होता है।

4. अध्ययम समिति (Board of Studies)–विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम का प्रारूप (Format) अध्ययन समितियाँ बनाती हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम निर्माण व सुधार व संशोधन कार्य भी इन अध्ययन समितियों के द्वारा ही किया जाता है। अध्ययन समिति

के सदस्यों की अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यतायें एवम् मानसिक क्षमतायें पाठ्यक्रम के प्रारूप को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अध्ययन समिति का पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

5. शासन पद्धति (Form of Government)–पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में शासन प्रणाली का अपना अलग स्थान है। जनतंत्रीय शासन प्रणाली में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व व सहयोग की शिक्षा प्रदान करता है तथा बालकों का समान जनतंत्रीय विकास करने वाले पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। इसके दूसरी ओर अधिनायकवादी शासन प्रणाली बालकों को शक्ति अर्जन व अधिकार स्थापित करने की योग्यता का विकास करने वाली शिक्षा पर बल देता है। राजतंत्र में पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों में मात्र अपने राजा का समर्थन व आज्ञा पालन के भाव भरे जाते हैं। इस प्रकार जिस देश में शासन का स्वरूप जैसा होगा, वैसा ही वहाँ के पाठ्यक्रम का स्वरूप भी होगा। शासन प्रणाली का परिवर्तन पाठ्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन के लिये भी उत्तरदायी है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियाँ (National Education Commissions and Committiees)–शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन व सुधार के लिये सरकार के द्वारा शिक्षा आयोग तथा समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियों संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करती हैं तथा उसमें व्याप्त समस्याओं का अवलोकन करके उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत करती हैं। ये समितियाँ शिक्षा के प्रत्येक अंग पर अपने विस्तृत व बहुमूल्य विचार प्रस्तुत करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में प्राथमिक शिक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा हेतु व उच्च शिक्षा हेतु क्रमशः शिक्षा आयोग (1964-66), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-1953) तथा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) का गठन किया गया। जिन्होंने इन क्षेत्रों में व्याप्त शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन किया। इन्होंने इन क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम व्यवस्था में भी परिवर्तन व सुधार लाने के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। शिक्षा के आयोगों तथा समितियों के सुझाव के आधार पर ही पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण किया जाता है।

7. सामाजिक परिवर्तन (Social Change)–समाज तथा शिक्षा परस्पर एक दूसरे पर अत्यंत प्रभाव डालते हैं। जहाँ एक ओर शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव होता है, वहीं दूसरी ओर समाज में होने वाले परिवर्तन शिक्षा पर भी व्यापक प्रभाव डालते हैं। जब समाज में भौतिक व व्यावसायिक परिवर्तन होते हैं, व्यावसायीकरण व नगरीकरण में तीव्रता आती है या समाज में कुछ कुप्रथायें आती हैं तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को परिवर्तित स्थितियों में सामंजस्य बिठाने के योग्य बनाया जाता है तथा शिक्षा के द्वारा ही समाज में व्याप्त कुप्रथाओं व कुरीतियों में उन्मूलन का प्रयास किया जाता है। यह परिवर्तन पाठ्यक्रम के द्वारा लाया जाता है। वर्तमान समय में समाज में दी जाने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा इस सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम है। साथ ही समाज में बढ़ती शिक्षा की माँग के फलस्वरूप विभिन्न दूरवर्ती शिक्षा व्यवस्था (Distance Education System), अल्पकालीन पाठ्यक्रम (Short-term courses), शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) आदि नवीन तथ्यों का भी शिक्षा में पदार्पण हुआ है। वर्तमान समय में दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education) भी समाज की माँग का ही परिणाम है।

8. अन्य (Others)–इन सभी के अतिरिक्त कुछ अन्य घटक भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ तत्त्व पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तथा कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिये, पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों के भावी जीवन तथा विषय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होता है। अतः यह पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त समाज तथा केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकार का भी पाठ्यक्रम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जबकि विभिन्न मूल्य, सामाजिक परम्परायें तथा विद्यालय आदि ऐसे घटक हैं जो पाठ्यक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसे हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं–

इस प्रकार पाठ्यक्रम किसी घटक से कम तथा किसी से अधिक प्रभावित होता है। इस पर कुछ घटक प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं तथा कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

8.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत (Principles of Curriculum Construction)

2. पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन-कौन से हैं? विस्तार से वर्णन करें।

अथवा

पाठ्यक्रम निर्माण और उसके विकास के कौन से सिद्धांत हैं? व्याख्या कीजिए।

अथवा

किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किन-किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे?

अथवा

"आज का बालक समाज का एक अंग है उससे अलग नहीं।" इस कथन के दृष्टिगत प्रजातंत्रात्मक देशों में पाठ्यक्रम के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–पाठ्यक्रम ही वह केन्द्र-बिन्दु है, जिसके चारों ओर शिक्षात्मक प्रयास संगठित किया जाता है और इसमें बच्चे की वे समस्त क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जिन्हें अध्यापकों के मार्गदर्शन में व्यवस्थित किया जाता है। पाठ्यक्रम रचना बिना सोचे-समझे की जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि यह एक सुनियोजित क्रिया है और इसे इस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए कि यह स्कूल के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो। पहले से विद्यमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाने वाली कोई भी नवीन क्रिया, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक निश्चित पग के रूप में सिद्ध होनी चाहिए, प्रभावशाली पाठ्यक्रम रचना के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों से सहायता ली जा सकती है–

1. शिशु-केन्द्रिता का सिद्धान्त (Principle of Child Centredness)–केन्द्रिता आधुनिक शिक्षा का नारा है। सामान्य बच्चों की क्रियाओं और आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया पाठ्यक्रम स्कूल के दायित्वों को पूरा करने का एक प्रभावशाली साधन है। अतः वे अनुभव, जिनसे समझदारी और अंतर्दृष्टि विकसित हो और वे क्रियाएं, जो व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति और उपक्रम को प्रेरित करती हों, साथ ही सामूहिक परियोजना को भी, पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

शिशु-केन्द्रित, पाठ्यक्रम का अर्थ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह है कि इसे बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। हम जानते हैं कि संसार में कोई दो बच्चे समान नहीं होते। अतः उनके लिए पाठ्यक्रम भिन्न-भिन्न होना चाहिए, परन्तु हर बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम का प्रावधान नहीं किया जा सकता। हाँ, बच्चों को उनकी रुचि, रुझान और योग्यता के अनुसार कुछ वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है–विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र साहित्यिक रुचि रखने वाले छात्र, हस्त-कार्य में रुचि लेने वाले छात्र आदि और उस दृष्टि से पाठ्यक्रम का नियोजन विभिन्न वर्गों में किया जा सकता है। इन सब वर्गों में भी अनेक विषयों का समावेश होना चाहिए और बच्चे को अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल विषय एवं क्रियाएँ चुनने के अवसर प्राप्त होने चाहिए।

हम जानते हैं कि हमारे देश में लड़के और लड़कियों के कार्य क्षेत्र में भिन्नता होती है। अतः लड़कों के लिए गणित अनिवार्य किया जाता है और लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान। परन्तु लड़कियों को भी अपनी रुचि के अनुकूल गणित विषय लेने की छूट होती है। इसको पाठ्यक्रम का विस्तृत होना अथवा लचीला होना कहा जाता है। लचीले पाठ्यक्रम में एक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि वह समस्त अनुभवों को अपनाता चले और नई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होती है, परन्तु देश पर आपत्ति आने पर इसे सैनिक प्रशिक्षण का रूप दिया जा सकता है। अतः उसका नियोजन उसी प्रकार होना चाहिए।

इस प्रकार हम जानते हैं कि ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताएँ शहरी बच्चों की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। अतः भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम बनाने चाहिए। परन्तु एक बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में भिन्नता होते हुए भी, किसी विशेष स्तर के पाठ्यक्रम में बच्चों के निजी अनुभवों पर विकसित होने वाली पाठ्य सामग्री क्रियाओं को ही रखा जाए, क्योंकि बच्चे इनमें ही रुचि लेते हैं।

2. समीकरण का सिद्धान्त (Principle of Integration)–पाठ्यक्रम इस प्रकार गठित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति की आन्तरिक पूर्णता में सहायक सिद्ध हो और व्यक्ति तथा वातावरण में अनुकूलन स्थापित करे। यह सिद्धान्त इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि पाठ्यक्रम को विभिन्न स्कूली विषयों में बांटने का पुराना तरीका मनमाना तथा व्यर्थ है। इसके विपरीत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार गठित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूल स्थापित कर सकें। ज्ञान अपने आप में पूर्ण इकाई है। हम केवल सुविधा के लिए उसे विश्लेषणात्मक ढंग से खंडों में बांटते हैं। इसलिए सीखने के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि किसी स्तर के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय सभी विषयों की पाठ्य-सामग्री ऐसी बनानी चाहिए, जिसे एक दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को स्वीकृत पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम व्यक्ति की आन्तरिक पूर्णता में सहायक होता है और व्यक्ति तथा वातावरण में अनुकूलता स्थापित करता है। अब शिक्षार्थी यह अनुभव करने लगे हैं कि पाठ्यक्रम को विभिन्न स्कूली विषयों में बांटना एक पुराना तथा व्यर्थ ढंग है।

3. सह-संबंध या समवाय का सिद्धान्त (Principle of Correlation)–पाठ्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाए कि इससे विभिन्न विषयों के समवायत या सह-संबंध ज्ञान की प्राप्ति हो। समवाय का सिद्धान्त इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है और इसे अलग-अलग टुकड़ों में प्रदान नहीं किया जा सकता। समवाय एकीकरण को ठोस बनाता है। अतः उत्तम सीखने के लिए यह आवश्यक है कि निजी स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाए, जिनमें आपस में संबंध हो। विभिन्न विषयों की पाठ्य-सामग्री ऐसी होनी चाहिए, जिसे एक दूसरे के आधार पर विकसित किया जा सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम को कम समय तथा कम शक्ति लगाकर पूरा किया जा सकता है। समय और शक्ति का सदुपयोग और उत्तम सीखने की दृष्टि से इस सिद्धान्त का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी के आधार पर एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। आज की प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक विधियों में ज्ञान हो एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित किया जाता है। इन विषयों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब पाठ्यक्रम का निर्माण इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाए।

4. लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of Flexibility)–पाठ्य को बालकों की रुचियों, विभिन्नताओं, प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह लचीला तथा विविधता से पूर्ण हो। हमें उन पर अनुपयुक्त विषयों का बोझ नहीं लादना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो इससे उनके सामान्य विकास में बाधा पड़ती है। अतः पाठ्यक्रम में ज्ञान, कुशलता और मूल्यांकन के उन विस्तृत क्षेत्रों का समावेश किया जाना चाहिए, जो बालक की व्यक्तिगत भिन्नता के दृष्टिकोण उनके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ।

5. पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकल होना चाहिए (The Curriculum should be in conformity with the aims of Education)–पाठ्यक्रम से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है, इसलिए इसका नियोजन करते समय हमें शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखना चाहिए और इसमें उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश करना चाहिए, जिनके ज्ञान और अभ्यास से बच्चे वैसे बन जाएं, जैसा कि हम उन्हें बनाना चाहते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य आधुनिकीकरण, उत्पादन में वृद्धि, बच्चे का नैतिक विकास और राष्ट्रीय एकता आदि है। प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। भारत में गिरते हुए नैतिक-स्तर को देखते हुए **कोठारी आयोग** ने नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। विषयों और क्रियाओं का चयन कुछ

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है और विभिन्न शैक्षिक स्तरों के लिए उनका स्वरूप और सीमा निश्चित की जाती हैं। आधुनिक युग में लोग यह भी महसूस करने लगे हैं कि बिना आध्यात्मिकता के हमारा भौतिक जीवन भी सुखमय नहीं हो सकता। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चों का आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। इसी प्रकार देश को शारीरिक विकास की भी बहुत आवश्यकता है। देश की 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद खेलों में एक कांस्यपदक भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय हमें इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि शारीरिक विकास के लिए किन-किन विषयों का ज्ञान तथा किन-किन क्रियाओं का अभ्यास लाभप्रद हो सकता है। इसके लिए हमें बच्चों को शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान आदि विषयों का सामान्य ज्ञान कराना चाहिए, हमें बच्चों को खेलकूद एवं अन्य व्यायाम कराने चाहिए और उन्हें दैनिक जीवन में स्वास्थ्यप्रद नियमों जैसे—प्रातः उठना, स्नान करना, शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों की सफाई करना, पौष्टिक आहार आदि का ज्ञान प्रदान करना चाहिए।

6. मानव-जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों का समावेश (Must Include all the Useful Experiences of Human Life)—पाठ्यक्रम में मानव जीवन के समस्त उपयोगी अनुभवों का समावेश होना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि शिक्षा मानव अनुभवों का पुनर्गठन तथा पुनर्निर्माण है। हम अपने पूर्वजों से जो कुछ सीखते हैं उसमें अपने अनुभवों को जोड़कर उसका विकास करते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन के सभी अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किसी दूसरे के अनुभवों को अपने अनुभवों की कसौटी पर परखने का पूरा-पूरा अवसर देना चाहिए, तभी तो सत्य और असत्य का निर्णय हो सकेगा।

7. पाठ्यक्रम के सामान्य ज्ञान एवं क्रियाएँ अनिवार्य और शेष ऐच्छिक होनी चाहिए (Curriculum must be an embodiment of compulsory general knowledge and activities and the rest optional)—संसार में ज्ञान असीमित है, परन्तु हमारी जीवन अवधि सीमित है। कोई मनुष्य एक जीवन में तो क्या अनन्त जीवनों में भी इस असीमित ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह सोचना आवश्यक बन जाता है कि पाठ्यक्रम में किन-किन विषयों तथा क्रियाओं को रखा जाए। आदिकाल से ही इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को लिखने-पढ़ने तथा सामान्य व्यवहार में दक्ष होना चाहिए। लोकतंत्रीय देश में प्रत्येक नागरिक का सामाजिक विकास होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम में भाषा, गणित और समाजशास्त्र तो अनिवार्य रूप से रखने चाहिए। अन्य सभी विषयों को वर्ग विषयों-विज्ञान, कला, कृषि आदि में बाँट देना चाहिए। विषयों के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ-साथ उपयोगी बंधन होना आवश्यक है। जैसे—गणित के अभाव में भौतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता, अतः भौतिक विज्ञान के छात्रों के लिए गणित का अध्ययन अनिवार्य हो। इसी प्रकार क्रियाओं में खेलकूद व्यायाम, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं को अनिवार्य किया जाए, परन्तु बच्चे किस खेल अथवा किस साहित्यिक क्रिया में भाग लें, यह उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए।

8. उपयोगिता का सिद्धान्त (Principle of Utility)—विषयों एवं क्रियाओं का क्रम उपयोगिता की दृष्टि से होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए कौन-सा विषय अथवा कौन-सी क्रिया अधिक उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्र भारत में लोगों के आर्थिक जीवन को ऊपर उठाना बहुत आवश्यक है। इसलिए विज्ञान एवं टैक्नोलोजी के विषयों की वर्तमान युग में बहुत उपयोगिता है। इसे हर स्थान के पाठ्यक्रम में उपयुक्त स्थान देना होगा। इसी प्रकार लोकतंत्रात्मक देश में प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। उच्च चारित्रिक विकास के लिए नैतिक शिक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद भौतिक सभ्यता की बात आती है, जिसके लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः इसे दूसरे स्थान पर रखना चाहिए। शरीर तो सब धर्मो का साधन है, उसके बिना तो कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। अतः इसके विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार शेष विषयों और क्रियाओं के लिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ही समय निश्चित करना चाहिए।

9. विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम होने का सिद्धान्त (Principle of having different curriculum at different levels)—मनोविज्ञान के ज्ञान से हमें पता चलता है कि भिन्न-भिन्न स्तर के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भिन्नता होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें विशेष स्तर के बच्चों की इस भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए और पाठ्यक्रम में वे ही विषय एवं क्रियाएँ रखनी चाहिए, जिन्हें बच्चे रुचिपूर्वक सक्रिय रूप से ग्रहण कर सकें और जो उनकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस प्रकार पाठ्यक्रम बच्चे के जीवन को आदर्श जीवन की ओर ले जाने वाला होना चाहिए।

10. कौतूहल, पवित्रता और सामान्यीकरण का सिद्धान्त (Principle of awakening purity and generalisation)—इस सिद्धान्त का प्रतिपादन **व्हाइट हैड** ने किया है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों में कौतूहल जागृत करें, जिससे बच्चे ज्ञान को प्रकट करें। पवित्रता से उनका तात्पर्य पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों और क्रियाओं के समावेश से है, जो बच्चों को सद्मार्ग पर लाती हैं। सीखे हुए ज्ञान अथवा क्रिया का प्रयोग सामान्यीकरण है। इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो बच्चों को ज्ञान और क्रिया की ओर आकर्षित करे और जिसे पूरा करने के बाद बच्चे वास्तविक जीवन में सफल हो सकें।

11. सीखने के अनुभवों में निरन्तरता का सिद्धान्त (Principle of continuity learning experiences)—पाठ्यक्रम को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए कि उससे प्राप्त अनुभवों से बच्चों को जटिल सामग्री को समझने में भी सहायता मिले और उसमें अभिव्यक्ति की प्रभावशाली कलाओं का अधिक से अधिक विकास हो। जिस पाठ्यक्रम में सीखने के अनुभवों की निरन्तरता होती है वह बच्चे को धीरे-धीरे अपरिचित से परिचित की ओर ले जाता है, परिणामस्वरूप बच्चों का अधिगम तेज हो जाता है।

12. संस्कृति को सँभालने का सिद्धान्त (Principle of conservation of culture)—मनुष्य तथा पर्यावरण में अंतःक्रियाएँ चलती रहती हैं। अतः इन क्रियाओं का परिणाम एक विशेष प्रकार का नवीन ढंग होता है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। पाठ्यक्रम का एक आवश्यक सिद्धान्त है कि इस संस्कृति को बचाकर रखा जाए तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किया जाए।

13. जीवन से संबंधित होने का सिद्धान्त (Principle of linking with life)—पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों और क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, जिनका वास्तविक जीवन से संबंध हो। इनके द्वारा छात्रों में उन योग्यताओं और क्षमताओं का विकास हो सकेगा जो उन्हें भावी सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने में सहायक सिद्ध होंगे, साथ ही वह समाज में अपना समुचित स्थान बना सकेगा।

14. व्यापकता का सिद्धान्त (Principle of broadness)—पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाए कि यह शैक्षिक-विषयों से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित न रहे वरन् यह ऐसा होना चाहिए कि छात्रों की समस्त शैक्षिक वातावरण की अभिव्यक्ति कराने की क्षमता रखता हो और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि छात्रों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। यह व्यवस्था ही छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

15. अवकाश के सदुपयोग का सिद्धान्त (Principle of appropriate use of leisure time)—उपयुक्त पाठ्यक्रम अवकाश के समय का सदुपयोग भी सिखाता है। कम और अवकाश एक-दूसरे के साथ चलने चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को केवल काम के लिए ही नहीं, बल्कि अवकाश के सदुपयोग के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सके।

16. सामूहिक जीवन के साथ सशक्त संबंध (Principle of vital relationship with group life)—पाठ्यक्रम का सामूहिक जीवन के साथ सशक्त संबंध होना चाहिए। बच्चे को समझाने के लिए समाज की मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण क्रियाओं से संपर्क स्थापित करना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि पाठ्यक्रम में उत्पादन कार्य को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाए, क्योंकि उत्पादन कार्य संगठित मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

17. सीखने के अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धान्त (Principle of totality of learning experiences)—पाठ्यक्रम की रचना स्कूल में पढ़ाए जाने वाले शैक्षणिक विषयों के आधार पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें उन सभी अनुभवों को भी सम्मिलित करना चाहिए, जो विद्यार्थी स्कूल, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा खेल के मैदान आदि बहुमुखी क्रियाओं से प्राप्त करता है। इसमें वे अनुभव भी सम्मिलित हैं, जिन्हें बच्चा शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के अनौपचारिक संबंधों से प्राप्त करता है। इस प्रकार समूचा स्कूली जीवन ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाता है जो प्रत्येक पक्ष से विद्यार्थियों के जीवन को स्पर्श करता है और संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है।

18. सामुदायिक केन्द्रिता का सिद्धान्त (Principle of Community Centredness)—आज का बच्चा कल का प्रौढ़ बनेगा, उसे अपने आपको जिस समुदाय में वह रहता है, के साथ समावेश करना होगा। पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए, जो उसे समाज का एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता प्रदान करे।

19. रचनात्मकता का सिद्धान्त (Principle of Creativity)—प्रत्येक बालक में कुछ रचनात्मक शक्तियाँ होती हैं। पाठ्यक्रम को कुछ इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वह छात्रों को रचनात्मक कार्यों का अवसर प्रदान करे। इससे उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा। विद्यार्थियों को सृजनात्मक और कलात्मक रचना के कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।

20. विकास का सिद्धान्त (Principle of development)—पाठ्यक्रम के निर्माण में समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। समाज स्थिर नहीं होता है, इसका विकास होता रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम को भी स्थिर नहीं होना चाहिए। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन होते रहने चाहिए। इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि विकास की गुंजाइश बनी रहे।

21. उत्तम आचरण के आदर्शों की उपलब्धि का सिद्धान्त (Principle of attaining ideals of good conduct)—प्रत्येक समाज अपनी शिक्षा से अपेक्षा करता है कि बालक का आचरण उत्तम हो, क्योंकि ऐसा होने पर वे अपने भावी जीवन को उत्तम बना सकेंगे। इसलिए उपयुक्त एवं आवश्यक आचरण की नींव जीवन के प्रारंभ में ही डाल ली जाए। यह तभी संभव होगा, जब उत्तम आचरण के प्रशिक्षण के पर्याप्त अवसर पाठ्यक्रम में दिए जाएं। इससे उत्तम व जागरूक नागरिक तैयार किए जा सकेंगे।

22. तत्परता का सिद्धान्त (Principle of readiness)—वही ज्ञान प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण होता है, जिसके सीखने के लिए छात्र प्रेरित होता है या उसमें सीखने के प्रति तत्परता होती है। तत्परता के लिए आवश्यक है कि छात्र के पास उपयुक्त ज्ञान एवं कौशल हो और सीखने के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण हो। इसके साथ-साथ वातावरण और विशेष रूप से विद्यालयी वातावरण भी अधिगम तत्परता को प्रभावित करता है। इसलिए पाठ्यक्रम की रचना ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि अध्यापक समय पर विषय पढ़ा सके।

23. राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं लोकतंत्रात्मक गुणों के विकास का सिद्धान्त (Principle of inclusion of national goals and democratic values)—स्वतंत्र भारत ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। देश की समस्त शिक्षा प्रणाली का आधार राष्ट्रीय लक्ष्यों में है। पाठ्यक्रम की रचना करते समय राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं भावनाओं का समावेश करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत हमें अपने छात्रों को देश की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए तथा उनके अंदर स्वतंत्र विचारधारा, तार्किक निर्णय करने की शक्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। लोकतन्त्रात्मक प्रणाली तभी सफल हो सकती है, जब शिक्षा के सभी पहलुओं में लोकतंत्र नजर आए। इसलिए पाठ्यक्रम में भी समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता एवं सहयोग जैसे—लोकतान्त्रिक मूल्यों के विकास के लिए विभिन्न क्रिया-कलापों का आयोजन कर व्यावहारिक रूप देने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

24. परिपक्वता का सिद्धान्त (Principle of maturity)—जैसे-जैसे विद्यार्थी बड़ा होता जाता है, उसकी रुचियों तथा दृष्टिकोणों में भी परिवर्तन होते जाते हैं। उदाहरण के लिए—आरंभिक बाल्यकाल का समय आश्चर्य तथा रोमांस का होता है। इसलिए इस स्तर पर केवल उन्हीं विषयों तथा क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिनमें रोमांचकारी घटनाओं के तत्व सम्मिलित हों। इसके पश्चात् विद्यार्थी व्यावहारिक वस्तुओं में रुचि रखते हैं। इसलिए निम्न माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में व्यावहारिक समस्याओं का समावेश करना चाहिए।

◆◆◆

8.3 पाठ्यक्रम के आधार
(Bases of Curriculum)

3. पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए।
(Describe the main bases of Curriculum.)

अथवा

पाठ्यक्रम के विभिन्न आधारों से आपका क्या अभिप्राय है? विस्तारपूर्वक बताइए।
(What do you mean by bases of curriculum? Explain in detail.)

(June 2018)

उत्तर—मानव जीवन में शिक्षा का अद्वितीय महत्त्व है। शिक्षा के अभाव में मानव को मानव कह पाना असंभव होगा। शिक्षा के अभाव में मनुष्य केवल प्राणी मात्र रह सकता है, मानव या इन्सान नहीं। शिक्षा प्राप्त करके ही व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा एक जटिल एवम् व्यापक प्रक्रिया है, जो जीवन-पर्यन्त चलती रहती है। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति अपनी अपरिपक्वता को परिपक्वता, बर्बरता को सभ्यता तथा पाशविकता को मानवता में परिवर्तित करता है। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और यह पाठ्यक्रम समय-समय पर अपने तत्कालीन समाज की दशाओं एवम् परिवर्तनों से प्रभावित होता रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण एवम् विकास की प्रक्रिया अनेकों तथ्यों व सिद्धांतों पर निर्भर करती है। अध्ययन की सुविधा के लिये पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है—

1. दार्शनिक आधार (Philosophical Base)
2. मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Base)
3. ऐतिहासिक आधार (Historical Base)
4. सामाजिक आधार (Sociological Base)
5. सांस्कृतिक आधार (Cultural Base)
6. वैज्ञानिक आधार (Scientific Base)

1. दार्शनिक आधार (Philosophical Base)—प्रसिद्ध विद्वान एवम् दार्शनिक 'अरस्तु' के मतानुसार, "दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्त्व के यथार्थ स्वरूप की जाँच करता है।"

(Philosophy is a science which investigates the nature of being, as it is in itself.)

ब्राइटमैन के शब्दों में, "दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है, जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता हैं, अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं।"

("Philosophy may be defined as the attempt to think truely about human experience as a whole or to make our whole experience intelligible.")

फिक्टे के शब्दों में, "दर्शन ज्ञान का विज्ञान है।"

("Philosophy is the science of knowledge.")

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि दर्शनशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है तथा दर्शन का संबंध मानव जीवन की अनुभूतियों से है।

प्रत्येक व्यक्ति एवम् समाज का अपना जीवन-दर्शन होता है। किसी भी व्यक्ति अथवा समाज को अच्छी तरह से समझने एवम् उनके संबंध में निर्णय लेने से पहले उसके जीवन-दर्शन को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष एवम् क्षेत्र में व्यक्ति के दर्शन का विशेष महत्त्व होता है। दर्शन के महत्त्व की अवहेलना जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं की जा सकती। इस तथ्य का अनुमान अंग्रेजी साहित्यकार एवम् समालोचक जी.के.चेर्स्टन (G.K. Chesteron) के प्रस्तुत कथन से भी लगाया जा सकता है, "कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य के विषय में सबसे व्यावहारिक एवम् प्रमुख वस्तु ब्रह्माण्ड के विषय में इसका दृष्टिकोण है। मकान मालकिन के लिये यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उसके बनने वाले किरायेदार की आय क्या है, परन्तु उसके लिए यह जानना कि उसका जीवन दर्शन क्या है और भी महत्त्वपूर्ण है। सेनापति के लिये शत्रु से लड़ने के लिए उसकी सेना की संख्या जानना तो महत्त्वपूर्ण है ही, परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण शत्रु के दर्शन को जानना आवश्यक है।"

उपरोक्त कथन द्वारा स्पष्ट है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन का महत्त्व है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवम् पक्ष से दर्शन का संबंध है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि दर्शन का संबंध शिक्षा से भी होता है। यदि यह कहा जाये कि शिक्षा संबंधी समस्त पक्ष अन्ततः जीवन दर्शन से संबंधित प्रश्न ही होते हैं तो किसी प्रकार की असंगति नहीं होगी। दर्शन का शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अनेक दार्शनिक तथ्य शिक्षा के स्वरूप, प्रणाली एवम् महत्त्व को प्रभावित करते हैं।

दर्शन व शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ व अनुशासन व्यवस्था आदि सभी पक्ष समसामयिक दर्शन से प्रभावित होते हैं।

पाठ्यक्रम का तो मेरुदण्ड ही दर्शन है। बालक को क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाया जाये? इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति व समाज की दार्शनिक मान्यता के अनुरूप ही तय किया जाता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन द्वारा ही होता है, तब यह स्वाभाविक ही है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या पर दर्शन का प्रभाव पड़े। एक समय था जब भारतवर्ष में शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उस काल के पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र एवम् नीतिशास्त्र के अध्ययन तथा इन्द्रिय-निग्रह को अधिक महत्त्व दिया जाता था। इससे भिन्न आधुनिक युग में, जबकि शिक्षा के भौतिकवादी उद्देश्य अत्यधिक प्रबल है, तब हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम में तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण एवम् भौतिक विज्ञानों को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है।

प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। कई बार इन विचारधाराओं के कारण पाठ्यक्रम में निहित विषयों व क्रियाओं को लेकर अनेकों मतभेद भी सामने आये हैं। उदाहरण के लिये कुछ व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला व संस्कृत पढ़ने की सिफारिश करते हैं तो कुछ अन्य व्यक्ति इन्हें अनावश्यक बताते हैं। आर्य समाजी शिक्षा शास्त्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को अनिवार्य मानते हैं, जबकि कुछ भारतीय शिक्षाशास्त्री इसे बेकार समझते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने बालकों को कहानियाँ न पढ़ाने की वकालत की थी जबकि मैडम मरिया मान्तेसरी ने कहानियों को बहुत उपयोगी बताया था। इन सभी के पीछे उनकी स्वयं की दार्शनिक विचारधारा थी।

जब भी कोई दार्शनिक विचारधारा विकसित होती है तो उस समाज के पाठ्यक्रम को अवश्य ही प्रभावित करती है। इस तथ्य के अनुरूप **'रस्क'** ने भी उचित ही लिखा है, "दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है, उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं है।"

दर्शनशास्त्र न केवल शिक्षा के लिये उसके पाठ्यक्रम के निर्धारण में योगदान देता है, अपितु दर्शन ही पाठ्य विषयों संख्या का भी निर्धारण करता है। इसका कारण यह है कि जब समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, आवश्यकतायें व आदर्श उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं के अनुकूल शिक्षा के उद्देश्यों में भी

वृद्धि करनी पड़ती है। शिक्षा के उद्देश्यों में वृद्धि के कारण उनकी पूर्ति के लिये पाठ्य विषयों में भी वृद्धि करनी पड़ती है। आज के भौतिकवादी युग में मानवीयता की उपेक्षा न हो, इसलिए इंजीनियरिंग आदि के प्रशिक्षण में मानवीय विज्ञान (Humanities) को भी स्थान दिया जाने लगा है। यह दर्शनशास्त्र द्वारा ही निश्चित हुआ है।

देश और काल के परिवर्तन के फलस्वरूप अभी तक जिन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का अभ्युदय हुआ है, उनमें प्रमुख विचारधारायें निम्नलिखित हैं–

1. आदर्शवाद (Idealism)
2. प्रकृतिवाद (Naturalism)
3. प्रयोजनवाद (Pragmatism)
4. यथार्थवाद (Realism)
5. अस्तित्ववाद (Existentialism)।

2. मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Base)–मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी (Rational Animal) है। इस बौद्धिक प्राणी के सर्वांगीण विकास के लिये सबसे आवश्यक बात यह होती है कि हमें उसके अनुभव (Experience) एवम् व्यवहार (Behaviour) के संबंध में वास्तविक जानकारी (Real knowledge) हो। इस संदर्भ में मनोविज्ञान अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। क्योंकि वह मनुष्य के अनुभव एवम् व्यवहार का विज्ञानहै।

साधारण शब्दों में, कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान वह सब कुछ है जो मनोवैज्ञानिक करते हैं परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान रहा है तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर इसका अर्थ भी परिवर्तित होता रहा है। प्रारंभ में मनोविज्ञान को क्रमशः आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान तथा चेतना का ज्ञान माना जाता रहा परंतु वर्तमान में इसे 'व्यवहार के विज्ञान' के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। **पिल्सबरी** के अनुसार, "सर्वाधिक सन्तोषजनक रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में देखी जा सकती है।"

(*"Psychology may be most satisfactorily defined as the science of human behaviour."* **—Pilsbury**)

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। अध्यापक को कदम-कदम पर मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है तथा प्रत्येक समस्या के समाधान के लिये मनोविज्ञान की आवश्यकता अनुभव होती है। यही आवश्यकता पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। शिक्षा में मनोविज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही वर्तमान समय में वैयक्तिक भेद के अनुसार शिक्षण-कार्य संभव हो सका है। पहले यह समझा जाता था कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय पढ़ाया जा सकता है, परन्तु अब नवीन मनोवैज्ञानिक खोजों के अनुसार व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की इन्हीं रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं एवम् स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार किया जाता है। यह देन मनोविज्ञान की ही है।

वर्तमान समय में बौद्धिक विकास के अनुसार बालकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुसार कुछ बालक मन्द बुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े, कुछ सामान्य तथा कुछ कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि भिन्न-भिन्न बौद्धिक विकास वाले बालकों का शिक्षण भिन्न-भिन्न प्रकार से होना चाहिये।

आधुनिक मनोविज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक बालक के विकास की विभिन्न अवस्थायें होती हैं। जैसे–बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिये। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के ज्ञान के अभाव में बालक एक सी व नीरस शिक्षा प्राप्त करते रहते व अपना सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ रहते।

शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणामस्वरूप ही अब बाल केन्द्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बालक को केन्द्र बनाकर किया जाता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का केन्द्र बालक को होना चाहिये। प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

प्रक्रिया का सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दु शिक्षक को माना जाता था व छात्र को गौण स्थान प्राप्त था। शिक्षा की समस्त प्रक्रिया शिक्षक के चारों ओर घूमती रहती है। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया छात्र के चारों ओर घूमती है व छात्र के अनकूल कार्य करती है।

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बालक साध्य है और अध्यापक केवल एक साधन मात्र है। यही नहीं आज प्रत्येक कुशल एवम् योग्य शिक्षक के लिये जहाँ अपने विषय का ज्ञान होना आवश्यक है वहीं साथ ही साथ मानव स्वभाव एवम् व्यवहार की परख भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बालक की क्रियाशीलता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक विषयों के साथ-साथ क्रियात्मकता का भी समावेश किया गया है। मनोविज्ञान ने ही यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि पाठ्यक्रम में औपचारिक विषयों का अध्ययन मात्र न होकर खेलों और क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए।

उपरोक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर पाठ्यक्रम पर, मनोविज्ञान का विशेष महत्त्व एवम् प्रभाव है। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणामस्वरूप शिक्षा का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली इस क्रांति का श्रेय मनोविज्ञान को ही है।

3. ऐतिहासिक आधार (Historical Base)—इतिहास उन मानवों की कहानी है, जो समाज में रहते हैं। इतिहास के अन्तर्गत प्राचीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से हमें समस्त प्राचीन रीति-रिवाजों, परम्पराओं, सामाजिक, राजनीति एवम् शैक्षिक संस्थाओं का ज्ञान होता है।

शिक्षा एवम् इतिहास का निकट सम्बन्ध है। शिक्षाशास्त्र समाज की आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य करता है। साथ ही वह समाज की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करता है। परन्तु वह यह कार्य अकेले सम्पन्न नहीं कर सकता। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपाय व साधन ढूँढने और योजनायें बनाने में उसे इतिहास के अध्ययन से पर्याप्त सहायता मिलती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिये इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास के द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि पूर्वकाल में शिक्षा की क्या व्यवस्थायें थीं और तत्कालीन समाज के लिये ये कहाँ तक उपयोगी थीं। इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही यह ज्ञात हो सकता है कि पूर्वकालीन समाज की शैक्षिक समस्यायें क्या-क्या थीं। समस्याओं के स्वरूप के अतिरिक्त इतिहास के अध्ययन द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उनके निवारण के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये गये और उन प्रयत्नों को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई।

पूर्वकालीन पाठ्यक्रम में जो दोष व कमियाँ थीं उन्हें इतिहास के अध्ययन द्वारा वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास किया जाता है।

इतिहास के अध्ययन से ही यह ज्ञात होता है कि भूतकालीन शैक्षिक समस्याओं के निवारण के लिये किये गये प्रयास किन कारणों से असफल रहे। इस प्रकार की सूचनाओं से पाठ्यक्रम की समस्याओं के निवारण एवम् पाठ्यक्रम संबंधी योजनाओं के निर्धारण के लिये अन्तः दृष्टि प्राप्त होती है। इहिास के अध्ययन के द्वारा ही गत असफलताओं के कारणों को ज्ञात कर उनका निवारण करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा एवम् इतिहास का अत्यंत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और इतिहास शैक्षिक जगत में पाठ्यक्रम को अत्यंत गहनता से प्रभावित करता है। इतिहास का अध्ययन शिक्षा शास्त्र के लिये आधार तथा पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस प्रकार से जैसे इतिहास शिक्षाशास्त्र का व उसकी समस्याओं आदि का अध्ययन करता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में समाहित होकर उसको समृद्धशाली भी बनाता है।

4. सामाजिक आधार (Sociological Base)—मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म तथा विकास समाज में होता है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेकों कर्त्तव्यों का पालन करना होता है जिसमें शिक्षा मनुष्य का पथ-प्रदर्शन करती है। परंतु यहाँ दर्शनीय बात यह है कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति समाज में रहकर ही कर सकता है। वह अकेले रहकर किसी कार्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता। अकेले रहकर वह सब कुछ नहीं सीख सकता है। उसके प्रत्येक कार्य में समाज उसका सहायक एवम् पथप्रदर्शक होता है। इस प्रकार समाज में रहने के लिये, आवश्यक शिक्षा प्राप्ति के लिये अन्य आवश्यक कार्यों के सपादन के लिये व्यक्ति को समाज एवम् इसमें रहने वाले अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता है।

शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज शिक्षा के लिये आधार प्रस्तुत करता है। अन्य शब्दों में, शिक्षा एवम् सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा सम्बन्ध है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को एवम् शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, विषय-वस्तु, क्रियायें, शिक्षालय संगठन, विधियाँ तथा मूल्यांकन सभी सम्मिलित हैं।

ओटावे के मतानुसार, "शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है।" इसकी विधि और इसके लक्ष्य समाज विशेष की मान्यताओं के अनुसार तय होते हैं। **जॉन ड्यूवी** ने भी सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। ब्राउन ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि "समूह की सामाजिक चेतना में व्यक्ति का योगदान शिक्षा व समाज के मिले-जुले प्रयासों के कारण ही संभव है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा एवम् समाजशास्त्र के मध्य गहरा संबंध है। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को प्रभावक तत्त्व प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र में शिक्षा के सामाजिक प्रभावों तथा मनुष्य के जीवन में उसकी गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर शिक्षा शास्त्र में समाज में व शिक्षा के स्वरूप तथा व्यक्तित्व विकास में योगदान आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है।

यदि शिक्षाशास्त्र को समाजशास्त्र का योगदान प्राप्त न हो तो शिक्षा अपने उद्देश्य की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती है। समाजशास्त्र ने शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम को समाजोपयोगी बनाने का पूर्ण प्रयास किया है, जिसके बिना समाज के सदस्यों की सामाजिक ज्ञान की पूर्ति हो पाना सम्भव नहीं था। यह समाजशास्त्र की ही देन है कि वर्तमान पाठ्यक्रम सामाजिक आदर्शों एवम् सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हैं। पाठ्यक्रम में समाज की दशाओं, समस्याओं तथा मान्यताओं को स्थान दिया गया है, पाठ्यक्रम बालकों को समाज-सेवा तथा जीविकोपार्जन के लिये तैयार करता है तथा वर्तमान पाठ्यक्रम में सामाजिक विषयों तथा सामाजिक क्रियाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समाजशास्त्रीय आधारों ने पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावित किया है और साथ ही समृद्ध भी।

5. सांस्कृतिक आधार (Cultural Base)—साधारण बोलचाल में संस्कृति शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि 'अमुक व्यक्ति सुसंस्कृत है; अमुक व्यक्ति की सांस्कृतिक कार्यों में कोई रुचि नहीं है अथवा 'भारतीय संस्कृति महान है।' इस प्रकार के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि संस्कृति की अवधारणा अत्यंत जटिल है तथा उसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इस संबंध में **टायलर** ने उचित ही कहा है, 'संस्कृति एक जटिल सम्पूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलायें, नीति, विधि, रीति-रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यतायें एवम् आदतें सम्मिलित हैं।'

संस्कृति का प्रत्यय अत्यधिक व्यापक है और इसका संबंध व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों से है। अपने व्यापक अर्थ में व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, वह सब संस्कृति में सम्मिलित है। शिक्षा भी अर्जित की जाती है न कि वह कोई जन्मजात गुण है। इस प्रकार शिक्षा भी संस्कृति का एक अंग है। वस्तुतः शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्य एवं अन्य पक्षों का निर्धारण संस्कृति द्वारा ही होता है। इस प्रकार शिक्षा एवम् संस्कृति का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध है।

समाज की जैसी संस्कृति होती है, उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जहाँ की संस्कृति में धर्म अथवा आध्यात्मिक भावना प्रधान होती है, वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अनिश्चित होता है। संस्कृति के द्वारा उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रिया पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है। संस्कृति द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ, विद्यालय एवम् अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है।

शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी संस्कृति अत्यंत प्रभावित करती है। चूँकि समाज की संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करती है और पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति पर ही आधारित होता है। चूँकि विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसीलिए समाज में फैली हुई संस्कृति

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

विद्यालयों में दिखाई देती है। इस दृष्टि से विद्यालय समाज की संस्कृति के केन्द्र होते हैं। संस्कृति शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि और अनुशासन व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। इसी प्रकार नारी शिक्षा, सह शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि शैक्षिक समस्याओं के विषय में निर्णय भी संस्कृति के आधार पर किये जाते हैं।

6. वैज्ञानिक आधार (Scientific Base)—वर्तमान युग में विज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। विज्ञान आज सभ्यता एवम् संस्कृति का पर्याय बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव एवम् महत्त्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश शिक्षाशास्त्रियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवम् तकनीकी विषयों के समावेश पर बल दिया है ताकि बालक, समाज व पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके।

'पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के महत्त्वपूर्ण स्थान पर बल दिया जाये' इस विचार के प्रमुख प्रतिपादक हरबर्ट स्पेंसर हैं। उन्होंने माना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के सम्मिलित किये जाने पर बल दिया है। उन्होंने बालकों के अध्ययन के लिये शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र आदि विषयों की सिफारिश की है।

सामान्यतः विज्ञान के निम्न तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं—

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. जीव विज्ञान।

शिक्षा शास्त्र का इन तीनों विज्ञानों से गहन संबंध है तथापि यह भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान से कम तथा जीव विज्ञान से विशेष रूप से संबंधित है। विज्ञान बालकों में चिन्तन की प्रकृति एवम् तर्कशीलता को बढ़ाने पर बल देता है। विज्ञान ही शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करता है। विज्ञान ही शिक्षा जगत के सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिये आधार प्रस्तुत करता है।

वर्तमान समय में विज्ञान विषय के शिक्षण की आवश्यकता इतनी वृहद् है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त लगभग सभी आयोगों ने विज्ञान एवम् तकनीकी विषयों के पाठ्यक्रम में लाये जाने की बात कही है। यह शिक्षा को विज्ञान की देन ही है जो भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान व तकनीकी विषयों का भी व्यापक प्रसार हुआ है। विज्ञान ने ही प्रशिक्षित वैज्ञानिक एवम् तकनीशियन मानव शक्ति में भी व्यापक वृद्धि करी है। यह विज्ञान का ही प्रभाव है कि आज भारत में कृषि शिक्षा हेतु लगभग 20 विश्वविद्यालय एवम् 100 से अधिक कॉलेज हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवम् कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि क्षेत्र में अनगिनत अनुसंधान किये गये तथा परिणामस्वरूप हरित क्रांन्ति, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि व कृषि उत्पादन में वृद्धि आदि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त हुई। आज प्रत्येक जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना की गई है, जिससे इंजीनियरिंग की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। चिकित्सा क्षेत्र में भी जहाँ पर 1947 में मात्र 15 मेडिकल कॉलेज थे। वहीं आज देश में इनकी संख्या 100 हो गई है। औषधि अनुसंधान संस्थानों ने भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य ने अनेकों घातक बीमारियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है तथा मनुष्य की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं।

◆◆◆

9

पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न उपागम
[Different Approaches to Curriculum Theory]

9.1 परम्परागत उपागम (Traditional Approaches)

1. पाठ्यक्रम के परम्परागत उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं?

अथवा

पाठ्यक्रम सिद्धान्त की परम्परावादी पद्धति की व्याख्या कीजिए।

(Explain Traditional approach to curriculum theory.)

(June 2018)

उत्तर—परम्परागत पाठ्यक्रम आज आलोचना का केन्द्र बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आज जो नवीन प्रवृत्तियाँ आई हैं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि परम्परागत पाठ्यक्रम न तो युग के अनुकूल है और न ही बालक के। इससे इस दोष को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तावित करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें लागू किया गया है। किन्तु युग-युग से चले आ रहे इस पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी शक्ति है कि हम किसी न किसी रूप में इसे अपनाए हुए है और सब कुछ देखते समझते हुए भी इसका मोह त्याग नहीं पाए। पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित होने के कारण यह "पुस्तक का पाठ्यक्रम तथा विषयों को केन्द्र मानकर चलने के कारण यह "विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम कहलाता है।"

परम्परागत पाठ्यक्रम में बालक को महत्त्व न देकर विषयों को महत्त्व दिया जाता है। यह बात पूर्व निर्धारित होती है कि बालक को क्या पढ़ना है तथा शिक्षक को क्या पढ़ाना है। विषय के प्रत्येक प्रकरण की व्याख्या की जाती है। अध्यापक केवल उसी विषय तथा प्रकरण को पढ़ाता है जो पुस्तकों में दिया हुआ हो। इसके बाहर से वह कुछ भी नहीं पढ़ा पाता, चाहे बालक के लिए वह कितना ही आवश्यक क्यों न हो।

डॉ. सफाया के मतानुसार—**"प्रत्येक विषय का अलग अस्तित्व तथा उसकी प्रकृति तथा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। समस्त बल व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास के लिए अध्ययन के मूल्यों की अपेक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर ही दिया जाता है।"**

अलबर्टी महोदय ने विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा करते हुए कहा है..."छात्रों की क्रियाओं को विषय केन्द्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है।"

("...Students activities are to be determined and organised upon a subject centred basis."—H. Alberty)

सेलर एवम् अलेक्जेन्डर ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है, "इस योजना में ज्ञान के संगठित अंगों के अध्ययन के अनुभव को शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रगोग में आने वाली प्रमुख विधि माना जाता

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

है। तथ्यों, विवरणों, व्याख्याओं, सामान्यीकरणों, सिद्धांतों तथा धाराणाओं से युक्त ज्ञान को सामग्री के अंगों के रूप में गठित तथा पुनर्गठित किया जाता है।''

भाटिया एवम् नारंग के मत के अनुसार–**''परम्परागत प्रणाली पाठ्यक्रम को अलग-अलग विषयों के उस समूह के रूप में मानती है जिन्हें छात्रों ने पढ़ना होता है।''**

("The traditional pattern consider, curriculum as a body of isolated subjects which the students are called upon to study.")—**Bhatia and Narang.**

इन भिन्न-भिन्न मतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम्परागत या विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम पूरी तरह से विषय सामग्री पर आधारित होता है। विषयों से बाहर के अनुभवों को इसनें स्थान नहीं दिया जाता तथा बालक के बौद्धिक विकास को ही शिक्षा का उद्देश्य मानकर शिक्षण किया जाता है। बालक की रुचियों की अवहेलना की जाती है तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए ही सम्पूर्ण प्रयास किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं ''विषयकेन्द्रित पाठ्यक्रम एक ऐसी योजना है जिसमें कि बालकों को मात्र ज्ञान प्रदान करने के लिए विषयों का अध्ययन कराया तथा विषय सामग्री को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि बालक उसे अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ग्रहण कर लें। उनके व्यक्तित्व के अन्य अंग भले ही अविकसित रह जाएं।

परम्परागत या विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम के गुण या विशेषतायें
(Merits or characteristics of Traditional or Subject Centred Curriculum)

परम्परागत या विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम के प्रमुख गुण या विशेषतायें निम्नलिखित प्रकार से हैं:–

1. अनुभवों की प्रभावशाली व्याख्या के लिए आवश्यक (It is essential for the effective interpretation of experiences)—विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम में एक व्यवस्था होती है एक क्रम होता है जिसके बल पर बालक अनुभवों को सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेता और उनका प्रयोग अपने भावी जीवन में करता है। वर्तमान अनुभव तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक कि इन्हें भूत के व्यक्तिगत अथवा जातिगत अनुभवों से न जोड़ा जाए। **अलबर्टी महोदय** का कहना है, **''व्यक्ति के लिए इस संबंध को खोज निकालना संभव नहीं होता अतः पहले से तैयार अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है साथ ही यह व्यवस्था शक्ति और समय की भी बचत तथा भावी अनुभवों को निर्देशित करती है।''**

2. समझने में सरल तथा साधारण (Simple and easily understood)—विषयों का क्षेत्र निश्चित करने में पाठ्यक्रम बड़ा उपयोगी है। इसके अभाव में हमारे लिए यह समझ पाना कठिन हो जाए कि क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए। अन्य प्रकार के पाठ्यक्रम को समझ पाना अध्यापक के लिए कठिन होता है किन्तु सीमाओं के बंधा होने के कारण विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम बालकों तथा शिक्षकों दोनों के लिए सरल होता है।

3. सरलता से परिवर्तनीय (Easily Changeable)—समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इस पाठ्यक्रम की सबसे विशेषता यह है कि इसमें समयानुसार परिवर्तन बड़ी सरलता से किए और नए विषय जोड़े जा सकते हैं। अनावश्यक विषय या अवांछित सामग्री हटाई जा सकती है। प्राचीन काल से आज तक इसमें होने वाले परिवर्तन इस बात की पुष्टि करते हैं।

4. मूल्यांकन में सरलता (Easily Evaluated)—इस पाठ्यक्रम में विषयों तथा उनकी पाठ्य-वस्तु पर अधिक जोर दिया जाता हैं। अतः विषय सामग्री पर अधिकार कर लेना ही मुख्य लक्ष्य होता है। इससे यह जानना बड़ा सरल हो जाता कि बालक विषय विशेष पर अधिकार कर सका है अथवा नहीं। हम यूं भी कह सकते हैं कि सब कुछ निश्चित होने के कारण मूल्यांकन करना बड़ा ही सरल हो जाता है तथा बड़ी ही सरलता से परीक्षा के माध्यम से बालक के ज्ञान की परख की जाती है।

सेलर तथा **अलेक्जेंडर** महोदय का कहना है कि–**''विषयों के संगठन में पाठ्यक्रम योजना, शिक्षण तथा मूल्यांकन करने में बड़ी सुविधा होती तथा उनका पालन बड़ी सरलता से किया जाता है।''**

5. बौद्धिक विकास में सहायक (Helpful in Intellectual Development)—''यह पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ है उनकी बौद्धिक शक्तियों को यह विकास उनमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान के संगठन एवम् रचना के बल पर विषय सामग्री का अध्ययन बालकों में यह क्षमता बड़ी सफलता से विकसित करता है।''

6. मानव व्यवहार के सुधार में सहायक (Helpful in modification of human Behaviour)—ज्ञान, सूझबूझ तथा विचारशीलता पर आधारित होकर मानव व्यवहार की अनेक क्रियाएँ अच्छाई की ओर बढ़ती हैं। ज्ञान प्राप्ति तथा सूझ-बूझ बढ़ाने में विषयों का क्रमबद्ध अध्ययन बहुत सहायक होता है। अतः विषयों के क्रमबद्ध अध्ययन पर आधारित होने के कारण यह पाठ्यक्रम मानव व्यवहार में सुधार लाने का सफल प्रयास करता है।

7. शिक्षक शिक्षार्थी तथा अभिभावकों द्वारा समर्थित (Approved by the teacher, students of parents)—विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम शिक्षकों शिक्षार्थियों तथा अभिभावकों सभी के द्वारा समर्थित किया जाता है। शिक्षक को उस विषय विशेष में विशेष योग्यता प्राप्त करनी होती है। जिसे उसने पढ़ाना हो। विषय सामग्री पर अधिकार तथा उस विषय विशेष की शिक्षण की विधियों का यह ज्ञान उसे सफल शिक्षक बना देता है। छात्रों को निश्चित विषय तथा उनकी सामग्री पढ़नी ग्रहण करनी होती है। अतः यह क्रिया उन्हें सीखने की प्रेरणा देती है। माता-पिता तथा अभिभावक भी इस पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं। अलबर्टी महोदय ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है–

परम्परागत या विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम की कमियाँ, दोष या अवगुण (Short comings of the Traditional or Subject Centred Curriculum)–यह पाठ्यक्रम यद्यपि संसार के सभी देशों में मुक्त हृदय से अपनाया गया है तो भी आलोचना से बच नहीं सका। आलोचकों ने इसमें अनेक दोष दर्शाएँ हैं। उन दोषों को दूर करके इसमें सुधार करने का भी प्रयास समय-समय पर किया गया है। इसके ये दोष निम्नलिखित हैं–

1. विषयों के रूप में संकुचित अवधारणा (Narrowly Conceived in terms of subjects)—इस पाठ्यक्रम में पाठ्य-वस्तु को ही सर्वमान्य रूप दिया जाता है। विषय पढ़ा देना ही साध्य समझ लिया जाता है भले ही वह बालक के लिए उपयोगी हो अथवा अनुपयोगी। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित व संकुचित विचारधारा पर आधारित है। कुछ विषयों को संगठित करके उसे पाठ्यक्रम का नाम दे दिया जाता है। ज्ञान के लिए ज्ञान दिया जाता है। जीवन के लिए नहीं। इस प्रकार बिना किसी समन्वय के विषयों को अलग-अलग रूपों में विभाजित करके बालकों द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है।

2. अमनोवैज्ञानिक (Psychological unsound)—यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिकता से बहुत दूर है। बालकों की वैयक्तिक भिन्नता (Individual difference) की इसमें अवहेलना की जाती है तथा उन तथ्यों को याद करने पर बल दिया जाता है। जिन्हें बालक समझ भी नहीं पाता। बालक की रुचि उसकी भावनाओं, वंश परम्परा इच्छाओं एवम् अनिच्छाओं तथा शारीरिक क्षमताओं आदि सभी तथ्यों की अवहेलना की जाती है तथा बालकों को एक निश्चित समय सामग्री पढ़ने के लिए दी जाती है भले ही वह उनके लिए सार्थक हो अथवा निरर्थक।

("They learn to recite definition from the text book gliby, without having the slightes notion of their real meaning."—**Alberty**)

बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है किन्तु यह पाठ्यक्रम इस सत्य को भुलाकर क्रिया से दूर विषयों पर ही जोर देता है। उसके अपने भी कुछ अनुभव होते हैं जिनका समन्वय जाति अनुभवों के साथ करके शिक्षा को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। परंतु इस पाठ्यक्रम में तथ्य की अवहेलना करके अनुभवों को एक सिद्धांत के संदर्भ में पुनगठित किया जाता है।

("Facts are torn away from their original place in experience and rearranged with reference to some principle."—**John Dewey**)

इस प्रकार यह पाठ्यक्रम मनोविज्ञान की पूरी अवहेलना करता है। आज के युग में इसका इस प्रकार अमनोवैज्ञानिक होना स्वयं में एक दोष है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

3. प्रजातान्त्रिक मूल्यों के विपरीत (Remote from the Democratic Values)—प्रस्तुत पाठ्यक्रम प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा बालक में उन गुणों का विकास नहीं होता जिनकी आवश्यकता उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के लिए होती है। विषयों के अध्ययन से हम बालक के ज्ञान में वृद्धि कर देते हैं और उसका बौद्धिक विकास भी हो जाता है। किन्तु नागरिकता के गुण सहनशीलता, सद्भाव, निर्णय, तर्क, सामाजिक भावना सृजनशीलता आदि के लिए बालक को इन क्रियाओं में भाग लेना होगा जो घर, स्कूल तथा समुदाय में की जाती है। यह तभी हो सकता है जब उन्हें पाठ्यक्रम का केन्द्र बनाया जाता है।

4. यह सीखने की प्रक्रिया को सीमित करता है (It limits the Learning Process)—यह विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम अनुभवों के ग्रहण करने में बाधक होता है तथा यह सीखने की प्रक्रिया को सीमित करके विकास में बाधा डालता है। बालकों के सम्मुख निरर्थक तथा अनावश्यक अनुभव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया गया ज्ञान व्यावहारिक परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता। शिक्षण कार्य निश्चित तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित रखा जाता है और इस प्रकार यह पाठ्यक्रम अनुभवों के सीखने की धारा को गंभीर रूप से सीमाओं में बांध देता है।

("The subject curriculum seriouslyl limits the range of learning experiences".—**Saylor and Alexander**)

5. पुस्तकीय एवमृ सैद्धान्तिक ज्ञान पर बल (Emphasis on Bookish and theorctical knowledge)—यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक है इसमें बल पुस्तकीय ज्ञान पर ही दिया जाता तथा उसके व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना की जाती है। बालक की योग्यता उस ज्ञान से मापी जाती है जो कक्षा में पढ़ाए गए विषय से प्राप्त किया जाता है। बालक ने यदि पुस्तकें रट कर परीक्षा में अच्छे अंक पा लिए तो वह योग्य बालकों की श्रेणी में आ जाती है भले की वह व्यावहारिक जीवन में पूरी तरह से असफल ही हो। इस प्रकार पाठ्यक्रम इस दोष से ग्रस्त है कि ठोस अनुभवों के स्थान पर बालक निराधार तथ्यों को ही रटकर अपना मस्तिष्क भर लेता है।

6. निर्माण दोष पूर्ण है (Defective Construction)—यह पाठ्यक्रम दोष पूर्ण रीति से बनाया गया हैं इसका निर्माण उन लोगों के हाथ में होता है। जिन्हें कभी भी उस कक्षा को पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। केवल विशेषज्ञ होने के नाते वे पाठ्यक्रम की रचना करते हैं। इस प्रकार बनाया गया पाठ्यक्रम कभी भी बालकों के अनुकूल नहीं पड़ सकता। प्रौढ़ व्यक्ति और बालक के चिन्तन में बड़ा अंतर होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण विशेषज्ञ जिस कल्पना के आधार पर करते हैं। उसके स्तर को बालक कैसे पहुँच सकते हैं। बालकों को छोटी प्रौढ़ मान कर चलना इस पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष है। प्रौढ़ों और युवकों की योग्यताओं तथा अनुभवों में इतना अंतर होता है कि शिक्षार्थी शिक्षण कार्य में सक्रिय भाग नहीं ले पाता और सीखने की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती।

जॉनडीवी ने ठीक ही कहा है **"प्रौढ़ों की प्रकृति तथा उनके काम और उन बच्चों के अनुभव और उनकी योग्यता के बीच की खाई इतनी गहरी है कि यही परिस्थिति विद्यार्थी को शिक्षण कार्य के विकास में सक्रिय भाग लेने से रोकती है।"**

("The Gulf between the nature or adult products and the experience and abilities of the young is so wide that the very situation forbids much active participation by pupils in the development of what is taught."—**John Dewey**)

7. शिक्षा के अविधिक साधनों की अवहेलना (Informal Agencies Education are neglected)—स्कूल से बाहर जो भी अनुभव बालक ग्रहण करता है व पाठ्यक्रम उनको स्वीकार नहीं करता और अविधिक शिक्षा साधनों-घर, परिवार, समुदाय आदि की इस प्रकार पूरी तरह से अवहेलना करके यह शिक्षा को पंगु बनाता है।

8. सांस्कृतिक एवमृ अध्यात्मिक बपौती(धरोहर) की अवहेलना (neglects Cultural and Spiritual Heritage)—सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक बपौती को प्रस्तुत पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं दिया जाता तथा हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अवहेलना पाठ्यक्रम को हमारे वास्तविक जीवन से दूर कर देती है। भूतकाल के अनुभव ही नहीं वर्तमान के अनुभव भी बालक के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किंतु यह पाठ्यक्रम इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। सांस्कृतिक बपौती के इस ज्ञान के अभाव में बालक को दिशा-भ्रम हो जाता है–संस्कृति के बिना शिक्षा को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं जा सकता क्योंकि संस्कृति तथा शिक्षा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित होती हैं।

9. परीक्षाओं का एकाधिकार–विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है। बालक के सामने केवल एक उद्देश्य है और वह है परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। यह एक उपलब्धि उसके समस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। छात्रों के सिर पर हर समय परीक्षा का भूत सवार रहता है। विषय-सामग्री को रट लेने और उसे परीक्षा में उत्तर-पुस्तिका में उतार देने के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं सोच पाता। इस प्रकार किसी अध्यापक की कार्य-क्षमता भी उसके परिणामों पर निर्भर करती है। यदि विद्यार्थियों ने किसी परीक्षा ने अधिक प्रतिशत सफलता प्राप्त की है, तब तो अध्यापक अपने विषय में निपुण है, अथवा नहीं। विद्यार्थी भी पाठ्यक्रम से कुछ आगे पढ़ने की सोचते ही नहीं। कुंजियों और गाइडों की सहायता से वे केवल परीक्षा में सफल होने का प्रयत्न करते हैं।

इस संदर्भ में डॉ. सुबोध अदावल के विचार सराहनीय हैं। उनके कथनानुसार, "सामान्य रूप से सभी शिक्षाविद यह मानते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा-पद्धति का सबसे दोषपूर्ण क्षेत्र है। वे मानते हैं कि हमारे यहां परीक्षाएं न तो उस ज्ञान की निष्पत्ति का परीक्षण कर पाती हैं। जिनके लिए उनकी योजना की जाती है और न ही परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन ही हो पाता है। हमारे विचार में इस दोष का मूलाधार शिक्षा के प्रति हमारी मूल धारणा में निहित है। हम यह समझते आये हैं कि शिक्षा का तात्पर्य कोरे ज्ञान को अर्जन करना है। अतः यह जानने के लिए कि किस छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। हम उसके सामने विषय से सम्बन्धित 8-10 प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र रख देते हैं, परन्तु केवल ये 8-10 प्रश्न उस समस्त ज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिसे छात्र एक पूरे सत्र में अर्जित करता है। अतः छात्र कुछ विशेष बातों का अंसवृद्ध ज्ञान प्राप्त करके ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं।

दूसरी बात जो किसी भी तर्कसंगत व्यक्ति को हास्यप्रद लगती है वह है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का स्तर। कोई भी छात्र 100 में से 33 या 35 अंक प्राप्त कर लेने पर ही उत्तीर्ण समझ लिया जाता है और उसे आगे की कक्षा में प्रवेश मिल जाता है अर्थात् यदि किसी छात्र को समस्त पाठ्यक्रम का एक तिहाई ज्ञान ही प्राप्त हो तो यह मान लिया जाता है कि उसने उस पाठ्यक्रम को सन्तोषजनक रूप से पूरा कर लिया है और अब वह अगली कक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ने में समर्थ हो गया है। इस प्रकार की मान्यता का न तो कोई वैज्ञानिक आधार है और न यह तर्कसंगत ही है, परन्तु इस असंगत स्थिति ने भारतीय छात्र के शैक्षिक आचार को इतना अधिक प्रभावित किया है कि वह शैक्षिक जीवन में स्वयं एक बहुत बड़ी विडम्बना बन गया है। जब विद्यार्थी केवल एक-तिहाई श्रम से ही सफल हो सकता है तो वह अधिक श्रम क्यों करे। यह प्रवृत्ति शैक्षिक क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र में भी संक्रमित होती जा रही है। हम काम कम करना चाहते हैं, केवल इतना जिससे सामान्य जीवन में रुकावट न आए। हमारी आकांक्षाएं निम्नतर हैं, उच्चतर नहीं। हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी इसी के अनुसार ढलता जा रहा है। हर काम तृतीय श्रेणी का है, क्योंकि यह श्रेणी पास होने की घोतक है।

10. परीक्षाओं का अत्यधिक भार (Over burdend by the examination)—यह विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम परीक्षाओं के बोझ से इतना दबा हुआ है कि छात्रों के सिर पर हर समय परीक्षा का भूत सवार रहता है। विषय सामग्री को रट लेने उसे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर उतार देने के अतिरिक्त वह कुछ नहीं सोच पाता। इससे उसका विकास रुक जाता है और शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। परीक्षाओं की अधिकता से बोझिल यह पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

11. शिक्षक नई शिक्षण विधियों को नहीं अपनाता (Teacher does not use new techniques of teaching)—इस पाठ्यक्रम में पुरानी घिसी-पिटी बातें रहती हैं। विषय सीमित होता है तथा एक ही पाठ्य-वस्तु प्रतिवर्ष पढ़ाई जाती है इसका फल यह होता है कि अध्यापक न तो शिक्षण की नवीन विधियों तथा नए-नए शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करने में उत्साह दिखा पाता है और न ही वह अपने शिक्षण के तरीके को बदल पाता है। तेली के बैल की तरह एक ही खूंटे के इर्द-गिर्द घूमते रहने के कारण उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बन पाता।

◆◆◆

9.2 अधिगमकर्ता चालित उपागम
(Learner Driver Approach)

2. पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित या बाल केन्द्रित उपागम के बारे में आप क्या जानते हैं? बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।
(What do you know about learner driven or child centered approach to curriculum? Describe the merits and demerits.)

उत्तर–बालक आज सम्पूर्ण शिक्षा का केन्द्र माना जाता है। मनोवैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जाए, उसे छोटा या प्रौढ़ न माना जाए। अतः सफल शिक्षण के लिये आवश्यक है कि बालक को शिक्षा उसकी प्रकृति, उसकी रुचियों, उसके मानसिक स्तर, उसकी शारीरिक क्षमताओं, उसकी आवश्यकताओं तथा उसके स्वभाव के अनुसार ही दी जाए। अन्यथा एक विद्वान का तो यहाँ तक कहना है कि 'एक सफल शिक्षक के लिए जितना जरूरी विषय सामग्री का जानना है, उतना ही बालक को भी।

पाठ्यक्रम का नियोजन भी आजकल इसी धारणा के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि यह तो एक साधन होता है। इस समस्त नियोजन का आज लक्ष्य तथा केन्द्र बिंदु होता है–बालक और उसकी आवश्यकताएँ। इसी विचारधारा ने बालकेन्द्रित शिक्षाक्रम को जन्म दिया है। किन्डर गार्टन तथा मान्टेसरी पद्धति आदि नवीन शिक्षा पद्धतियाँ बालक को केन्द्र बनाकर ही चलती हैं।

पाठ्यक्रम का अधिगमकर्ता चालित या बाल क्रेन्द्रित उपागम (Learner Driven or Child Centred approach to curriculum)—बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम या अधिगमकर्ता चालित पाठ्यक्रम में बालक को प्रमुख स्थान तथा शेष आवश्यक शैक्षिक क्रियाओं तथा उनके विभिन्न अंगों को गौण स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम का नियोजन जब बालक की प्रकृति के आधार पर तथा उसके विकास के प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकताओं तथा रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता चालित या बालकेन्द्रित पाठ्यक्रम कहलाता है।

पाठ्यक्रम का ठोस तथा वास्तविक और वास्तविक जीवन से संबंधित होना आवश्यक है। बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम में इस विचारधारा को स्थान दिया गया है कि "पाठ्यक्रम बालकों के लिए होता है न कि बालक पाठ्यक्रम के लिए"। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालक को पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करके उसका बहुमुखी विकास करना है। इस बात की पुष्टि इस कथन से होती है–" पाठ्यक्रम के अधिक लाभकारी तथा प्रभावात्मक होने के लिए आवश्यक है कि वह न तो तात्विक ही हो और न बालक और उसके वातावरण से असंबंधित, अपितु वह ऐसा हो जो बालक की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।"

डॉ. सफाया ने इस बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा इस प्रकार दी है "यह पाठ्यक्रम भी ज्ञान प्रदान करता है किंतु मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं। यह ऐसे अवसर प्रदान करता तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है तो बालक के पूर्ण तथा स्वाभाविक विकास में योग दें।" ("This curriculum also impacts knowledge, but this knowledge is not merely theorctical. It is related to the activity practical experiences and observations of the child. It provides such opportunities and creates such conditions as are condutive to the full and natural development of children.")

हम यूं भी कह सकते हैं कि बालक के विकास से संबंधित प्रत्येक आवश्यक क्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम कहलाता है, यह पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों तथा उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। इसमें उन्हें शिक्षा का केन्द्र माना तथा उसकी क्षमता के अनुकूल सारी पाठ्यवस्तु का नियोजन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का आधार एवम् अर्थ **भाटिया एवम् नारंग** ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। "यह उस (बालक की) अभिवृत्तियों, क्षमताओं, रुचियों तथा उसकी आवश्यकताओं पर आधारित है। बालक वह केंद्रबिंदु है जिसके चारों ओर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम घूमता है।" (It is based upon his aptitudes capacities interests and his needs, child is the pivot round which the whole structure of education revolves.")

इस विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि "बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें सीखने की समस्त सामग्री-पाठ्य वस्तु क्रियाएँ तथा अनुभव बालकों की रुचि, प्रकृति तथा आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें बालक को सर्वोपरि माना जाता तथा इसके वास्तविक जीवन से संबंधित क्रियाओं का ही नियोजन किया जाता है।"

पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित उपागम के बुनियादी सिद्धांत
(Basic Principles of Learner driven approach of Curriculum)

पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित उपागम में हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों का अनुसरण करना होता हैं। इनमें से मुख्य सिद्धांत निम्न हैं:–

1. बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम के बुनियादी सिद्धांत (Principle of Child Centredness)—सम्पूर्ण शिक्षा ही बालक को मान कर आगे बढ़ती है। बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम बालक की परिस्थितियों तथा वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। सार्थक क्रियाओं के माध्यम से हमें बालकों में सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की रचना बालकों, उनकी आवश्यकताओं तथा एक निश्चित आयु स्तर की मांग के अनुकूल हो।

2. सृजन का सिद्धांत (Principles of Creativity)—पाठ्यक्रम के प्रभावशाली होने के लिए आवश्यक है कि वह सृजन के सिद्धांत पर आधारित हो। इसे गतिशील होना चाहिए स्थिर नहीं। इसमें उन विषयों का समावेश हो जो बालक को उसकी रचनात्मक शक्तियों के अभ्यास के लिए प्रेरित करते हों। ये रचनात्मक शक्तियाँ बालक को समय की आवश्यकता के अनुरूप वातावरण को बदलने की क्षमता भी प्रदान करती हैं।

3. क्रिया केन्द्रियता का सिद्धांत (Principles of Activity Centredness)—पाठ्यक्रम की रचना बालकों की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को केन्द्र बनाकर की जाए। पाठ्यक्रम में स्थान उन्हीं क्रियाओं को दिया जाए जिन्हें बालक स्वाभाविक रूप में पसंद करते हैं। 'करने द्वारा सीखना' तथा हाथ हृदय तथा मस्तिष्क की क्रियाओं पर बल दिया जाए। इससे बालकों का व्यक्तित्व निखरेगा।

4. समन्वय का सिद्धांत (Principles of Integration)—बालक कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीख है। पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, घर, समाज तथा अन्य साधनों के माध्यम से भी बालक अनेक बातें सीखता है। इन क्रियाओं तथा कक्षा क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। समन्वित क्रियाएँ ही सफल शिक्षा का माध्यम बन सकती हैं।

5. सामुदायिक केन्द्रिता का सिद्धांत (Principles of Community Centredness)—आज का बालक ही कल समाज का सदस्य होगा। अतः यह आवश्यक है कि बालक की रुचियों तथा आवश्यकताओं को समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। इसका अभिप्राय है कि समाज की मांगों को भी बालक की इच्छाओं के साथ गठित कर दिया जाए।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2018

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

6. लोच एवम् विविधता का सिद्धांत (Principles of Elasticity and Variety)—स्थिर तथा कठोर पाठ्यक्रम से बालक तथा समाज दोनों का ही अहित होता है। बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। इसका अभिप्राय है कि समाज की मांगों को भी बालक की इच्छाओं के साथ गठित कर दिया जाए।

7. वयस्क जीवन की तैयारी का सिद्धांत (Principles of Preparation for Adult Life)—इस पाठ्यक्रम की रचना करते समय हमें बालक को भावी जीवन की तैयारी करने के लिए भी अवसर प्रदान करने होंगे। यह भी आवश्यक है कि बालकों की जन्मजात शक्तियों का भी पूरा उपयोग करने का प्रयास किया तथा पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक पाठ्य-वस्तु क्रियाओं तथा अनुभव का उपयोग किया तथा मानव की भावना शक्ति को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए।

इन सिद्धांतों पर निर्मित पाठ्यक्रम ही वास्तव में आदर्श पाठ्यक्रम होगा जो बालकों की क्षमताओं, रुचियों तथा आवश्यकता को आधार बनाकर उनका सर्वांगीण विकास सम्भव बनाएगा।

पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित उपागम की मुख्य विशेषताएं या गुण
(Salient Features or Merits of Learner driver approach of Curriculum)

मनोवैज्ञानिक खोजों ने आज की शिक्षा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया है। अधिगमकर्ता के विकास और इसकी वृद्धि तथा प्रकृति के अध्ययन ने शिक्षक तथा शिक्षण प्रक्रिया को नवीन सामग्री प्रदान की गई है। ("Psychological studies of children, their growth and development have provide new material to the teacher.")

प्रस्तुत पाठ्यक्रम भी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन का प्रतिफल ही है। इस पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:—

1. बालक की रुचियों, आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होने के कारण यह बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है।
2. यह पाठ्यक्रम छात्रों को ज्ञान, सूझ-बूझ, मूल्यों का ज्ञान, निपुणताएँ तथा अभिरुचियाँ प्रदान करता है इससे विद्यार्थी में समाज कल्याण के लिए प्रभावपूर्ण योगदान की योग्यता उत्पन्न होता है।
3. यह बालकों के सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यक्तिगत विकास को सम्भव बनाता है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में योग देता है।
4. यह पाठ्यक्रम सीखने की क्रिया में समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। स्कूल से बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार की क्रियाओं में समन्वय तथा बालक के सम्मुख समन्वित क्रियाएँ प्रस्तुत करके यह पाठ्यक्रम सीखने की दशाओं को सफलतापूर्वक बनाए रखता है।
5. यह पाठ्यक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। बालक प्रकृति से क्रियाशील होता है। इस पाठ्यक्रम में उसे अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से सक्रिय रखा जाता है। यह उन्हें रचनात्मक क्रियाओं को करने की भी प्रेरणा देता है।
6. यह बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। उन्हें बालक समझकर ही इसे प्रस्तुत करता है। अपने शिक्षा काल में ही बालक उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने का अभ्यास कर लेता है, जिनसे उसे अपने भावी जीवन में दो चार होना है।
7. इस पाठ्यक्रम का एक अन्य विशेष गुण जो उसे अन्य प्रचलित पाठ्यक्रमों से अलग करता है, यह भी है, "यह पाठ्यक्रम बालक के लिए है न कि बालक पाठ्यक्रम के लिए" सिद्धांत पर आधारित है।
8. इसमें पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक पक्ष के स्थान पर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है।

पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता की सीमाएं या कृतियां
(Limitations of Learner driver approach of Curriculum)

इस पाठ्यक्रम में जहाँ इतने गुण हैं, वहाँ कुछ त्रुटियाँ भी हैं जो कि निम्न हैं—

1. अधिगमकर्ता की रुचियाँ आवश्यकताओं तथा समस्याओं को निर्धारित करना बड़ा कठिन है। अतः इन रुचियों तथा आवश्यकताओं की वैधता तथा उपयुक्तता संदेहयुक्त है, जिन्हें केन्द्र मानकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा।
2. यह पाठ्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र, खोज की विधियों तथा विषय सामग्री की गहनता को सीमित करता है।
3. यह पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता की प्रकृति को ही मुख्य मानता है और अन्य सभी बातों को इसमें गौण रूप में रखा जाता है। यह स्कूल समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में ढील देता है।
4. यह पाठ्यक्रम स्कूल में शिक्षा के कार्यक्रम में एक अव्यवस्था उत्पन्न करता है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और बालकों की नित्य बदलती हुई आवश्यकताएँ इस बात की मांग करती हैं कि विद्यालय के कार्यक्रम का आयोजन सोच समझकर दिया जाए।
5. क्रिया-केन्द्रीयता का सिद्धांत इस पाठ्यक्रम में भी अपनाया जाता है। अतः अत्यधिक क्रियाशीलता (Over activities) का भय इसमें बराबर बना रहता है।

निष्कर्ष (Conclusions)—अधिगमकर्ता को केन्द्र बनाकर उसकी प्रवृत्तियों के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना पूर्णतः मनोवैज्ञानिक हैं। जो कमियाँ हैं भी, उनका निराकरण करना बड़ा ही सहज और सरल है। आज शिक्षा को जीवन की तैयारी तथा स्वयं में जीवन (Preparation for life and life itself) माना जाता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाती तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। वह अधिगमकर्ता केन्द्रित पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता है और बालक की रुचियों को समाज के हित में लगाता है तथा उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करता है। "मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रभावशाली तथा महत्त्वपूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता-केन्द्रित (Learner centred) हो और वह अधिगमकर्ता के लिए ऐसी सुविधाएँ तथा अवसर प्रदान करे जिनके द्वारा उसकी मानवीय शक्तियाँ तथा मूलप्रवृत्तियाँ रचनात्मक कार्य करने के लिए समुचित ढंग से केन्द्रित की जा सकें।

◆◆◆

9.3 आलोचनात्मकउपागम
(Critical Approaches)

3. पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम का वर्णन कीजिए।
(Describe critical approach to curriculum theory.)

उत्तर—वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम तथा उससे सम्बन्धित मुद्दे शिक्षाविदों के बीच एक बहस का विषय बन चुका है। नए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विकास ने विद्यालय पाठ्यक्रम को नया रूप प्रदान किया है। पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम में विभिन्न क्रियाओं पर जोर दिया जाता है।

William Doll के अनुसार curriculum as a means of gainins personal emanipation sees oppurtunity for two powerful actions in critical curriculum. Self organization and transformation. He writes,"plans arise from action and are modified through actions....this translate into course syllabi or lesson plans written in general, loose sow what indeterminate manner. As the course or lesson proceeds specificity becomes more sppropriate and is worked out conjointly–among teacher, students text".

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

अतः पाठ्यक्रम सिद्धांत में आलोचनात्मक उपागम में क्रिया केन्द्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है।

कोमेनियस के अनुसार–**''जो कुछ भी सीखना है, करके सीखना चाहिए।''** **गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम को आधार मानती है। उनके अनुसार ''हमने क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने का काम किया है। जिसका अर्थ है कि हमारी पाठशालाएं कार्य-अनुभव और खोज का स्थान हो, न कि दूसरे लोगों से ली गई निष्क्रिय जानकारी को प्राप्त करने का।''**

मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम एक उत्तम पाठ्यक्रम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह इसलिए उत्तम है कि बच्चा प्रकृति में सक्रिय है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह पाठ्यक्रम इसलिए आवश्यक है कि बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं। प्रायः क्रियाएं समूहों में होती हैं और कठिनाई के समय समूह के सदस्य एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इसलिए हर कठिनाई के समय उन्हें अध्यापक का मार्गदर्शन नहीं लेना पड़ता है। इस पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों के अन्दर सामाजिक चेतना आती है और वे उचित समावेश और सहयोग का गुण सीखते हैं। सामाजिक क्रियाओं को करते समय उनका सम्पर्क स्कूल के बाहर सामाजिक समूहों से भी बढ़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों का सामाजिक विकास होता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण से भी क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में Stanely Hall के द्वारा दी गई 'Recapitulatory theory' या Malbranche द्वारा दी गई 'Teleological theory' या मनोविज्ञान में दी गई 'Cathrtic theory' इसकी साक्षी है। पुनरावृत्ति सिद्धान्त (Recapitulatory theory) के अनुसार बालक द्वारा अपने पूर्वजों की क्रियाओं को दोहराना उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है। 'Teleological theory' के अनुसार बच्चे उन सभी कामों का अभ्यास करना चाहते हैं, जो बड़े होकर उन्हें करने हैं। क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम उन्हें इनका अभ्यास करवा देते हैं। 'Cathrtic theory' के अनुसार बच्चे के अन्दर कुछ फालतू शक्ति होती है, इस शक्ति का विकास बालक के सामान्य विकास के लिए बहुत आवश्यक है। परम्परागत पाठ्यक्रम जो केवल पुस्तकीय एवं सैद्धान्तिक है इस शक्ति का विकास नहीं कर सकता। ऐसा बहुत सीमा तक केवल क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम द्वारा ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए **रूसो** ने कहा है, **''बालकों को उन पुस्तकों में लगाने की बजाय में उन्हें प्रयोगशाला में व्यस्त रखना चाहता हूं, जहां उनके हाथ उनके मस्तिष्क के लाभ के लिए काम करेंगे।''**

परसी नन, जान-डयूवी, फ्रोबल ने भी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रतिपादन किया।

पाठ्यक्रम की क्रियाओं द्वारा विद्यार्थी को आत्म-अभिव्यक्ति के विकास के प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिएं। यह तभी हो सकता है जब क्रियाएं रचनात्मक, सूचनात्मक और उत्पादक हों। इसका मतलब यह है कि सभी क्रियाएं उन उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए, जो बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करें। अतः क्रिया पाठ्यक्रम बच्चे को व्यवसाय, अभिव्यक्ति, वार्तालाप रचना और प्रयोग में पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत क्रियाएं प्रदान करता है, ताकि नैतिक और बौद्धिक-पुस्तकों द्वारा प्राप्त दूसरों के अनुभवों से उसका व्यक्तित्व दब न जाए।

इसके अतिरिक्त क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम बच्चे को अधिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, ताकि वह परम्परागत, सामाजिक साधनों के आश्रय तथा उन पर अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव करे। उसे ऐसी प्रेरणा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक साधनों से उसका सम्बन्ध बुद्धिपूर्ण हो जाता है और वह समाज का दास बनने की बजाय उसकी शक्ति में वृद्धि करता है। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रत्येक क्रिया उद्देश्यपूर्ण तथा रचनात्मक हो और अच्छी प्रकार से सोच-समझ कर बनाई गई हो।

पाठ्यक्रम सिद्धान्त के आलोचनात्मक उपागम के गुण

1. यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है–बालक प्रकृति से क्रियाशील है। इसलिए वह इस प्रकार के पाठ्यक्रम द्वारा अच्छी प्रकार से सीख सकता है। वैसे भी अर्थपूर्ण क्रियाएं बालक में रचनात्मक शक्तियों का विकास करती है।

2. सामाजिक विकास–पाठ्यक्रम का यह उपागम बालकों में सामाजिक विकास भी करता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी मिलकर समूहों में काम करते हैं। इसलिए अवसर आने पर दूसरों की सहायता करने की आदत का विकास भी होता है। हर कार्य को करने के लिए उन्हें अध्यापकों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। समूहों में काम करने के उनके अन्दर सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता तथा नेतृत्व आदि के सामाजिक गुणों का भी विकास होता हैं।

3. सामग्री स्वयं तैयार करना–आलोचनात्मक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी तैयार तथा पकी पकाई सामग्री पर निर्भर नहीं रहते। विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को तैयार तथा पकी पकाई सामग्री दी जाती है, जिससे उन्हें अपने यत्नों से सीखने का अवसर नहीं मिलता। आलोचनात्मक पाठ्यक्रम स्वयं क्रियाएं करके सीखने तथा निर्माण करने को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार परीक्षण और खोज को प्रोत्साहन मिलता है।

4. श्रम के महत्त्व का ज्ञान–इस पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में झूठे अभिमान का नाश करता है तथा उनमें श्रम के महत्त्व की भावना को बढ़ाता है।

5. करके सीखने पर बल–करके सीखने से बालक उन कामों में कुशल बनते हैं, जिनका दायित्व उन्हें भविष्य में सम्भालना होता है। इस प्रकार वे भविष्य की समस्याओं और कठिनाइयों का हल खोज लेने में समर्थ होते हैं।

6. विद्यार्थियों में विश्वास पैदा करना–इस पाठ्यक्रम में बालक स्वयं अपना मार्ग खोजता है। इससे उसमें आत्म-विश्वास बढ़ता है।

7. भावी जीवन के लिए तैयार करना–इस पाठ्यक्रम जीवन से पूर्णतः सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में नीरस, अनुपयोगी तथा व्यर्थ के मौखिक प्रवचनों के स्थान पर क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों पर बल दिया जाता है। बालक स्वयं क्रिया करके सीखते हैं। इससे उन्हें सीखने की प्रेरणा तथा श्रम के महत्त्व का ज्ञान होता है। वे भविष्य की समस्याओं एवं कठिनाइयों का समाधान खोज लेने में समर्थ होते हैं। ये उन कार्यों में कुशल बनते हैं। जिनका दायित्व उन्होंने भविष्य में सम्भालना होता है। क्रियाओं से प्राप्त ज्ञान की स्थायी होता है। सेलर एवं अलेक्जेन्डर के अनुसार, ''छात्र उनसे (क्रियाओं से) ज्ञान प्राप्त करके तथा उस (ज्ञान) का प्रयोग मानव क्रियाओं के अध्ययन में करते हैं, इस प्रकार छात्र इन प्रतिफलों को प्रयोग करने अथवा भविष्य की समान समस्या परिस्थितियों में उन्हें उपयोग करने के योग्य हो जाता है।''

8. यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है–बालकों की प्रकृति क्रियाएं करने की है। इसलिए वह इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से सीखता है। दूसरी क्रियाएं बालक में रचनात्मक शक्तियों का विकास करती हैं तथा बच्चों को सृजनात्मक (Manipulative), प्रकृति अनुरूप (Instinctive) तथा रचनात्मक (Creative) क्रियाओं में संलग्न रखती है ताकि उनकी जिज्ञासा (curriosity) की प्रवृत्ति की तुष्टि हो जाए।

9. परीक्षण तथा खोज के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना–खोज एवं शोध के बल पर ही आज हम आदम युग से राकेट युग को ओर बढ़े हैं। बालकों में स्वतः ही खोज एवम् नयी वस्तुओं के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। यह पाठ्यक्रम बालकों की उत्सुकता एवं कौतूहल को शान्त करता है। बालक स्वयं क्रियाएं करते, सीखते तथा निर्माण करते हैं। इस प्रकार वे नई खोज की ओर बढ़ते हैं। यह पाठ्यक्रम बालकों में शोध करने की प्रवृत्ति को विकसित करके उन्हें नई खोज न परीक्षण के लिए प्रेरित करता है।

पाठ्यक्रम सिद्धान्त के आलोचनात्मक उपागम की सीमाएँ

इस उपागम की निम्नलिखित सीमाएं भी हैं–

1. व्यापक क्रियाओं का अभाव–कई बार अध्यापक क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम का निर्माण तो कर देते हैं, परन्तु उन में क्रियाएं व्यापक स्तर की नहीं होती। संकीर्ण क्रिया-पाठ्यक्रम लाभ के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

2. क्रियाओं का सीमित समय–कोई भी क्रिया हमेशा के लिए नहीं अपनाई जा सकती। बच्चों को एक विशेष आयु तक ही अपनी इच्छा की क्रिया में व्यस्त रहने दिया जा सकता है।

3. प्राचीन अनुभवों का महत्त्व–सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त जाति के प्राचीन अनुभवों का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्राचीन अनुभव भी उतने ही आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है, जितने की नवीन अनुभव। दोनों मिलकर भी भविष्य का निर्माण करते हैं।

4. सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान न हो सकना–वह सम्पूर्ण शिक्षा, जो एक पूर्ण और प्रभावशाली जीवन के लिए आवश्यक है, अकेले इस पाठ्यक्रम द्वारा नहीं दी जा सकती।

5. अतीत की अवहेलना–जैसा कि तीसरे बिन्दु में भी बताया गया है, यह पाठ्यक्रम केवल प्रत्यक्ष अनुभवों पर ही बल देता है तथा अप्रत्यक्ष अनुभवों की अवहेलना करता है, परन्तु केवल बालकों की रुचि अरुचि के आधार पर अतीत के और अप्रत्यक्ष अनुभवों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इन अनुभवों का प्रयोग न करने के कारण यह पाठ्यक्रम संकुचित हो जाता है।

6. अतिक्रियाशीलता का भय–विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम में एक बड़ा दोष है कि बालक को इसमें निष्क्रिय रहना पड़ता है, परन्तु क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम में बालक क्रियाशील रहता है, जिससे अतिक्रियाशीलता का भय उत्पन्न हो जाता है। इस पाठ्यक्रम में ज्ञान के प्रत्येक अंग को जानने के लिए हमें क्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार अतिक्रियाशीलता से भी बालकों में सीखने के प्रति अरुचि उत्पन्न हो सकती है।

7. तर्कशक्ति की अवहेलना–विषय-केन्द्रित पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विद्यार्थियों में तर्कशक्ति का विकास करता है, परन्तु क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम में केवल क्रियाओं के करने पर ही बल दिया जाता है। उनके द्वारा तार्किक शक्ति के विकास पर कम। परिणामस्वरूप की गई क्रियाएं फलहीन होती हैं और वे बालक का सही दिशा में विकास नहीं कर पातीं।

8. उपयुक्त क्रियाएं ढूंढने में कठिनाई–कई बार छोटे बालकों के लिए उपयुक्त क्रियाएं नहीं मिल पाती। ऐसा न होने पर उन्हें ऐसी क्रियाओं को करने के लिए कहा जाता है जिन्हें वे करने में असमर्थ होते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)–निष्कर्ष में इस बात का उल्लेख होना जरूरी है कि बालक को सम्पूर्ण रूप से सुखी एवं प्रभावपूर्ण जीवन-यापन कराने के लिए गतिविधियां ही यथेष्ट नहीं है। बालक की रुचि-अरुचि को ही दृष्टि में रखते हुए परम्परा से चली आने वाली अनुभूतियों तथा अनुभवों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। बालक का सामाजिक जागरण आवश्यक है। अतः उसी संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में उसका विकास होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम की रचना अपेक्षित है। परन्तु क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम के इन सभी दोषों के होते हुए भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम का अपना ही महत्त्व है, परन्तु क्रियाओं का चुनाव करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दूसरे अतीत के अनुभवों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। यदि अध्यापक क्रियाओं के चयन और परिस्थितियों के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन करता रहेगा तो क्रिया-केन्द्रित पाठ्यक्रम एक आदर्श पाठ्यक्रम सिद्ध हो सकता है।

◆◆◆

10

पाठ्यक्रम प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम सिद्धांत उपागम के विभिन्न तरीके

[Curriculum Process and Different Ways of Approaching Curriculum Theory]

1. पाठ्यक्रम प्रक्रिया क्या है? पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन-सी हैं? पाठ्यक्रम सिद्धांत उपागम में विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।
(What is curriculum process? What are the new trends in the process of curriculum development? Describe different ways to approaching curriculum theory.)

उत्तर–शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया (Dynamic Process) है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालक में अन्तर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रक्रिया को गतिशील बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली रूढ़ियों व परंपराओं को समाप्त किया जाये तथा नवीन शैक्षिक सिद्धांतों एवम् विधियों का प्रतिपादन किया जाये। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्व इसके पाठ्यक्रम का होता है। अतः पाठ्यक्रम को दोषों से मुक्त रखने के लिए उसका विकास एवम् संशोधन किया जाता है। वर्तमान युग विज्ञान एवम् तकनीकी का है। आये दिन नये-नये आविष्कार हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन दिन-प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। पाठ्यक्रम भी मानव जीवन के वर्तमान के अनुसार ही विकसित किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास तथा समाज में होने वाले परिवर्तन समानान्तर चलते हैं। यही कारण है कि आज पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में अनेकों नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है।

पाठ्यक्रम एक उत्पाद के रूप में *(Curriculum as a product)*

पाठ्यक्रम को एक उत्पाद के रूप में लेने से अभिप्राय इसे व्यावहारिक उद्देश्यों पर आधारित उपागम के रूप में विकसित करने से है। यह उपागम इस तथ्य पर जोर देता है कि पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद क्या जानने व करने के योग्य बन सकेंगे और इसका आकलन व्यावहारिक उद्देश्यों के रूप में किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के उपागम का आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर ज्यादा बल देते हुए पाठ्यक्रम का प्रारूप विकसित किया जाता है। विद्यार्थियों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। उद्देश्यों को निधारित करना इस उपागम का मुख्य भाग है। उत्पाद के रूप में पाठ्यक्रम व्यावहारिक उद्देश्यों के निर्धारण पर निर्भर करता है। यह उपागम व्यवस्थित योजना तथा प्रक्रिया का अनुसरण करता है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का ज्ञान मूल्यांकन द्वारा होता है।

बी.सी.ब्लूम (1962) ने पाठ्यक्रम को उत्पाद के रूप में देखते हुए शिक्षण व प्रशिक्षण क्रियाओं को उद्देश्य केन्द्रित बनाने पर बल दिया। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम को एक उत्पाद के रूप में निर्माण हेतु निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है–

1. आवश्यकताओं का निदान (Diagnosis of need)
2. उद्देश्यों का प्रतिपादन (Formulation of objectives)

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

3. विषयवस्तु का चयन (Selection of Context)
4. विषयवस्तु का संगठन (Organization of Context)
5. अधिगम अनुभवों का चयन (Selection of Learning Experiences)
6. अधिगम अनुभवों का संगठन (Organization of Learning Experiences)
7. यह निर्धारण करना कि क्या मूल्यांकन करना है और इसके करने के तरीके तथा साधन (Determination of what to evaluate and the ways and means doing it)

पाठ्यक्रम का यह उपागम पाठ्यक्रम नियोजन का व्यवस्थित उपागम है। इसमें उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम के निर्धारण से पहले ही शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्यों के बारे में विचार किया जाता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उचित अधिगम अनुभव क्या होने चाहिए ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम को उत्पाद के रूप में लेते हुए पाठ्यक्रम योजनाकार इस बात को वरीयता देते हैं कि उनके द्वारा नियोजित पाठ्यक्रम के अनुसार अधिगमकर्ता क्या प्राप्त करेंगे।

पाठ्यक्रम एक प्रक्रिया के रूप में *(Curriculum as a process)*

पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के समस्त कार्यकलाप विकसित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम को प्रक्रिया के रूप में होने का अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम एक व्यावहारिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह अध्यापकों तथा ज्ञान के बीच अन्तःक्रिया है। इस उपागम में विद्यार्थियों की अध्यापकों से अपेक्षाएँ होती हैं जो क्रिया के रूप में शिक्षा सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे उनमें क्रिया तथा चिन्तन शक्ति का विकास होता है। इससे इनका मूल्यांकन किया जाता है और वांछित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इस उपागम के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो कक्षाकक्ष में घटित होता है। उपागम में अवबोध तथा ज्ञान छात्रों तथा उनके तथा उनके वातावरण के बीच अन्तःक्रिया की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

सहभागी उपागम *(Participatory Approach)*

पाठ्यक्रम का निर्माण एक सहयोगी प्रयास है। पाठ्यक्रम के सहभागी उपागम का अभिप्राय है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में अनेक भागीदार (Stakeholders) की भूमिका होती है। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक, प्रशिक्षक, अध्यापक, प्राचार्य, राष्ट्रीय समितियों, क्षेत्रीय समितियों, स्थानीय समितियों आदि को शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास के सहभागी उपागम में प्रक्रिया काफी परिवर्तनशील होती है और उसमें विभिन्न व्यक्तियों की भागीदारी होती है। सहभागी उपागम वाद-विवाद के लिए अवसर प्रदान करता है और विभिन्न भागीदारों को एक साथ सीखने तथा काम करने का अवसर प्रदान करता है।

सहभागी कोर्स प्रारूप में आवश्यकता होती है—

1. पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णय लेने में सहभागिता
2. सम्पूर्ण प्रक्रिया में सहभागी उपागम
3. मुख्य भागीदारों की आवश्यकताओं तथा रुचियों की पहचान
4. विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालने में लचीलापन
5. पाठ्यक्रम विकास के लिए सामान्य दृष्टिकोण स्थापित करना।
6. नियमित रूप से मूल्यांकन की जाने वाले सतत् अधिगम प्रक्रिया।

शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (National Council of Education, Training and Research) माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। यह पाठ्यक्रम निर्माण करके राज्य के शिक्षा बोर्डों, शिक्षा विभागों इत्यादि को अपनाने के लिए भेजती है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण विषय शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा निर्माण विशेषज्ञों के सहयोग से करवाया जाता है। प्रशिक्षण में विभिन्न भागीदारों (Stakeholder) को दो भागों में बांटा जा सकता है—I. बाह्य भागीदार (External Stakeholder), II. आन्तरिक भागीदार (Internal Stakeholder)। बाह्य भागीदार संस्था के बाहर से आते हैं। उनमें नीति बनाने वाले (Policymaker) प्रशासक, विशेषज्ञ, माता-पिता, समुदाय तथा समाज के लोग, प्रकाशक आदि शामिल होते हैं। आन्तरिक भागीदार संस्था से सम्बन्धित होते हैं। इनमें प्रशिक्षक, संस्था प्रबन्धक, विषय वस्तु के विशेषज्ञ, तकनीकी तथा सहायक स्टॉफ आदि हो सकते हैं।

◆◆◆

L A X M I ®

EXAM NOTES

ज्ञान तथा पाठ्यक्रम

[KNOWLEDGE & CURRICULUM]

[Paper–I]

UNIT–IV

11. Curriculum Design Models

- *Discipline Centered Design, Learner Centered Design & Problem Centered Design*
- *Components required in Curriculum Development*
- *Curriculum Change: Meaning, Need and Factors affecting Curriculum Change*

—: प्रकाशक :—

LAXMI BOOK DEPOT TM Hansi Gate, Bhiwani

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

BMD COLLEGE OF EDUCATION BELIEVE. ACHIEVE EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

11

पाठ्यक्रम प्रारूप प्रतिमान
[Curriculum Design Models]

11.1 विषय / अध्ययन क्षेत्र केन्द्रित योजना, अध्येता केन्द्रित योजना तथा समस्या केन्द्रित योजना
(Discipline Centred Design, Learner Centred Design and Problem Centred Design)

1. पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप के बारे में आप क्या जानते हैं? पाठ्यक्रम में विषय केन्द्रित योजना, अध्येता केन्द्रित योजना तथा समस्या केन्द्रित योजना का वर्णन कीजिए।
(What do you know about curriculum design? Describe discipline centered design, learner centered design and problem centered design.)

अथवा

पाठ्यक्रम के विषय केन्द्रित प्रारूप तथा छात्र केन्द्रित प्रारूप पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on discipline centered design, learner centered design of curriculum.) **(June 2018)**

उत्तर–पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य तथा विद्यालय के विविध कार्यकलाप विकसित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का संकलन है जो किसी एक अध्येता की शिक्षा के कार्यक्रम में निहित होते हैं और उसका प्रयोजन व्यापक लक्ष्यों तथा उनसे सम्बन्धित उन विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है जिनका नियोजन भूत तथा वर्तमान व्यावसायिक व्यवहारों के सिद्धान्त और शोध सम्बन्धी ढांचे के रूप में किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम नियोजित अधिगम अनुभवों में सूची होती है जिन्हें विद्यालय के निर्देशन के अन्तर्गत दिया जाता है। पाठ्यक्रम उन अनुभवों की रूपरेखा होती है जो कि विद्यार्थियों के लिए नियोजित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालय के निर्देशन में विद्यार्थियों के लिए नियोजित अनुभवों का ब्लूप्रिंट है।

पाठ्यक्रम सदैव पूर्ण नियोजित होता है। विद्यालय प्रणाली का उद्देश्य समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना तथा उसे आगे बढ़ाना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम में संस्कृति और समाज के अनुभवों के ऐसे चुने हुए व पुनर्गठित अंश होते हैं, जिन्हें समाज के संरक्षण तथा विकास के लिए जरुरी समझा जाता है। पाठ्यक्रम योजना में ये सभी निर्णय लिए जाते है। समाज के कौन-कौन से तथ्य और अनुभव छात्रों को इससे व्यवस्थित सम्प्रेषण के लिए चुने जाएं। वस्तुतः पाठ्यक्रम योजनाकार पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय दो मूल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कौन सा

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

ज्ञान सुरक्षित रखना है और सम्प्रेषण के लिए अधिकतम उपयोगी है और इसे कैसे अर्जित या सम्प्रेषित किया जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम योजनाकार के द्वारा निरपवाद रूप से विचार किया जाना चाहिए। ये विचार ऐसे पाठ्यक्रम के विकास का कारण बनते हैं, जिनके द्वारा विद्यालय अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम के विकास तथा संगठन की योजनाएं (Designs) निम्नलिखित हैं–

1. विषय केन्द्रित योजना (Discipline centred design)–विषय केंद्रित योजना शैक्षिक अनुभवों के संगठन के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसमें विषय वस्तु के चारों ओर अधिगम अनुभवों का संगठन किया जाता है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु में प्रवीणता ही मूल आधार है।

विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम योजना में पाठ्यक्रम योजनाकार का मुख्य दायित्व है कि वे विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषयों का निर्धारण करें और निर्णय लें कि प्रत्येक विषय वस्तु के अन्तर्गत क्या-क्या आएगा। उदाहरण के लिए, विषय वस्तु को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे–हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, आदि में बांट लें। पाठ्यक्रम योजना में लगे व्यक्तियों का दायित्व है कि छात्र की विषयगत-योजना को जांचने के लिए औपचारिक परीक्षणों-समस्या समाधान स्थितियों आदि द्वारा मूल्यांकन की युक्तियां निकालें।

पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय योजनाकार यह ध्यान रखता है कि विषय की प्रकृति व स्वरूप क्या है? विषय या अध्ययन क्षेत्र से अभिप्राय विषय वस्तु के व्यापक और तार्किक दृष्टि से संगठित स्वरूप से है, जो अपने विद्वतापूर्ण सार के कारण विशिष्ट या भिन्न होता है और अपनी संरचना द्वारा ही अपनी ही विशेषताएं निरुपित करता है। हिन्दी, गणित, विज्ञान आदि विषय का अध्ययन क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। प्रत्येक विषय की अपनी पद्धति और जांच का तरीका होता है, जिसके माध्यम से ज्ञान सृजित किया जा सकता है और उसे वैधता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए विज्ञानों में ज्ञान की उत्पत्ति तथा वैधता के लिए प्रयोग की पद्धति अपनाई जाती है। सामाजिक विज्ञानों में गुणात्मक अध्ययन तथा अनियंत्रित पर्यावरण में विश्लेषण पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्येक विषय की अपनी परम्परा या क्षेत्र नियमों का इतिहास होता है। किसी विषय की संरचना उस तरीके को व्यंजित करती है जिसके द्वारा इसका अध्ययन तथ्य ज्ञानार्जन किया जाता है। किसी विषय की संरचना का ज्ञान इसकी अनिवार्य प्रकृति को समझने में सहायक होता है। अतः विषय की संरचना का विचार पाठ्यक्रम के नियोजन में सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, भौतिकी तथा इतिहास दो अलग-अलग विषय हैं तथा दोनों का ज्ञान क्षेत्र भी भिन्न है। दोनों विषयों की जांच तथा अनुसंधान विधियाँ भी अलग-अलग हैं और एक ही अनुसंधान पद्धति दूसरी पर लागू नहीं की जा सकती। भौतिकी के पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला सत्र शामिल होंगे। दूसरी ओर इतिहास के पाठ्यक्रम में तथ्यों की प्रमाणिकता व कालक्रमिक प्रस्तुति और उन पर आधारित तार्किक विवेचन पर बल दिया जाता है। दोनों ही विषयों का स्वरूप भिन्न है। इनका निरूपण अलग-अलग तरीके से करना पड़ता है और उनके पाठ्यक्रम की अनिवार्यता भी भिन्न-भिन्न होती है। इन पाठ्यक्रमों में ये सुझाव दिये जाते हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम अनुभवों की विशिष्ट प्रणालियाँ उपलब्ध कराई जाएं। ये अधिगम अनुभव विषय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः विषय के स्वरूप के अन्तः ज्ञान तथा इसकी संरचना, पद्धतियाँ तथा विधियाँ शामिल होती हैं जिसके द्वारा विषय सम्बन्धी ज्ञान का सृजन तथा तथ्य परकता निश्चित की जाती है। यह पहला कारक है जो अनिवार्यतः पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इसमें पाठ्यक्रम योजनाकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2. अध्येता केन्द्रित योजना (Learner centred design)–अध्येता केन्द्रित योजना पाठ्यक्रम की वह योजना है जो छात्रों के वर्तमान जीवन की जरुरतों पर आधारित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता अपने अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगमकर्ता सबसे ज्यादा उन परिस्थितियों में सीखते हैं जिनके द्वारा वे अपनी रुचियों व जरुरतों को पूरा करते हैं। अध्येता केन्द्रित योजना में विद्यालय अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों को ऐसी विधियाँ सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें एक प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा अपनी रुचि व जरुरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है।

पाठ्यक्रम की अध्येता केन्द्रित योजना में अध्येता तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं की मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, रुचियों व क्षमताओं को योजनाकार द्वारा ध्यान में रखा जाता है। यह योजना छात्रों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसके लिए उचित अधिगम अनुभवों की योजना बनानी होती है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ तथा छात्रों के लिए उपयोगी हों। पाठ्यक्रम की इस योजना में उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जो छात्रों के विकासात्मक अवस्थाओं से जुड़े हैं।

3. समस्या केंद्रित योजना (Problem Centred Design)–पाठ्यक्रम की समस्या केन्द्रित योजना वह योजना है जिसके अन्तर्गत बालकों के द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी समस्याओं को नियंत्रित करके उन समस्याओं को हल करने के लिए पाठ्यक्रम नियोजित किया जाता है। ये समस्याएँ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक पुनर्निर्माण से सम्बन्धित हो सकती हैं। समस्या केन्द्रित योजना के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव उस संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों पर आधारित होने चाहिए जिनमें वह रहता है। इससे विद्यार्थी में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के बारे में जागरुकता आती है और उनको प्रभावी ढंग से सुलझाने की योग्यता उत्पन्न होती है। पाठ्यक्रम की समस्या केन्द्रित योजना में समस्याओं या मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, समस्या से संबद्ध किसी भी स्रोत से संगत विषयवस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।

◆◆◆

11.2 पाठ्यक्रम विकास में वांछित घटक
(Components Required in Curriculum Development)

2. पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन-से हैं? पाठ्यक्रम विकास के महत्व का वर्णन कीजिए।
(What are the components of curriculum development? Describe the importance of curriculum development.)

उत्तर–पाठ्यक्रम का विकास (Curriculum Development)–"पाठ्यक्रम विकास" का अर्थ एक ऐसी निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। यह प्रक्रिया कहाँ से आरम्भ हुई इसकी भी सही जानकारी नहीं है। शिक्षण से सम्बन्धित आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। परीक्षण के माध्यम से यह भी जानकारी हो जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है।

इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि सीखने के अवसरों के नियोजन (Planning) द्वारा छात्रों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना तथा परीक्षण के माध्यम से यह जानना कि इस नियोजन से किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। इस प्रत्यय को पाठ्यक्रम-विकास की संज्ञा दी जाती है। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है, इसलिए पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरन्तर चलने वाली मानी जाती है।

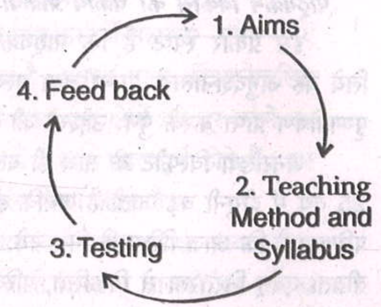

पाठ्यक्रम विकास के घटक *Components of curriculum development)*

पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया मानी गयी है। इसके चार प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं–

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

1. शिक्षण उद्देश्य (Teaching aims)—पाठ्यक्रम विकास करने के लिये हमें सर्वप्रथम विकास हेतु उद्देश्यों का प्रतिपादन करना होता है ताकि हमें ज्ञात हो कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है अथवा विकास के द्वारा हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग एवम् अनेकों परिवर्तन भी कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किये जाते हैं। अतः पाठ्यक्रम विकास की कुछ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ही किया जाता है।

2. अनुदेशनात्मक प्रारूप (Instructional format)—शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि बालकों को किस प्रकार से अनुदेशन प्रदान किया जाये। इसके लिये शिक्षण विधियों तथा पाठ्यवस्तु की सहायता से इस प्रकार के अवसर एवम् परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिनसे बालक भली प्रकार से अधिगम कर सकें। इन शिक्षण विधियों व पाठ्यवस्तु की सहायता से ही शिक्षण के विभिन्न निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है।

3. मूल्यांकन (Evaluation)—पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का तीसरा चरण है—मूल्यांकन या परीक्षण करना। इस चरण के द्वारा ही यह जाँचा जाता है कि समस्त शिक्षण विधियां व पाठ्यवस्तु का प्रयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। मूल्यांकन के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन शिक्षण विधियों व पाठ्यवस्तु के प्रयोग द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।

4. पृष्ठपोषण (Feedback)—पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया का चौथा व अन्तिम चरण है—पृष्ठपोषण पृष्णपोषण मूल्यांकन का प्रभाव होता है अर्थात् मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। मूल्यांकन के द्वारा हम वस्तु स्थिति का अनुमान लगाते हैं तथा उसी के अनुसार शिक्षकों व छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। पृष्ठपोषण के द्वारा ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को सुधार के लिये दिशा प्राप्त होती है और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता है। इस चक्रीय प्रक्रिया को निम्नांकित चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है—

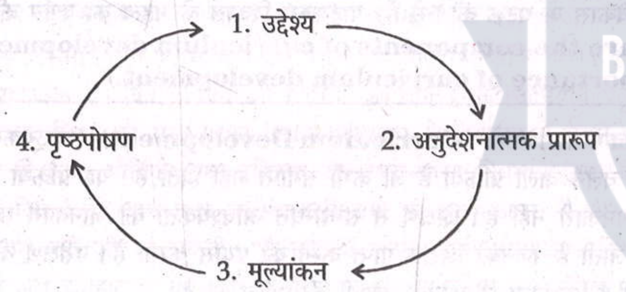

पाठ्यक्रम विकास की चक्रीय प्रक्रिया (The Cyclic of Curriculum Development)

इस प्रकार स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम विकास का मुख्य उद्देश्य छात्रों का विकास करना है। इसके लिये वह अनुदेशनात्मक प्रारूप तथा मूल्यांकन का सहारा लेता है। मूल्यांकन के फलस्वरूप प्राप्त तथ्यों से पृष्णपोषण प्राप्त करके पुनः उद्देश्यों की प्राप्ति में लग जाता है।

जनसंख्या विस्फोट के साथ ही वर्तमान समय में ज्ञान में भी तीव्र विस्फोट हुआ है। जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दोगुनी बढ़ जाती है जबकि ज्ञान प्रत्येक दशक में ही दोगुना हो जाता है। यह ज्ञान वृद्धि का ही परिणाम है कि आज शिक्षा के नित नये अध्ययन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। इन क्षेत्रों के पाठ्यक्रम को भी तीव्रता एवम् निरंतरता से विकसित, परिवर्तित व परिमार्जित किया जा रहा है ताकि बालकों के भावी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। पाठ्यक्रम विकास एक ऐसी अवधारणा है जो कई दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम विकास का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है—

1. पाठ्यक्रम विकास बालकों का सर्वांगीण विकास करता है—पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम में उपस्थित दोषों को दूर करके नवीन एवम् समाजोपयोगी कौशल व क्षमताओं को छात्रों में विकसित करता है। यह बालकों को आधुनिकतम ज्ञान एवम् उच्च मूल्यों को भी प्रदान करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास बालकों का सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतया सक्षम है।

2. पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करता है—जब प्रचलित पाठ्यक्रम में रूढ़िवादिता, परंपरागतता, अबौद्धिकता, सामंजस्य में अयोग्यता आदि दोष आ जाते हैं, तब उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन व सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। उसके परिणामस्वरूप बालकों को एक स्वस्थ पाठ्यक्रम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास ही पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करता है।

3. पाठ्यक्रम विकास एक व्यावहारिक प्रक्रिया है—पाठ्यक्रम विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है। इसका एकमात्र व्यावहारिक पक्ष ही सामने आता है। स्पष्ट शब्दों में पाठ्यक्रम विकास का एकमात्र व्यावहारिक पक्ष ही होता है। इसमें जो भी परिवर्तन किये जाते हैं। वे स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में व्यावहारिक पक्ष की प्रधानता होने से भी यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाती है।

4. पाठ्यक्रम के द्वारा पाठ्यक्रम व पाठ्य-पुस्तकों में तालमेल बिठाया जाता है—पाठ्यक्रम विकास हेतु नवीन पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है तथा इन पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता होना आवश्यक शर्त होती है। पाठ्य विषय एवम् पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग हैं, तथा जब पाठ्यक्रम में दोष आ जाते हैं तब पाठ्य-पुस्तकें शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अयोग्य सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों में सामंजस्य बिठाने के प्रयास किये जाते हैं। इस कार्य में पाठ्यक्रम विकास ही सहायक होता है।

5. पाठ्यक्रम विकास ही शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के विकास में सहायक है—जब शिक्षकों के पास एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवम् विकसित पाठ्यक्रम (बालकों के शिक्षण हेतु) होता है तब उनके शिक्षण में प्रयुक्त विधियां भी नवीन एवम् विकसित की जाती हैं तथा उन विकसित शिक्षण विधियों से बालकों को दिया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। पाठ्यक्रम विकास के अभाव में पाठ्यवस्तु तो परंपरागत व पुरानी होती है, उनके शिक्षण हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली शिक्षण विधियाँ भी उन्हीं के अनुरूप चयन करनी पड़ती हैं। इस प्रकार शिक्षण विधियों एवम् प्रविधियों के विकास में सहायक होने के नाते भी पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्णहै।

6. पाठ्यक्रम विकास के चक्र द्वारा पाठ्यक्रम का आकलन संभव होता है—कई बार पाठ्यक्रम में दोष न होने पर भी, केवल समय की माँग के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन व सुधार लाना होता है। यह अवधारणा इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम विकास के चक्र के कारण ही समय-समय पर पाठ्यक्रम का विभिन्न अवस्थाओं, स्तरों एवम् दृष्टिकोणों से आंकलन करना संभव होता है। यदि पाठ्यक्रम में विकास की माँग न हो तो पाठ्यक्रम की वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान होना संभव नहीं है।

7. पाठ्यक्रम विकास ही विभिन्न आयोगों की महत्त्वपूर्ण संस्तुतियों को लागू करने में सहायक—समय-समय पर स्वतंत्र भारत में अनेकों आयोगों एवम् समितियों का गठन होता रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य प्रचलित पाठ्यक्रम में उत्पन्न दोषों को सामने लाना तथा अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव देकर उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करता है। कई बार ये सुझाव प्रगति एवम् विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। इन सुझावों को पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही लागू करने का प्रयत्न किया जाता है।

8. शिक्षा स्तर ऊँचा उठाने हेतु पाठ्यवस्तु के चयन में सहायक—पाठ्यक्रम प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का मूल (केन्द्र) होती है। यही वह आधार है जिस पर बालकों को दी जाने वाली शिक्षा व बालकों का भविष्य निर्भर करता है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नत तभी हो सकती है। जब उसके पाठ्यक्रम का स्तर ऊँचा एवम् गहन ज्ञान (Deep Knowledge) से युक्त हो। इस प्रकार जब पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है तब विशेषज्ञों एवम् शिक्षाविदों को एक अवसर प्राप्त होता है कि वे शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने हेतु पाठ्यवस्तु का चयन कर सकें तथा परिवर्तन कर सकें।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

9. पाठ्यक्रम विकास शोधकार्य हेतु विषय प्रदान करता है–वर्तमान समय में शिक्षा के हर क्षेत्र में शोध कार्य बड़ी तेजी से किये जा रहे हैं। पाठ्यक्रम विकास भी एक ऐसा शोध विषय है जिस पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने व प्रकाश डालने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम विकास से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर शोधकार्य किये जा सकते हैं–

1. पाठ्यक्रम विकास में शिक्षकों की सहभागिता
2. पाठ्यक्रम का ऐतिहासिक विकास
3. पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएँ
4. पाठ्यक्रम परिवर्तन में बाधा
5. पाठ्यक्रम के व्यावहारिक आधार
6. पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तकें आदि।

इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास शोधकार्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बनाता है।

10. पाठ्यक्रम विकास समाज एवम् राष्ट्र के विकास में सहायक है–पाठ्यक्रम विकास के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को राज्य के क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया जा सकता है। जिसके फलस्वरूप राज्य में तीव्र व्यावसायिक विकास संभव हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के लिये आवश्यक ज्ञान एवम् कौशल का भी विकास पाठ्यक्रम विकास के द्वारा किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि यह प्रत्यय समाज व पूरे राष्ट्र के विकास में सहायक है।

11. पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम का भार कम करता है–जब पाठ्यक्रम का विकास होता है तब उसमें निहित अनुपयोगी तथ्य व सूचनायें निकाल दी जाती हैं एवम् आवश्यक ज्ञान ही बालकों को प्रदान किया जाता है। इस तरह छँटनी एवम् नवीनीकरण से पाठ्यक्रम का भार कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

12. पाठ्यक्रम विकास के द्वारा पाठ्यक्रम में शिक्षकों के विचारों व अनुभवों को सम्मिलित करना संभव–किसी भी शिक्षक के विचार पाठ्यक्रम को एक नई दिशा व गति प्रदान करते हैं। शिक्षक का शिक्षा व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम में शिक्षकों के विचार व अनुभव सम्मिलित करके उसे और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और यह अवसर पाठ्यक्रम विकास ही प्रदान करता है। पाठ्यक्रम विकास के द्वारा पाठ्यक्रम में शिक्षकगण के विचारों को सम्मिलित करना संभव हो सका है।

13. पाठ्यक्रम विकास के द्वारा बालकों में महत्त्वपूर्ण विषयों के प्रति चेतना लाना संभव–पाठ्यक्रम विकास की सहायता से बालकों में जानकारी, बोध, सचेतना, सकारात्मक अभिवृत्ति आदि का विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, पर्यावरण, हरित ग्रह प्रभाव, विज्ञान का दुरुपयोग, बढ़ती जनसंख्या, पिछड़ापन, बेरोजगारी आदि कुछ ऐसी समस्यायें हैं, जिनके प्रति बालकों में चेतना लाना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप ही बालक इन विषयों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास करेंगे। बालकों में यह चेतना (Awareness) लाना पाठ्यक्रम विकास द्वारा सरलता से किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम विकास एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। यह पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करके उसमें समसामयिक घटनाओं को सम्मिलित करती है। यह बालकों के ज्ञान का नवीनीकरण करती है। पाठ्यक्रम विकास के द्वारा शिक्षण को और भी अधिक सार्थक व प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

◆◆◆

11.3 पाठ्यक्रम परिवर्तन–अर्थ, आवश्यकता तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक
(Curriculum Change : Meaning, Need and Factors Affecting Curriculum Change)

3. पाठ्यक्रम परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है? पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by curriculum change? Describe the need of curriculum change.) (June 2018)

उत्तर–एक विद्वान के कथनानुसार, "किसी पाठ्यक्रम को बुनियादी तथा सर्वकालिक महत्त्व का मानना वस्तु स्थिति के अनुसार सोचने की अयोग्यता का सूचक है तथा स्वयं को धोखा देना है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम उसकी स्याही सूखने के साथ ही पुराना हो जाता है।" कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम में समय-समय पर सुधार व परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। वस्तुतः परिवर्तन प्रकृति का अवश्यम्भावी नियम है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। प्रकृति के इसी नियम के अनुसार समाज, शिक्षा एवम् शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है।

पाठ्यक्रम शब्द अपने आप में अकेला सार्थक नहीं होता है। पाठ्यक्रम के साथ में विकास शब्द सदैव ही जुड़ा होता है तथा इसी से इसकी सार्थकता बनी रहती है। पाठ्यक्रम विकास एक ऐसा प्रत्यय या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसकी आवश्यकता का सदैव ही अनुभव किया जाता है। यह परिवर्तन समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त कारक है जो व्यक्ति, उसके समाज एवम् सम्पूर्ण राष्ट्र में परिवर्तन ला सकती है। अतः जब समाज एवम् राष्ट्र की आवश्यकता पूर्ति किसी विशेष संदर्भ में हो तब पाठ्यक्रम में परिवर्तन के द्वारा पाठ्यक्रम विकसित करके वे विशिष्ट मूल्य पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों तक पहुँचाये जा सकते हैं।

शिक्षा की उपयोगिता व सार्थकता तभी मानी जा सकती है जब वह अपने समाज के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण कर रही है। अन्यथा शिक्षा पूर्णतया निरर्थक होती है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षा ने पाठ्यक्रम के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण किया है। जब-जब शिक्षा के उद्देश्य बदले हैं तब-तब पाठ्यक्रम को भी विकसित एवम् परिमार्जित किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षा को जीविकोपार्जन की क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बालकों को दिया जाता है तथा इसी के अनुरूप परंपरागत पाठ्यक्रम को विकसित भी किया गया है।

पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा
(Definition and meaning of Curriculum change)

जैसा कि हमें ज्ञात है कि पाठ्यक्रम विभिन्न पाठ्य विषयों एवम् पाठ्य सहगामी क्रियाओं व विद्यालय में किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापों का योग है। परन्तु पाठ्यक्रम का निर्धारण तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं तथा विचारधारा के अनुसार किया जाता है। चूँकि सामाजिक परिस्थितियाँ सदैव परिवर्तनशील होती हैं, इसलिये पाठ्यक्रम को भी समयानुसार नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, इस नवीनीकरण के साथ ही शिक्षा समाज के द्वारा नवनिर्मित उद्देश्यों के पूर्ण करने में सक्षम होती है। इस प्रकार शिक्षाशास्त्रियों एवम् विद्वानों द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम में किये जाने वाले नवीनीकरण को ही पाठ्यक्रम विकास कहा जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया के अन्तर्गत/के द्वारा समाज के लिये अनुपयोगी विषयों व क्रियाकलापों को पाठ्यक्रम में से निकालकर इसमें समाजोपयोगी विषयों तथा दृष्टिकोणों को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से यह आशा की जाती है कि तत्कालीन समाज व संस्था के दृष्टिकोण व विचारधारा भी पाठ्यक्रम के अनुसार ही विकसित व परिमार्जित होगी। इसी संप्रत्यय के हिल्डा टाबा ने इस प्रकार परिभाषित किया है–

"पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तन करना है।"

("To change a curriculum means, in away, to change an institutions.")

— Hilda Taba

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित है कि परिवर्तन एवम् विकास में अत्यंत सूक्ष्म अंतर ही होता है। वस्तुतः दोनों ही एक सप्रयोजन किये जाने वाले कार्य हैं जो पाठ्यक्रम को एक सकारात्मक रूप देने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

सेलर एवम् अलेक्जेन्डर ने भी पाठ्यक्रम परिवर्तन/ विकास के बारे में कहा है—"विद्यालय पाठ्यक्रम में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र जनसंख्या, क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ तथा समाज में हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिये तथा इन सभी परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रेरित होना चाहिए।"

("Change in the community, it's population, the professional staff and society should be reflected in or prompted by related changes in school curriculum.")

— Sylor & Alexander

इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास तथा विद्यालय, छात्रों के व्यवहार तथा समाज में होने वाला विकास परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा ये दोनों तथ्य अन्योन्याश्रित होते हैं। परंतु वर्तमान परिदृश्य की समस्या यह है कि पाठ्यक्रम विकास की दिशा में किये गये कार्य बहुत ही कम हैं। विभिन्न विकसित देशों में पाठ्यक्रम के विकास हेतु अनेकों कार्य किये जा रहे हैं, परंतु भारत में पाठ्यक्रम विकास की दिशा में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात् भी ब्रिटिश काल में निर्मित पाठ्यक्रम को ही बालक पढ़ रहे हैं। इस संबंध में 'नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन' अमेरिका की एक विशेषज्ञ समिति ने एक प्रतिवेदन में कहा है—

"पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया वैसे तो उसी समय से अनवरत रूप से चल रही है, जब से विद्यालयों की स्थापना आरंभ हुई है, परंतु कुछ वर्षों पूर्व तक यह कार्य बिना किसी क्रमबद्धता के छुट-पुट रूप में होता रहा तथा केवल कुछ प्रतिभासंपन्न एवम् उत्साही व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक ढंग से इस दिशा में क्रियाशील रहे। विगत कुछ दशकों में परिवर्तन की गति तीव्र हो जाने के परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों में पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण का विकास कार्य संस्थागत होता जा रहा है।"

यह प्रतिवेदन पाठ्यक्रम विकास की धीमी गति को दर्शाते हुए यह आशा व्यक्त करता है कि भविष्य में यह कार्य अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से होता रहेगा।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'पाठ्यक्रम विकास' एक अत्यंत प्राचीन तथा विशिष्ट प्रत्यय (Concept) है। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परंतु इसका आरंभ कहाँ से हुआ, इस तथ्य का किसी को भी बोध नहीं है। पाठ्यक्रम विकास का संबंध वर्तमान पाठ्यक्रमों के सुधार एवम् परिवर्तन से होता है। यही इसका उद्देश्य भी है। पाठ्यक्रम विकास का संबंध 'पाठ्यक्रम प्रबन्धन' (Curriculum management) से है। पाठ्यक्रम विकास एक कार्य के रूप में अत्यंत सरल होता है। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं एवम् अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विशिष्ट विषय का विशिष्ट स्तर के लिये परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन बोर्ड तथा परिषद् के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है।

पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता तथा महत्व
(Need and Importance of Curriculum Change)

1. छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हेतु—पाठ्यक्रम परिवर्तन की सर्वप्रथम आवश्यकता छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु है। वस्तुतः पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया में अधिगम अवसरों के नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाया जाता है तथा परीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है।

2. परिमार्जित ज्ञान की प्राप्ति हेतु—मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है तथा विभिन्न माध्यमों से वह ज्ञान प्राप्ति के प्रयास करता रहता है। समय-समय पर बालकों को भी परिष्कृत व परिमार्जित ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव होता है और बालकों की इस आवश्यकता की पूर्ति पाठ्यक्रम परिवर्तन द्वारा की जा सकती है। पाठ्यक्रम परिवर्तन के माध्यम से हम समय के साथ हुए परिवर्तनों एवम् बदलते युग के साथ बदलते हुए ज्ञान को भी बालकों तक पहुँचा सकते हैं।

3. बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु—पाठ्यक्रम का एक सामान्य उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास करना होता है। यहाँ जब पाठ्यक्रम विकसित होता है तब बालकों का समस्त प्रकार का विकास और भी बेहतर तरीके से होता रहता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता इस दृष्टिकोण से भी है कि वह विभिन्न विषयों के शिक्षण से बालकों के मानसिक पक्ष का प्रशिक्षण करे तथा अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं व गतिविधियों से शारीरिक, सांस्कृतिक व नैतिक विकास में सहायक हो। अतः बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु भी पाठ्यक्रम परिवर्तन की आवश्यकता है।

4. छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप विकास हेतु—बदलते समय के अनुसार विज्ञान एवम् तकनीकी ने अत्यंत प्रगति कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ चलना चाहता है। ऐसे में पाठ्यक्रम परिवर्तन ही एक ऐसा साधन है जो बालकों में बदलते समय के अनुरूप सामाजिक, नैतिक एवम् वैज्ञानिक अभिरुचियाँ उत्पन्न कर सकें। पाठ्यक्रम परिवर्तन न केवल छात्रों में वांछित अभिरुचियाँ व योग्यतायें उत्पन्न करता है, अपितु उन अभिरुचियों व योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास भी करता है। अतः इस दृष्टिकोण से भी पाठ्यक्रम परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है।

5. वर्तमान समय की माँग की पूर्ति हेतु—वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है कि वह आज की परिस्थितियों में जीवित रह सके। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में अपना अस्तित्व बनाये रखे व जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। इसके लिये व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना होगा तथा समय के साथ अपने आप को व अपने ज्ञान को भी परिष्कृत करना होगा। पाठ्यक्रम परिवर्तन बालकों को और अधिक परिष्कृत ज्ञान प्रदान करता है ताकि बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकें तथा अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन कर सकें।

6. भावी जीवन की तैयारी हेतु—शिक्षा द्वारा बालकों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे अपने भावी जीवन को भली प्रकार बिता सकें। इसके लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का सहारा लिया जाता है परंतु यदि बालक वही ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे जो आज से कई वर्षों पहले पाठ्यविषयों में आ चुका है तो वे आज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल सकेंगे। अतः पाठ्यक्रम में समय-समय पर सुधार व नवीनीकरण किया जाता है ताकि बालकों को उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उन्हें भविष्य के लिये तैयार किया जा सके। इस प्रकार बालकों के भावी जीवन की तैयारी हेतु भी पाठ्यक्रम परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता होती है।

7. समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास हेतु—शिक्षा एवम् समाज का अत्यंत गहरा संबंध है। शिक्षा समाज हेतु योग्य व्यक्तियों का निर्माण करती है तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका विकास भी करती है। वहीं दूसरी ओर समाज में होने वाले परिवर्तनों से शिक्षा व्यवस्था स्वयं भी प्रभावित होती रहती है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिनमें शिक्षा भी सम्मिलित है। अतः शिक्षा का यह कर्त्तव्य है कि वह बालकों को इस प्रकार विकसित करे कि वे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। चूँकि समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। अतः समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बालकों के विकास हेतु भी पाठ्यक्रम परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है।

8. प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण हेतु—हमारी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण तब किया गया जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ब्रिटिश शासकों ने इस पाठ्यक्रम का निर्माण केवल सरकारी नौकरियों को पाने की योग्यता करने के उद्देश्य से किया था। इसके अतिरिक्त बालक केवल उच्च कक्षाओं में प्रवेश पा सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि प्रचलित पाठ्यक्रम बालकों में प्रजातांत्रिक

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

मूल्यों का विकास करने में असमर्थ है। अतः आवश्यकता है–पाठ्यक्रम परिवर्तन की। ताकि बालकों का निर्माण ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप न होकर वर्तमान प्रजातंत्र की दृष्टि से किया जा सके। पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा बालकों को स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, सहयोग, चरित्र का विकास व सहानुभूति जैसे उच्च मूल्यों का ज्ञान कराया जा सकता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रजातंत्र की दृष्टि से बालकों के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है।

9. नई शिक्षा नीति के अनुसार बालकों के सृजन हेतु–जनवरी 1985 में देश के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नयी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के निर्माण की घोषणा की। इसमें ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने का संकल्प लिया गया, जो देश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवम् आदर्शों के पूर्णतः अनरूप हो। नयी शिक्षा नीति का मूलाधार–'शिक्षा निवेश है' (Education is an investment') का सिद्धांत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा में 12 भाग हैं जिनमें शिक्षा के सभी पक्ष सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम के बारे में भी नयी शिक्षा नीति में कहा गया है–उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को लचीलेपन, विशेषज्ञता, गतिशीलता, आधुनिकीकरण, सृजनात्मकता एवम् मूल्यांकन सुधार की दृष्टि से पुनर्गठित किया जायेगा। इस प्रकार नयी शिक्षा नीति ने एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम व संरचना पर बल दिया व महिलाओं व पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किये। नयी पीढ़ी द्वारा निरन्तर एवं सृजनात्मक रूप से नये विचारों को ग्रहण करने की योग्यता के विकास की आवश्यकता को व्यक्त किया। ये सभी लक्ष्य प्राप्त करना तभी संभव है जब पाठ्यक्रम में परिवर्तन इन लक्ष्यों के अनुरूप किया जाये। अतः नई शिक्षा नीति के अनुसार बालकों के सृजन हेतु भी पाठ्यक्रम परिवर्तन आवश्यक होता है।

10. वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हेतु–पाठ्यक्रम परिवर्तन बालकों के मस्तिष्क को नवीन विचारों से भरने के लिए आवश्यक है। इसी के माध्यम से बालक नित्य विकसित होते हुए वैज्ञानिक एवम् तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन ही बालकों को वैज्ञानिक आविष्कारों के लिये तैयार करता है। सम्पूर्ण राष्ट्र में व्यावसायिक एवम् तकनीकी शिक्षा का विकास समाज एवम् देश की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिये। यह कार्य भी पाठ्यक्रम परिवर्तन द्वारा ही संभव है।

11. आत्मानुभूति के विकास हेतु–पाठ्यक्रम परिवर्तन में बालकों में आत्मानुभूति एवम् सौन्दर्यानुभूति जैसे गुणों को भी विकसित करने की क्षमता होती है। ये वे गुण हैं जो वैदिक काल में बालकों में विकसित किये जाते थे तथा बालक शिक्षा के उच्च आदर्शों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहते थे। इस प्रकार बालकों में उच्च मूल्यों के विकास हेतु भी पाठ्यक्रम परिवर्तन अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है।

12. शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु–समय-समय पर शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा पाठ्यक्रम के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास किये जाते हैं। समय के अनुसार जब भी पाठ्यक्रम बदलते हैं, तभी पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वह पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम बना रह सके।

13. शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु–शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का बने रहना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान जब पुराना हो जाता है तब अनेकों रूढ़ियों को तो जन्म देता ही है साथ ही साथ बालकों की भी उसमें रुचि समाप्त होने लगती है। अतः आवश्यक है कि ज्ञान तार्किक हो, समसामयिक घटनाओं की जानकारी से भरा हो तथा बालकों का विकास करने में सक्षम है। अतः शिक्षा-प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने हेतु भी पाठ्यक्रम परिवर्तन की वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन बालकों, समाज एवम् राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति एवम् विकास हेतु एक प्रभावी यन्त्र है।

◆◆◆

पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक
(Factors Affecting Curriculum Change)

4. पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the social factors affecting curriculum change.)

अथवा

वे कौन से सामाजिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं?
(What are the factors affecting the curriculum change?)

उत्तर–मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना व्यक्ति का किसी प्रकार का विकास संभव नहीं। समाज से पृथक् रहने वाला मनुष्य या तो पशु है अथवा देवता। व्यक्ति समाज की ही एक इकाई है। समाज का विकास एवम् समाज के हितों की सुरक्षा से व्यक्ति का विकास एवम् सुरक्षा स्वयं ही हो जाती है। व्यक्ति में जन्म से ही मानवीय एवम् पाशविक दोनों प्रवृत्तियाँ होती हैं, परंतु समाज में रहकर बालक अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क के द्वारा अपनी पाशविक प्रवृत्तियों का दमन करता है तथा पारस्परिक अन्तः क्रिया तथा सामाजिक प्रभाव के परिणामस्वरूप वह वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनता है। समाज व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है, इस बात का ज्ञान इसी बात से हो जाता है कि मनुष्य की समस्त आवश्यकतायें समाज में रहकर ही पूर्ण होती है। भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, जीविका, अनेकों मानवीय गुण एवम् व्यावहारिक ज्ञान भी मनुष्य समाज में रहकर ही अर्जित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास भी समाज में रहकर ही संभव है। इस विषय में **बाल्डविन** का मत है, **"व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।"** (*"Personality can not be defined in any other from accept social words.* **—Baldwin**)

शिक्षा एवम् समाज शास्त्र का सम्बन्ध अधिक प्राचीन नहीं है। यह लगभग 60 वर्ष प्राचीन माना जा सकता है। इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का सामूहिक जीवन पर और सामूहिक जीवन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता हैं, का अध्ययन प्रारंभ हुआ और इस प्रकार एक नवीन विषय 'शिक्षा का समाजशास्त्र (Sociology of Education) का प्रादुर्भाव हुआ। समाजशास्त्र तथा शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा की प्रक्रिया पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि अब शिक्षा के सभी अंगों की व्याख्या सामाजिक व समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से की जाने लगी है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्ति द्वारा समाज को उन्नतिशील बनाना ही शिक्षा है। अतः ब्राउन ने उचित ही कहा है, "शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाये जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में।"

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित किये गये हैं तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया गया है। **शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य** इस प्रकार हैं–

1. बालकों में सामाजिक गुणों का विकास
2. बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास
3. बालकों में सामाजिक विकास व विश्व कल्याण की भावना जागृत करना
4. बालकों में श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास करना
5. बालक को जीविकोपार्जन की शिक्षा देना।
6. अवकाश के समय के सदुपयोग की शिक्षा देना।

शैक्षिक उद्देश्यों के अतिरिक्त शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा के कार्यों का भी वर्णन है। **मुनरो** ने अपनी पुस्तक ब्रीफ कोर्स इन दि हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन (Brief course in the History of Education) में शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्य निम्नलिखित बताये हैं–

1. ज्ञान का प्रसार
2. सामाजिक परंपरा की सुरक्षा व हस्तान्तरण
3. सामाजिक विकास
4. सामाजिक नियंत्रण।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता जॉर्ज पाइन ने शिक्षा के अन्य अंगों जैसे शिक्षण विधियों, शिक्षा, शिक्षार्थी, अनुशासन व विद्यालय आदि पर भी शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभाव का वर्णन किया है। परंतु यहाँ हम केवल पाठ्यक्रम के संदर्भ में ही इस प्रभाव का उल्लेख करेंगे।

पाठ्यक्रम परिवर्तन पर सामाजिक तत्त्वों के प्रभाव की विवेचना करने से पूर्व संक्षेप में **शिक्षा एवम् समाज के पारस्परिक कार्यों एवम् प्रभावों को** जान लेना आवश्यक होगा। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। शिक्षा मानव में सामाजिक गुणों का विकास करती है। शिक्षा ही मनुष्य को बताती है कि वह निजी हितों व स्वार्थों के स्थान पर समाज के हित को अधिक महत्व दे। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को समाज का एक उपयोगी अंग बनाया जा सकता है। शिक्षा ही बालक में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, परोपकार, सेवाभाव, भ्रातृत्व, देशप्रेम जैसे सामाजिक गुणों का विकास करती है। बालक में योग्य नागरिकता की भावना एवम् जनतंत्र के प्रति आस्था भी शिक्षा द्वारा ही विकसित की जाती है। बालकों में सामाजिक अनुशासन की भावना भी शिक्षा ही भरती है। इस विषय में **ब्राउन** महोदय ने इस प्रकार कहा है—"शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाये जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में।" इन अप्रत्यक्ष कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा समाज के प्रति कुछ प्रत्यक्ष कार्यों का भी निर्वहन करती है। उदाहरण के लिये, समाज में प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध, समाजवाद की स्थापना करना, साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करना, नेतृत्व की भावना का विकास करना, सहयोग व संगठनकारी भावना का विकास करना, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा एवम् हस्तांतरण करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को प्रोत्साहित करना आदि। इसी संदर्भ में **स्मिथ** ने भी अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है, **"विद्यालय को व्यापक कार्य संभालना चाहिये एवम् उसे निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि सामाजिक कृतज्ञता, सामुदायिक शक्ति के उत्पन्न तथा पोषित किये जाने का कार्य हो सके।"** (*School should assume wider functions and definitely set itself to the task of creating and fastering the sense of social obligation and loyalty to the community."*—**W.O. Lister Smith**)

इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और सामाजिक विकास व परिवर्तन का कारक भी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **ब्रुक ओवर** ने स्पष्ट कहा है, "शिक्षा समाजीकरण का पर्याय है।" इसी प्रकार के विचार मार्ग्रेट मीड ने व्यक्त करते हुए कहा है, "शिक्षा एक ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रत्येक शिशु मानव समाज का सदस्य बनता है।"

शिक्षा समाज में परिवर्तन लोगों की धारणा में परिवर्तन लाकर सम्पन्न करती है तथा व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन पाठ्यक्रम एवम् पाठ्य वस्तुओं द्वारा ही लाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से विद्यालय सामाजिक लक्ष्यों तक पहुँचने के प्रयास करता है। यहाँ हम उन सामाजिक तत्त्वों का विवेचना करने का प्रयास करेंगे जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं।

(अ) पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत—ब्राउन तथा मूरे (Brown and Moore) ने पाठ्यक्रम निर्माण एवम् परिवर्तन हेतु कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं, जो इस प्रकार हैं—

1. पाठ्यक्रम में समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा ही नवीन पीढ़ी को उच्च आदर्श प्रदान किये जाने चाहिए।
2. पाठ्यक्रम परिवर्तन सामाजिक समस्याओं, दशाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिये।
3. पाठ्यक्रम परिवर्तन में सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिये शैक्षिक योजनायें सम्मिलित होनी चाहिये।
4. विद्यालय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो बाल-विकास के स्तर के अनुसार हो।
5. पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा पाठ्यक्रम में जीविकोपार्जन एवम् सामाजिक सेवाओं के लिए स्थान प्रदान करना चाहिए।

6. पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा बालकों को अपने कार्य के उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिये करना चाहिये।
8. पाठ्यक्रम को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील एवम् लचीला होना चाहिए।

(ब) समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित विषय—समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम पर भी पूर्ण प्रभाव है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—

1. स्वास्थ्य शिक्षा,	2. भाषा
3. शारीरिक प्रशिक्षण	4. गणित
5. सामाजिक अध्ययन	6. संगीत एवं कला
7. प्रारंभिक विज्ञान	8. प्रयोगात्मक कलाएं
9. प्राणिशास्त्रीय विज्ञान	10. जीविकोपार्जन संबंधी विषय।

(स) सामाजिक एवम् राष्ट्रीय विचारधाराओं का पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव—सामाजिक तत्त्व पाठ्यक्रम परिवर्तन पर कितना प्रभाव डालते हैं, इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाज में होने वाले परिवर्तन पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिये भी प्रेरित करते हैं। दूसरें शब्दों में सामाजिक परिवर्तन एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। उदाहरण के लिये, शिक्षा के इतिहास पर संक्षेप में दृष्टि डालना समीचीन होगा। वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवम् आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण था। परा विद्या, अपरा विद्या, शास्त्र तथा संस्कृत आदि विषय पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान रखते थे। परंतु मुस्लिम काल में अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन हस्तकलाओं की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, सैन्य शिक्षा आदि विषय प्रमुखता से पढ़ाये जाते रहे हैं। मध्य युग के बाद ब्रिटिशकालीन शिक्षा में, जब पूरे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया तब ईसाई मिशनरियों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया। ईस्ट इण्डिया कंपनी का आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 साल बाद पुनःशोधित होता था। ब्रिटिश काल में भी अनेकों आज्ञा पत्र व घोषणा पत्र आते रहे। इन्होंने पाठ्यक्रम को अपने हितों की पूर्ति हेतु विकसित किया तथा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेकों आयोगों का गठन किया गया तथा उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम का विकास किया गया। समय-समय पर अनेकों शिक्षाशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने भी पाठ्यक्रम को सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप परिवर्तित करने हेतु अपने विचार व्यक्त किये।

विभिन्न राष्ट्रीय विचारधाराओं का भी शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये, राजतंत्र या एकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। राजशाही शासन व्यवस्था में शासक वर्ग के लिये उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, जबकि जनसाधारण की शिक्षा हेतु निर्मित पाठ्यक्रम के द्वारा कर्तव्यपरायणता, आज्ञापालन व अनुशासन की भावना का विकास करने पर बल दिया जाता है। फासिस्ट समाज में राज्य के हित को सर्वोपरि माना जाता है तथा इसी के अनुसार पाठ्यक्रमों का विकास किया जाता है। जनसाधारण का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावना एवम् सैनिक शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित था। ऐसे समाज में सबको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी नहीं प्राप्त था। साम्यवादी समाज में पाठ्यक्रम में समाजवादी विचारों तथा श्रमिक दर्शन को महत्त्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन द्वारा श्रम का महत्त्व, मार्क्सवादी दर्शन का अध्ययन तथा राजनीतिक दल की नीतियों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा को महत्त्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन द्वारा सुनागरिकता के गुण, जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, आत्मानुशासन व व्यक्तित्व का विकास आदि करने का प्रयास किया जाता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक दशाओं तथा राष्ट्रीय विचारधाराओं का पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन आने से पाठ्यक्रम स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है।

(द) सामाजिक संस्थाओं एवम् परिवर्तनों का पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव—समाज का शिक्षा पर प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। शिक्षा पर समाज की विभिन्न संस्थाओं तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों का पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थायें एवम् सामाजिक परिवर्तनों का पाठ्यक्रम परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम निम्नांकित प्रकार से देख सकते हैं—

1. परिवार एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन—परिवार समाज की एक आधारभूत संस्था है। बालक के व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व, ज्ञान आदि के निर्धारण में परिवार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। **पेस्टॉलाजी** के मतानुसार, "घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है।" परिवार बालक के समाजीकरण का आधार होता है। परिवार ही बालक के प्रति प्रेम, निःस्वार्थता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, परोपकार, आज्ञापालन, अनुशासन आदि शैक्षणिक कार्यों का सम्पादन करता है। वास्तव में परिवार बालक की अनौपचारिक शिक्षा की प्रथम संस्था है। बालक के प्रारंभिक पांच-छः वर्ष बालकों की प्रतिभा के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते है। इसी समय में बालक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जीवन की तैयारी करते हैं तथा आवश्यक विषयों के प्रारंभिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पहले बालकों की विद्यालयी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा स्तर से आरंभ होती थी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था विद्यालयों द्वारा नहीं की जाती थी परंतु बदलती पारिवारिक परिस्थितियाँ जैसे एकाकी परिवार, माता-पिता दोनों का व्यावसायिक जीवन आदि बालक को, परिवार द्वारा दी जाने वाली पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में बाधा डालती हैं। अतः विभिन्न प्रकार के खेल विद्यालय (Play School), किण्डरगार्टेन संस्थायें तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षण संस्थायें प्रचलन में आ रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार बालक की शिक्षा पर प्रभाव डालता है। बदलती पारिवारिक स्थितियों के अनुसार ही बालक के पाठ्यक्रम को भी विकसित किया जाता है। वस्तुतः परिवार का शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया में परिवार द्वारा लिये जाने वाले शैक्षिक कार्यों तथा पारिवारिक व्यवस्था में आते नवीन परिवर्तनों को ध्यान में अवश्य रखा जाता है।

2. समुदाय तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन—**विलियम ईगर** के शब्दों में, **"मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, इसलिये उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का समुचित विकास सामुदायिक जीवन द्वारा ही संभव है।"** (*"Since man is by nature a social being he has learnt through the years that his personality as well as group activities can be better developed through community being."*— **William A. Yeagar**)

शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में समुदाय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बालक समुदाय की प्रगति के लिये विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। बालक समय-समय पर समुदाय में होने वाले त्योहार, उत्सव, मेले, प्रदर्शनी, सामाजिक सम्मेलन आदि में भाग लेकर सामाजिक जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। समुदाय बालक को स्वतंत्रता, अनुशासन, अधिकार, कर्त्तव्य, सेवा, परोपकार, त्याग तथा सहयोग आदि गुणों की शिक्षा देता है। समुदाय बालक के आर्थिक विकास तथा व्यावसायिक ज्ञान में भी वृद्धि करता है। समुदाय बालक पर नैतिक एवम् सांस्कृतिक प्रभाव भी डालता है बालक अपने समुदाय के द्वारा भाषा, रहन-सहन के ढंग, धर्म, नैतिकता आदि अनेकों बातों को विद्यालय के बाहर ही सीख लेता है जो कि उसकी संस्कृति को बताती हैं। व्यक्ति पर समुदाय का राजनैतिक प्रभाव भी पड़ता है। इससे बालक के राजनैतिक विचारों को एक निश्चित दिशा की प्राप्ति होती है। इस विषय में सर्वश्री **क्रो एवम् क्रो** (Crow & Crow) ने लिखा है, "समुदाय की राजनैतिक विचारधारा उस सीमा तक प्रतिबिम्बित होती है, जहाँ तक कि उसके सब सदस्यों को शैक्षणिक अवसर प्रदान किये जाते हैं और उसके राजनैतिक नेता उसके नागरिकों की शैक्षणिक प्रगति के लिये उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। समुदाय बालक की शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण सामुदायिक व्यवस्था पर अत्यंत निर्भर करता है। उदाहरण के लिये, अपराधी समाज, सभ्य समाज, ग्रामीण समाज, नागरिक समाज की शिक्षा के स्वरूप में विभिन्नता होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण एवम् विकास समुदाय की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरण के लिये, वर्तमान सामुदायिक प्राथमिकता है बालकों में आत्मनिर्भरता एवम् जीविकोपार्जन के गुणों का विकास करना। इसी के अनुसार, आज बालकों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक, तकनीकी एवम् प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रमुखता से समावेश किया जा रहा है। इसी प्रकार **ओटावे** के शब्दों में, "शैक्षणिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं, शिक्षा में तब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता है।"

3. आधुनिकीकरण तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन—आधुनिकीकरण से तात्पर्य है आधुनिकतम विचारों तथा आधुनिकतम सामाजिक स्तर से अनुकूलन करना। इस अनुकूलन के अन्तर्गत परंपराओं को त्यागकर हम नवीन विचारों एवम् कार्यों को अपनाते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स का विकास, चिकित्सा की नवीनतम पद्धतियाँ, विकसित यातायात व संचार के साधन, नये-नये कृषि उपकरण एवम् विधियाँ, उद्योग धंधों का विकास आदि सभी कुछ आधुनिकीकरण की ही देन है। आज समाज तीव्रता से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आत्मसात कर रहा है। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण का सम्बन्ध अत्यंत घनिष्ठ है। शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन है। जिन समाजों में शैक्षिक वातावरण का स्तर उच्च होता है, उन समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति भी तीव्र होती है। ऐसे समाजों में ग्रहणशीलता भी अधिक होती है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक विकास संभव होता है तथा उच्च सामाजिक आकांक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। आधुनिकीकरण के लिये समाज में परिवर्तन, ग्रहणशीलता, प्रेरणा एवम् उच्च आकांक्षायें, औद्योगिक उन्नति, परिवर्तनशील सामाजिक एवम् नैतिक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है तथा यह सभी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। शिक्षा आधुनिकीकरण लाने में निम्नांकित प्रकार से सहायता करती है—

1. दृष्टिकोणों की विस्तृतता प्रदान करके
2. ज्ञान भण्डार में वृद्धि करके
3. सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता लाकर के
4. जीवन स्तर का उन्नयन करके
5. साम्यावस्था (Equilibrium stage) का सृजन करके।

जिस प्रकार शिक्षा आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण भी शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन को अत्यंत प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिये शिक्षाविदों को अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये—

1. पाठ्यक्रम में विविधतापूर्ण एवम् जीवनोपयोगी ज्ञान सम्मिलित होना चाहिये।
2. पाठ्यक्रम परिवर्तन द्वारा ज्ञान को इस प्रकार प्रेषित किया जाना चाहिये कि वह सभी को प्रभावित एवम् सबका विकास कर सके।
3. पाठ्यक्रम के द्वारा सांस्कृतिक विलम्बना (Cultural Lag) को समाप्त कर देना चाहिये।
4. पाठ्यक्रम का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे ज्ञान के भण्डार में वृद्धि हो।
5. पाठ्यक्रम परिवर्तन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि व्यक्ति एवम् समाज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति करे।
6. पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यावहारिक होना चाहिये जिससे इसके द्वारा कुशल श्रमिक, कुशल कारीगर तथा कुशल प्रशासक बन सकें।
7. समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जो विभिन्न समाजों में हो रहे विविध परिवर्तनों और उनके हितकर तथा अहितकर पक्षों की जानकारी प्रदान कर सके।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE.
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

4. लोकतंत्र तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन—लोकतंत्र एक बहुअर्थक शब्द है। इसकी व्याख्या कई रूपों में की जाती है। जैसे—राजनैतिक जनतंत्र आर्थिक जनतंत्र, शैक्षिक जनतंत्र आदि।

1. अब्राहम लिंकन के शब्दों में, "लोकतंत्र जनता के उस शासन को कहते हैं, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है।" स्पष्ट है कि राजनैतिक जनतन्त्र मतदान की स्वतन्त्रता पर आधारित होता है।
2. आर्थिक लोकतंत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने एवम् उपयोग करने के लिये समान अवसर मिलने चाहिये। बी.डी.मारिया के शब्दों में, "आर्थिक लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक शक्ति का सब लोगों के हाथ में होना है न कि कुछ पूंजीवादियों या विशेष वर्ग के हाथ में।"

उपरोक्त दोनों अर्थ जनतंत्र के किसी एक पहलू पर जोर देते हैं परंतु वास्तव में जनतंत्र वही होगा जिसमें उसके प्रत्येक पक्ष का समावेश हो। अतः वास्तविक अर्थ में, "लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था या पद्धति से है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के सदस्य को अपनी समस्त शक्तियों के विकास के अवसर प्रदान किये जाते हैं। इस संबंध में बॉयड का कथन है, "लोकतंत्र जीवन यापन की एक रीति है और जीवन-यापन की रीति का तात्पर्य है—जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना।"

भारतीय सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है और शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालती है। कुछ वर्षों से लोकतांत्रिक भावना के साथ-साथ शैक्षणिक विचारों में पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान समय में लोकतंत्र की सफलता के लिये दो मूलभूत दशाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है—

1. सम्पूर्ण जनता की अच्छी आर्थिक स्थिति तथा
2. प्रत्येक व्यक्ति के लिये उत्तम शिक्षा की व्यवस्था।

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिये शिक्षा के स्थान का महत्त्व शिक्षाविदों तथा जनसामान्य ने भी स्वीकार किया है। अतः शैक्षणिक दृष्टि से "लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को ज्ञानार्जन करने तथा पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त होता है।" जॉर्ज वाशिंगटन के कथनानुसार, "प्रत्येक देश में ज्ञान जन-सुख कारक निश्चित आधार है। सरकार के साधनों पर शिक्षा का वैसा ही तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे ऊपर दूसरे समुदाय के विचार से उसी अनुपात में आवश्यक है।"

लोकतंत्र के लिये ऐसी वास्तविक शिक्षा होनी चाहिये जो शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्ति की, सत्य व धारणाओं में अन्तर करने की, निष्कर्षों तक पहुँचने की, उन वस्तुओं को पहचानने की जो सामाजिक परिवर्तन व संकटों के समय काम आती है में सहायता प्रदान करे।

भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व इसके प्रमुख अंग हैं। भारतीय शिक्षा इन्हीं लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। जनतंत्रीय सिद्धांत भी शिक्षा के सभी अंगों पर अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण एवम् विकास के दौरान लोकतंत्रीय सिद्धांतों का पूर्णतया अनुसरण किया जाता है तथा इसी के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को ही स्थान दिया जाता है जो लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुकूल हो। विभिन्न पाठ्य विषयों तथा क्रियाओं द्वारा तथा खेलों के माध्यम से भी बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे बालक प्रजातंत्रीय जीवन बिताने में समर्थ हों सके। पाठ्यक्रम के विकास में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिये जो बालकों को सुनागरिकता की शिक्षा दे, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखे, अवकाश काल का सदुपयोग करना सिखाये तथा व्यावसायिक विकास कर सकें। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप ही पाठ्यक्रम विस्तृत व लचीला होना चाहिये।

इस प्रकार ऐसे अनेकों सामाजिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर पूर्ण प्रभाव रखते हैं तथा उन्हें गहराई से प्रभावित करते हैं।

◆◆◆

5. पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले कौन-से कारक हैं?
(What are the fators affecting curriculum change?)

अथवा

पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले दार्शनिक तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the Philosophical factors affecting curriculum change.)

अथवा

वे कौन से दार्शनिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं?
(What are the philosophical factors affecting the curriculum change?)

उत्तर—जीवन दर्शन तथा शिक्षा का चक्र सभ्यता के आदि काल से ही चलता आ रहा है। जीवन दार्शनिक चिन्तन की प्रेरणा देता है, दर्शन व्यक्ति तथा समाज के लिये प्रगति की दिशा का निर्धारण करता है तथा शिक्षा दर्शन द्वारा बताई हुई प्रगति की दिशा की ओर व्यक्ति एवम् समाज को अग्रसर करता है। वर्तमान समय मे जीवन मे बढ़ती जटिलताओं तथा समाज में बढ़ती समस्याओं के फलस्वरूप शिक्षा एवम् दर्शन के मध्य अत्यंत दूरियाँ आ गयी हैं। इनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिये शिक्षा एवम् दर्शन को एक ही दृष्टिकोण से देखने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप शिक्षा दर्शन (Philosophy of Education) नामक एक नया विषय अस्तित्व में आया है।

दर्शन शब्द आँग्ल भाषा के Philosophy (फिलॉसाफी) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। Philosophy शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों Philos (फिलॉस) व Sophia (सोफिया) से मिलकर बना है। जिनका अर्थ है—ज्ञान के लिये प्रेम (Love for wisdom) दर्शन के शाब्दिक अर्थ के विवेचन से यह स्पष्ट है कि "दर्शन का तात्पर्य उस विषय या शास्त्र से है जिसके अन्तर्गत मानव को लौकिक व पारलौकिक अनुभवों तथा मानव जीवन के विभिन्न पक्षों एवम् समस्याओं की क्रमबद्ध, तार्किक एवम् व्यवस्थित विवेचना करके, उनके संबंध में अंतिम ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास किया जाता है। दर्शन को परिभाषित करते हुए अरस्तु ने कहा है, **"दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्त्व के यथार्थ स्वरूप की जाँच करता है।"** (*"Philosophy is a science which investigates the nature of being, as it is in itself."* **—Aristotle**)

फिक्टे के अनुसार, **"दर्शन ज्ञान का विज्ञान है।"**
(*"Philosophy is the science of knowledge"*. **—Ficte**)

ब्राइटमैन के मतानुसार, **"दर्शन की परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जाता है, अथवा जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं।"**

(*"Philosophy may be defined as the attemt to think truely about human experience as a whole or to make our whole experience intelligible."* **— Brightman**)

जॉन ड्यूवी ने दर्शन को इस प्रकार परिभाषित किया है, "जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया है, तब सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता या ज्ञान कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है।"

किसी भी व्यक्ति अथवा समाज को भली प्रकार से समझने के लिए एवम् उसके संबंध में निर्णय लेने के लिये यह आवश्यक है कि उसके जीवन दर्शन का हमें ज्ञान हो। दर्शन के महत्त्व की अवहेलना जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं की जा सकती। दर्शन के महत्त्व के बारे में प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार एवम् समालोचक **जी.के.चेस्टर्टन** ने अपने एक निंबध में लिखा है, "कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य के विषय में सबसे व्यावहारिक एवम् प्रमुख वस्तु ब्रह्माण्ड के विषय में उसका दृष्टिकोण है। मकान मालिक के लिये यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि उसके होने वाले किरायेदार की आय क्या है, किन्तु उसके लिये यह

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

जानना कि उसका जीवन-दर्शन क्या है और यह भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। सेनापति के लिये दुश्मन से लड़ने के लिए उसमें सैनिकों की संख्या जानना तो आवश्यक है ही किन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण दुश्मन के दर्शन को जानना है।"

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दर्शन का स्थान कितना अधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा में भी दर्शन का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। इसीलिये कहा गया है–"शिक्षा संबंधी समस्त प्रश्न अंततः जीवन-दर्शन से संबंधित हैं।" वैसे तो दर्शन शिक्षा के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है परंतु पाठ्यक्रम पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक को क्या पढ़ाया जाये एवम् क्या न पढ़ाया जाये इसका उत्तर व्यक्ति एवम् समाज की दार्शनिक मान्यता के अनुसार ही तय किया जाता है। जब भी कोई दार्शनिक विचारधारा विकसित होती है तो वह पाठ्यक्रम को अवश्य ही प्रभावित करती है। इसीलिए, रस्क ने भी उचित ही लिखा है, "दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है, उतना शिक्षा का कोई भी अन्य पक्ष नहीं है।" पाठ्यक्रम परिवर्तन पर पड़ने वाले विभिन्न दार्शनिक तत्त्वों के प्रभाव पर दृष्टि डालने से पहले शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय एवम् पाठ्यवस्तु पर दर्शन क्या प्रभाव डालता है, यह जानना आवश्यक है।

दर्शन एवम् पाठ्यक्रम

1. पाठ्यक्रम का निर्माण दर्शन पर आधारित है–अत्यंत स्पष्टतः कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण समाज में प्रचलित तत्कालीन दर्शन के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक देश व समाज में जिस प्रकार की विचारधारायें, आदर्श एवम् आकांक्षायें प्रचलन में होती हैं, उन्हीं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण एवम् परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिये, वैदिक काल में जब आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा का बोलबाला था तब पाठ्यक्रम में धर्म, नीति-शास्त्र, ललित कलायें, आध्यात्मक शास्त्र आदि विषयों का स्थान प्रमुख था। परंतु वर्तमान समय में प्रयोजनवादी विचारधारा प्रचलित है। अतः पाठ्यक्रम में उपयोगी व जीवन-यापन से संबंधित विषय प्रमुखता से रखे गये हैं। उदाहरण के लिये वर्तमान पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक विषय क्राफ्ट्स व समाजशास्त्र आदि विषयों का प्रमुख स्थान है।

2. पाठ्यविषयों की संख्या का निर्धारण भी दर्शन से संबंधित है–पाठ्यक्रम में कितने विषयों को स्थान दिया जाना चाहिये। इस प्रश्न के उत्तर का निर्धारण भी दर्शनशास्त्र के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब समाज में विभिन्न परिस्थितियाँ, आदर्श व आकांक्षायें उत्पन्न होती हैं तो उनकी पूर्ति के लिये शैक्षिक उद्देश्य भी बढ़ जाते हैं तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये पाठ्यविषय भी बढ़ाने पढ़ते हैं। उदाहरण के लिये वर्तमान भौतिकता के युग में मानवीयता की उपेक्षा न हो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानवीय विज्ञान (Humanities) को भी स्थान दिया जाने लगा है। इस प्रकार पाठ्य विषय की संख्या से संबंधित विषयों का निर्धारण भी दर्शनशास्त्र के द्वारा ही किया जाता है।

3. पाठ्यवस्तु पर दर्शन का पूर्ण प्रभाव पड़ता है–किसी विषय की पाठ्यवस्तु पर तत्कालीन दार्शनिक विचारधाराओं का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि कोई पाठ्यवस्तु प्रचलित विचारधारा के विपरीत विचार उपस्थित करती है तो उसका बहिष्कार होना निश्चित है। उदाहरण के लिये जर्मनी में उग्र समाजवादी विचारधारा के विरुद्ध ज्यूस (Jews) की समर्थक पाठ्यवस्तु वाली पुस्तकें बहिष्कृत की गयीं तथा ऐसी पुस्तकें निर्मित की गयीं जिनकी पाठ्यवस्तु बालकों को सर्वस्व समर्पित (देश के प्रति) करने की भावना भरती थीं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) की तरफ से सभी राष्ट्रों के अनुकूल सिद्ध होने वाली तथा मानव में मानवीय गुणों का विकास करने वाली पाठ्यवस्तु वाली पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यवस्तु एवम् पाठ्यपुस्तकों का निर्माण भी दर्शन पर आधारित है।

पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाली दार्शनिक विचारधारायें एवम् अन्य दार्शनिक तत्त्व

1. आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन–शिक्षा के क्षेत्र में जिन दार्शनिक विचारधाराओं ने अपना प्रभाव डाला उनमें आदर्शवाद प्रमुख एवम् सबसे प्राचीन विचारधारा है। आदर्शवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावित किया है। पाठ्यक्रम के संबंध में आदर्शवादी विचारकों के बहुमूल्य सिद्धांत आज भी शिक्षाविद् पाठ्यक्रम परिवर्तन के समय ध्यान में रखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत इस प्रकार हैं–

(अ) **पाठ्यक्रम मानव विचारों तथा आदर्शों पर निर्भर होना चाहिये (Curriculum should be based on Human ideas and ideals)**–आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य के अनुभवों, आदर्शों, विचारों एवम् मूल्यों का अत्यधिक महत्त्व है। इसीलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों, आदर्शों, विचारों तथा मूल्यों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिये। इस प्रकार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के विषयों का स्थान होना चाहिये। रॉस महोदय आदर्शवाद के इसी विचार को इस प्रकार 'व्यक्त' करते हैं–"मनुष्य के सच्चे तथा विशिष्ट अर्थों में मानव होने के लिये अपनी इस विरासत को ग्रहण करना चाहिये। उसे वह सामान्य संस्कृति अपने लिये पुनः प्राप्त और अर्जित करना चाहिये और हो सके तो सामान्य भण्डार में कुछ बढ़ाना चाहिये।"

(ब) **शाश्वत मूल्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान (Important place of spiritual values)**–आदर्शवादियों का विचार है कि शाश्वत मूल्यों को अर्जित करना शिक्षा का परम लक्ष्य है तथा इन्हें पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिये शाश्वत मूल्यों से संबंधित विषयों को आदर्शवादी पाठ्यक्रम में महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। समस्त शाश्वत मूल्यों में सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् का मूल्य सर्वोपरि है।

(स) **मानव की प्रमुख क्रियाओं का पाठ्यक्रम में महत्त्व (Importance of important activities of man in curriculum)**–आदर्शवादी दार्शनिक तथा विचारक मनुष्य की महत्त्वपूर्ण क्रियाओं को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान देते हैं तथा इन्हीं के आधार पर विषयों का चुनाव पाठ्यक्रम हेतु करते हैं। उदाहरण के लिये प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम मानव की 1. बौद्धिक, 2. कलात्मक तथा 3. नैतिक क्रियाओं के आधार पर निर्मित किया है।

रॉस महोदय ने अपना पाठ्यक्रम 1. शारीरिक क्रियाओं तथा, 2. आत्मिक क्रियाओं के आधार बनाकर निर्मित किया है।

टी.पी. नन ने भी समस्त मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बाँटा है–1. व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिये आवश्यक क्रियाओं हेतु विषय, 2. सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण कार्य हेतु विषय।

हालाँकि वर्तमान समाज में प्रयोजनवादी विचारधारा एवम् जीवनोपयोगी विषय ही अधिक प्रचलन में हैं, फिर भी उपरोक्त सिद्धांतों को पाठ्यक्रम परिवर्तन के समय ध्यान में रखा जाता है तथा उनके आधार पर निम्नलिखित विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है–साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, काव्य (Poetry), कलायें (arts), स्वास्थ्य विज्ञान तथा व्यायाम आदि।

2. प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन–दर्शनशास्त्र की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवादी दार्शनिक एवम् विद्वान रूसो ने अपने महान ग्रन्थ 'एमाइल एण्ड एजूकेशन' (Emile and Education) की रचना की, जिसमें शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया गया है। रूसो ने शिक्षा को बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास माना है। रूसो ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बालक को बालक ही समझना चाहिये, एक लघु प्रौढ़ नहीं। (*"A child should be treated as a child and not an adult in the miniature."*)

प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं–

बालक की प्रवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं आदि को महत्त्व (Importance of Instincts, interests and capacities of child)–प्रकृतिवादी शिक्षा का लक्ष्य बालकों का पूर्ण विकास

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों की मूल प्रकृति अर्थात् उनकी योग्यताओं, मूल प्रवृत्तियों, रुचियों, क्षमताओं तथा स्वाभाविक क्रियाओं के अनुरूप हो। अतः पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों का स्थान होना चाहिये जो बालकों को उनकी रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं का विकास कर सके।

(a) व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्त्व (Importance of Individual Differences)—प्रत्येक बालक क्षमता, योग्यता एवम् रुचियों में एक-दूसरे से अलग होता है। अतः पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्त्व देकर बालकों के अनुकूल पाठ्य विषयों का चयन करना चाहिये।

(b) जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता (Priority of the subjects related to life preservation)—प्रकृतिवादी विचारकों ने इस तथ्य का गहन विवेचन किया कि प्रकृति के अस्तित्व के लिये संघर्ष (Struggle for existance) तथा योग्यतम की जीत (Survival of the fittest) की प्रक्रिया चल रही हैं। अतः प्रकृतिवादी विचारकों ने पाठ्यक्रम में उन विषयों की प्रधानता दी है जो जीवन रक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक एवम् उपयोगी सिद्ध हो सकें।

(c) धार्मिक शिक्षा का व्यर्थ होना (Uselessness of religious Education)—प्रकृतिवादी विचारकों ने आदर्शवादी धारा में निहित धार्मिक विषयों का विरोध करते हुए इसे पूर्णतया व्यर्थ बताया है। प्रकृतिवाद के अनुसार—"कोई भी बालक जबकि वह स्वतंत्र होता है तो धर्मपालन नहीं करना चाहता है और उसमें ऐसे कोई भी चिह्न नहीं पाये जाते हैं जो यह प्रकट करें कि पूजा बालकों में प्राकृतिक रूप से होती है।"

(d) यौन शिक्षा का महत्त्व (Importance of Sex Education)—प्रकृतिवादी विचारक रॉस के शब्दों में, "यौन विषय के प्रति स्वस्थ रवैये पर बल देने का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि सह-शिक्षा का उत्साहपूर्वक समर्थन किया जाता है, क्योंकि यही एकमात्र सम्भव शिक्षा है।" ए.एस.नील. नामक आधुनिक प्रकृतिवादी विद्वान ने अपने समरहिल (Sumerhill) नामक आदर्श स्कूल में यौन शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम परिवर्तन के सिद्धांतों में इन सभी प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को पूर्ण महत्त्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन में व्यक्तिगत विभिन्नता एवम् बालक की मूलभूत आवश्यकताओं रुचियों एवम् क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। पाठ्यक्रम में नैतिक विषयों को तो स्थान दिया गया है, परंतु धार्मिक विषयों का पूर्ण अभाव है। जीवन रक्षा संबंधी विषयों को भी पाठ्यक्रम परिवर्तन के दौरान पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यौन शिक्षा तथा सह-शिक्षा का भी प्रचलन वर्तमान युग में जोर पकड़ रहा है। इस प्रकार प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम ने पाठ्यक्रम परिवर्तन को अत्यंत प्रभावित किया है तथा इसके आधार पर वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—खेल-कूद एवम् अन्य शारीरिक कार्य, ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण, भाषा, हस्त कार्य, गणित सामाजिक विषय, प्राकृतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, चित्रकला आदि।

3. प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन—प्रयोजनवाद दर्शनशास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है, परंतु इसका वर्तमान काल की सभी विचारधाराओं में सर्वाधिक महत्त्व है। इसे प्रयोगवाद या फलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह विचारधारा उन्हीं क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धांतों और नियमों को सत्य मानती है जो किसी देशकाल व परिस्थिति में व्यावहारिक तथा उपयोगी हों। प्रयोजनवादी विचारक शिक्षा को दर्शन की एक प्रयोगशाला के रूप में मानते हैं। ये शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया न मानकर सामाजिक क्रिया मानते हैं। इसके अनुसार शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है तथा प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण में सहायक भी है। प्रयोजनवादी विचारधारा के पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत तथा विचार इस प्रकार हैं—

(अ) उपयोगिता का सिद्धांत (Principle of Utility)—प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम उपयोगितावाद का समर्थन करता है तथा पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देने पर बल देता है जो बालकों के भावी जीवन में उनका सहयोग करे तथा उन्हें ज्ञान व सफल जीवन की क्षमता प्रदान करें।

(ब) सहसम्बन्ध/एकीकरण का सिद्धांत (Principle of Integration)—प्रयोजनवादी विचारकों का मत है कि पाठ्यक्रम के समस्त विषय एक-दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने चाहिए ताकि बालक जो ज्ञान ग्रहण करें वह सार्थक हों। इसीलिये पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित किये जायें उनमें आपस में सह-सम्बन्ध हो।

(स) बाल केन्द्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत (Principle of Child centred curriculum)—प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम को बालक की अभिरुचियों की पूर्ति का साधन मानते हैं तथा पाठ्यक्रम का संगठन इसी आधार पर करने की सिफारिश करते हैं, जॉन डीवी ने बालकों की चार अभिरुचियाँ बतायी हैं—

1. बातचीत करना	2. खोज करना
3. कलात्मक अभिव्यक्ति	4. रचनात्मक कार्य करना।

इस विषय में डीवी ने कहा है, **"ये प्राकृतिक रुचियाँ प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बालक का विकास होता है।"**

("These natural interests are the natural resource the univested capital upon the experience of which dependes the actual growth of child."

—Dewey)

(द) बालक की क्रियाओं व अनुभव के सिद्धांत (Principle of child's activities and experiences)—प्रयोजनवादी शिक्षा को एक क्रियाशील प्रक्रिया मानते हैं इसीलिए पाठ्यक्रम के संगठन का आधार बालक की क्रियायें एवम् अनुभव होने चाहिए। वस्तुतः शिक्षा केवल तथ्यों को रटना नहीं है, अपितु अनेकों अनुभव को योग है। अतः पाठ्यक्रम में विषयों के अतिरिक्त वे सभी सामाजिक व सोद्देश्यपूर्ण क्रियाएं सम्मिलित होनी चाहियें जो बालकों में नैतिक गुणों का विकास कर सकें, स्वानुशासन की भावना का विकास कर सकें तथा नवीन अनुभव प्रदान कर सकें।

(य) लचीलेपन का सिद्धांत (Principle of flexibility)—प्रयोजनवादी मानते हैं कि जीवन में परिवर्तन के साथ ही शिक्षा के उद्देश्यों व आदर्शों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। अतः पाठ्यक्रम अत्यंत लचीला होना चाहिये जिससे समय एवम् परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें।

जैसा कि पहले अध्याय में भी हम पढ़ चुके हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में ये सभी सिद्धांत प्रमुख हैं। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के प्रमुख विषय जो वर्तमान पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाते हैं। वे हैं—भाषा, साहित्य, स्वास्थ्य विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रयोजनवादी विचारधारा अपना व्यापक प्रभाव डालती है।

4. यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन—यथार्थवादी विचारधारा का जन्म सत्रहवीं शताब्दी में हुआ था। इसका अभिप्राय वस्तु संबंधी विचारधारा से है। यथार्थवादी विचारक शिक्षा को वास्तविक जीवन की तैयारी मानते हैं तथा बालक के वर्तमान व्यावहारिक जीवन को महत्त्व प्रदान करते हैं। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य 1. वास्तविक जीवन की तैयारी, 2. मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, 3. व्यावसायिक

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE.
EST. 2008
Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

कुशलता व क्षमता का विकास करना, 4. सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना तथा 5. बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवम् क्रियाओं का स्वतंत्र विकास करना है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम परिवर्तन संबंधी कुछ सिद्धांतों का भी निर्माण किया गया है जो इस प्रकार हैं–

(अ) **उपयोगिता का सिद्धांत (Principle of Utility)**–यथार्थवादी विचारक पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देने पर बल देते हैं जो बालक के भावी जीवन के लिये उपयोगी हों।

(ब) **व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत (Principle of wide curriculum)**–पाठ्यक्रम इतना व्यापक हो कि बालक अपनी रुचि, योग्यता व क्षमता के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकें।

(स) **सह-सम्बन्ध व एकीकरण का सिद्धांत (Principle co-relation and integration)** –यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी विषयों में आपस में संबंध होना चाहिये तथा ज्ञान एक इकाई है यह मानकर सभी विषयों में एकीकरण स्थापित करके पढ़ाना चाहिये।

(द) **वर्तमान आवश्यकता का सिद्धांत (Principle of present need)**–यथार्थवाद बालक की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति पर बल देता है तथा पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान दिये जाने का समर्थन करता है। जो उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

(य) **क्रियाप्रधान पाठ्यक्रम का सिद्धांत (Principle of Activity centered curriculum)**–यथार्थवादी विचारकों ने भी शिक्षा को एक क्रियाशील प्रक्रिया माना है तथा पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देने की सिफारिश की है जो बालक को क्रियाशील रख सकें।

(र) **व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत (Principle of Individual difference)**– यथार्थवादी विचारक मानते हैं कि प्रत्येक बालक की अभिरुचियाँ, क्षमतायें, योग्यतायें एवम् कुशलतायें भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिये।

(ल) **प्राकृतिक घटनाओं की प्रधानता का सिद्धांत (Principle of natural events primacy)**–यथार्थवादी विचारधारा के समर्थक विज्ञान काल्पनिक जगत को मिथ्या मानते हैं तथा सत्य एवम् प्राकृतिक घटनाओं से युक्त पाठ्यक्रम को बालकों के लिये उपयुक्त बताते हैं।

पाठ्यक्रम परिवर्तन में उपरोक्त सभी सिद्धांतों का पूर्ण समावेश करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान पाठ्यक्रम यथार्थवाद के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रेरित है तथा उसी के अनुरूप विषयों को भी प्रमुखता देता है। पाठ्यक्रम में रखे जाने वाले प्रमुख विषय इस प्रकार हैं–प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, हस्तकार्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य रक्षा, भ्रमण, खेलकूद, भूगोल गणित आदि।

5. दार्शनिक विचारक एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन–स्पेन्सर ने उचित कहा है, **"सच्ची शिक्षा का संचालन सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है।"** इसी बात को रूसो ने इस प्रकार व्यक्त किया है, "हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिये और यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है।" उपरोक्त दोनों कथनों का तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन का अत्यधिक प्रभुत्व है तथा शिक्षा एवम् दर्शन का सम्बन्ध अत्यंत घनिष्ठ है। दर्शन के क्षेत्र में आये दार्शनिकों ने अपने बहुमूल्य विचार शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्त किये हैं तथा उन विचारों का आज के भौतिक युग में भी अत्यंत महत्त्व है। पाठ्यक्रम निर्माण एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन के समय उनके विचारों को प्रस्तुत करने के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं। अनेकों दार्शनिकों ने शिक्षक बनकर भी पाठ्यक्रम परिवर्तन में सहयोग किया है तथा शिक्षा जगत को अपने बहुमूल्य विचार प्रदान किये हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने आधारभूत शिक्षा (Basic Education) का जो प्रत्यय शिक्षा जगत को प्रदान किया है, वह आज भी पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। स्वामी विवेकानन्द ने एंग्लो वैदिक विद्यालयों की नींव डाली तो स्वामी दयानन्द ने रामकृष्ण मिशन स्कूलों का शुभारम्भ किया। रवीन्द्रनाथ

टैगोर के शान्ति निकेतन के पाठ्यक्रम तथा प्राकृतिक वातावरण आज भी अनुकरणीय है। महर्षि अरविन्द का अरविन्द आश्रम शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रेरणा स्रोत हैं। इन सभी के अतिरिक्त पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्राचीन काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, आदि दार्शनिकों ने शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया तथा पाठ्यक्रम पर अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किये। आधुनिक काल में भी जान डीवी, लॉक, रूसो, स्पेन्सर, मैडम मारिया मान्टेसरी तथा फ्रॉबेल आदि ने शिक्षा जगत को अपने विचारों से समृद्ध बनाया है। इनके शैक्षिक विचारों का आज भी पाठ्यक्रम परिवर्तन पर पूर्ण प्रभाव है तथा शिक्षाविद् इनके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनेकों दार्शनिकों ने अपने विचारों से पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दार्शनिक तत्त्वों का पाठ्यक्रम परिवर्तन पर अत्यंत प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का प्रचलन बढ़ाया तो गाँधीजी ने आधारभूत शिक्षा पर बल दिया। प्रयोजनवाद ने 'करके सीखने पर बल' दिया तो यथार्थवाद ने बालक के वर्तमान जीवन का समृद्ध बनाने हेतु 'सभी विषयों के ज्ञानार्जन को उपयोगी' बताया। प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन विधि, मान्टेसरी पद्धतियां, किण्डर गार्डेन विधि आदि भी शिक्षा के क्षेत्र में दर्शनशास्त्र से ही निकल कर आयी है। पाठ्यक्रम परिवर्तन पर दर्शन का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट एवम् अत्यधिक बढ़ता जा रहा है।

◆◆◆

6. पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का वर्णन कीजिये।
(Describe the psychological factors affecting curriculum change?)

अथवा

वे कौन-से मनोवैज्ञानिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम परिवर्तन पर अपना प्रभाव डालते हैं?
(Which are the Psychological factors affecting change?)

उत्तर–मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है तथा उसके सर्वांगीण विकास हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें उसके अनुभवों एवम् व्यवहार के संबंध में वास्तविक जानकारी हो। इस संबंध में हमारी सहायता एवम् मार्गदर्शन मनोविज्ञान करता है, क्योंकि मनोविज्ञान मनुष्य के अनुभव एवम् व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान रहा है तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर अपने अर्थों को भी परिवर्तित करता रहा है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। **पिल्सबरी** के अनुसार, **"सर्वाधिक सन्तोषजनक रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है।"** (*Psychology may be most satisfactorily defined as the science of human behaviour.*—**Pillsbary**)

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक समस्या के समाधान के लिये मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान से सहायता प्राप्त करने के प्रयास के परिणामस्वरूप ही मनोविज्ञान एवम् शिक्षा शास्त्र की एक नवीन शाखा का प्रादुर्भाव हुआ है जिसका नाम है–शिक्षा मनोविज्ञान (Education of Psychology)। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है–शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।

स्किनर के शब्दों में, **"शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो एक सामाजिक प्रक्रिया है तथ मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है।"**

प्रो. ट्रो के शब्दों में, **"शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक का परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है।"**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

वर्तमान काल में शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य में भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार तैयार किया जाये कि बालकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाये तथा बालक सम्पूर्ण ज्ञान को सुगमता से ग्रहण भी कर लें। मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में महत्त्वपूर्ण नियम प्रतिपादित करता है। शिक्षा को मनोविज्ञान ही यह बताता है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। साथ ही उन्हें बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा उनकी आवश्यकताओं का भी ज्ञान होना चाहिये। स्किनर ने भी इस संबंध में उचित ही कहा है, "उपयोगी पाठ्यक्रम बालकों के विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणा मूल्यों व सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिये। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक तत्त्व पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं"–

1. परिपक्वता व विकास तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन–परिपक्वता बालक की आन्तरिक अभिवृत्ति की प्रक्रिया माना जाता है। यह शरीर की वह दशा मानी जा सकती है जिसकी प्राप्ति के बाद बालक प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है तथा इसके अभाव में बालक किसी भी कार्य को सीखने में असमर्थ रहता है। आयु के साथ शारीरिक एवम् मानसिक विकास एवम् परिवर्तनों को ही परिपक्वता कहा जाता है।

विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है तथा इसमें शारीरिक विकास के साथ-साथ सामाजिक व संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित होता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, "विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है।" मनोविज्ञान ने मानव विकास के विभिन्न पक्ष एवम् अवस्थायें भी स्पष्ट की हैं। परिपक्वता एवम् मानव विकास की अनेकों अवस्था में व पहलू पाठ्यक्रम परिवर्तन से अत्यंत गहरा संबंध रखता है। उदाहरण के लिये पाठ्यक्रम में तार्किक ज्ञान को माध्यमिक स्तर के बालकों को ही प्रदान किया जाता था। परंतु मनोवैज्ञानिक शोधों के कारण यह सिद्ध हो चुका है कि तर्कशक्ति का विकास बालकों की बाल्यावस्था में ही हो जाता है। अतः पाठ्यक्रम परिवर्तन में इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी तार्किक विश्लेषण एवम् तार्किक ज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम को स्थान दिया जाने लगा है। साथ ही बालक की परिपक्वता एवम् विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं के अनुरूप बालकों के पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। रूसो ने भी बाल विकास की अवस्थाओं–बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था व युवावस्था के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया था ताकि बालक अपनी शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के अनुसार सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर सकें। पेस्टालॉजी नामक विद्वान ने भी 'विकास के सिद्धांत' को पाठ्यक्रम निर्माण व विकास में प्रमुख स्थान प्रदान किया है।

2. अभिप्रेरणा तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन–सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी ऐसी उत्तेजना (Excitation) से है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। यह उत्तेजना आन्तरिक या बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिप्रेरणा का अर्थ केवल आंतरिक उत्तेजना से होता है। उदाहरण के लिये भूख (Hunger) एक आंतरिक उत्तेजना है जिसके कारण कोई भोजन करने के लिए प्रेरित होता है परंतु भोजन की थाली एक बाह्य उत्तेजना है, जिसे देखकर कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए प्रेरित हो। इस प्रकार वह आंतरिक उत्तेजना ही प्रेरणा होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य-व्यवहार के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करती है। गुड के शब्दों में, "अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है।" अभिप्रेरणा के चार प्रमुख कारक होते हैं–

1. आवश्यकतायें (Needs)
2. चालक (Driver)
3. उद्दीपक (Incentives)
4. अभिप्रेरक (Motives)।

अभिप्रेरक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं–

(अ) जन्मजात अभिप्रेरक–भूख, प्यास, नींद, काम, प्रेम, क्रोध, मल-मूत्र त्याग आदि।

(ब) अर्जित अभिप्रेरक–

(क) व्यक्तिगत अभिप्रेरक–आकांक्षा का स्तर, जीवन लक्ष्य, मद व्यसन, आदत की विवशता, रुचि, अचेतन प्रेरणा, मनोवृत्तियाँ आदि।

(ख) सामाजिक अभिप्रेरक–सामुदायिकता, आत्मस्थापना, अर्जनात्मक, युयुत्सा आदि।

अभिप्रेरणा की प्रविधियाँ–अभिप्रेरणा के कुछ तत्त्वों का जब पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु से संबंध स्थापित कर दिया जाता है तथा ये कारक प्रेरणा की प्रविधियाँ बन जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रविधियाँ इस प्रकार हैं–

1. पुरस्कार व दण्ड
2. प्रशंसा एवं निन्दा
3. प्रोत्साहन
4. प्रगति का ज्ञान
5. परिणाम का ज्ञान
6. प्रतियोगिता एवम् सहयोग
7. आवश्यकता का ज्ञान
8. सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर
9. रुचियों का अध्ययन
10. नवीनता
11. आकांक्षा का स्तर
12. स्पष्ट व आकर्षक लक्ष्य
13. आत्मप्रकाशन का अवसर
14. सामूहिक कार्य
15. कक्षा का वातावरण
16. मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ
17. शिक्षक का व्यक्तित्व एवम् व्यवहार
18. दृश्य-श्रव्य सामग्री व उदाहरण
19. परिचर्चायें व सम्मेलन
20. धनात्मक अभिवृत्ति का विकास।

पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा अभिप्रेरणा (Motivation) का अत्यंत गहरा संबंध है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत पाठ्यक्रम परिवर्तन के सिद्धांतों में प्रमुख सिद्धान्त हैं। इसके अनुसार पाठ्यक्रम का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिये कि वह बालकों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सके। पाठ्यक्रम निर्माण एवम् विकास कार्य के समक्ष अभिप्रेरणा एवम् परिपक्वता को सम्बन्धित करने का प्रयास किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि जब बालक शारीरिक व मानसिक स्तर पर परिपक्व होता है तभी अधिगम पूर्णतया संभव हो सकता है। अभिप्रेरणा के तत्त्वों, रुचियों, नवीनता, आत्म प्रकाशन के अवसर तथा अभिप्रेरणा की सकारात्मक प्रविधियों–प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार, सफलता का अनुभव आदि का पाठ्यक्रम में इस प्रकार नियोजन किया जाना चाहिये कि बालक शिक्षा प्राप्ति में रुचि ले सके। पाठ्यक्रम नियोजन में शिक्षार्थियों की सहभागिता भी (जोकि) अभिप्रेरणा की एक प्रविधि है, अत्यंत प्रभावी हो सकती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को शिक्षकों एवम् बालकों के सामने कई विकल्प रखकर उसमें से पाठ्यवस्तु के चयन के अवसर प्रदान करने चाहिये। शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सजग करने के लिये भी अभिप्रेरणा का अत्यधिक महत्त्व है। इस दृष्टि से भी पाठ्यक्रम परिवर्तन में अभिप्रेरणा का महत्त्व अत्यधिक है।

3. अभिरुचि एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन–मनोवैज्ञानिक प्रत्यय 'अभिरुचि' का भी पाठ्यक्रम परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अभिरुचि से अभिप्राय किसी कार्य वस्तु या विषय के प्रति लगाव होता है। जब किसी कार्य या क्रियाकलाप से हमें आनन्द प्राप्त होता है तो इसे ही रुचि कहा जाता है। क्रो एवम् क्रो के अनुसार, "अभिरुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। यह एक प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा उद्दीप्त होती है। दूसरे शब्दों में रुचि किसी क्रिया का कारण हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी।"

रुचि एक प्रकार की अभिप्रेरक शक्ति भी है जो किसी कार्य को करने की प्रेरणा प्रदान करती है। जिन कार्यों में बालक की स्वाभाविक रुचि होती है, उन्हें वह प्रत्येक दशा में पूर्ण करने का प्रयास करता है क्योंकि उनसे उसे आनन्द की प्राप्ति होती है। यह रुचि कई बालक में पहले से विद्यमान होती हैं तथा कई बार किसी कार्य को करते समय उत्पन्न हो जाती हैं। अभिरुचियाँ दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं–

1. जन्मजात अभिरुचियाँ
2. अर्जित अभिरुचियाँ।

जन्मजात अभिरुचियाँ मूल प्रवृत्ति से सम्बन्धित होती हैं जैसे हँसना, खेलना, खाना, भोजन करना आदि। अर्जित अभिरुचि अपने कार्य व्यवहार के द्वारा पोषित की जाती हैं। उदाहरण के लिए–चिकित्सक की रोगी के इलाज में रुचि रखना व शिक्षक का शिक्षण कार्य में रुचि रखना। अर्जित अभिरुचियों के कारण ही बालक में विशिष्ट कौशलों का विकास हो पाता है। अर्जित अभिरुचियों को बालक शिक्षा तथा अपने आस-पास के वातावरण से अर्जित करता है। अतः पाठ्यक्रम नियोजन में रुचियों के विकास का अत्यधिक महत्त्व है। पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा ऐसे प्रयास करने चाहिये जिनसे बालकों में स्वस्थ अभिरुचियों का

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

विकास सम्भव हो सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जिससे बालक की अभिरुचियों का स्वस्थ विकास संभव हो सके। उत्तम पाठ्यक्रम के द्वारा ही बालकों की अध्ययन में रुचि होती है तथा अधिगम कार्य भी सुगम एवम् सफल होता है। जो पाठ्यक्रम बालकों में अध्ययन की रुचि जागृत नहीं कर सकता व उन्हें अधिगम हेतु प्रेरित नहीं कर पाता, वह पाठ्यक्रम पूर्णतया असफल एवम् अनुपयोगी सिद्ध होता है। अतः पाठ्यक्रम परिवर्तन के द्वारा पाठ्यक्रम को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिये कि वह अभिरुचियों का विकास करने के साथ ही बालकों को अभिप्रेरणा, निर्देशन व पुनर्बलन प्रदान कर सके। पाठ्यक्रम परिवर्तन के अनेकों सिद्धांतों में अभिरुचि के विकास का महत्त्व स्वतः स्पष्ट है।

4. व्यक्तिगत विभिन्नता एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन—वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक गठन, रूपरंग, रुचि, स्वभाव, बुद्धि, विशिष्ट योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि तथा व्यक्तित्व संबंधी अन्य गुणों में भिन्नता से है।

सभी व्यक्ति रूप रंग, बुद्धि, रुचि, शारीरिक गठन व मानसिक योग्यता आदि गुणों में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता-पिता के दो पुत्र या दो पुत्रियाँ अथवा जुड़वा बालकों (Twin babies) में भी पूर्ण समानता नहीं पायी जाती हैं। इस प्रकार दो बालकों में विभिन्न गुणों व व्यक्तित्व में असमानता को ही व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जाना जाता है।

व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख **कारक या निर्धारक** इस प्रकार हैं—

1. वंशानुक्रम
2. वातावरण
3. जाति, प्रजाति व देश
4. आयु व बुद्धि
5. शिक्षा व आर्थिक दशा
6. स्वास्थ्य
7. परिपक्वता
8. मानसिक विकास
9. गत्यात्मक योग्यता आदि।

वैयक्तिक विभिन्नता के विभिन्न **स्वरूप** होते हैं यथा—

1. शारीरिक विभिन्नता
2. व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता
3. मानसिक विभिन्नता
   (अ) बौद्धिक विकास संबंधी विभिन्नता
   (ब) मूल प्रवृत्ति व संवेगों संबंधी विभिन्नता
   (स) स्वभाव संबंधी विभिन्नता
   (द) रुचि व दृष्टिकोणों संबंधी विभिन्नता
   (य) सीखने संबंधी विभिन्नता
   (र) विशिष्ट योग्यताओं संबंधी विभिन्नता आदि।
   (ल) चरित्र संबंधी विभिन्नता।

इन विभिन्नताओं के कारण ही बालक एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैं तथा विशिष्ट बालकों (Special Children) की श्रेणी में आ जाते हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट बालक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं—

(क) सृजनात्मक बालक
(ख) प्रतिभाशाली बालक
(ग) पिछड़े बालक
(घ) मन्द बुद्धि बालक
(च) अपराधी बालक
(छ) बाधित बालक/रोग ग्रस्त बालक आदि
(ज) विकलांग बालक।

इस प्रकार एक समान आयु वर्ग के बालक भी अनेकों प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः उनके पूर्ण विकास हेतु पाठ्यक्रम को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाना चाहिये। कुछ विशिष्ट बालकों के अतिरिक्त सभी बालक समान होते हैं। अतः एक बड़े वर्ग हेतु समान एवम् सामान्य पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिये, परन्तु विशिष्ट बालकों हेतु पाठ्यक्रम का विकास अत्यंत विविधता एवम् सुनियोजित ढंग से किया जाना चाहिये। विशेष प्रतिभासम्पन्न तथा सृजनात्मक बालकों के पाठ्यक्रम में ऐसे तत्त्व होने चाहिये जो उनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास करे, उनकी तर्कशक्ति व अन्य मानसिक योग्यताओं को संतुष्ट कर सके एवं बालकों में निर्माण व सृजन की क्षमता का विकास कर सके। पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों को अलग से सृजनात्मक कार्यों को करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। पिछड़े बालक मन्द बुद्धि बालक तथा धीमी गति से सीखने वाले बालकों का पाठ्यक्रम भी इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिये कि बालक अधिकाधिक ज्ञान एकत्रित करके सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाये तथा उसमें हीनभावना न आ सके। साथ ही अपने भावी जीवन में भी वह सफल सिद्ध हो सके। अपराधी बालकों की समस्या का समाधान करने हेतु भी उपचार की अपेक्षा रोकथाम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म ही न हो। यह कार्य भी पाठ्यक्रम द्वारा किया जाना संभव है। **कर्नल थॉमस** के शब्दों में, **"बालकों के लिये सुव्यवस्थित चरित्र प्रशिक्षण की आवश्यकता है, प्रत्येक बालक अच्छा बनना चाहता है किन्तु यह तभी संभव है जब उसे अच्छा मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हो जाये।"**

उपरोक्त सभी कारणों से ही पाठ्यक्रम परिवर्तन के सिद्धांतों में व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान की गयी है। यह प्रत्येक बालक की विभिन्न शक्तियों व आवश्यकताओं के विकास हेतु आवश्यक भी है तथा अत्यंत उपयोगी भी। पाठ्यक्रम परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक तत्त्व—व्यक्तिगत विभिन्नता का पूर्णतया ध्यान रखा जाता है तथा यह पाठ्यक्रम परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है।

5. व्यक्तित्व का विकास एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन—साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट तथा सौन्दर्य के लिये किया जाता है। सामान्यतया व्यक्तित्व की अवधारणा अत्यंत जटिल है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व अनकों आन्तरिक व बाह्य पहलुओं का समन्वय है। जैसे—बुद्धि, योग्यतायें, रुचियाँ, क्षमतायें, आदतें, दृष्टिकोण, योग्यतायें, चरित्र आदि आन्तरिक पक्ष तथा शरीर, मुख-मुद्रा, वेशभूषा व तड़क-भड़क आदि व्यक्ति के बाह्य पक्ष हैं। मन के शब्दों में, **"व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है।"** वुडवर्थ के शब्दों में, **"व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है।"**

(*"Personality is the total quality of an individual's behaviour."*—**Woodworth**)

व्यक्तित्व के अनेकों प्रकार बतायें गये हैं तथा ये प्रकार अनेकों दृष्टिकोणों से विभाजित हो गये हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य के मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। जुंग ने अपनी पुस्तक Psychological Types में व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताये हैं—

1. अन्तर्मुखी व्यक्तित्व
2. बहिर्मुखी व्यक्तित्व
3. उभयमुखी व्यक्तित्व।

अन्तर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति सर्वदा अपने आप में ही खोये रहते हैं। इनकी आदतें व स्वभाव बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं। ये आत्मकेन्द्रित होते हैं तथा सदैव आत्मविश्लेषण में खोये रहते हैं। ये एकान्त प्रिय होते हैं तथा अपनी बात कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग सामाजिक

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये आशावादी व अवसरवादी प्रकृति के होते हैं। ये व्यावहारिक जीवन में कुशल होते हैं। इनमें उच्च समायोजना की क्षमता होती है तथा ये आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उभयमुखी वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के गुण पाये जाते हैं। ये यथार्थवादी एवम् वास्तविकतावादी होते हैं। समाज में अधिकांश व्यक्ति उभयमुखी व्यक्तित्व के ही पाये जाते हैं।

व्यक्तित्व चूँकि कुछ गुणों का योग है। अतः कुछ गुण ऐसे होते हैं, जो बालक को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं तथा कुछ गुण/लक्षण उसकी प्रगति में बाधक भी बन सकते हैं। अतः पाठ्यक्रम नियोजकों को व्यक्ति के संतुलित विकास के लक्ष्य को सामने रखकर पाठ्यक्रम का नियोजन करना चाहिये। पाठ्यक्रम परिवर्तन में व्यक्तित्व के सम्पूर्ण व सर्वांगीण विकास हेतु उत्तम पाठ्य-सामग्री को स्थान प्रदान करना चाहिये। पाठ्यक्रम को बालक के व्यक्तित्व में ऐसे गुणों को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, जिससे बालक जीवन के प्रत्येक मेल में प्रगति कर सके। इस प्रकार व्यक्तित्व भी पाठ्यक्रम परिवर्तन पर व्यापक प्रभाव डालता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा अनेकों मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का पाठ्यक्रम परिवर्तन पर। पाठ्यक्रम नियोजकों को मनोवैज्ञानिक तत्त्वों, तथ्यों व सिद्धांतों का पाठ्यक्रम परिवर्तन के समय पालन करना चाहिये ताकि बालकों को दी जाने वाली शिक्षा उपयोगी व विकास करने वाली बन सके।

◆◆◆

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020